

हमारा संविधान

भारत का संविधान और संवैधानिक विधि

डा. सुभाष काश्यप—अन्य कृतियां

हिंदी में

हमारी संसद

संविधान की आत्मा

संविधान की कहानी

स्वाधीनता संघर्ष — चित्र गाथा

संवैधानिक विकास और स्वाधीनता संघर्ष

संसदीय प्रक्रिया

राजनीति कोश

भारतीय सरकार एवं राजनीति

जवाहरलाल नेहरू और भारत का संविधान

दल बदल और राज्यों की राजनीति

अंग्रेजी में

हिस्ट्री आफ पार्लियामेंट

अवर पार्लियामेंट

अवर (हिंदी, पंजाबी, तेलुगु तथा कन्नड़ संस्करण भी उपलब्ध) कांस्टीट्यूशन

डीलिकिंग रिलीजन एंड पालिटिक्स

एंटी डिफैक्शन ला एंड पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेज

हिस्ट्री आफ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी

पार्लियामेंटरी विट एंड ह्यूमर

आफिस आफ द स्पीकर एंड स्पीकर्स आफ लोक सभा

पार्लियामेंट आफ इंडिया—मिथ्स एंड रिजलिटीज़

द टैन लोक सभाज

द पालिटिक्स आफ पावर

द पालिटिक्स आफ डिफैक्शन

जवाहरलाल नेहरू—द कांस्टीट्यूशन एंड द पार्लियामेंट

हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मूवमेंट

द अननोन नीत्सो

द पालिटिकल सिस्टम एंड इस्टीट्यूशन बिल्डिंग अंडर जवाहरलाल नेहरू

गोविंद वल्लभ पंत—पार्लियामेंटेरियन, स्टेट्समैन एंड एडमिनिस्ट्रेटर द्राइस्ट विद फ्रीडम

द मिनिस्टर्स एंड द लेजिसलेटर्स

ह्यूमन राईट्स एंड पार्लियामेंट

लेजिसलेटिव मैनेजमेंट स्टडीज़

रिफारमिंग द कांस्टीट्यूशन

पर्सपेक्टिव्स आन द कांस्टीट्यूशन

बेसिक कांस्टीट्यूशनल वैल्यूज़

भारत—देश और लोग

हमारा संविधान

भारत का संविधान और संवैधानिक विधि

सुभाष काश्यप



नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

मुखपृष्ठ भारतीय सविधान की मूल प्रति का आमूख

ISBN 81-237-1913-2

पहला संस्करण 1996

चौथी आवृत्ति 2000 (शक 1921)

© सुभाष काश्यप, 1995

OUR CONSTITUTION (*Hindi*)

रु. 45.00

निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, इडिया, ए-5 ग्रीन पार्क,
नयी दिल्ली-110 016 द्वारा प्रकाशित

विषय सूची

आमुख	सात
1. प्रवेश	1
2. संवैधानिक इतिहास	7
3. संविधान का निर्माण	24
4. संविधान की विशेषताएँ	34
5. उद्देशिका	42
6. संघ और उसका राज्य क्षेत्र	62
7. नागरिकता	66
8. मूल अधिकार	73
9. निदेशक तत्व	112
10. मूल कर्तव्य	121
11. संघ की कार्यपालिका	124
12. संघ की विधायिका	141
13. न्यायपालिका	168
14. राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र	184
15. संघ और राज्यों के बीच संबंध	192
16. वित्तीय उपबंध एवं व्यापार आदि	199
17. आपात उपबंध	206
18. संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	215
19. निर्वाचन	221

20. भाषा संबंधो उपबंध	224
21. संविधान का संशोधन	230
22. प्रकीर्ण, अस्थायी एवं विशेष उपबंध	235
23. पंचायती राज	239
24. संविधान का कार्यकरण और पुनरीक्षा संबंधी सुझाव	241
शब्दावली	246
अनुक्रमणिका	250

आमुख

इस पुस्तक के लिखे जाने का सारा श्रेय नेशनल बुक ट्रस्ट को जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं के आग्रह पर इस पर काम शुरू हुआ और एक निश्चित समयावधि के भीतर पूरा किया गया। कुछ वर्ष पूर्व ट्रस्ट ने मेरी एक पुस्तक 'हमारी संसद' शीर्षक से प्रकाशित की थी। उसका पाठकों ने बड़ा स्वागत किया। पुनर्मुद्रण हुआ, नया संस्करण निकला तथा हिंदी और अंग्रेजी मूल पुस्तकों का कई अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि उसी शृंखला में अब 'हमारा संविधान' शीर्षक प्रकाशित हो रहा है। अंग्रेजी में इसका दूसरा संस्करण आ चुका है।

मेरी विनम्र मान्यता रही है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को—युवक-युवती को, बच्चे-बूढ़े को—अपने देश के संविधान से, उसकी राजनीतिक व्यवस्था से परिचित होना चाहिए। यह दुर्भाग्य का विषय है कि संविधान की शिक्षा को विभिन्न स्तरों पर अभी तक समुचित स्थान नहीं दिया गया। और भी खेद की बात है कि हिंदी भाषा में भारत के संविधान और संवैधानिक विधि पर प्रामाणिक और मानक मूल लेखन बहुत कम हुआ है।

मैं गत चार दशकों से भी अधिक से संविधान और संवैधानिक विधि का विद्यार्थी रहा हूँ। वस्तुतया संविधान के निर्माण के काल से ही इस विषय में मेरी रुचि रही है। 1965 तक भारत के संविधान निर्माण पर पांच ग्रंथों पर काम पूरा करने के बाद से बराबर सोचता रहा हूँ कि संविधान के विकास और कार्यकरण पर तथा न्यायालयों द्वारा विभिन्न उपबंधों की व्याख्या के आधार पर बनती-बढ़ती संवैधानिक विधि पर एक संपूर्ण और प्रामाणिक किंतु साथ ही सरल, संक्षिप्त और पठनीय पुस्तक लिखूँ। किसी न किसी कारणवश यह काम बराबर टलता रहा जबकि इन वर्षों में मैंने अन्य विषयों पर पुस्तकें लिखीं।

संसार के सबसे बड़े संविधान की व्याख्या को इस पुस्तक के थोड़े से पृष्ठों में समोकर प्रस्तुत करना काफी कठिन काम था। सच तो यह है कि भारत के संविधान और उसकी संवैधानिक विधि पर 1000 या उससे भी अधिक पृष्ठों का ग्रंथ लिखना अपेक्षाकृत आसान पड़ता।

पुस्तक की ग्राह्यता, गुणात्मकता और उपादेयता का निर्णय तो विज्ञ पाठक ही करेंगे किंतु इतना विनम्र निवेदन मैं अवश्य करना चाहूंगा कि इस विषय पर अब तक जो साहित्य उपलब्ध है, उसके संदर्भ में प्रस्तुत पुस्तक की शैली और तकनीक अपनी है, मौलिक है और प्रचलित ढर्रे से हटकर है।

मैं समझता हूँ कि यह पुस्तक संवैधानिक अध्ययन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएगी, एक भारी कमी को पूरा करेगी और राजनीतिशास्त्र, संवैधानिक विधि और लोक प्रशासन के शिक्षार्थियों, अधिवक्ताओं और साधारण नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

पुस्तक के प्रणयन में मुझे जिन मित्रों से सहायता मिली है, उनमें मैं विशेष रूप से स्वर्गीय श्री रघुनाथ सिंह और श्री गुरचरण सिंह छाबड़ा का आभारी हूँ। श्री बी.सी. सिंह भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने पुस्तक की पांडुलिपि का टंकण किया।

पुस्तक में रही कमियों और त्रुटियों का दायित्व मेरा है। सभी सुझावों का मैं सदैव स्वागत करूंगा और सुधार का प्रयास करूंगा।

डी-298 सर्वोदय,
नयी दिल्ली-110 017
जनवरी, 1995

सुभाष काश्यप

प्रवेश

संविधान क्या है?

किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा-ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है।

लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। आदर्शतया जनता ही स्वयं अपने ऊपर शासन करती है। किंतु, प्रशासन की बढ़ती हुई जटिलताओं तथा राष्ट्र रूपी राज्यों के बढ़ते हुए आकार के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब संभव नहीं रहा। आजकल के प्रतिनिधिक लोकतंत्रों में जनता इस बात का निर्णय करती है कि उस पर किस प्रकार से तथा किसके द्वारा शासन हो। जनता अपनी प्रभुसत्ता का सबसे पहला तथा सबसे बुनियादी अनुप्रयोग तब करती है, जब वह अपने आपको एक ऐसा संविधान प्रदान करती है जिसमें उन बुनियादी नियमों की रूपरेखा दी जाती है जिनके अंतर्गत राज्य के विभिन्न अंगों को कतिपय शक्तियां अंतरित की जाती हैं और जिनका प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है।

सघीय राज्य व्यवस्था में संविधान अन्य बातों के साथ साथ एक ओर परिसंघीय या संघ-स्तर पर और दूसरी ओर राज्यों या इकाइयों के स्तर पर राज्यों के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का निरूपण, परिसीमन और वितरण करता है।

किसी देश के संविधान को इसकी ऐसी आधारविधि भी कहा जा सकता है, जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत विहित करती है और जिसकी कसौटी पर राज्य की अन्य सभी विधियों तथा कार्यपालक कार्यों को उनकी विधिमान्यता तथा वैधता के लिए कसा जाता है।

प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था

एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है।

संविधान को एक जड़ दस्तावेज मात्र मान लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि संविधान केवल वही नहीं है, जो संविधान के मूलपाठ में लिखित है। संविधान सक्रिय संस्थानों का एक सजीव संघट्ट है। यह निरंतर पनपता रहता है, पल्लवित होता रहता है। हर संविधान इसी बात से अर्थ तथा तत्व ग्रहण करता है कि उसे किस तरह अमल में लाया जा रहा है। बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि देश के न्यायालय किस प्रकार उसका निर्वचन करते हैं तथा उसे अमल में लाने की वास्तविक प्रक्रिया में उसके चारों ओर कैसी परिपाटियां तथा प्रथाएं जन्म लेती हैं।

संवैधानिक विधि

संवैधानिक विधि सामान्यतया संविधान के उपबंधों में समाविष्ट देश की मूलभूत विधि की द्योतक होती है। विशेष रूप से इसका सरोकार राज्य के विभिन्न अंगों के बीच और संघ तथा इकाइयों के बीच शक्तियों के वितरण के ढांचे की बुनियादी विशेषताओं से होता है। किंतु आधुनिक संवैधानिक विधि में, खासतौर पर स्वाधीन प्रतिनिधिक लोकतंत्रों में, मूल मानव अधिकारों और नागरिकों तथा राज्य के परस्पर संबंधों पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसके अलावा, संवैधानिक विधि के स्रोतों में संविधान का मूल पाठ ही सम्मिलित नहीं होता बल्कि इसमें संवैधानिक निर्णयजन्य विधि, परिपाटियां और कतिपय संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए अनेक कानून भी सम्मिलित होते हैं।

संविधानवाद

संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है, जो संविधान के अतर्गत हो तथा जिसमें सरकार के अधिकार सीमित और विधि के अधीन हों। स्वेच्छाचारी, सत्तावादी अथवा सर्वाधिकारवादी जैसे शासनों के विपरीत, संवैधानिक शासन प्रायः लोकतांत्रिक होता है तथा लिखित संविधान के द्वारा नियमित होता है। लिखित संविधान में राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा उनके दायित्वों की परिभाषा तथा सीमांकन होता है। लिखित संविधान के अतर्गत स्थापित सरकार सांकुश सरकार ही हो सकती है। लेकिन, यह भी संभव है कि किन्हीं देशों में—एसे अनेक उदाहरण मिलते हैं—लिखित संविधान तो हों लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो। कहा जा सकता है कि उनके पास संविधान हैं किंतु वहा पर संविधानवाद नहीं है। ऐसे भी उदाहरण हैं, जैसे ब्रिटेन, जहां लिखित संविधान नहीं किंतु लोकतंत्र और संविधानवाद है।

भारत का संविधान

हमारा वर्तमान संविधान—भारत का प्रथम संविधान जो भारत के लोगों द्वारा बनाया तथा

स्वयं को समर्पित किया गया—संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार किया गया था। यह 26 जनवरी, 1950 से पूर्णरूपेण लागू हो गया था। मूल रूप में स्वीकृत संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इस समय जो पाठ हमारे सामने है, वह इसका समय समय पर सशोधित रूप है जिसमें कुछ अनुच्छेद संशोधनों के द्वारा निकाल दिए गए और कुछ के साथ क, ख, ग आदि करके नये अनुच्छेद जोड़ दिए गए। इस समय गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेद (1 से 395 तक) वस्तुतया 440 हो गए हैं। अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। पिछले 45 वर्षों में 78 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं।

संविधान के स्रोत

भारत के संविधान के स्रोत नानाविध तथा अनेक हैं। ये देशी भी हैं तथा विदेशी भी। संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वे नितान्त स्वतंत्र रूप से या एकदम नये सिरे से संविधान-लेखन नहीं कर रहे। उन्होंने जानबूझकर यह निर्णय लिया था कि अतीत की उपेक्षा न करके पहले से स्थापित ढांचे तथा अनुभव के आधार पर ही संविधान को खड़ा किया जाए। भारत के संविधान का एक समन्वित विकास हुआ। यह विकास कतिपय प्रयासों के पारस्परिक प्रभाव का परिणाम था। स्वाधीनता के लिए छेड़े गए राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रतिनिधिक एवं उत्तरदायी शासन संस्थानों के लिए विभिन्न मांगें उठाई गईं और अंग्रेज शासकों ने झींक झींककर बड़ी कजूसी से समय समय पर थोड़े थोड़े संवैधानिक सुधार किए। प्रारंभिक अवस्था में यह प्रक्रिया अति अविकसित रूप में थी, किंतु राजनीतिक संस्थान-निर्माण, विशेष रूप से आधुनिक विधानमंडलों का सूत्रपात 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में हो गया था। वास्तव में, संविधान के कुछ उपबंधों के स्रोत तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अंग्रेजी राज के शैशव काल में ही खोजे जा सकते हैं।

राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख स्पष्ट रूप से प्राचीन भारतीय स्वशासी संस्थानों से प्रेरित होकर किया गया था। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने उन्हें अब और अधिक सार्थक तथा महत्वपूर्ण बना दिया है।

कतिपय मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में की गई थी। भारत के राज्य-संघ विधेयक¹ में, जिसे राष्ट्रीय सम्मेलन² ने 1925 में अंतिम रूप दिया था, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति, सभा करने और

1 राज्य-संघ विधेयक (Commonwealth of India Bill)

2 राष्ट्रीय सम्मेलन (National convention)

धर्म पालन की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की एक विशिष्ट घोषणा सम्मिलित थी। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें मूल अधिकारों की मांग को दोहराया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में घोषणा की थी कि भारत की जनता का सर्वोपरि लक्ष्य न्याय सीमा के अधीन मूल मानव अधिकार प्राप्त करना है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में जो उन्नीस मूल अधिकार शामिल किए गए थे, उनमें से दस को भारत के संविधान में बिना किसी खास परिवर्तन के शामिल कर लिया गया है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्ताव में न केवल मूल अधिकारों का बल्कि मूल कर्तव्यों का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। 1931 के प्रस्ताव में वर्णित अनेक सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को संविधान के निदेशक तत्वों में समाविष्ट कर लिया गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था किंतु बाद में 1976 में संविधान (बयालीसवा) संशोधन अधिनियम द्वारा इस विषय पर एक नया अध्याय संविधान में जोड़ दिया गया था।

संविधान में सदन के प्रति उत्तरदायी संसदीय शासन प्रणाली, अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों और संघीय राज्य व्यवस्था की जो व्यवस्था रखी गई उसके मूल स्रोत भी 1928 की नेहरू कमेटी रिपोर्ट में मिलते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि संविधान का लगभग 75 प्रतिशत अंश भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया था। उसमें बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल कुछ आवश्यक संशोधन मात्र किए गए थे। राज्य व्यवस्था का बुनियादी ढांचा तथा संघ एवं राज्यों के संबंधों, आपात स्थिति की घोषणा आदि को विनियमित करने वाले उपबंध अधिकांशतया 1935 के अधिनियम पर आधारित थे।

देशी स्रोतों के अलावा संविधान सभा के सामने विदेशी संविधानों के अनेक नमूने थे। निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों वाली संसदीय प्रणाली अंग्रेजों से आई और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश¹ निहित करना और उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाने के उपबंध अमरीकी संविधान पर आधारित थे। कहा जा सकता है कि अमरीकी संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र² भी हमारे मूल अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत था।

कनाडा के संविधान ने, अन्य बातों के साथ साथ, संघीय ढांचे और संघ तथा राज्यों के संबंधों एवं संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित उपबंधों को प्रभावित

1. रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश¹ (Supreme Command of the Defence Forces)

2. अधिकार पत्र (Bill of Rights)

किया। सप्तम अनुसूची में समवर्ती अनुसूची, व्यापार, वाणिज्य तथा समागम और संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित उपबंध, संभवतया आस्ट्रेलियाई संविधान के आधार पर तैयार किए गए। आपात स्थिति से संबंधित उपबंध, अन्य बातों के साथ साथ, जर्मन राज्य संविधान द्वारा प्रभावित हुए थे। न्यायिक आदेशों² तथा संसदीय विशेषाधिकारों के विवाद से संबंधित उपबंधों की परिधि तथा उनके विस्तार को समझने के लिए अभी भी ब्रिटिश संविधान का सहारा लेना पड़ता है।

संविधान का निर्वचन

कानूनों के निर्वचन के लिए लागू सामान्य नियम³ संवैधानिक निर्वचन के क्षेत्र में भी उतने ही मान्य हैं। किंतु संविधान मूलभूत तथा सर्वोच्च विधि होता है। वह विधायिका का सृजन करता है और उसके अंतर्गत देश की सभी विधियां बनाई जाती हैं तथा वे वैधता प्राप्त करती हैं। उदार निर्वचन के सिद्धांत⁴ के अनुसार संविधान का निर्वचन उदार दृष्टि से किया जाना चाहिए, संकीर्ण दृष्टि से नहीं। संविधान के निर्वचन के लिए सामान्य नियमों के अलावा कुछ विशेष नियम भी हैं।

संविधान के प्रत्येक उपबंध की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जिससे उसमें प्रयोग में लाए गए प्रत्येक शब्द को अर्थ तथा प्रासंगिकता मिले। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, प्रत्येक शब्द इसके सामान्य या साधारण अर्थ में प्रयोग किया गया समझा जाता है और उसका सीधा सादा व्यावहारिक अर्थ लिया जाना चाहिए। (*केशवानन्द भारती बनाम कर्ल राज्य* (1973) 4 एस सी सी 225)।

संविधान के निर्वचन का उद्देश्य संविधान निर्माताओं की मंशा को समझना होता है। किंतु इसे मूलपाठ में प्रयुक्त वास्तविक शब्दों से समझा जाना चाहिए। यदि किसी संवैधानिक उपबंध की भाषा स्पष्ट तथा असंदिग्ध है, तो संविधान की भावना या संविधान-निर्माताओं द्वारा संविधान सभा में व्यक्त किए गए विचार जैसी बातें निर्वचन के लिए बेमायने हैं। किंतु यदि भाषा की अस्पष्टता के कारण उसके एक से अधिक अर्थ लगाए जा सकते हैं तो इन पर स्पष्टीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। (*मेनन बनाम बंबई राज्य*, ए आई आर 1951 एस सी 128, *गोपालन बनाम मद्रास राज्य*, ए आई आर 1950 एस सी 27)।

-
1. जर्मन राज्य (Reich)
 2. न्यायिक आदेश (Writs)
 3. सामान्य नियम (Rules of Interpretation)
 4. उदार निर्वचन के सिद्धांत (Doctrine of Liberal Interpretation)

अनिवार्य है कि संविधान को, उसके प्रत्येक भाग को उचित महत्व देते हुए, समग्र रूप में पढ़ा जाए। जहां दो उपबंध परस्पर विरोधी प्रतीत हों, वहां समरस-संरचना-सिद्धांत¹ के अंतर्गत उनका यह अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए जो दोनों उपबंधों को प्रभावी बनाता हो तथा उसके सुप्रवाही तथा समरस प्रवर्तन को सुनिश्चित करता हो [देखिये *वेंकटरामन् बनाम मैसूर राज्य*, ए 1958 एस सी 225, *मद्रास राज्य बनाम चम्पकम*, (1951) एस सी आर, 5257, *गोपालन बनाम मद्रास राज्य* (1950) एस सी आर 88]।

'पृथक्करण के सिद्धांत'² के अंतर्गत यदि किसी उपबंध का कोई भाग अविधिमान्य पाया जाए तो शेष भाग की विधिमान्यता पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए बशर्ते इसे अपेक्षित भाग से पृथक् किया जा सकता हो तथा यह अपने आप में पूर्ण हो। [*गया प्रताप सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक*, ए आई आर 1955 एस सी 765, *गोपालन बनाम मद्रास राज्य*, (1950) एस सी आर 88]।

गोलकनाथ के मामले में हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए भावी विरुद्ध-निर्णय के सिद्धांत³ के अनुसार न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्वचन तथा इसके द्वारा घोषित विधि को प्रतीप दिशा में अथवा किसी पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाना चाहिए अर्थात् अतीत के कार्यों की विधिमान्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। (*गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य*, ए आई आर 1967 एस सी 1643)।

-
1. समरस-संरचना-सिद्धांत (Principle of Harmonious Construction)
 2. 'पृथक्करण के सिद्धांत' (Doctrine of Severability)
 3. विरुद्ध-निर्णय के सिद्धांत (Doctrine of Prospective Overruling)

संवैधानिक इतिहास

किसी देश के संविधान के भवन का निर्माण सदैव उसके अतीत की नींव पर किया जाता है। अतः किसी भी विद्यमान तथा लागू संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके इतिहास को जानना जरूरी होता है।

प्राचीन भारत में संवैधानिक शासन-प्रणाली

लोकतंत्र, प्रतिनिधि-संस्थान, शासकों की स्वेच्छाचारी शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की सकल्पनाएँ प्राचीन भारत के लिए पराई नहीं थीं। धर्म की सर्वोच्चता की सकल्पना विधि के शासन' या नियंत्रित सरकार' की सकल्पना से भिन्न नहीं थी। प्राचीन भारत में शासक 'धर्म' से बंधे हुए थे, कोई भी व्यक्ति धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता था। ऐसे पर्याप्त प्रमाण सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि प्राचीन भारत के अनेक भागों में गणतंत्र शासन-प्रणाली, प्रतिनिधि-विचारण-मंडल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ विद्यमान थीं और वैदिक काल (3000-1000 ई.पू. के आसपास) से ही लोकतांत्रिक चिंतन तथा व्यवहार लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं में घर कर गए थे।

ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा (आम सभा) तथा समिति (वयोवृद्धों की सभा) का उल्लेख मिलता है। एतरेय ब्राह्मण, पाणिनी की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत, अशोक स्तंभों पर उत्कीर्ण शिलालेख, उस काल के बौद्ध तथा जैन ग्रंथ और मनुस्मृति—ये सभी इस बात के साक्ष्य हैं कि भारतीय इतिहास के वैदिकोत्तर काल में अनेक सक्रिय गणतंत्र विद्यमान थे। विशेष रूप से महाभारत के बाद, विशाल साम्राज्यों के स्थान पर अनेक छोटे छोटे गणतंत्र-राज्य अस्तित्व में आ गए। जातकों में इस प्रकार के अनेक उल्लेख मिलते हैं कि ये गणतंत्र किस तरह कार्य करते थे। सदस्यगण 'संथागार' में समवेत होते थे। प्रतिनिधियों का चुनाव खुली सभा में किया जाता था। वे अपने 'गोप' का चयन

-
1. विधि का शासन (Rule of Law)
 2. नियंत्रित सरकार (Limited Government)

करते थे। वह राजा बनता था तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता था।

ई.पू. चौथी शताब्दी में 'क्षुद्रक मल्ल संघ' नामक गणतंत्र-परिसंघ ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया था। पाटलीपुत्र (पटना) के निकट लिच्छवियों की राजघरानी वैशाली थी। वह राज्य एक गणतंत्र था। उसका शासन एक सभा चलाती थी। उसका एक निर्वाचित अध्यक्ष होता था, और उसे नायक कहा जाता था। दुर्भाग्यवश, हमारे पास इन गणतंत्रों के संविधान के विवरण के विषय में कोई अधिक जानकारी नहीं है। यूनानी विद्वान मैगेस्थनीज ने ऐसी जन-निर्वाचित सभाओं के अभिलेख छोड़े हैं जिन्हें दक्षिण में जीवित रखा गया था तथा जिन्होंने राजाओं की शक्तियों पर अंकुश लगाया हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासन या राजाओं के दैवी अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं था। भारतीय राजा की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए थे जिससे कि वह उसका दुरुपयोग न कर सके। उसकी शक्ति को अन्य लोक प्राधिकारियों तथा हितों के अधिकारों तथा शक्तियों द्वारा नियंत्रित कर दिया गया था। वस्तुतया वह एक सीमित या संवैधानिक राजा था और वह जनता के बहुमत के आधार पर कार्य करता था। मनु लिखते हैं कि जिस प्रकार पागल कुत्ते को मार दिया जाता है, उसी प्रकार अन्यायी तथा अत्याचारी राजा को उसकी अपनी प्रजा द्वारा मार दिया जाना चाहिए।

दसवीं शताब्दी में शुक्राचार्य ने 'नीतिसार' की रचना की जो संविधान पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें केंद्रीय सरकार के संगठन एवं ग्रामीण तथा नगरीय जीवन, राजा की परिषद और सरकार के विभिन्न विभागों का वर्णन किया गया है।

गणराज्य, निर्वाचित राजा, सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थान बाद में लुप्त हो गए, किंतु ग्राम स्तर पर ग्राम संघ, ग्राम सभा अथवा पंचायत जैसे प्रतिनिधि-निकाय जीवित रहे और अनेक हिंदू तथा मुस्लिम राजवंशों के शासन के दौरान तथा अंग्रेजी शासन के आगमन तक कार्य करते रहे और फलते फूलते रहे।

अंग्रेजी शासन

अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। 31 दिसंबर, 1600 को लंदन के चंद व्यापारियों द्वारा बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर लिया था। उस चार्टर के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया था। उसमें कंपनी का संविधान, उसकी शक्तियां और उसके विशेषाधिकार निर्धारित थे।

औरंगजेब की मृत्यु (1707) के बाद कमजोर पड़ते हुए केंद्रीय प्राधिकार, मुगल साम्राज्य के विघटन और पूरे देश में गड़बड़ी के हालात का लाभ उठाते हुए, कंपनी धीरे धीरे प्रभावी

शक्ति के रूप में उभरकर सामने आ गई। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी की लड़ाई में कंपनी की विजय के साथ ही इसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई तथा भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी।

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 : 1773 का एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत थी। कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन अब कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रहा। 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।

चार्टर एक्ट, 1833 : भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम घुंघले से संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत सपरिषद गवर्नर जनरल' के विधि-निर्माण अधिवेशनों तथा इसके कार्यपालक अधिवेशनों में अंतर करते हुए भारत में अंग्रेजी शासनाधीन क्षेत्रों के शासन में सस्थागत विशेषीकरण का तत्व समाविष्ट किया गया। भारत में अंग्रेजी शासनाधीन सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण स्पष्ट रूप से 'गवर्नर जनरल आफ इंडिया इन कौंसिल' (सपरिषद भारतीय गवर्नर जनरल) को सौंप दिया गया। इस प्रकार, गवर्नर जनरल की सरकार 'भारत सरकार' और उसकी परिषद 'भारतीय परिषद' के रूप में जानी गई। इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्रों में भी केंद्रीयकरण आरंभ कर दिया गया। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार कर दिया गया। पहले के तीन सदस्यों के अतिरिक्त उसमें एक 'विधि सदस्य' और जोड़ दिया गया। 'गवर्नर जनरल आफ इंडिया इन कौंसिल' को अब, कतिपय प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, भारत में अंग्रेजी शासनाधीन संपूर्ण क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की अन्य शक्तियां मिल गईं।

चार्टर एक्ट, 1853 : 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। यद्यपि गवर्नर जनरल की परिषद को ऐसे विधायी प्राधिकरण के रूप में जारी रखा गया जो समूचे ब्रिटिश भारत के लिए विधियां बनाने के लिए सक्षम थी, तथापि इसके स्वरूप तथा संघटन में अनेक परिवर्तन कर दिए गए जिससे कि 'पूरी प्रणाली ही परिवर्तित' हो गई थी।

विधायी कार्यों के लिए परिषद में छह विशेष सदस्य जोड़कर इसका विस्तार कर दिया गया। इन सदस्यों को विधियां तथा विनियम बनाने के लिए बुलाई गई बैठकों के अलावा परिषद में बैठने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। इन सदस्यों को 'विधायी पार्षद' कहा जाता था। परिषद में गवर्नर जनरल, कमांडर-इन-चीफ, मद्रास, बंबई, कलकत्ता और

आगरा के स्थानीय शासनों के चार प्रतिनिधियों समेत अब बारह सदस्य हो गए थे। परिषद के विधायी कार्यो को इसके कार्यपालक अधिकारों से स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया था और एक्ट की धारा 23 की अपेक्षाओं के अनुसार उनके इस विशेष स्वरूप पर बल दिया गया था कि सपरिषद गवर्नर जनरल में निहित विधियां तथा विनियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग केवल 'उक्त परिषद की बैठकों' में किया जाएगा।

1858 का एक्ट : भारत में अंग्रेजी शासन के मजबूती के साथ स्थापित हो जाने के बाद 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट देने का पहला संगठित प्रयास था। उसे अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय गदर तथा भारतीयों ने स्वाधीनता के लिए प्रथम युद्ध का नाम दिया। इस विद्रोह ने, जिसे अंततः दबा दिया गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था को एक घातक झटका पहुंचाया। ब्रिटिश संसद ने कुछ ऐसे सिद्धांतों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद, जो नयी नीति का आधार होने चाहिए, एक नया एक्ट पास किया। यह एक्ट अततः 1858 का "भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट"¹ बना। इस एक्ट के अधीन, उस समय जो भी भारतीय क्षेत्र कंपनी के कब्जे में थे, वे सब क्राउन में निहित हो गए और उन पर (भारत के लिए) प्रिंसिपल सेक्रेटरी आफ स्टेट के माध्यम से कार्य करते हुए क्राउन द्वारा तथा उसके नाम में, सीधे शासन किया जाने लगा। कितु 1858 का एक्ट अधिकांशतया ऐसे प्रशासन-तंत्र में सुधार तक ही सीमित था जिसके द्वारा भारत के प्रशासन पर इंग्लैंड में निरीक्षण और नियंत्रण किया जाना था। इसके द्वारा भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया।

भारतीय परिषद एक्ट, 1861 : इसके बाद शीघ्र ही सरकार ने यह जरूरी समझा कि वह भारतीय प्रशासन की सुधार संबंधी नीति का निर्धारण करे। वह ऐसे साधनों तथा उपायों पर विचार करे जिसके द्वारा देश के जनमत से निकट संपर्क स्थापित किया जा सके और सरकार की सलाहकार-परिषद में यूरोपीय तथा भारतीय गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जा सके ताकि "सरकार द्वारा प्रस्तावित विधानों के बारे में बाहरी जनता के विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति यथासमय हो सके।"

1861 का भारतीय परिषद एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतरकारी घटना है। यह दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दे दिया। दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया तथा उन्हें बंबई तथा मद्रास की सरकारों में निहित कर दिया।

1. भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट (The Act for the Good Government of India)

गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार कर दिया गया। उसमें एक पांचवां सदस्य सम्मिलित कर दिया गया। उसके लिए न्यायविद होना जरूरी था। विधायी कार्यों के लिए कम-से-कम छह तथा अधिक-से-अधिक बारह अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। उनमें से कम-से-कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना जरूरी था। यद्यपि एक्ट में इसका स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया था, तथापि विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों को भी शामिल किया जा सकता था। वास्तव में, 1862 में गवर्नर जनरल, लार्ड कैनिंग ने नवगठित विधान परिषद में तीन भारतीयों—पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव—को नियुक्त किया। भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत के बाद पहली बार भारतीयों को विधायी कार्य के साथ जोड़ा गया।

1861 के एक्ट में अनेक त्रुटियां थीं। इसके अलावा यह भारतीय आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं करता था, इसने गवर्नर जनरल को सर्वशक्तिमान बना दिया था। गैर सरकारी सदस्य कोई भी प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सकते थे। न तो कोई प्रश्न पूछे जा सकते थे और न ही बजट पर बहस हो सकती थी। देश में राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति निरंतर खराब होती गई। अनाज की भारी किल्लत हो गई और 1877 में जबरदस्त अकाल पड़ा। इससे व्यापक असंतोष फैल गया और स्थिति विस्फोटक बन गई। 1857 के विद्रोह के बाद जो दमनचक्र चला, उसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़क उठी थीं। इनमें और भी तेजी आई जब यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों ने इल्बर्ट विधेयक का जमकर विरोध किया। इल्बर्ट विधेयक में सिविल सेवाओं के यूरोपीय तथा भारतीय सदस्यों के बीच धिनौने भेद को समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रीगणेश 1885 में हुआ। ए. ओ. ह्यूम इसके प्रणेता थे और प्रथम अध्यक्ष बने डब्ल्यू.सी. बनर्जी। श्री ह्यूम अंग्रेज थे। 28 से 30 दिसंबर, 1885 को बंबई में श्री डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुए इसके पहले अधिवेशन में ही कांग्रेस ने विधान परिषदों में सुधार तथा इनके विस्तार की मांग की। इसके बाद कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में इस मांग को दोहराया गया। हर वर्ष यह मांग पहले की अपेक्षा अधिक जोर पकड़ती गई। कांग्रेस के विचार में 'सभी अन्य सुधारों के मूल में' परिषदों का सुधार था। कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन (1889) में इस विषय पर बोलते हुए श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा था : "यदि आपकी यह मांग पूरी हो जाती है तो आपकी अन्य सभी मांगें पूरी हो जाएंगी; इस पर देश का समूचा भविष्य तथा हमारी प्रशासन व्यवस्था का भविष्य निर्भर करता है।" 1889 के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें गवर्नर जनरल की परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सुधार तथा उनके पुनर्गठन के लिए एक योजना की रूपरेखा दी गई थी और उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बिल में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया था।

इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ यह मांग की गई थी कि भारत में 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुष ब्रिटिश नागरिकों को मताधिकार तथा गुप्त मतदान पद्धति द्वारा मतदान करने का अधिकार दिया जाए

भारतीय परिषद एक्ट, 1892 : 1891 में कांग्रेस ने अपने इस दृढ़ निश्चय को दोहराया कि जब तक भारत की जनता को उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधानमंडलों में अपनी सक्षम आवाज उठाने की इजाजत नहीं मिल जाती तब तक भारत पर अच्छी तरह से शासन नहीं हो सकता। भारतीय परिषद एक्ट, 1892 मुख्यतया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। 1892 के एक्ट के अधीन, गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर “कम-से-कम दस तथा अधिक-से-अधिक सोलह” कर दी गई (इससे पहले इनकी न्यूनतम संख्या छह और अधिकतम संख्या बारह थी)। इसी प्रकार, प्रांतीय विधान परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई।

परिषदों को, उनके विधायी कार्यों के अलावा, अब कतिपय शर्तों तथा प्रतिबंधों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट पर विचार-विमर्श करने की इजाजत दे दी गई। परिषद के सदस्यों को भी, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, विहित नियमों के अंतर्गत लोक हित के मामलों के बारे में प्रश्न पूछने की इजाजत मिल गई।

1892 का एक्ट, निश्चित रूप से, 1861 के एक्ट की अपेक्षा एक समुन्नत एक्ट था, क्योंकि इसके द्वारा विधान परिषद में प्रतिनिधित्व का पुट दे दिया गया था और परिषद के कार्यों का विस्तार करके इसके काम पर लगे प्रतिबंधों को कुछ हद तक शिथिल कर दिया गया था। परिषद में ‘निर्वाचित’ सदस्यों के प्रवेश से इसके जीवन में एक नये युग का सूत्रपात हो गया।

स्वराज ही लक्ष्य : कांग्रेस ने 1906 के अधिवेशन में घोषणा की कि इसका अंतिम लक्ष्य स्वराज है। “नरमपंथियों” के अनुसार इसका अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन संसदीय स्व-शासन और अतिवादियों के लिए इसका अर्थ था स्वाधीनता। इसने विधान परिषदों के तुरंत विस्तार की मांग भी की ताकि जनता का और अधिक तथा वस्तुतया प्रभावी प्रतिनिधित्व हो सके और देश के वित्तीय तथा कार्यकारी प्रशासन पर और अधिक नियंत्रण हो सके।”

मिंटो-मार्त सुधार : एक ओर राष्ट्रीय आंदोलन में गरमपंथियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी तो दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी लोग देश के कार्य-संचालन में भारतीयों के और अधिक तथा और प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए अनर्थाक अभियान चला

1 नरमपंथी (Moderates)

2. अतिवादी (Extremists)

रहे थे। इसे देखते हुए तत्कालीन सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया, लार्ड मार्ने तथा तत्कालीन वाइसराय लार्ड मिटो ने मिलकर 1906-1908 के दौरान कतिपय संवैधानिक सुधार प्रस्ताव तैयार किए। इन्हें आमतौर पर मिटो-मार्ने सुधार प्रस्ताव कहा जाता है। इनका मतव्य था कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए तथा उनकी शक्तियों और कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाए, प्रशासी परिषदों में भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाए, जहां पर ऐसी परिषदें नहीं हैं, वहां पर ऐसी परिषदें स्थापित की जाए, और स्थानीय स्वशासन प्रणाली का और विकास किया जाए।

भारतीय परिषद एक्ट, 1909 : 1909 के एक्ट और इसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा परिषदों तथा उनके कार्यक्षेत्र का और अधिक विस्तार करके उन्हें अधिक प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपबन्ध किए गए। सदस्यों की संख्या दुगुनी अथवा दुगुनी से भी ज्यादा कर दी गई। भारतीय विधान परिषद (गवर्नर जनरल की परिषद) के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 16 (1892 के एक्ट के अधीन) में बढ़ाकर 60 कर दी गई (इनमें प्रशासी परिषद सम्मिलित नहीं थे, वे पदेन सदस्य थे)।

इस एक्ट के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। किंतु यह निर्णय किया गया कि भाग्य की परिस्थितियों में, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जनता के लिए उपयुक्त नहीं है और वर्गों तथा हितबद्ध व्यक्तियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व देना ही भारतीय विधान परिषदों का गठन करने समय निर्वाचन-सिद्धांत को मूर्त रूप देने की एकमात्र व्यावहारिक विधि होगी। तथापि, निर्वाचित सदस्यों की अनुपूर्ति के वास्ते (क) सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए, तथा (ख) गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामजदगी का उपबन्ध बनाए रखा गया ताकि जिन लोगों को निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधित्व देना अव्यावहारिक प्रतीत होता था, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जा सके। 'निर्वाचित सदस्य' ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने थे यथा नगरपालिकाएं, जिला तथा स्थानीय बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य तथा व्यापार सघ मंडल और जमींदारों या चाय बागान मालिकों जैसे लोगों के समूह। ऐसे विनियम बना दिए गए जिनसे सभी प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो, किंतु केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बना रहे। इन विनियमों में मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल तथा पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी कर दी गई। इस प्रकार, पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व¹ के घातक सिद्धांत का सूत्रपात हुआ।

इस एक्ट के द्वारा लागू किए गए सुधार जिम्मेदार सरकार की मांग को न तो पूरा करने थे और न ही पूरा कर सकते थे, क्योंकि उसके अधीन स्थापित परिषदों में जिम्मेदारी का अभाव था, जो जन-निर्वाचित सरकार की विशेषता होती है।

1. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व (Communal Representation)

मॉटेंग्यू घोषणा : 20 अगस्त, 1917 को तत्कालीन सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया, श्री मॉटेंग्यू ने हाउस आफ कामंस में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। अंग्रेजी राज के दौरान भारत के उतार-चढ़ाव वाले इतिहास में पहली बार इस वक्तव्य के द्वारा भारत में 'जिम्मेदार सरकार' की स्थापना का वादा किया गया।

मॉटफोर्ड रिपोर्ट, 1918 : भारतीय संवैधानिक सुधार संबंधी रिपोर्ट मॉटेंग्यू-चेम्सफोर्ड या मॉटफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। उसे सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया, श्री मॉटेंग्यू तथा भारत के वाइसराय, लार्ड चेम्सफोर्ड ने संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह जुलाई, 1918 में प्रकाशित की गई।

इस रिपोर्ट में स्वशासी डोमिनियन के दर्जे की मांग की पूर्ण उपेक्षा की गई। उल्टे उसमें अति अनिष्टकर ढंग से पृथक निर्वाचक मंडल¹ संबंधी उन रियासतों को मॉटेंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों का आधार बना दिया गया जिन पर कांग्रेस और लीग के बीच 1916 में हुए लखनऊ समझौते के अधीन कांग्रेस सहमत हो गई थी।

राष्ट्रवादी आंदोलन तथा प्रतिनिधि संस्थाओं की उत्पत्ति (1919-1940)

भारत शासन एक्ट, 1919 : मॉटेंग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित भारत शासन एक्ट, 1919 में इस बात को स्पष्ट कर देने का प्रयास किया गया था कि अंग्रेज शासक भारतीयों के जिम्मेदार सरकार के ध्येय की पूर्ति तक केवल धीरे धीरे पहुंचने के आधार पर स्वशासी संस्थानों के क्रमिक विकास को मानने के लिए तैयार हैं। संवैधानिक प्रगति के प्रत्येक चरण के समय, ढंग तथा गति का निर्धारण केवल ब्रिटिश ससद करेगी और यह भारत की जनता के किसी आत्म-निर्णय पर आधारित नहीं होगा।

1919 के एक्ट तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद (उच्च सदन) तथा विधान सभा (निम्न सदन) वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। हालांकि सदस्यों को नामजद करने की कुछ शक्ति बनाए रखी गई, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना अब जरूरी हो गया था।

सदस्यों का चुनाव एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया था। निर्वाचन के लिए विहित अर्हताओं में बहुत भिन्नता थी और वे सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थीं।

द्वैधशासन : 1919 के एक्ट द्वारा आठ प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें "गवर्नर के प्रांत" कहा जाता था, द्वैधशासन की एक नयी पद्धति शुरू की गई। प्रांतों में आंशिक रूप से जिम्मेदार सरकार

1. पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Communal Electorates)

की स्थापना से पहले प्रारंभिक व्यवस्था के रूप में प्रांतीय सरकारों के कार्य-क्षेत्र का सीमांकन करना जरूरी था। तदनुसार एक्ट में उपबंध किया गया था कि प्रशासनिक विषयों का केंद्रीय तथा प्रांतीय के रूप में वर्गीकरण करने, प्रांतीय विषयों के संबंध में प्राधिकार स्थानीय शासनों को सौंपने, और राजस्व तथा अन्य धनराशियां उन सरकारों को आवंटित करने के लिए नियम बनाए जाए। विषयों का 'केंद्रीय' तथा 'प्रांतीय' के रूप में हस्तांतरण नियमों द्वारा विस्तृत वर्गीकरण किया गया।

1919 के एक्ट की खामियां : 1919 के एक्ट में अनेक खामियां थीं। इसने जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा, प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषय-क्षेत्रों में विधेयकों पर बहस नहीं कर सकते थे। सिद्धांत के रूप में, केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण क्षेत्र के लिए कानून बनाने के वास्ते सर्वोच्च तथा सक्षम बना रहा। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों के बटवारे के बावजूद "पहले के अत्यधिक केंद्रीयकृत शासन" को सघीय शासन में बदलने का सरकार का कोई इरादा मालूम नहीं पड़ा। ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान ही बना रहा।

प्रांतों में द्वैधशासन पूरी तरह से विफल रहा। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। वित्तीय शक्ति के अभाव में, मंत्री अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा, मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं थे। वे केवल गवर्नर के व्यक्तिगत रूप से नियुक्त सलाहकार थे।

कांग्रेस तथा भारतीय जनमत असंतुष्ट रहा और उन्होंने दबाव डाला कि प्रशासन को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधिक और उत्तरदायी बनाने के लिए सुधार किए जाए। प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हो चुका था और आम लोगों के मन में अनेक आशाएं थी। किंतु, उनके हाथ लगे दमनकारी विशेष विधायी प्रस्ताव जिन्हें रौलट बिल कहा गया। भारतीय जनमत का व्यापक और जबरदस्त विरोध होने पर भी उन्हें पास कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज के लिए सत्याग्रह, अहसयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए।

साइमन आयोग : 1919 के एक्ट के अधीन, एक्ट के कार्यकरण की जांच करनी तथा उसके संबंध में रिपोर्ट देने और सुधार के लिए आगे और सिफारिशें करने के लिए, दस वर्ष बाद 1929 में एक आयोग नियुक्त करने का उपबंध था। व्याप्त असंतोष को देखते हुए भारतीय संवैधानिक आयोग (साइमन कमीशन) 1927 में अर्थात् निर्धारित समय से दो वर्ष पहले ही नियुक्त कर दिया गया लेकिन क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इससे भारतीय जनता की भावनाओं को और भी ठेस पहुंची।

पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव : कांग्रेस धीरे धीरे पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी थी किंतु कलकत्ता अधिवेशन में यह निर्णय किया गया कि अंग्रेजों को एक वर्ष

के अंदर-अंदर डोमिनियन दर्जे की मांग को स्वीकार करने के लिए एक आखरी मौका दिया जाए। डोमिनियन दर्जे की मांग ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया। नमक-कर संबंधी कानून को तोड़ने के आह्वान तथा समुद्र तक पहुंचने के लिए गांधी जी की डांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया।

गोलमेज सम्मेलन तथा श्वेतपत्र : अततः सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए नवंबर, 1930 में लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। इसके बाद ऐसे ही दो सम्मेलन और हुए

तीन गोलमेज सम्मेलनों के बाद, ब्रिटिश सरकार ने मार्च, 1933 में एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया। उसमें एक नये संविधान की रूपरेखा दी गई थी। इस योजना में संघीय ढांचे तथा प्रांतीय स्वायत्तता के लिए उपबंध सम्मिलित थे। इसमें केंद्र में द्वैधशासन तथा प्रांतों में जिम्मेदार सरकारों का प्रस्ताव किया गया था।

ब्रिटिश संसद ने श्वेतपत्र में सम्मिलित सरकार की योजना पर आगे विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन किया। लार्ड लिनलिथगो संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे और इसमें कंजर्वेटिव सदस्यों का बहुमत था। ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को इस समिति के सामने गवाह के रूप में साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था। संयुक्त समिति ने नवंबर, 1934 में अपनी रिपोर्ट दी। इसमें इस बात को दोहराया गया था कि फेडरेशन की स्थापना तभी की जाएगी यदि कम-से-कम 50 प्रतिशत देसी रियासतें इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं।

इस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया और वह 19 दिसंबर, 1934 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। जब दोनों सदनों ने उसे पास कर दिया तथा 4 अगस्त, 1935 को उसे संप्राप्त ने अपनी अनुमति दे दी तो वह भारत शासन एक्ट, 1935 बन गया।

भारत शासन एक्ट, 1935 : भारत शासन एक्ट, 1935 की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों की एक "अखिल भारतीय फेडरेशन" की परिकल्पना की गई थी। 1930 के गोलमेज सम्मेलन तक भारत पूर्णतया एक एकात्मक राज्य था और प्रांतों के पास जो भी शक्तियां थीं, वे उन्हें केंद्र ने दी थीं। अर्थात्, प्रांत केवल केंद्र के एजेंट थे। 1935 के एक्ट में पहली बार ऐसी संघीय प्रणाली का उपबंध किया गया जिसमें न केवल ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रांत बल्कि चीफ कमिश्नरों के प्रांत तथा देसी रियासतें भी शामिल हों। इसने उस एकात्मक प्रणाली की संकल्पना को अंततः भंग कर दिया जिसके अधीन अब तक ब्रिटिश भारत का प्रशासन होता था। 1919 के संविधान का सिद्धांत विकेंद्रीकरण का था, न कि फेडरेशन का। नये एक्ट के अधीन, प्रांतों को पहली बार विधि में अपने ढंग से कार्यपालक

तथा विधायी शक्तियों का प्रयोग करने वाली पृथक इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई। प्रांत, सामान्य परिस्थितियों में, उस क्षेत्र में केंद्र के नियंत्रण से मुक्त हो गए थे।

इस एक्ट के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध के दो नये प्रांत बना दिए गए। केंद्र में प्रस्तावित योजना को ध्यान में रखते हुए, गवर्नरों के ग्यारह प्रांतों को, कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर, केंद्रीय सरकार तथा सेक्रेटरी आफ स्टेट की 'निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण' से पूरी तरह 'मुक्त' कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, प्रांतों को एक पृथक कानूनी व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया। एक्ट द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में 'प्रत्येक प्रांत में एक कार्यपालिका तथा एक विधानमंडल का उपबंध रखा गया था।' प्रांतीय विधानमंडलों को अनेक नयी शक्तियां दी गईं। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया और वह एक अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे पदच्युत कर सकता था। विधानमंडल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण रख सकता था। किंतु, विधानमंडल लगभग 80 प्रतिशत अनुदान-मांगों को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता था। विधायी क्षेत्र में, विधानमंडल समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर भी कानून पास कर सकता था, किंतु टकराव होने की स्थिति में संघीय कानून ही प्रभावी रहता।

भारत शासन एक्ट, 1935 के अधीन संवैधानिक योजना का संघीय भाग अत्यधिक अव्यावहारिक था। प्रांतों ने फेडरेशन की योजना को स्वीकार नहीं किया और क्योंकि आधी रियासतों के फेडरेशन में सम्मिलित होने की शर्त को पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए 1935 के एक्ट में परिकल्पित "भारत संघ" (फेडरेशन आफ इंडिया) अस्तित्व में नहीं आ पाया और एक्ट के संघीय भाग को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

भारत शासन एक्ट, 1935 के अधीन प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव फरवरी, 1937 में कराए गए। चुनावों में कांग्रेस की एक बार फिर जबरदस्त जीत हुई। कुल मिलाकर, कांग्रेस को 836 सामान्य स्थानों में से 715 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर तथा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में भी बुरी तरह से पराजित हो गई। वस्तुतया यह 482 मुस्लिम स्थानों में से केवल 51 स्थान ही प्राप्त कर सकी

कांग्रेस को मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया और यह बंबई में कुल स्थानों में से लगभग आधे स्थानों पर विजयी रही। असम तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। पंजाब में, यूनियनिस्ट पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल तथा सिंध में अनेक छोटे छोटे ग्रुप बन गए।

भारत के संवैधानिक इतिहास में भारत शासन एक्ट, 1935 का एक बहुत महत्वपूर्ण तथा स्थायी स्थान है। इस एक्ट के द्वारा देश को एक लिखित संविधान देने का प्रयास

किया गया था। हालांकि भारत की जनता या उसके प्रतिनिधियों का इस दस्तावेज के निर्माण में कोई हाथ नहीं था, और इसमें अनेक गभीर खामिया थी, फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुल मिलाकर तथा कई दृष्टियों से यह एक प्रगतिशील कदम था। सदियों के बाद, भारतीयों को अपने देश के प्रशासन को चलाने में कुछ जिम्मेदारी सभालने का अवसर मिला था। प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे। प्रधानमंत्री (प्रीमियर) तथा मंत्री (मिनिस्टर) जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता को मान्यता दी गई। ऐसे अवसर भी आए, जब गवर्नरों तथा मंत्रियों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए, किंतु कांग्रेस शासित प्रांतों में गवर्नर मोटे तौर पर मंत्रियों की शक्तियों तथा उनके उत्तरदायित्वों का सम्मान करते थे और दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। मंत्रिगण भी अपने कर्तव्यों को बड़ी योग्यता, निष्पक्षता और निष्ठा की भावना के साथ निभाते थे। उसके लिए उन्हें प्रशंसा तथा सम्मान मिला। यहां तक कि अंग्रेज प्रशासक भी भारतीय मंत्रियों द्वारा प्रदर्शित प्रशासनिक योग्यता तथा विलक्षणता से आश्चर्यचकित तथा प्रभावित हुए बिना न रह सके।

स्वाधीनता की ओर (1942-1947)

जन-निर्वाचित मंत्रिमंडल केवल दो वर्ष के लिए अस्तित्व में रहे। भारतीय विधानमंडलों से परामर्श किए बगैर भारत को द्वितीय विश्वयुद्ध में सहयोगी बना दिया गया। इसके विरोध में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 1939 में इस्तीफे दे दिए। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया।

क्रिप्स मिशन : जिस समय द्वितीय विश्वयुद्ध एक निर्णायक दौर से गुजर रहा था उस समय यह अनुभव किया गया कि भारतीय जनमत का स्वेच्छा से दिया गया सहयोग अधिक मूल्यवान होगा। तदनुसार, मार्च, 1942 में कैबिनेट मंत्री, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। किंतु क्रिप्स मिशन अपने उद्देश्य में विफल रहा। उसके प्रस्तावों को सभी राजनीतिक दलों ने ठुकरा दिया। भले ही उनके आधार अलग अलग थे। प्रस्तावों में मान लिया गया था कि भारत का दर्जा डोमिनियन का होगा और युद्ध के बाद भारतीयों को अधिकार होगा कि वे अपनी संविधान सभा में अपने लिए संविधान बना सकें। किंतु उनके अंतर्गत प्रांतों को नये संविधान को स्वीकार करने या न करने की, छूट दे दी गई थी। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने की उसकी मांग को नामंजूर कर दिया गया था। इधर कांग्रेस ने उन्हें इसलिए नामंजूर कर दिया क्योंकि उनमें भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के लिए द्वार खोल दिया गया था और युद्ध के दौरान भारतीय प्रतिनिधियों को वास्तव में प्रभावी

सत्ता का हस्तांतरण करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। गांधी जी ने इन प्रस्तावों की “बाद की तारीख का चैक” कह कर निंदा की।

भारत छोड़ो आंदोलन : जुलाई, 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें मांग की गई थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए। 8 अगस्त, 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमेटी के समक्ष भाषण देते हुए गांधी जी ने घोषणा की कि यह “करो या मरो” का निर्णय है। कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके फलस्वरूप देशव्यापी आंदोलन हुआ।

वेवल योजना : इसी दौरान लिनलिथगो के स्थान पर लार्ड वेवल वाइसराय बन गए। वेवल योजना में कहा गया था कि जब तक भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अधिशासी परिषद का भारतीयकरण कर दिया जाएगा और उसमें भारतीय राजनेताओं को, मुसलमानों तथा सवर्ण हिंदुओं के बीच समानता के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा तथा उसमें दलित वर्गों तथा सिखों का एक एक प्रतिनिधि होगा। परिषद में जो एकमात्र अभारतीय शामिल किए जाने थे, वे थे वाइसराय तथा कमांडर-इन-चीफ। युद्ध विभाग कमांडर-इन-चीफ के पास ही बना रहना था किंतु विदेश विभाग का प्रभारी किसी भारतीय सदस्य को बनाया जाना था।

शिमला सम्मेलन : वाइसराय ने शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई, 1945 तक चला। लेकिन वार्ता विफल हो गई क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया वहां मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही।

चुनाव तथा कैबिनेट मिशन : भारत में केंद्रीय विधान सभा के चुनाव, जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, अंततः 1945 की अंतिम तिमाही में कराए गए। प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव अप्रैल, 1946 तक पूरे हो गए। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को मुद्दा बनाकर और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। नतीजे से पता चला कि कांग्रेस को आठ प्रांतों (असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत) में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया था। शेष तीन प्रांतों में, कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस को केंद्रीय विधान सभा में भी निर्वाचित स्थानों पर (102 में से 56 पर) विजय प्राप्त हुई। किंतु, जहां सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस सफलताओं का रिकार्ड अत्यधिक प्रभावी रहा और वस्तुतया 1937 के परिणामों के मुकाबले पार्टी की स्थिति में सुधार हो गया वहां आरक्षित मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों में उसकी स्थिति बहुत खराब रही।

1. अधिशासी परिषद (Executive Council)

जिस समय भारत में प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव हो रहे थे, उस समय 19 फरवरी, 1945 को लार्ड पैथिक लॉरेंस ने पार्लियामेंट में घोषणा की कि कैबिनेट मंत्रियों का एक विशेष मिशन, जिसमें विदेश मंत्री, व्यापारमंडल के अध्यक्ष (स्टेफोर्ड क्रिप्स) और फर्स्ट लार्ड आफ एडमिरेल्टी (ए.बी. एलेक्जेंडर) सम्मिलित होंगे, वाइसराय के साथ मिलकर कार्य करने के लिए भारत जाएगा। मिशन मार्च, 1946 से मई, 1946 तक भारत में रहा।

पाकिस्तान को एक पृथक प्रभुतासंपन्न राज्य बनाए जाने की मांग को मिशन ने 'अव्यवहार्य' कहा और उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके अनुसार पाकिस्तान में काफी बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम लोग होंगे और मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान से बाहर भारत में रह जाएगी।

कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के असंगठित फेडरेशन की योजना को भी इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसमें संवैधानिक असुविधाएं तथा विसंगतियां थीं। उसने त्रितलीय ढांचे की सिफारिश की जिसमें भारत संघ को सबसे ऊपर, प्रांतों के समूहों को बीच में और प्रांतों तथा देसी रियासतों को सबसे नीचे रखा गया था।

कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की कि संविधान का मूल रूप इस प्रकार होना चाहिए :

1. एक भारत संघ का गठन हो जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें दोनों शामिल हों तथा जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में कार्यवाही करे . विदेश-कार्य, रक्षा और संचार, और उसके पास उपर्युक्त विषयों के लिए अपेक्षित धन जुटाने की आवश्यक शक्तियां होनी चाहिए।
2. संघ की एक कार्यपालिका तथा विधायिका हो जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि हों। विधानमंडल में यदि किसी प्रमुख सांप्रदायिक विषय को उठाने वाला प्रश्न हो तो उसका निपटान दोनों प्रमुख संप्रदायों में से प्रत्येक के उपस्थित तथा मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत से एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से किया जाना चाहिए।
3. संघ से संबंधित विषयों से इतर सभी विषय तथा सभी अविशिष्ट अधिकार प्रांतों में निहित होने चाहिए।
4. संघ को सौंपे गए विषयों तथा अधिकारों से इतर सभी विषय तथा अधिकार राज्यों के पास रहेंगे।
5. प्रांतों को कार्यपालिका तथा विधायिका के साथ समूह बनाने की छूट होनी चाहिए, और प्रत्येक समूह सर्वसामान्य प्रांतीय विषयों का निर्धारण कर सकता है।
6. संघ तथा समूहों के संविधानों में एक ऐसा उपबंध होना चाहिए जिसके द्वारा कोई भी प्रांत अपनी विधान सभा के बहुमत से 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद और

1. त्रितलीय ढांचा (Three Tier Structure)

उसके पश्चात प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सके।

इन सुझावों को देते समय कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इसका उद्देश्य किसी संविधान का विवरण निर्धारित करना नहीं है बल्कि उस तंत्र को सक्रिय बनाना है जिसके द्वारा भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संविधान तय किया जा सके। यह सिफारिश करना जरूरी हो गया क्योंकि कैबिनेट मिशन को विश्वास हो गया था कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक “दोनों प्रमुख समुदायों को संविधान-निर्माण के तंत्र की स्थापना में शामिल करने की आशा नहीं की जा सकती थी।”

अंतरिम सरकार : प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त, 1946 को की गई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डा. राजेन्द्र प्रसाद, आसफ अली, शरतचन्द्र बोस, डा. जॉन मथाई, सर शफात अहमद खा, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहीर, सी. राजगोपालाचारी और डा. सी एच. भाभा शामिल थे। कानूनी तौर पर वे सब वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे और वाइसराय परिषद का अध्यक्ष था। किंतु, पंडित नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने तथा उनके ग्यारह सहयोगियों ने 2 सितंबर, 1946 को पद की शपथ ग्रहण की। इस समूह में तीन मुसलमान थे। मुस्लिम लीग के बाद में शामिल होने के लिए द्वार खुला रखा गया था।

अक्टूबर के अंत तक, वाइसराय लीग को सरकार में लाने के प्रयास में किसी-न-किसी प्रकार सफल हो गए। 26 अक्टूबर को सरकार का पुनर्गठन किया गया। आरंभ में लिए गए तीन सदस्यों—सैयद अली जहीर, शरतचन्द्र बोस और सर शफात अहमद खा को परिषद में हटा दिया गया और मुस्लिम लीग के पांच प्रतिनिधियों को उसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार लीग सरकार में हिस्सेदार बन गई।

माउंटबेटन योजना : मार्च, 1947 में लार्ड लुई माउंटबेटन को सत्ता के निर्वाह हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए नये वाइसराय के रूप में भेजा गया। वे 22 मार्च, 1947 को भारत पहुंचे। जल्दी ही वे इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के लिए न तो अंतरिम सरकार में और न ही संविधान सभा में एक साथ मिलकर काम करना संभव होगा और इसलिए इससे पहले, कि सांप्रदायिक हिंसा और अधिक भयंकर रूप धारण कर ले, इस पागलपन से बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि जल्दी-से-जल्दी सत्ता भारतीयों के हाथों में दे दी जाए। यह बात पहले ही स्पष्ट होती जा रही थी कि देश का विभाजन टाला नहीं जा सकता और जबरदस्त उथल-पुथल, अराजकता और गृहयुद्ध से बचने का यही एकमात्र विकल्प है। कांग्रेस भी धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचने लगी

थी कि देश का विभाजन अवश्यंभावी है। तदनुसार उन्होंने इस कार्य के लिए 15 अगस्त, 1947 का दिन नियत किया।

माउंटबेटन ने विभाजन की योजना तैयार की और ब्रिटेन में विरोधी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद, 3 जून, 1947 को एक नया नीति विषयक बयान जारी किया गया जिसमें माउंटबेटन योजना को स्पष्ट रूप से समझाया गया था। इस बयान में सम्मिलित योजना के अंतर्गत देश के विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया था। इस बयान के अनुसार वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को अनिच्छुक क्षेत्रों पर थोपा नहीं जा सकता था। अतः ऐसे क्षेत्रों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए कि क्या वे पृथक संविधान सभा चाहते हैं, एक प्रक्रिया निर्धारित की गई। इस समूची योजना का वास्तविक परिणाम तथा प्रभाव यही होना था कि भारत का विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में कर दिया जाए।

भारतीय स्वतंत्रता एक्ट, 1947

माउंटबेटन की योजना के आधार पर, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, 1947 पारित किया :

1. इसमें दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त, 1947 की तारीख निर्धारित की गई;
2. इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल तथा पंजाब में दो दो प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए;
3. पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध और असम का सिल्हट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था;
4. भारत में 'महामहिम की सरकार' का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराजस्व 15 अगस्त, 1947 को समाप्त हो जाएगा;
5. भारतीय रियासतें इन दोनों में से किसी भी डोमिनियन में शामिल हो सकती थी;
6. प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक पृथक गवर्नर जनरल होगा और उसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा,
7. प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक पृथक विधानमंडल होगा जिसे विधियां बनाने का पूरा प्राधिकार होगा तथा ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी;

1 महामहिम की सरकार (His Majesty's Government)

8. डोमिनियनों की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं को संसद का दर्जा तथा डोमिनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्तिया प्रदान की गई;
9. इसमें गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करने हेतु, जो उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो, अस्थायी आदेश जारी करने का प्राधिकार दिया गया,
10. अंततः, इसमें सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवाओं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना पर महामहिम की सरकार का अधिकारक्षेत्र अथवा प्राधिकार जारी रहने की शर्तें निर्दिष्ट की गई थी।

भारतीय स्वतंत्रता एक्ट के अनुसार, 14-15 अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान की दो डोमिनियनों का गठन हो गया।

संविधान का निर्माण

संविधान सभा

किसी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र की संविधान-रचना का कार्य सामान्यतया उसकी जनता के प्रतिनिधि-निकाय द्वारा किया जाता है। संविधान पर विचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए इस प्रकार के निकाय को संविधान सभा कहा जा सकता है।

संविधान सभा की सकल्पना भारत में सदैव राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जुड़ी रही है। ऐसी संविधान सभा का विचार, जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सके, 1919 के एक्ट के विरोध में अतर्निहित था। किंतु, भारत की संविधान सभा का निश्चिंत उल्लेख, भले ही वह इन शब्दों में या इस नाम विशेष से न हो, पहली बार भारत शासन एक्ट, 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था।

1922 में ही, श्रीमती एनी बेसेंट की पहल पर केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई थी। उसने संविधान के निर्माण के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। इसके अलावा, फरवरी, 1923 में दिल्ली में एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की स्वशासी डोमिनियनों के समतुल्य रखने हुए संविधान के आवश्यक तत्वों की रूपरेखा प्रस्तुत की। 21 अप्रैल को सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक 'राष्ट्रीय सम्मेलन' बुलाया गया। इस सम्मेलन ने 'कामनवेल्थ आफ इंडिया बिल' का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप बिल, थोड़े से संशोधित रूप में जनवरी, 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष पेश किया गया। उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अंततः बिल प्रारूप-समिति को सौंप दिया गया। समिति ने बिल को प्रकाशित किया। इसके बाद, बिल ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक प्रभावशाली सदस्य के पास भेज दिया गया। उसके साथ विभिन्न राजनीतिक

दलों के 43 नेताओं के हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन लगाया गया था। लेबर पार्टी में इसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ और थोड़े से रूपभेद के साथ इसे पार्टी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। हाउस आफ कामंस में बिल पेश होने के बाद इसकी पहली रीडिंग हुई। हालांकि लेबर पार्टी की सरकार की पराजय के बाद इस विधेयक का भविष्य अधर में लटक गया, फिर भी यह भारतीयों द्वारा शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों की मदद से भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का एक प्रमुख प्रयास था।

1924 तथा 1925 में राष्ट्रीय मांग के संबंध में मोतीलाल नेहरू के प्रसिद्ध प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल ने पहली बार इस बढ़ती हुई मांग का समर्थन किया कि भारत का भावी संविधान भारतीयों द्वारा स्वयं बनाया जाना चाहिए।

नवंबर, 1927 में, जब साइमन आयोग नियुक्त किया गया, जिसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इलाहाबाद में हुई एक सर्वदलीय बैठक में कहा गया था कि ऐसा करके न केवल 'राष्ट्रीय मांग' को वस्तुतया ठुकरा दिया गया है बल्कि यह भारतीयों का जानबूझकर अपमान करने के बराबर है, क्योंकि इसने न केवल "उनकी स्थिति को निकृष्ट बना दिया है" बल्कि उन्हें "अपने ही देश के संविधान के निर्माण में भाग लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया है।"

इससे पहले 17 मई, 1927 को, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था। उसमें कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं के परामर्श से भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करने का आह्वान किया गया था। यह प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ भारी बहुमत से स्वीकार किया गया था। बाद में, स्वराज संविधान के संबंध में इसी प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 28 दिसंबर, 1927 को कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में परिवर्तित रूप में पेश किया और प्रस्ताव पुनः पारित हुआ। 19 मई, 1928 को बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन ने "भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए" मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की। 10 अगस्त, 1928 को पेश की गई समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए सर्वांगपूर्ण संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास था। कूपलैंड ने इसके बारे में कहा है कि वह "न केवल इस चुनौती का जवाब है कि भारतीय राष्ट्रवाद रचनात्मक नहीं है बल्कि भारतीयों द्वारा सांप्रदायिकता की चुनौतियों का ईमानदारी से मुकाबला करने के लिए किया गया एक सच्चा प्रयास" है। रिपोर्ट में न केवल समकालीन राष्ट्रवादी विचारधारा का दृष्टिकोण परिलक्षित होता था बल्कि भारत के संविधान के प्रारूप की एक रूपरेखा

भी समाविष्ट थी। भारत के संविधान का प्रारूप डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित था। उसमें संसदीय प्रतिरूप के अनुसार पूर्णरूपेण उत्तरदायी सरकार का उपबंध था। इसमें इस सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक उल्लेख किया गया था कि प्रभुसत्ता भारतीय जनता में वास करती है। इसमें कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था रखी गई थी तथा एक ऐसी संघीय प्रणाली का उपबंध किया गया था जिसमें इकाइयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी गई थी किंतु अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार में निहित की गई थीं। इसके अलावा, इसमें संघीय निम्न सदन तथा प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावों के लिए सयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का उपबंध किया गया था तथा कतिपय मामलों में अल्पसंख्यकों के लिए एक सीमित अवधि के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे।

ध्यान देने की बात है कि संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार, अदालतों द्वारा लागू कराए जा सकने वाले मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार सहित मौटे तौर पर जिस संसदीय व्यवस्था की संकल्पना 1928 की नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। उसे लगभग ज्यों-का-त्यों 21 वर्ष बाद, 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए स्वाधीन भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया।

तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जारी किए गए श्वेतपत्र में भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की रूपरेखा दी गई थी। इन प्रस्तावों पर विचार करने वाली सयुक्त संसदीय समिति का मत था कि "फिलहाल भारत में प्राधिकारियों को विशिष्ट संविधानीय शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है।"

जून, 1934 में, कांग्रेस कार्यकारिणी ने घोषणा की कि श्वेतपत्र का एकमात्र विकल्प यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार किया जाए। यह पहला अवसर था जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी ने 5-7 दिसंबर, 1934 को पटना में हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके द्वारा सयुक्त संसदीय समिति (1933-34) की रिपोर्ट में अनुशंसित भारतीय संवैधानिक सुधार की योजना को ठुकरा दिया गया तथा इस मत को दोहराया गया कि इस योजना का एकमात्र विकल्प यही है कि संविधान सभा एक संविधान तैयार करे।

साइमन आयोग तथा गोलमेज सम्मेलन की जिस विफलता के कारण, भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, भारत शासन एक्ट, 1935 बनाया गया, उसने भारत की जनता के लिए संविधान सभा की मांग को बल प्रदान किया। कांग्रेस ने अप्रैल, 1936 में अपने लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकार किया। उसमें उसने घोषणा की कि किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा। संविधान भारत की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय संविधान सभा

द्वारा बनाया जाना चाहिए।

चूँकि कांग्रेस ने 1935 के एक्ट को पूरी तरह से ठुकरा देने तथा नयी संविधान सभा की मांग के मुद्दों पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव लड़े थे, अतः चुनावों में भारी विजय के बाद इसने 18 मार्च, 1937 को दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित कर दावा किया कि निर्वाचकों ने संविधान सभा की मांग का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव में “वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर आधारित संविधान” बनाने की मांग की गई थी। इस मांग को मार्च, 1937 में दिल्ली में हुए कांग्रेसी विधायकों के अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में दृढ़ता के साथ दोहराया गया। अगस्त-अक्टूबर, 1937 के दौरान, केंद्रीय विधान सभा तथा कांग्रेस शासित प्रत्येक प्रांत की प्रांतीय विधान सभाओं ने ऐसे ही प्रस्ताव पास किए। इनमें स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के वास्ते संविधान सभा का गठन करने की कांग्रेस की मांग को दोहराया गया था।

1939 में विश्वयुद्ध छिड़ने के बाद, संविधान सभा की मांग को 14 सितंबर, 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा जारी किए गए एक लंबे वक्तव्य में दोहराया गया।

गांधी जी ने 19 नवंबर, 1939 को ‘हरिजन’ में ‘द ओनली वे’ शीर्षक के अंतर्गत एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया कि “संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और लोकेच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से निरूपण करने वाला संविधान बना सकती है।” उन्होंने घोषणा की कि सांप्रदायिक तथा अन्य समस्याओं के न्यायसंगत हल का एकमात्र तरीका भी संविधान सभा ही है।

1940 के ‘अगस्त प्रस्ताव’ में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, भले ही स्वीकृति अप्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण शर्तों के साथ थी।

क्रिप्स प्रस्तावों के द्वारा ‘अगस्त प्रस्ताव’ में उल्लेखनीय सुधार किए गए। इन प्रस्तावों के अनुसार नये संविधान के निर्माण का काम अब पूर्णतया न कि ‘प्राथमिक रूप से’ भारतीय हाथों से होना था और ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट वचन दिया कि वह प्रस्तावित संविधान-निर्माण-निकाय द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार करेगी। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, मई, 1945 में यूरोप में युद्ध की समाप्ति तक भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

जुलाई, 1945 में, इंग्लैंड में नयी लेबर सरकार सत्ता में आई। तब 19 सितंबर, 1945 को वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने भारत के सबंध में सरकार की नीति की घोषणा की तथा ‘यथाशीघ्र’ संविधान-निर्माण-निकाय का गठन करने के लिए महामहिम की सरकार के इरादे की पुष्टि की।

कैबिनेट मिशन ने अनुभव किया कि संविधान-निर्माण-निकाय का गठन करने की सर्वाधिक संतोषजनक विधि यह होती कि उसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के द्वारा किया जाता, किंतु ऐसा करने पर नये संविधान के निर्माण में 'अवांछनीय विलंब' हो जाता। इसलिए, उनके अनुसार 'एकमात्र व्यवहार्य तरीका' यही था कि हाल में निर्वाचित प्रांतीय विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक निकायों के रूप में किया जाए। तत्कालीन परिस्थितियों में मिशन ने इसे, 'सर्वाधिक न्यायोचित तथा व्यवहार्य योजना' बताया और सिफारिश की कि संविधान-निर्माण-निकाय में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो। मोटे तौर पर दस लाख लोगों के पीछे एक सदस्य चुना जाए और विभिन्न प्रांतों को आवंटित स्थान इस प्रयोजन के लिए वर्गीकृत मुख्य समुदायों यथा सिखों, मुसलमानों और सामान्य लोगों में (सिखों तथा मुसलमानों को छोड़कर) उनकी जनसंख्या के आधार पर विभाजित कर दिए जाएं। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाने थे और मतदान एकल संक्रमणीय मत सहित अनुपाती प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा कराया जाना था। भारतीय रियासतों के लिए आवंटित सदस्यों की संख्या भी जनसंख्या के उसी आधार पर निर्धारित की जानी थी जो ब्रिटिश भारत के लिए अपनाया गया था, किंतु उनके चयन की विधि बाद में परामर्श द्वारा तय की जानी थी। संविधान-निर्माण-निकाय की सदस्य संख्या 385 निर्धारित की गई (जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन ग्यारह प्रांतों से तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे)। इनमें चीफ कमिश्नरों के चार प्रांतों अर्थात् दिल्ली, अजमेर-मारवाड़, कुर्ग, और ब्रिटिश बलूचिस्तान से एक एक प्रतिनिधि शामिल किया जाना था।

कैबिनेट मिशन ने संविधान के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप पेश किया तथा संविधान-निर्माण-निकाय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कुछ विस्तार के साथ निर्धारण किया।

ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त, 1946 तक पूरे कर लिए गए थे। कांग्रेस को 208 स्थानों पर, जिनमें नौ को छोड़कर शेष सभी सामान्य स्थान शामिल थे, विजय प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को मुसलमानों को आवंटित स्थानों में से पांच स्थानों को छोड़कर शेष 73 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई।

ब्रिटिश भारत की विधान सभाओं से चुने गए सदस्यों का पार्टीवार ब्यौरा इस प्रकार था :

कांग्रेस	208
मुस्लिम लीग	73
यूनियनिस्ट	1

यूनियनिस्ट मुस्लिम	1
यूनियनिस्ट अनुसूचिन जातिया	1
कृषक प्रजा	1
अनुसूचिन जाति परिसध	1
सिख (गैर-कांग्रेसी)	1
कम्युनिस्ट	1
स्वतंत्र	8
	296

कहा जा सकता है कि 14-15 अगस्त, 1947 को देश के विभाजन तथा उसकी स्वतंत्रता के साथ ही, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के बंधनो से मुक्त हो गई और एक पूर्णतया प्रभुसत्ता सपन्न निकाय तथा देश में ब्रिटिश ससद के पूर्ण प्राधिकार तथा उसकी सत्ता की पूर्ण उत्तराधिकारी बन गई। इसके अलावा, 3 जून की योजना की स्वीकृति के बाद, भारतीय डोमिनियन के मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यो ने भी विधान सभा में अपने स्थान ग्रहण कर लिए। कुछ भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि पहले ही 28 अप्रैल, 1947 को विधान सभा में आ चुके थे। 15 अगस्त, 1947 तक अधिकांश रियासतों के प्रतिनिधि विधान सभा में आ गए और शेष रियासतों ने भी यथासमय अपने प्रतिनिधि भेज दिए।

इस प्रकार, संविधान सभा भारत में सभी रियासतों तथा प्रांतों की प्रतिनिधि तथा किसी भी बाहरी शक्ति के आधिपत्य से मुक्त पूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय बन गई। संविधान सभा भारत में लागू ब्रिटिश ससद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, यहां तक कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को भी रद्द कर सकती थी या परिवर्तित कर सकती थी।

संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन नियत दिन सोमवार, 9 दिसंबर, 1946 को प्रातः ग्यारह बजे हुआ।

संविधान सभा का सत्र कुछ दिन चलने के बाद, नेहरू जी ने 13 दिसंबर, 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य-प्रस्ताव पेश किया। सुदूर शब्दों में तैयार किए गए उद्देश्य-प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुता सपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाइयों के पास होतीं और प्रभुता जनता के हाथों में। सभी नागरिकों को 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय, परिस्थिति की, अवसर की और कानून के समक्ष समानता, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता' की गारंटी दी गई और इसके साथ ही 'अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए' पर्याप्त 'रक्षोपाय' रखे गए।

इस प्रकार, इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण का कार्य करना था। अंततः, 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

संविधान की रचना

संविधान सभा ने संविधान रचना की समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए अनेक समितियाँ नियुक्त कीं। इनमें संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित समितियाँ शामिल थीं। इनमें से कुछ समितियों के अध्यक्ष नेहरू या पटेल थे, जिन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान के मूल आधार तैयार करने का श्रेय दिया था। इन समितियों ने बड़े परिश्रम के साथ तथा सुनियोजित ढंग से कार्य किया और अनमोल रिपोर्टें पेश कीं। संविधान सभा ने तीसरे तथा छठे सत्रों के बीच, मूल अधिकारों, संघीय संविधान, संघीय शक्तियों, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों से संबंधित समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया। अन्य समितियों की सिफारिशों पर बाद में प्रारूपण समिति द्वारा विचार किया गया।

भारत के संविधान का पहला प्रारूप संविधान सभा कार्यालय की मंत्रणा-शाखा ने अक्टूबर, 1947 में तैयार किया। इस प्रारूप की तैयारी से पहले, बहुत सारी आधार-सामग्री एकत्र की गई तथा संविधान सभा के सदस्यों को 'संवैधानिक पूर्वदृष्ट्यात' के नाम से तीन संकलनों के रूप में उपलब्ध की गई। इन संकलनों में लगभग 60 देशों के संविधानों से मुख्य अंश उद्धृत किए गए थे। संविधान सभा ने संविधान सभा में किए गए निर्णयों पर अमल करते हुए संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की छानबीन करने के लिए 29 अगस्त, 1947 को डा. भीमराव अंबेडकर के सभापतित्व में प्रारूपण समिति नियुक्त की।

प्रारूपण समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। संविधान के प्रारूप में संशोधन के लिए बहुत बड़ी संख्या में टिप्पणियाँ, आलोचनाएँ और सुझाव प्राप्त हुए। प्रारूपण समिति ने इन सभी पर विचार किया। इन सभी पर प्रारूपण समिति की सिफारिशों के साथ विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। विशेष समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रारूपण समिति ने एक बार फिर विचार किया और कतिपय संशोधन समावेश के लिए छानट लिए गए। इस प्रकार के संशोधनों के निरीक्षण की सुविधा के लिए प्रारूपण समिति ने संविधान के प्रारूप को दोबारा छपवाकर जारी करने का निर्णय किया। यह 26 अक्टूबर, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया।

4 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय डा. अंबेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का, विशेष रूप से इस आलोचना का कि इसमें ऐसी सामग्री बहुत ही कम है जो मूल होने का दावा कर सकती हो, उत्तर दिया। उन्होंने कहा :

मैं पूछना चाहूंगा कि क्या विश्व के इतिहास में इस समय बनने वाले किसी संविधान में कोई नयी बात कही जा सकती है। सैकड़ों साल बीत गए जब प्रथम लिखित संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। अनेक देशों ने इसका अनुसरण करके अपने संविधान को लिखित रूप में परिवर्तित कर लिया। संविधान का विषयक्षेत्र क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का समाधान बहुत पहले हो चुका है। इसी प्रकार, संविधान के मूलाधार क्या हैं, इससे सारी दुनिया परिचित है। इन तथ्यों को देखते हुए, अनिवार्य है कि सभी संविधानों के मुख्य प्रावधान एक से दिखाई दे। इतना समय बीत जाने पर जो संविधान बनाया गया है उसमें यदि कोई नयी बात कही जा सकती है तो वह यह है कि इसमें त्रुटियों को दूर करने तथा इस देश की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हेरफेर किए गए हैं। मुझे यकीन है कि अन्य देशों के संविधानों का अध्यानुकरण करने का जो आरोप लगाया गया है, वह संविधान का पर्याप्त अध्ययन न किए जाने के कारण लगाया गया है।

जहां तक इस आरोप का संबंध है कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट, 1935 के अधिकांश प्रावधानों को ज्यों-का-न्यों शामिल कर लिया गया है, मैं उसके बारे में कोई क्षमायाचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है।

संविधान के प्रारूप पर खडवार विचार 15 नवंबर, 1948 से 17 अक्टूबर, 1949 के दौरान पूरा किया गया। प्रस्तावना सबसे बाद में स्वीकार की गई। तत्पश्चात्, प्रारूपण समिति ने परिणामी या आवश्यक मसौदा किए, अंतिम प्रारूप तैयार किया और उसे संविधान सभा के सामने पेश किया।

संविधान का दूसरा वाचन 16 नवंबर, 1949 को पूरा हुआ तथा उससे अगले दिन संविधान सभा ने डा. अंबेडकर के इस प्रस्ताव के साथ कि 'विधान सभा द्वारा यथानिर्णीत संविधान पारित किया जाए', संविधान का तीसरा वाचन शुरू किया। प्रस्ताव 26 नवंबर, 1949 को स्वीकृत हुआ तथा इस प्रकार, उस दिन संविधान सभा में भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया, अधिनियमित किया और अपने आप को अर्पित किया। संविधान सभा ने संविधान बनाने का भारी काम तीन वर्ष से कम समय में पूरा किया।

किंतु संविधान की स्वीकृति के साथ ही यात्रा का अंत नहीं हो गया। प्रारूपण समिति के सभापति, डा. अंबेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष, डा. राजेन्द्र प्रसाद ने 25 तथा

26 नवंबर, 1949 को भाषण करते हुए चेतावनी तथा सावधानी के शब्द कहे। डा. अंबेडकर ने कहा .

मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग, जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए, खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर, संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, यदि वे लोग, जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए, अच्छे हो तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। संविधान पर अमल केवल संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों का प्रावधान कर सकता है। राज्य के उन अंगों का संचालन लोगों पर तथा उनके द्वारा अपनी आकांक्षाओं तथा अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। कौन कह सकता है कि भारत के लोगों तथा उनके राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा? जातियों तथा संप्रदायों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा, विभिन्न तथा परस्परविरोधी विचारधारा रखने वाले राजनीतिक दल बन जाएंगे। क्या भारतवासी देश को अपने पथ¹ से ऊपर रखेंगे या पथ को देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता। लेकिन यह बात निश्चित है कि यदि राजनीतिक दल अपने पथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरों में पड़ जाएगी और सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस सभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हम अपनी आजादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का सकल्प करना चाहिए।

डा. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने समापन भाषण में विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा सब मिलाकर एक अच्छा संविधान बनाने में सफल रही है और उन्हें विश्वास है कि यह देश की जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा करेगा। किंतु उन्होंने इसके साथ यह भी कहा:

यदि लोग, जो चुनकर आएंगे, योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। आखिरकार, एक मशीन की तरह संविधान भी निर्जीव है। इसमें प्राणों का संचार उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो इस पर नियंत्रण करते हैं तथा इसे चलाते हैं और भारत को इस समय ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हो तथा जो देश के हित को सर्वोपरि रखें। हमारे जीवन में विभिन्न तत्वों के कारण विघटनकारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। हममें सांप्रदायिक अंतर है, जातिगत अंतर है, भाषागत अंतर है, प्रांतीय अंतर है। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सकें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में सामने आएंगे।

1 पथ (Creed)

संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी, 1950 को, संविधान सभा के अंतिम दिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए।

हमारे संविधान निर्माताओं में कुछ जाने माने, विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति, महान न्यायविद, देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी सम्मिलित थे। यदि संविधान सभा का निर्वाचन लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर भी किया जाता तो भी उस समय इससे बेहतर या अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधिक परिणामों की कल्पना करना कठिन है।

हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन संस्थानों को जारी रखा तथा संविधान में समाविष्ट किया वे ऐसे संस्थान थे जो भारत की धरती पर ही फले-फूले थे। संविधान निर्माताओं ने पुराने संस्थानों के आधार पर जो पहले ही विकसित हो चुके थे और जिनके बारे में उन्हें जानकारी थी, जिनसे वे परिचित हो चुके थे और जिनके लिए उन्होंने सभी प्रकार की परिसीमाओं, बंधनों के बावजूद उद्यम किया था, नये संस्थानों का निर्माण करना पसंद किया। संविधान के द्वारा ब्रिटिश शासन को ठुकरा दिया गया किंतु उन संस्थानों को नहीं, जो ब्रिटिश शासनकाल में विकसित हुए थे। इस प्रकार, संविधान औपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ।

क्योंकि संविधान-निर्माण तथा संस्थान-निर्माण एक जीवत, वर्तमान और सतत गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रक्रिया में 26 नवंबर, 1949 को विराम नहीं आया जब भारत के लोगो ने संविधान सभा में संविधान पारित, अधिनियमित तथा अपने आपको अर्पित किया। 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के श्रीगणेश के बाद भी, इसके वास्तविक अमल, न्यायिक निर्वचन¹ और संवैधानिक सशोधनों के द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया जारी रही। अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, संविधान का विकास जारी रहा। समय समय पर जिस जिस प्रकार और जैसे जैसे लोगों ने संविधान को चलाया, वैसे ही वैसे उसे नये नये अर्थ मिलते गए। यह सिलसिला अभी भी जारी है।

संविधान सभा ने और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए जैसे उसने संविधायी स्वरूप के कतिपय कानून पारित किए, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया, राष्ट्रगान की घोषणा की, राष्ट्रमंडल की सदस्यता से संबंधित निर्णय की पुष्टि की तथा गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया।

1. न्यायिक निर्वचन (Judicial Interpretation)

संविधान की विशेषताएं

भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से एक अनूठा संविधान है। उसकी अनेक विशेषताएं हैं, जो विश्व के अन्य संविधानों से अलग उसकी पहचान बनाती हैं।

संविधान का आकार

निरांतर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह अब तक किसी भी देश में बना सबसे लंबा संविधान है। यह एक बहुत ही व्यापक दस्तावेज है तथा इसमें अनेक ऐसे विषय सम्मिलित हैं जो औचित्य के विचार से साधारण विधान या प्रशासनिक कार्यवाही की विषयवस्तु हो सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत शासन अधिनियम, 1935 मूलतया एक कानून था और उसका उपयोग एक मॉडल तथा एक प्रारंभिक कार्यकारी प्रारूप के रूप में किया गया और इसके काफी बड़े हिस्से संविधान में ज्यों-के-त्यों समाविष्ट कर लिए गए। इसके अलावा, संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि कोई ऐसे मस्यौदों, कठिनाइयों और विवाद रह जाए जिनके निराकरण के लिए भविष्य में विधान बनाना पड़े। संयुक्त राज्य अमरीका में संघीय संविधान के अलावा, प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। इसके विपरीत, भारत के संविधान में न केवल सब केंद्रीय राज्यों का संविधान भी सम्मिलित है। भारत के आकार, इसकी जटिलताओं तथा विविधताओं के कारण भी देश के कतिपय क्षेत्रों अथवा जनता के वर्गों के लिए अनेक विशेष, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विविध उपबन्ध करना आवश्यक हो गया। संविधान में प्रवर्तनीय अथवा न्यायालयों द्वारा लागू कराए जा सकने वाले मूल अधिकारों का एक व्यापक चार्टर ही समाविष्ट नहीं किया गया बल्कि इसमें उन सीमाओं का वर्णन भी किया गया जिनके अंतर्गत इनका संचालन होना चाहिए। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमरीका में अधिकारों की सीमाएं न्यायालय के निर्णयों के लिए छोड़ दी गई थीं। साथ ही, हमारे संविधान में राज्य नीति के अनेक निदेशक तत्वों और नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण शामिल किया गया है। भले ही उन्हें न्यायालयों

1 न्यायालयों द्वारा लागू कराए जा सकने वाले (Justiciable)

के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता पर आशा की जाती है कि उनसे सभी को—राज्य, न्यायालय तथा नागरिकों को—मार्गदर्शन मिलेगा।

संविधान के प्रकार

लिखित अथवा अलिखित¹ : संविधान अमरीकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटेन की तरह अलिखित तथा परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित हो सकते हैं। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है, हालांकि परंपराओं और प्रथाओं की विशेष भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता, बशर्ते वे संविधान के उपबंधों के अनुरूप हों।

अनम्य अथवा नम्य² : संशोधन की कठिन या सरल प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को अनम्य अथवा नम्य कहा जा सकता है। संघीय संविधानों की संशोधन प्रक्रिया कठिन होती है, इसलिए उन्हें सामान्यतया अनम्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे संविधान को अनम्य तथा नम्य का मिश्रण कहा जा सकता है क्योंकि संविधान के कतिपय उपबंधों यथा अनुच्छेद 2, 3 तथा 4 और 169 का संशोधन साधारण विधान की तरह संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। अन्य उपबंधों का संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई विशेष बहुमत और कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जा सकता है। केवल कुछ उपबंधों के मामले में, संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अतिरिक्त, आधे से अन्यून राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। पिछले 45 वर्षों के दौरान हमारे संविधान में 78 बार संशोधन किए गए हैं। इसलिए यह तथ्य इस आरोप को झुठला देता है कि हमारा संविधान अनम्य है।

परिसंघीय अथवा एकात्मक³ : संविधानों को परिसंघीय तथा एकात्मक में भी विभाजित किया जाता है। अमरीकी संविधान पहली श्रेणी का और ब्रिटेन का संविधान दूसरी श्रेणी का एक अत्युत्तम उदाहरण है। एकात्मक संविधान में सभी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं और इकाइयों के प्राधिकारी उसके अधीन होते हैं तथा केंद्रीय सरकार के एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं और केंद्र द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करते हैं। परिसंघीय राज्य व्यवस्था में सामान्यतया अनिवार्य है कि एक अनम्य, लिखित संविधान हो; संविधान सर्वोच्च हो और इसके अंतर्गत परिसंघीय सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विशिष्ट रूप से विभाजन हो और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अपने निजी ढंग से तथा स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करें। वास्तव में, उत्तम श्रेणी के परिसंघ

1. लिखित अथवा अलिखित (Written or Unwritten)

2. अनम्य अथवा नम्य (Rigid or Flexible)

3. परिसंघीय अथवा एकात्मक (Federal or Unitary)

में, परिसंघीय सरकार को केवल वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो उसे इकाइयों द्वारा समझौते के माध्यम से दी जाती हैं। इसके अलावा, अनिवार्य है कि यदि परिसंघ तथा राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसके विवाचन के लिए एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय हो।

भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्धपरिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र-समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। असल में, हमारे संविधान को परिसंघीय या एकात्मक के किसी कठोर ढांचे में कसना कठिन है। इसमें दोनों की विशेषताएं हैं। इसे एकात्मक नहीं माना जा सकता क्योंकि, मिसाल के लिए, इसमें संघ तथा राज्यों¹ के बीच कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है और राज्यों की शक्तियों अथवा संघ तथा राज्य के संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों में राज्यों के अनुसमर्थन के बिना सशोधन नहीं किया जा सकता। इसे पूरी तरह से परिसंघीय भी नहीं माना जा सकता क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं। जैसा कि डा. अंबेडकर ने कहा था, अनम्यता तथा विधिवाद परिसंघवाद की दो गंभीर कमजोरियां हैं। भारतीय प्रणाली इस दृष्टि से अनूठी है कि इसमें इकहरी भारतीय नागरिकता वाली दोहरी राज्य व्यवस्था रखी गई है, और वह समय और हालात की जरूरतों के अनुसार एकात्मक तथा परिसंघीय दोनों ही हो सकती है। अनुच्छेद 249 के अधीन, संघ की ससद राज्य सूची का अतिक्रमण कर सकती है। अनुच्छेद 356 तथा 357 के अधीन, किसी राज्य में सवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, उसकी सभी कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों को संघ अपने हाथ में ले सकता है और अनुच्छेद 352 से 354 के अधीन, संविधान को पूर्णरूपेण एकात्मक रूप दिया जा सकता है क्योंकि आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान, संघ की कार्यपालक तथा विधायी शक्तियां राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर भी लागू हो जाती हैं। अंततः, अनुच्छेद 2, 3 और 4 के अधीन, संघ की ससद साधारण बहुमत से पारित साधारण कानून द्वारा नये राज्य बना सकती है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, उनकी सीमाओं या उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है।

यह अनूठा एकात्मक परिसंघीय मिश्रण किसलिए हुआ? इसका उत्तर भारत के सवैधानिक इतिहास में, देश के विशाल आकार में और धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति आदि पर आधारित उसकी मिश्रित विविधताओं के स्वरूप में खोजा जा सकता है। संविधान के प्रारूप को संविधान सभा की स्वीकृति के लिए पेश करते समय, प्रारूपण समिति के अध्यक्ष,

1. संघ तथा राज्य (Union and States)

डा अंबेडकर ने “फेडरेशन आफ स्टेट्स” (राज्य परिसंघ)¹ के बजाय “यूनियन आफ स्टेट्स” (राज्य संघ)² पद का प्रयोग करने की सार्थकता को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया था :

प्रारूपण समिति इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती थी कि हालांकि भारत को एक ‘फेडरेशन’ (परिसंघ)³ का रूप लेना था, किंतु फेडरेशन राज्यों द्वारा फेडरेशन में शामिल होने के समझौते का परिणाम नहीं था और चूंकि फेडरेशन किसी समझौते का परिणाम नहीं, अतः किसी भी राज्य को उससे अलग होने का अधिकार नहीं। फेडरेशन एक संघ है क्योंकि वह अनश्वर है। हालांकि देश तथा जनता को प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु देश पूर्णतया एक अखंड इकाई है, इसकी जनता एक अखंड जनसमूह है, जो एक ही स्रोत से प्राप्त परमसत्ता के अधीन रहती है।

संविधान के मूल पाठ में कहीं भी ‘फेडरल’ (परिसंघात्मक)⁴ या ‘फेडरेशन’ (परिसंघ) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संघ (यूनियन)⁵ का उल्लेख फेडरल (परिसंघीय) ‘क्वामी-फेडरल (अर्धपरिसंघीय)⁶ या ‘द्विस्वभावी’⁷ के रूप में किया है जिसका अर्थ यह है कि यह कभी तो ‘परिसंघीय’ होता है और कभी ‘एकात्मक’। (राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, ए आई आर 1977 एस सी 1361) (अध्याय 6, ‘संघ और उसका राज्य क्षेत्र’ के अंतर्गत भी देखिए)।

संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली

भारत एक गणराज्य है। उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, उसी में सभी कार्यपालक शक्तियां निहित होती हैं तथा उसी के नाम से इनका प्रयोग किया जाता है। वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। किंतु यह मान्यता है कि अमरीकी राष्ट्रपति के विपरीत हमारा राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाममात्र का या संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वह यथार्थ गजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की सहायता तथा उसके परामर्श से ही कार्य करता है। मंत्री सामूहिक रूप से सदन के सीधे जननिर्वाचन सदन अर्थात् लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार, ब्रिटिश प्रतिरूप का अनुसरण करते हुए, भारत

1 राज्य परिसंघ (Federation of States)

2 राज्य संघ (Union of States)

3 परिसंघ (Federation)

4 परिसंघात्मक (Federal)

5 संघ (Union)

6 अर्धपरिसंघीय (Quasi-federal)

7 ‘द्विस्वभावी’ (Amphibian)

के संविधान में बुनियादी तौर पर, संघ तथा राज्य, दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें मंत्रिगण सीधे जननिर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके विपरीत, अमरीकी राष्ट्रपतीय शासन-प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण होता है तथा राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यपालक होता है और उसे प्रायः पदच्युत नहीं किया जा सकता। अमरीकी प्रणाली में, राष्ट्रपति आम नागरिकों में से अपने मंत्री चुनता है और मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते, जबकि संसदीय प्रणाली में मंत्री संसद से लिए जाते हैं तथा वे इसका अंग बने रहते हैं और वे लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहा जा सकता है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की संकल्पना पर अधिक बल दिया जाता है जबकि राष्ट्रपतीय प्रणाली में स्पष्टतया कार्यपालिका के स्थायित्व को अधिक महत्व दिया जाता है।

किंतु यह कहना गलत होगा कि हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को पूर्णरूपेण अपना लिया है। दोनों में अनेक मूलभूत अंतर तथा भिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है, जबकि हमारा अधिकांशतया संघीय है। वहा वशानुगत राजा वाला राजतंत्र है जबकि हमारा देश निर्वाचित राष्ट्रपति वाला गणराज्य है। ब्रिटेन के विपरीत, हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। इसलिए हमारी संसद प्रभुत्व संपन्न नहीं है तथा इसके द्वारा पारित विधान का न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। हमारे संविधान में वाद योग्य ऐसे मूल अधिकारों का एक घोषणापत्र सम्मिलित है, जो न्यायालयों द्वारा न केवल कार्यपालिका के बल्कि विधायिका के खिलाफ भी लागू किए जा सकते हैं। ब्रिटेन की स्थिति इसके विपरीत है।

हमारे देश में संसदीय प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रपतीय प्रणाली को अपनाने की वाछनीयता अथवा अवाछनीयता के संबंध में कुछ बहस चलती रही है। किंतु संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को तरजीह दी क्योंकि उन्हें इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने के अनेक लाभ थे। जिम्मेदार सरकार के लिए तथा निरंकुश कार्यपालक प्राधिकार के खिलाफ एक लंबे संघर्ष के बाद, स्वभावतया उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका¹ पसंद नहीं थी जिसे हटाया न जा सके। उनका विश्वास था कि अत्यधिक बहुवादी समाज वाले भारत जैसे विशाल तथा विविधता से भरपूर देश के लिए, जहां विभिन्न प्रकार के प्रभाव काम करते हैं, सभी हितों को संजोने तथा संयुक्त भारत के निर्माण के लिए संसदीय प्रणाली सर्वाधिक अनुकूल होगी।

संसदीय प्रभुत्व बनाम न्यायिक सर्वोच्चता

ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। इसकी शक्तियों पर, कम-

1. नियतकालिक कार्यपालिका (Fixed Term Executive)

से-कम सिद्धांत रूप में, कोई रोक नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधान का न्यायिक पुनरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है।

अमरीकी प्रणाली में, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है क्योंकि उसे न्यायिक पुनरीक्षण तथा संविधान के निर्वचन की शक्ति प्राप्त है।

भारत में, संविधान ने मध्य मार्ग अपनाया है। उसने ब्रिटिश संसद की प्रभुता और अमरीकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समझौता किया है। चूंकि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है तथा उसमें प्रत्येक अंग की शक्तियों तथा उसके कार्यों की परिभाषा की गई है तथा सीमा निर्धारित की गई है इसलिए किसी भी अंग के—यहां तक कि संसद के भी—प्रभुत्व संपन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है। संसद तथा उच्चतम न्यायालय, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। जहां कि उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने वाला बताकर संसद के अधिकार से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित कर सकता है, संसद कतिपय प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है।

वयस्क मताधिकार

डा. अबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि 'संसदीय प्रणाली से हमारा अभिप्राय' 'एक व्यक्ति, एक वोट' से है। संविधान निर्माताओं ने निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार की पद्धति को अपनाने का निर्णय किया, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मतदान के समान अधिकार तुरत प्राप्त हों। अधिकांश भारतीय जनता गरीब तथा अनपढ़ थी। इस संदर्भ में यह निर्णय विशेष रूप से उल्लेखनीय था। पश्चिम के समुन्नत लोकतंत्रों में भी मताधिकार धीरे धीरे ही दिया गया था।

मूल अधिकारों का घोषणा-पत्र

हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं की सबसे बड़ी बुनियादी मांग यह थी कि लोगों को स्वतंत्रता, समानता आदि के कुछ मूलभूत मानव अधिकार मिलें। अल्पसंख्यकों की समस्याओं ने, संविधान के मूलपाठ में ही कतिपय वाद-योग्य अथवा न्यायालयों द्वारा लागू कराए जा सकने वाले मूल अधिकारों की औपचारिक घोषणा किए जाने की जरूरत पर बल दिया। मौटे तौर पर, संविधान के भाग-III में जो मूल अधिकार शामिल किए गए हैं, वे राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के ऐसे अधिकार हैं जिनका अतिक्रमण नहीं हो सकता। मिसाल के लिए, किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाले कानून या

1. सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise)

कार्यपालक कार्य को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। यदि ये कानून अथवा कार्यपालक कार्य संविधान में ही बताए गए किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत न आते हो तो इन्हें असंवैधानिक तथा अमान्य ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, मूल अधिकारों के प्रवर्तन का तंत्र तथा उसकी क्रियाविधि भी संविधान में निर्धारित है। अमरीकी संविधान में, मूल अधिकारों को निरपेक्ष शब्दों में अभिव्यक्त किया गया था। किंतु किसी व्यक्ति के कोई निरपेक्ष अधिकार नहीं हो सकते क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार कम-से-कम अन्य व्यक्तियों के उसी प्रकार के अधिकारों द्वारा सीमित होते हैं। अमरीकी उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों पर वैध प्रतिबंधों का पता लगाना पड़ा तथा उनकी पहचान करनी पड़ी। किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रतिबंधों को संबंधित उपबंधों में ही शामिल करने का निर्णय किया। इस प्रकार, हमारा संविधान एक ओर व्यक्ति के अधिकारों और दूसरी ओर समाज के हितों तथा राज्य की सुरक्षा की जरूरतों के बीच एक संतुलन प्रस्तुत करता है।

निदेशक तत्व

आयरलैंड के दृष्टांत से प्रेरित होकर तैयार किए गए राज्य नीति के निदेशक तत्व हमारे संविधान की एक अनूठी विशेषता हैं। लोगों के अधिकांश सामाजिक-आर्थिक अधिकार इस शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। हालांकि कहा जाता है कि इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी इन तत्वों से देश के शासन के लिए मार्गदर्शन की आशा की जाती है। वे संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यों के समक्ष रखे गए आदर्शों के रूप में हैं और राज्य के सभी अंगों को उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। न केवल विधानमंडलों की बल्कि न्यायालयों की नजर में भी निदेशक तत्वों की प्रासंगिकता तथा महत्ता बराबर बढ़ती गई है।

नागरिकता

संविधान निर्माताओं ने एक एकीकृत भारतीय बंधुत्व तथा एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सघीय संरचना होने के बावजूद केवल इकहरी नागरिकता का उपबन्ध रखा। अमरीका के विपरीत, संघ तथा राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता नहीं रखी गई है और समूचे देश में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के एक-से अधिकार प्राप्त कराए गए हैं, केवल कश्मीर, जनजातीय क्षेत्रों आदि को छोड़कर जहां कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किए गए हैं।

मूल कर्तव्य

संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा, अन्य बातों के साथ साथ, 'मूल कर्तव्य' शीर्षक के

अंतर्गत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए दस कर्तव्यों की एक संहिता निर्धारित की गई है। वस्तुतया कोई भी अधिकार तदनुरूप कर्तव्य के बिना व्यवहार्य नहीं हो सकता तथा राज्य की ओर नागरिकों के राजनीतिक दायित्वों के प्रति सम्मान के बिना नागरिकों के अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। यह दुर्भाग्य की ही बात है कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संहिता को हमने अभी तक वह महत्व नहीं दिया है जो इसे मिलना चाहिए।

स्वतंत्र न्यायपालिका

भारत के संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। उसे न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तिया प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय एक ही एकीकृत न्यायिक संरचना के अंग हैं और उसका अधिकार क्षेत्र सभी विधियों यानी संघ, राज्य, सिविल, दांडिक या संवैधानिक विधियों पर होता है। अमरीका की तरह, हमारे देश में पृथक संघीय तथा राज्य न्यायालय प्रणालियां नहीं हैं। संपूर्ण न्यायपालिका न्यायालयों का श्रेणीबद्ध संगठन है। वह न केवल व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के अभिरक्षक के रूप में विवादों तथा कृत्यों का न्यायनिर्णयन करता है बल्कि उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह समय समय पर संविधान का निर्वचन करे तथा संविधान के संदर्भ में किसी विधान की वैधता का निर्धारण करने के लिए, उसका पुनरीक्षण करे। उच्चतम न्यायालय का निर्णय देश की सर्वोपरि विधि होता है। उच्चतम न्यायालय राज्यों के बीच अथवा संघ तथा राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियों के वितरण के संबंध में उत्पन्न विवादों के विवाचक का कार्य भी करता है।

निष्कर्ष

भारत का संविधान एक सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है। यह अनेक दृष्टियों से अनूठा है। इसे किसी खास साचे-ढांचे या मॉडल में फिट नहीं किया जा सकता। यह अनन्य तथा नन्य, परिसंघीय तथा एकात्मक, और अध्यक्षीय तथा ससदीय रूपों का सम्मिश्रण है। इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर व्यक्तियों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता के सामाजिक आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। इसके अलावा, यह ससदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों के बीच एक मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है।

जहां द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बनाए गए अनेक देशों के संविधान लुढ़क गए तथा लुप्त हो गए, वहां हमारे संविधान ने अनेक संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया है और वह जीवित रहा है। यह बात स्वयंमेव उसकी सुनम्यता, सक्रियता और संवृद्धि की संभाव्यता का प्रमाण है।

उद्देशिका

संविधान के आधार-तत्त्व तथा उसका दर्शन

किसी संविधान की उद्देशिका¹ से आशा की जाती है कि जिन मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन पर संविधान आधारित हो, तथा जिन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करने के लिए संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था को निर्देश दिया हो, उनका उसमें समावेश हो।

हमारे संविधान की उद्देशिका में, जिस रूप में उसे संविधान सभा ने पास किया था, कहा गया है : “हम, भारत के लोग” भारत को एक “प्रभुत्व सपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य” बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिलाने और उन सबमें बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। न्याय की परिभाषा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में की गई है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सम्मिलित है और समानता का अर्थ है प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता।

वास्तव में, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता एक वास्तविक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अत्यावश्यक सहगामी तत्व हैं, इसलिए उनके द्वारा केवल लोकतंत्रात्मक गणराज्य की संकल्पना स्पष्ट होती है। अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना। इस प्रकार, उद्देशिका यह घोषणा करने का काम करती है कि “भारत के लोग” संविधान के मूल स्रोत हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुता लोगों में निहित है और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है जिसमें लोगों को मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित की गई है।

हमारे संविधान की उद्देशिका में बहुत ही भव्य और उदात्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। वे उन सभी उच्चतम मूल्यों को साकार करते हैं जिनकी प्रकल्पना मानव-बुद्धि, कौशल तथा

1. उद्देशिका (Preamble)

अनुभव अब तक कर पाया है। आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के राजनीतिविज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर सर अर्नेस्ट बार्कर हमारे संविधान की उद्देशिका के मूल पाठ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपने शोधग्रंथ के प्राक्कथन के रूप में उद्धृत करते हुए कहा :

जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी सारी पुस्तक में जो कुछ कहने का प्रयास किया है वह इसमें बहुत थोड़े से शब्दों में रख दिया गया है और इसे मेरी पुस्तक का मूल स्वर माना जा सकता है।

बेरुबाड़ी के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की थी कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुजी है। जहां शब्द अस्पष्ट पाए जाएं या उनका अर्थ स्पष्ट न हो, वहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है और पता लगाया जा सकता है कि उस शब्द विशेष का प्रयोग व्यापक सदर्भ में किया गया है या संकीर्ण सदर्भ में। तिस पर भी, न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। यह विधानमंडलों या राज्य के अन्य अंगों को कोई महत्वपूर्ण शक्तिया प्रदान नहीं करती। निश्चय ही कोई भी शक्ति या अधिकार केवल संविधान के उपबंधों द्वारा अभिव्यक्त अथवा निहित रूप में दिए जा सकते हैं।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, न्यायमूर्ति मधोलकर ने कहा था कि उद्देशिका पर “गहन विचार-विमर्श” की छाप है, उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है। उद्देशिका संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है अथवा यो भी कहा जा सकता है कि संविधान उद्देशिका में निर्धारित संकल्पनाओं का परिवर्द्धित अथवा मूर्त रूप है। उद्देशिका के संविधान का अंग न होने के बारे में उच्चतम न्यायालय की राय पर संभवतया पुनः विचार किए जाने की जरूरत है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी उद्देशिका के बारे में कहा था कि वह संविधान के उपबंधों को समझने में और उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। यह महसूस किया गया कि संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका के माध्यम से जो आशय व्यक्त किया है, उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था। *गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य* के मामले में, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने विचार व्यक्त किया कि संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। वह “संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है।” उन्होंने कहा कि हमारी उद्देशिका हमारे राष्ट्रीय जीवन के कतिपय मूलाधारों के प्रति हमारी आस्था तथा हमारे विश्वास की घोषणा है। वह एक अनिवार्य आदर्श स्तर है। वह एक अडिग संकल्प है।

जैसा कि बाद में *भारतीचन्द्र भवन बनाम मैसूर राज्य* (ए आई आर (1970) एस सी 2042) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, निदेशक तत्वों तथा मूल

अधिकारों को भी उद्देशिका में प्रतिष्ठित उद्देश्यों के प्रकाश में अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है।

बेरुबाड़ी के मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि किसी अधिनियम की उद्देशिका पर विधानमंडल के सदनों में बहस नहीं की जाती या मतदान नहीं होता, किंतु इसके विपरीत हमारे संविधान की उद्देशिका पर संविधान सभा में संविधान के किसी भी अन्य भाग की तरह पूरी बहस हुई थी। उसे विधिवत अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया था। उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा था : “प्रस्ताव यह है कि उद्देशिका संविधान का अंग बने”, अतः यह उचित ही था कि उच्चतम न्यायालय ने बाद में अपने निर्णय में संशोधन कर दिया।

केशवनानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, अधिकांश न्यायाधीशों ने संविधान सभा के वाद-विवाद का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि संविधान की उद्देशिका का विधायी इतिहास इसके महत्व को उचित ठहराता है। उद्देशिका संविधान का केवल एक अंग ही नहीं है बल्कि “वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा संविधान को उद्देशिका में अभिव्यक्त महान तथा उदात्त भविष्य-निरूपण के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए तथा उसका निर्वचन किया जाना चाहिए।” संविधान के किसी भी उपबध में केवल अनुच्छेद 368 के अधीन “उद्देशिका तथा संविधान की मोटी मोटी रूपरेखा के अंतर्गत रहते हुए” संशोधन किया जा सकता है। वस्तुतया उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अपरिवर्तनशील बुनियादी तत्वों का स्रोत उद्देशिका के शब्दों में खोजने का प्रयास किया और निर्णय दिया कि संविधान के उपबंधों में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे उसके बुनियादी स्वरूप में परिवर्तन हो जाए। हालांकि बुनियादी तत्वों की सूक्ष्म परिभाषा नहीं की गई, फिर भी उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया।

उच्चतम न्यायालय के शब्दों में “हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा और संविधान वही नहीं रह जाएगा अर्थात् अपना व्यक्तित्व और पहचान खो देगा।” इस प्रकार, अब यह मान लिया गया है कि उद्देशिका में समाविष्ट संविधान के बुनियादी तत्वों या उसकी विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के अधीन किसी संशोधन द्वारा उल्टा नहीं जा सकता।

किंतु, भले ही उद्देशिका को अब संविधान का एक अभिन्न अंग माना जाता है, फिर भी यह भी अपनी जगह सत्य है कि यह न तो किसी शक्ति का कोई स्रोत है और न ही उसको किसी प्रकार सीमित करता है। सबसे पहले इस बात की घोषणा बेरुबाड़ी के मामले

में की गई थी। न्यायमूर्ति मैथ्यू ने इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (ए आई आर 1975 एस सी 2291) के मामले में इसे दोहराया।

आपात स्थिति के दौरान, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 'समाजवादी' तथा 'पंथ निरपेक्ष' शब्द उद्देशिका में जोड़े दिए गए। इसके अलावा राष्ट्र की एकता 'शब्दों के स्थान पर' राष्ट्र की एकता तथा अखंडता शब्द रख दिए गए। यह महसूस किया गया कि ये विशेषक शब्द स्थिति का स्पष्टीकरण मात्र करते थे तथा इनसे राज्य व्यवस्था या राज्य के स्वरूप में कोई ठोस अंतर नहीं पड़ता था क्योंकि कानून-निर्माताओं के अनुसार समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता उद्देशिका में तथा मूल रूप में निर्मित संविधान के शेष भागों में पहले से अंतर्निहित थे।

बोम्बई वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा :

उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, सघातक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में है।

42वें संशोधन के बाद जिस रूप में उद्देशिका इस समय हमारे संविधान में विद्यमान है, उसके अनुसार, संविधान-निर्माता जिन सर्वोच्च या मूलभूत संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते थे, उन्हें सूचीबद्ध किया जा सकता है। वे चाहते थे कि भारत गणराज्य के जन जन के मन में इन मूल्यों के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता जगे-पनपे तथा आने वाली पीढ़ियों, जिन्हें यह संविधान आगे चलाना होगा, इन मूल्यों से मार्ग दर्शन प्राप्त कर सकें। ये उदात्त मूल्य हैं :

- संप्रभुता
- समाजवाद
- लोकतंत्र
- गणराज्यीय स्वरूप
- न्याय
- स्वतंत्रता
- समानता
- बंधुता
- व्यक्ति की गरिमा, और
- राष्ट्र की एकता तथा अखंडता।

संप्रभुता

राजनीतिविज्ञान तथा न्यायशास्त्र के शब्दों में, संप्रभुता को राज्य का एक अनिवार्य गुण

माना जाता है तथा यह एक ऐसी परिशुद्ध तथा सर्वोच्च सत्ता की द्योतक है, जिस पर आंतरिक या बाह्य सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। 'कूले' ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की परिभाषा एक ऐसे राज्य के रूप में की है, "जहां स्वयं उसके भीतर एक ऐसी सर्वोच्च तथा परम सत्ता विद्यमान होती है जो किसी को भी अपने से वरिष्ठ नहीं मानती।"

संप्रभुता के इस पारंपरिक अर्थ में आज के किसी भी राज्य को पूरी तरह प्रभुत्व संपन्न नहीं कहा जा सकता। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय आर्थिक समिति आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते, अभिसमय आदि उस पर बहुत से दायित्व डाल देते हैं और कई तरह के अंकुश लगा देते हैं जिनसे संप्रभुता पर थोड़ी बहुत आंच आती ही है।

भारत के संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्तियां निहित करने के संबंध में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है। एक ही स्थान ऐसा है जहां से संप्रभुता की विद्यमानता तथा संविधान के स्रोत का सुनिश्चय किया जा सकता है और वह है उद्देशिका। 'हम भारत के लोग' शब्द हमें अमरीकी संविधान की उद्देशिका के आरंभिक शब्दों की याद दिलाते हैं। किंतु अमरीकी संविधान की उद्देशिका 'हम, संयुक्त राज्यों के लोग' का उल्लेख करती है। इसके पहले के प्रारूप तथा इतिहास इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अमरीकी संविधान निर्माताओं ने अनेक (13) स्वतंत्र राज्यों के लोगों का उल्लेख किया था जो 'अपेक्षाकृत अधिक परिपूर्ण संघ' चाहते थे। उन्होंने राष्ट्र के अखंड लोगो का उल्लेख नहीं किया। दूसरी ओर, भारत के संविधान की उद्देशिका में भारतीय संघ के राज्यों के लोगों की बात नहीं कही गई है। अमरीकी संविधान के विपरीत, हमारे संविधान को राज्यों के अनुसमर्थन की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर कि 'हम, भारत के लोग' इस संविधान को स्वीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, संविधान निर्माताओं ने इस बात की निष्ठापूर्वक पुष्टि की कि हम लोग, भारत के लोग, एक हैं, और हम विभिन्न राज्यों आदि के लोग नहीं हैं, संप्रभुता भारत के सभी लोगो की है, न कि अलग अलग राज्यों के लोगो की; और यह कि संविधान को राज्यों के लोगो द्वारा नहीं बल्कि भारत के सभी लोगो द्वारा अविभाज्य प्रभुत्व संपन्न इकाई के रूप में उनकी सामूहिक हैसियत में निर्मित तथा स्वीकृत किया गया है। इस बात पर जोर देने का प्रयास किया गया था कि हमारा राष्ट्र एक है, हमारा संविधान एक है तथा हमारी राज्य व्यवस्था एक है।

संयुक्त राज्य अमरीका तथा आस्ट्रेलिया में संप्रभुता संघ¹ अथवा कामनवेल्थ तथा राज्यों के बीच बटी हुई है और प्रत्येक राज्य संविधान द्वारा सौंपे गए क्षेत्र में प्रभुत्व संपन्न हैं। किंतु इसके विपरीत, भारत में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बावजूद,

1. संघ (Union)

इसमें संप्रभुता का कोई विभाजन नहीं है। आपात स्थितियों के दौरान संघ राष्ट्रीय हित में राज्यों के अधिकार क्षेत्र को लांघ सकता है। सामान्य स्थिति के दौरान भी वह अनुच्छेद 249 के अधीन राज्य सूची में समाविष्ट विषयों पर कानून बनाकर राज्यों के क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकता है। हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता अखंड तथा अविभाज्य है। कोई भी राज्य या राज्यों का समूह संविधान को रद्द नहीं कर सकता या संविधान द्वारा स्थापित संघ से बाहर नहीं जा सकता। अमरीका में, संघ की अनश्वरता स्थापित करने के लिए गृहयुद्ध छेड़ना तथा जीतना पड़ा था। किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ में ही संघ की अनश्वरता का उपबंध कर दिया और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया। संविधान के अनुच्छेद 1(3) (ग) में स्पष्ट कर दिया गया कि भारत संघ विदेशी राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है। संघ कतिपय संवैधानिक अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, अपने क्षेत्र का त्याग भी कर सकता है। [मगनभाई ईश्वरभाई पटेल बनाम भारत संघ (1970) 3 एस सी सी 100]। संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के अधीन, संघ की ससद साधारण विधान के द्वारा नये राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है, वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। नागरिकता सबधी उपबंधों के अधीन, भारत के समस्त लोगों को इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है; अमरीका की भांति संघ तथा राज्यों की दोहरी नागरिकता नहीं है।

इस प्रकार, हमारे संविधान की उद्देशिका के उपबंध पारंपरिक संघवाद, विभाजित संप्रभुता, राज्यों की स्वायत्तता आदि की सभी संकल्पनाओं का अंत कर देते हैं। इसके अलावा, संविधान निर्माताओं ने हमेशा के लिए यह स्पष्ट कर देने का प्रयास किया कि हमारे देश की कार्यप्रणाली में संप्रभुता स्वयं लोगों में निहित है और यह कि संघ तथा राज्यों के सभी अंग तथा कर्मी अपनी शक्ति भारत के लोगों से ही प्राप्त करते हैं।

समाजवाद

संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान किसी विचारधारा या वाद विशेष से जुड़ा हो या किसी आर्थिक सिद्धांत द्वारा सीमित हो। इसलिए वे उसमें, अन्य बातों के साथ साथ, समाजवाद के किसी उल्लेख को सम्मिलित करने के लिए सहमत नहीं हुए थे। किंतु उद्देशिका में सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के संकल्प का जिक्र अवश्य किया गया था। संविधान (42वा सशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा हमारे 'गणराज्य' की विशेषता दर्शाने के लिए 'समाजवादी' शब्द का समावेश किया गया। यथासंशोधित उद्देशिका के पाठ में 'समाजवाद' के उद्देश्य को प्रायः सर्वोच्च सम्मान का स्थान दिया गया है। 'संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न' के ठीक बाद इसका उल्लेख किया गया है। किंतु 'समाजवाद' शब्द की परिभाषा संविधान में नहीं की गई।

संविधान (45वा सशोधन) विधेयक में “समाजवादी” की परिभाषा करने का प्रयास किया गया था तथा उसके अनुसार इसका अर्थ था “सभी प्रकार के शोषण—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक—से मुक्त।” इस विधेयक को अततः 44वे सशोधन के रूप में पास किया गया, किंतु इसमें ‘समाजवादी’ की परिभाषा नहीं थी। ‘समाजवाद’ की परिभाषा करना कठिन है। विभिन्न लोग इसका भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं और इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। शब्दकोश के अनुसार समाजवाद में उत्पादन तथा वितरण के साधन, पूर्णतया या अंशतया, सार्वजनिक हाथों में अर्थात् सार्वजनिक (अर्थात् राज्य के) स्वामित्व अथवा नियंत्रण में होने चाहिए।

समाजवाद का आशय यह है कि आय तथा प्रतिष्ठा और जीवन-यापन के स्तर में विषमता का अंत हो जाए। इसके अलावा, उद्देशिका में ‘समाजवादी’ शब्द जोड़ दिए जाने के बाद, संविधान का निर्वचन करते समय न्यायालयों से आशा की जा सकती है कि उनका झुकाव निजी संपत्ति, उद्योग आदि के राष्ट्रीयकरण तथा उस पर राज्य के स्वामित्व के तथा समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार के पक्ष में हो।

पंथनिरपेक्षता

शब्दकोशों में सेक्यूलरेज्म (धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता) की परिभाषा ‘ऐहिलौकिक अथवा अनाध्यात्मिक’, ‘धर्म से सबंध न रखने वाली’, ‘विश्वास की पद्धति जिसमें सभी प्रकार की धार्मिक आस्थाओं तथा उपासना को नकारा जाता है’, ‘अधार्मिक’ पद्धति आदि के रूप में की गई है। *इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका* में सेक्यूलरेज्म (पंथनिरपेक्षता) की परिभाषा ‘उपयोगितावादी नैतिकता’ के रूप में की गई है, जिसकी अभिकल्पना मानव जाति के भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक सुधार के लिए की गई हो और जो धर्म के आस्तिकता संबंधी पक्ष की न तो पुष्टि करता है तथा न ही उसका खंडन करता है। *इंसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइंसिस* में इसकी परिभाषा ज्ञान का स्वायत्त क्षेत्र स्थापित करने के ऐसे प्रयास के रूप में की गई है जो अलौकिक पूर्वधारणाओं से मुक्त हो।

ए.आर. ब्लेकशीड ने पश्चिम में ‘सेक्यूलरेज्म’ (पंथनिरपेक्षता) के अवबोधन तथा उसकी सीमाओं को नियत करने का प्रयास किया, पर वे इस शब्द की किसी ऐसी परिभाषा पर पहुंचने में असमर्थ रहे जो पूरी तरह से सक्षम तथा स्वीकार्य हो। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह यथार्थतया धर्म के विरुद्ध नहीं है, किंतु धर्म की परिभाषा करना भी सरल नहीं है। उनके अनुसार, ‘पंथनिरपेक्षता’ का अर्थ धार्मिक स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता और हेतुवाद, भौतिकवाद और मानववाद आदि विचारों के प्रति आदर माना जा सकता है।

डोनाल्ड यूजीन स्मिथ ने भारतीय संदर्भ में पंथनिरपेक्षता की संकल्पना की निम्नलिखित शब्दों में एक तर्कपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है :

पथनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो धर्म की व्यक्तिगत तथा समवेत स्वतंत्रता प्रदान करता है, सवैधानिक रूप से किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है और जो धर्म का न तो प्रचार करता है तथा न ही उसमें हस्तक्षेप करता है।

जैसा कि न्यायमूर्ति देसाई ने कहा था, एक पंथनिरपेक्ष राज्य व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करता है और उसके पंथ की ओर ध्यान नहीं देता। वह किसी पंथ विशेष से जुड़ा नहीं होता, और वह न तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है और न ही उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। अनिवार्य है कि एक पंथनिरपेक्ष राज्य का धार्मिक कार्यों से कोई संबंध न हो, सिवाय उस स्थिति के जब उनके प्रबंध में अपराध, धोखाधड़ी अंतर्ग्रस्त हो या वह राज्य की एकता तथा अखंडता के लिए खतरा बन जाए।

ज़ियाउद्दीन बुरहामुद्दीन बुखारी बनाम बृज मोहन रामदास मेहरा एंड ब्रदर्स (1975 सप्ली ए सीआर 281) के मामले में अपना निर्णय सुनाते समय न्यायमूर्ति एम.एच. बेग ने कहा था .

पथनिरपेक्ष राज्य, पंथ के सभी भेदभावों से ऊपर उठकर, अपने सभी नागरिकों का, उनके धार्मिक विश्वासों तथा व्यवहारों की ओर ध्यान दिए बिना, कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह सभी जातियों तथा संप्रदायों के नागरिकों को लाभ देने में तटस्थ या निष्पक्ष होता है। मेटलैंड का मत है कि इस प्रकार के राज्य को अपने कानूनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होता है कि राजनीतिक या नागरिक अधिकार या इसके अधीन किसी पद या स्थिति को धारण करने या इससे संबंधित कोई सरकारी कर्तव्य निभाने के अधिकार अथवा सामर्थ्य का अस्तित्व या प्रयोग किसी पंथ विशेष की आस्था या उसके व्यवहार पर निर्भर न हो।

हमारा संविधान तथा उसके अधीन बनाए गए कानून नागरिकों को उनके धार्मिक तथा पूरी तरह पृथक किए जा सकने वाले कानून और राजनीति के पथनिरपेक्ष क्षेत्रों के बीच सुखद और सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की खुली छूट देते हैं। किंतु, वे एक दूसरे के क्षेत्र का अनुचित अतिक्रमण करने की इजाजत नहीं देते। किसी विवाद के सिलसिले में, यह निर्धारण करना न्यायालयों का काम है कि किसी क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप उचित तौर पर और संविधान के अनुसार हुआ है अथवा नहीं, भले ही हस्तक्षेप किसी कानून के द्वारा ही क्यों हुआ हो।

किसी भी ऐसी चीज को जो अनिष्टकारी तथा शोषणकारी है, केवल इसलिए कानून के नियंत्रण से बाहर नहीं रहने दिया जा सकता कि धर्म की आड़ में उसका प्रदर्शन किया जाता है।

न्यायमूर्ति गजेन्द्रगडकर, धवन और बेग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्राचीन भारतीय समाज में पंथनिरपेक्षता का अनुसरण किया जाता था तथा उसी तरह से इसके प्रमाण इस्लामी

न्यायशास्त्र में भी मिलते हैं। न्यायमूर्ति वेग ने कहा, “पथनिरपेक्षता तथा मजहब के अदर जो सर्वोत्तम विशेषताएँ हैं उनका ‘सुमधुर सामजस्य तथा सश्लेषण’ संभव है।” पथनिरपेक्षता के सिद्धांत का निर्माण प्राचीन न्यायशास्त्र के आधार पर किया जा सकता है। केशवानन्द भारती के मामले में, न्यायमूर्ति वेग ने मनु तथा पाराशर से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहा-

हमारे प्राचीन न्यायविदों ने भी इन सिद्धांतों की पुष्टि की कि एक पीढ़ी को यह अधिकार नहीं है कि मूलाधारों के बारे में भी वह अपने विचार या कानून भावी पीढ़ियों पर लादे। वे न केवल विभिन्न समाजों में अलग अलग होते हैं बल्कि एक ही समाज या राष्ट्र की एक ही अथवा दूसरी पीढ़ी में भी भिन्न भिन्न होते हैं।

भारतीय संदर्भ में, पथनिरपेक्षता की किसी औपचारिक या निश्चित परिभाषा के अभाव में अनेक परस्परविरोधी निर्वचन संभव हैं।

पश्चिम के विपरीत, भारत में पथनिरपेक्षता का जन्म चर्च तथा राज्य के परस्पर संघर्ष के कारण नहीं हुआ। इसकी जड़े संभवतया भारत के अपने इतिहास तथा उसकी अपनी संस्कृति में विद्यमान हैं। हो सकता है कि वह उसके बहुलवाद का तकाजा हो या हो सकता है कि उसके पीछे संविधान निर्माताओं की यह इच्छा हो कि वे संख्या के भेदभाव के बिना, सभी समुदायों के प्रति न्यायोचित तथा निष्पक्ष व्यवहार करें। इसलिए, हमारी बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी ‘सैक्यूलरवाद’ का प्रयोग अक्सर केवल सांप्रदायिकता के विलोम के रूप में किया जाता है।

संविधान सभा ने जिस रूप में उद्देशिका को स्वीकार किया था उसके मूल पाठ में ‘पथनिरपेक्ष’ शब्द नहीं था। ‘समाजवादी’ शब्द की भाँति यह शब्द भी आपात स्थिति के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ‘गणराज्य’ से पूर्व एक अतिरिक्त विशेषण के रूप में जोड़ा गया। इस शब्द को इधर कुछ समय से ‘सर्व धर्म समभाव’ का अर्थ देने का प्रयास भी किया गया है यानी सभी धर्मों को एक समान समझना या सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना। धर्मनिरपेक्षता जो पहले सैक्यूलरिज्म का शब्दार्थ माना जाता था, अब मान्य नहीं रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि धार्मिक मामलों में राज्य संपूर्ण तटस्थता का आचरण करे। संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ में अब ‘पथनिरपेक्ष’ शब्द का प्रयोग किया गया है।

यही एक स्वाभाविक तथा एकमात्र संभव निर्वचन है, क्योंकि भारतीय स्थिति के ठोस तथ्यों ने पश्चिम की सैक्यूलरवाद की संकल्पना को पूर्णतया अनुपयुक्त बना दिया है। हमारे संदर्भ में पथनिरपेक्षता का केवल यही अर्थ है कि हमारा राज्य कोई मजहबी अथवा धर्मतंत्रवादी¹ राज्य नहीं है, राज्य का इस रूप में अपना कोई पंथ, मजहब या संप्रदाय

1. धर्मतंत्रवादी (Theocratic)

नहीं है, इसकी नजरो में सभी पथ बराबर हैं और यह पंथ के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विभेद नहीं करेगा।

न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर ने भारतीय संविधान की पथनिरपेक्षता की परिभाषा करते हुए इसका अर्थ यह बताया है कि सभी नागरिकों को नागरिकों के रूप में समान अधिकार प्राप्त हैं तथा इस मामले में उनका पंथ या मजहब पूर्णतया अप्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि राज्य किसी पथ विशेष के प्रति आसक्ति नहीं रखता; यह अधार्मिक या धर्मविरोधी नहीं होता, यह सभी पंथों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। “भारतीय पंथनिरपेक्षता ने” धर्म के युक्तियुक्त कार्यों के बीच “तर्कसगत संश्लेषण” स्थापित करने का प्रयास किया। श्री एम.सी. सीतलवाड का भी यह विचार था कि पंथनिरपेक्ष राज्य के अधीन सभी नागरिकों के साथ एक-सा व्यवहार होना चाहिए तथा उनके धर्म के कारण उनके साथ भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए।

42वें संशोधन से पहले, ‘सैक्यूलर’ शब्द का एकमात्र जिक्र संविधान के अनुच्छेद 25(2) में आया था, जिसमें राज्य को धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी भी ‘लौकिक क्रियाकलाप’ का विनियमन या निर्बंधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। स्पष्ट है कि यहां पर ‘सैक्यूलर’ शब्द का प्रयोग ‘लौकिक’ के अर्थ में अथवा शुद्ध धार्मिक से भिन्न मामलों से संबंधित अर्थों में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में, जिसके द्वारा ‘पथनिरपेक्ष’ शब्द जोड़ा गया था, इसकी परिभाषा करने का प्रयास नहीं किया गया। किंतु यह महसूस किया गया कि इस शब्द का जोड़ा जाना केवल उस तथ्य का अनुमोदन तथा स्पष्टीकरण करना था जो, विश्वास किया जाता है कि, संविधान की बुनियादी विशेषता के रूप में पहले से विद्यमान था। केशवानन्द भारती तथा मिनरवा के मामलों में पथनिरपेक्षता को एक बुनियादी विशेषता बताया गया। इसके अलावा, यह मूल अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी में अंतर्निहित थी। *सेंट जेवियर कालेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य* के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1974 में निर्णय दिया कि भले ही संविधान में पथनिरपेक्ष राज्य की बात नहीं कही गई है, फिर भी इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता इसी तरह का राज्य स्थापित करना चाहते थे।

संविधान (45वां संशोधन) विधेयक में यह निर्धारित करने का प्रयास किया गया था कि संविधान के पथनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक स्वरूप को संविधान की एक बुनियादी विशेषता माना जाएगा। किंतु विधेयक को 44वें संशोधन के रूप में अधिनियमित किए जाने से पहले बुनियादी विशेषताओं की सूची को उसमें से निकाल दिया गया था। इसके अलावा उद्देशिका में ‘पथनिरपेक्ष’ शब्द प्रयोग करने के अलावा, हमारे संविधान में अन्य किसी भी जगह स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया कि धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाने दिया जाएगा या धार्मिक समस्याओं, निधियों और उपासना के स्थानों का प्रयोग राजनीतिक

उद्देश्यों के लिए नहीं करने दिया जाएगा। यह भी अभी तय नहीं हो पाया है कि कहां 'पंथ' शब्द का प्रयोग उचित होगा और कहां 'धर्म' का अथवा 'संप्रदाय' का।

शाह बानो के मामले में कानून-निर्माता रूढ़िवादी मुसलमानों के दबाव में आ गए और पंथनिरपेक्षता या सभी के लिए समान न्याय के संवैधानिक संबोध की मूल भावना के नितांत प्रतिकूल मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद के अधिकार का संरक्षण) अधिनियम, 1986 लाया गया ताकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द किया जा सके।

बोम्मई वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान में 3 भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी को ठीक ठहराया और कहा कि पंथनिरपेक्षतावाद को संविधान का बुनियादी तत्व माना जाना चाहिए। भाजपा सरकार वाले तीनों राज्यों में पंथनिरपेक्षता को भारी आघात पहुंचा था।

जो भी हो, अब भारतीय संवैधानिक विधि में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द का एकमात्र प्रवर्तनीय निर्वचन वही होगा जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 25 तथा 28 से समझा जा सकता है। उद्देशिका के असंशोधित रूप में भी, अन्य बातों के साथ साथ, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता शामिल थी। दूसरे शब्दों में, इसमें सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का सत्यनिष्ठा के साथ वचन दिया गया था। भारत के सभी लोगों में प्रतिष्ठा तथा अवसर और बंधुता के सिद्धांतों द्वारा इसकी पुनः पुष्टि की गई थी।

संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र का सपना संजोया था जो धर्म, जाति, पंथ की समूची विविधताओं से परे होगा। वे धर्म के खिलाफ नहीं थे, किंतु वे आशा करते थे कि राजनीतिक एकता जुटाना संभव होगा और धार्मिक मतभेद राष्ट्र-निर्माण में बाधक नहीं बनेंगे। संविधान में एक ऐसी नयी समाज व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी जो सांप्रदायिक संघर्षों से मुक्त होगी तथा जिसका आधार होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें एक ऐसी राज्य व्यवस्था का निरूपण किया गया था जिसके अंतर्गत कानूनों में धर्म, जाति आदि के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में एक ऐसी 'पंथनिरपेक्ष' व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया जिसके अंतर्गत बहुसंख्यकों को राज्य की ओर से कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए या उन्हें कोई प्राथमिकता पाने का अधिकार नहीं दिया गया और अल्पसंख्यकों के 'धार्मिक अधिकारों' को अनेक प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया।

यह जरूरी दीख पड़ता है कि पंथनिरपेक्षता शब्द की स्पष्ट परिभाषा स्वयं संविधान में ही कर दी जाए, विद्यमान कानूनों को दृढ़ता से लागू किया जाए तथा और भी कड़ा कानून पास किया जाए ताकि कोई दल या व्यक्ति राजनीतिक प्रयोजनों के लिए धर्म का दुरुपयोग न कर सके।

[संविधान (80वां संशोधन) विधेयक, 1993 द्वारा संविधान में संशोधन करने के निष्फल प्रयास के बारे में तथा इस विषय की पूरी चर्चा के बारे में देखिए सुभाष सी. काश्यप, डीलिकिंग रिलिजन एंड पालिटिक्स, नयी दिल्ली, 1993]

लोकतंत्र

'समाजवाद' या 'पंथनिरपेक्षता' की भांति लोकतंत्र का भी विभिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न अर्थ लगाया है। शब्दिक दृष्टि से यूनानी शब्द 'demos' का अर्थ है, जनता और 'Kratos' का अर्थ है 'सरकार' या 'शासन'। इसलिए लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। इसके विपरीत है एक व्यक्ति के निरंकुश शासन वाली बादशाही या तानाशाही और चंद लोगों के शासन वाला कुलीनतंत्र। लोकतंत्र के बुनियादी लक्षण हैं कि प्रभुसत्ता लोगों में निहित हो, धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग या स्त्री-पुरुष के भेदभाव के बिना तथा आर्थिक, शैक्षिक या व्यावसायिक पृष्ठभूमि के स्तर के भेदभाव के बिना, कानून की नजरों में सभी बराबर हों और प्रत्येक व्यक्ति को इतना सक्षम समझा जाए कि वह उस तरीके से, जिसे वह उचित समझे, स्वयं पर शासन कर सके तथा अपने निजी कार्य-व्यापार का प्रबंध कर सके। लोकतंत्र में लोग स्वयं अपने स्वामी माने जाते हैं। उन्हें इस बात का अहस्तांतरणीय अधिकार होता है कि स्वयं पर शासन करें या अपने मनचाहे तरीके से तथा उन लोगों द्वारा शासित हो जिन्हें वे चुने।

लोकतंत्र इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि अनादि काल से मनुष्य सत्ता या सर्वोच्चता के लिए एक-दूसरे के साथ संघर्ष करता रहा है। लोकतंत्र संघर्ष का अपेक्षाकृत अधिक सभ्य तरीका प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यह संशस्त्र संघर्ष के तरीकों के स्थान पर विचार-विमर्श तथा समझाने-बुझाने के तरीकों को प्रस्तुत करता है। कारतूसों की पेटी का स्थान मतपेटी ले लेती है। हम एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और विचार-विमर्श करते हैं। हम अपने दृढ़ निश्चय, विचारों और तर्कों के बल पर एक-दूसरे को राजी करने और जीतने की कोशिश करने हैं।

प्राचीन भारतीय ग्राम-गणराज्यों तथा यूनानी नगर-राज्यों में, सभी नागरिक एक साथ इकट्ठे होकर शासन के मसलों का फैसला करते थे। इस प्रकार, लोग राज्य के मामलों का निर्णय करने में सत्ता का सीधे प्रयोग करते थे और इस प्रकार की राज्य व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जा सकता है। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता, दोनों ही चीजें लोगों में निहित होती हैं। किंतु राजनीतिक इकाइयों के आकार तथा उनकी आबादी में वृद्धि के साथ और अततः आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के आगमन के साथ ही राज्यों के मामलों पर चर्चा करने तथा आसानी से निर्णयों पर पहुंचने के लिए लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करना असंभव हो गया। इसके अलावा, विधान बनाने तथा राज्य

का प्रशासन करने की प्रक्रिया जटिल से जटिलतर होती गई। इसलिए, जल्दी ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सभी प्रकार की प्रणालियां विश्व भर में वस्तुतया समाप्त हो गईं। अलबत्ता, स्विट्जरलैंड के कुछ प्रदेश ऐसे बच गए जहां छोटे-से-छोटे प्रश्नों, जैसे क्या स्कूल बृहस्पतिवार को बंद होने चाहिए या क्या ब्रेड की कीमत बढ़ाई जानी चाहिए, आदि का निर्णय अभी भी आम जनमत द्वारा किया जाता है। अति महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों के संबंध में कुछ स्थानों पर जनमतसंग्रह कराया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ देशों (जैसे फ्रांस, आयरलैंड, जापान और स्विट्जरलैंड) के संविधानों में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिनके अंतर्गत संविधान संशोधन के लिए जनमतसंग्रह की व्यवस्था की गई है। लेकिन, वर्तमान समय में विभिन्न देशों में आम लोग अक्सर अपने प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए ही नियतकालिक अंतराल के बाद मतदान करते हैं। इस प्रकार, आधुनिक लोकतंत्र में परोक्ष प्रतिनिधित्व आवश्यक हो गया है, जिसके अंतर्गत शासन संचालन तथा कानूनों का निर्माण लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं।

इस प्रकार, लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता बन गई है, जिसे किसी भी संवैधानिक संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता, किंतु लोकतंत्र के अनेक रूपांतर हैं जिन्हें समान रूप से प्रतिनिधिक तथा उचित माना जा सकता है।

हमने प्रतिनिधिक ससदीय लोकतंत्र को अपनाया है। संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया कि भारी संख्या में देश के समस्त वयस्क लोगों को साक्षरता, संपत्ति, आयकर या स्त्री-पुरुष के किसी मानदंड के बिना मतदान का अधिकार देकर पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इस तथ्य की पुष्टि सार्वजनीन वयस्क मताधिकार के प्रावधानों से हो जाती है। 18 वर्ष तथा इससे ऊपर के सभी वयस्को—पुरुषों तथा स्त्रियों—को मतदान का अधिकार प्राप्त है [अनुच्छेद 326] और कार्यपालिका विधानमंडल के लोक-सदन के प्रति उत्तरदायी है [अनुच्छेद 75(3) तथा 164(2)]।

गणराज्यीय स्वरूप

‘गणराज्य’ की संकल्पना उस राज्य की प्रतीक है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, जिसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता और सभी सार्वजनिक पदों के द्वार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं। इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होता तथा राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। उसे सामान्यतया गणराज्य का राष्ट्रपति कहा जाता है। कूले के अनुसार, गणराज्यीय शासन प्रणाली जन-निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन प्रणाली होती है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के शब्दों में : “गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति जनता में, न कि राजा जैसे किसी एक व्यक्ति में निहित होती है।” इसलिए लोकतंत्रात्मक

गणराज्य से अभिप्राय मोटे तौर पर उस राज्य से होता है जिसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष तथा जन-प्रतिनिधियों की सरकार हो। मेडिसन ने फंडरलिस्ट में कहा है :

गणराज्य एक ऐसी शासन प्रणाली है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्तियां आम जनता से प्राप्त करती है, और वह उन व्यक्तियों द्वारा शासित होती है जो अपने पद सीमित अवधि के लिए, लोगों के प्रसादपर्यंत या अच्छे व्यवहारपर्यंत धारण करते हैं।

भारत एक गणराज्य है; इस विषय में उद्देशिका में जो उल्लेख किया गया है, वह बहुत ही व्यापक अर्थों में किया गया है। 26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही भारत डोमिनियन नहीं रहा तथा क्राउन के प्रति उसकी कोई राजनिष्ठा नहीं रही। संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जो एक नियत अवधि के लिए जनता के प्रतिनिधियों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। विधि की नजर में सभी नागरिक बराबर होते हैं; कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता और नस्ल, जाति, स्त्री-पुरुष या संप्रदाय के आधार पर किसी भेद के बिना सभी सार्वजनिक पदों के द्वार प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं।

राष्ट्रमंडल की सदस्यता : भले ही स्वाधीनता के बाद भी भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने का निर्णय किया, पर इसने प्रभुत्वसंपन्न राष्ट्र के रूप में या एक गणराज्य के रूप में अपनी स्थिति के बारे में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया या अपनी प्रतिष्ठा में किसी कमी का संकेत नहीं दिया। वास्तव में, राष्ट्रमंडल का ही रूपांतरण हो गया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से यह राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल बन गया। वह समान तथा पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्यों का एक स्वच्छंद संगम हो गया जिसमें क्राउन को केवल स्वच्छंद संगम के एक प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रमंडल ने विशिष्ट रूप से भारत की स्थिति को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार किया। नेहरू जी के शब्दों में नया राष्ट्रमंडल "स्वेच्छा से किया गया एक करार है" जिसे किसी भी समय "स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है।" इसलिए, राज्य के प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक या गणराज्यीय स्वरूप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र : मात्र राजनीतिक दृष्टि से कल्पित लोकतंत्र का अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को नियत समय पर होने वाले चुनावों में स्वच्छंद रूप से मतदान करने का अधिकार है। सभी लोकतंत्रात्मक चुनावों में 'एक व्यक्ति, एक वोट' के जिस सिद्धांत को लागू किया जाता है, उसका उद्गम इस तथ्य की स्वीकृति से हुआ है कि सभी व्यक्तियों के अधिकार समान हैं चाहे वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं या निरक्षर, विशेषज्ञ हैं या टेक्नोक्रेट, उद्योगपति हैं या श्रमिक। किंतु हमारे संविधान निर्माताओं की दृष्टि में लोकतंत्र का अर्थ राजनीतिक लोकतंत्र या नियत समय पर लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों

को चुनने के लिए मतदान करने का अधिकार मात्र नहीं है। सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के बिना भारत जैसे गरीब देश में राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। डा. अंबेडकर के अनुसार, सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र वास्तविक उद्देश्य तथा अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब उसका सदुपयोग आर्थिक लोकतंत्र के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने बाद में विचार व्यक्त किया था कि उनकी कल्पना का लोकतंत्र लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन मात्र है। लक्ष्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा उत्तम जीवन मिले जिसमें कुछ हद तक आवश्यक आर्थिक जरूरतों की पूर्ति हो। जिस परिमाण में लोकतंत्र आर्थिक समस्याओं को हल करने में सफल होता है, उसी परिमाण में वह राजनीतिक क्षेत्र में भी सफल होता है। यदि आर्थिक समस्याएं हल नहीं होती तो राजनीतिक ढांचा कमजोर होता जाता है तथा टूट जाता है। इसलिए, हमें राजनीतिक लोकतंत्र से आर्थिक लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहिए, जिसका अर्थ है, “कुछ हद तक समस्त लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाए।” इसे कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। किंतु इसका अर्थ यह भी है, “आर्थिक क्षेत्र में कुछ हद तक अवसर की समानता के लिए कार्य किया जाए।” इस बात को उद्देशिका के इन शब्दों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि गणराज्य के सभी नागरिकों को ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय’ मिले।

न्याय

उद्देशिका में सभी नागरिकों को न्याय का आश्वासन दिया गया है। न्याय का अर्थ है, व्यक्तियों के परस्पर हितों, समूहों के परस्पर हितों के बीच और एक ओर व्यक्तियों तथा समूहों के हितों तथा दूसरी ओर समुदाय के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित हो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देशिका में न्याय को स्वतंत्रता, समानता और बहुता के सिद्धांतों से ऊंचा स्थान दिया गया है। न्याय की सकल्पना वस्तुतया अति व्यापक है। यह केवल सकीर्ण कानूनी न्याय तक सीमित नहीं जो न्यायालयों द्वारा दिया जाता है। हमारे न्यायालय, आखिरकार, विधि न्यायालय हैं। न्याय की परिभाषा या व्याख्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में की गई है। इसमें भी सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को राजनीतिक न्याय से उच्चतर स्थान दिया गया है।

सामाजिक न्याय से मतलब यह है कि सभी नागरिकों को समान समझा जाता है और जन्म, मूलवंश, जाति, धर्म, स्त्री-पुरुष, उपाधि आदि के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा का न्याय के मामलों में कोई लिहाज नहीं किया जाता। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के मामले में विभेद या निर्योग्यता का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह “ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक

और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके" लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में : "सामाजिक न्याय ने सदैव संवेदनशील व्यक्तियों को आकर्षित किया है। मेरे विचार में, मार्क्सवाद के प्रति करोड़ों लोगों का बुनियादी आकर्षण इसलिए नहीं था कि उसने वैज्ञानिक सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया बल्कि उसका कारण था सामाजिक न्याय के प्रति उसका गहरा लगाव।"

काम की मानवोचित दशाओ, प्रसूति सहायता, अवकाश, पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, न्यूनतम मजदूरी, बेगार के प्रतिषेध आदि से संबंधित समस्त प्रावधानों (अनुच्छेद 23 तथा 43) का लक्ष्य सामाजिक न्याय है।

आर्थिक न्याय में अपेक्षा की जाती है कि अमीरों तथा गरीबों के साथ एक-सा व्यवहार किया जाए और उनके बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया जाए। आर्थिक न्याय के उद्देश्य के अनुसरण में, अनुच्छेद 39 राज्य को निदेश देता है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों, समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बटवारा इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सिद्ध हो; आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उससे धन और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण सामूहिक हित के प्रतिकूल न हो, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले; स्त्रियों और बच्चों का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो और बच्चों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों की सुकुमार अवस्था की शोषण आदि से रक्षा की जाए।

वास्तव में संविधान के भाग 4 में विभिन्न अन्य अनुच्छेदों (अनुच्छेद 36 से 51) का लक्ष्य भी न्याय से अनुप्राणित एक नयी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस प्रकार, इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार का, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का, कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का, बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का, कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का और कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण आदि का उपबंध किया गया है।

राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि जाति, मूलवंश, संप्रदाय, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकारों में बराबर का हिस्सा मिले। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है और अनुच्छेद 325 तथा 326 में सभी वयस्कों को चुनावों में भाग

लेने के बराबर के अधिकार दिए गए हैं।

नेहरू तथा अंबेडकर जैसे संविधान निर्माताओं का यह स्पष्ट मत था कि आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय निरर्थक है। धर्म, जाति एवं संप्रदाय के भेदभावों से ग्रस्त हमारे समाज में आर्थिक न्याय तब तक काफी नहीं है जब तक उसके साथ सामाजिक न्याय जुड़ा हुआ न हो। डा. अंबेडकर ने कहा था :

26 जनवरी, 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता प्राप्त होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में हमें समानता प्राप्त नहीं होगी। राजनीति में, हम 'एक व्यक्ति एक वोट' और 'एक वोट एक मूल्य' सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में, हम, हमारे सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे के कारण, 'एक व्यक्ति एक मूल्य' के सिद्धांत को नकारते रहेगे।

स्वतंत्रता

'लिबर्टी' (स्वतंत्रता) शब्द लैटिन शब्द 'लिबर' से निकला है। इसका शाब्दिक अर्थ होगा बंधनमुक्ति, कारामुक्ति, दासता-मुक्ति, कृषि-दासता से मुक्ति या निरकुशता से मुक्ति। उदार पश्चिमी परंपराओं की कल्पना के अनुसार तथा अहस्तक्षेप के सिद्धांतों के संदर्भ में स्वतंत्रता अधिकांशतया एक नकारात्मक संकल्पना है। इसका अर्थ है व्यापार तथा उद्यम की स्वतंत्रता पर, व्यापार तथा कारोबार में अवसर की समानता पर, संविदा तथा प्रतियोगिता की स्वतंत्रता पर नियंत्रण का न होना। स्वतंत्रता की कल्पना इस प्रकार की गई थी कि उसमें व्यक्ति की कार्य-स्वतंत्रता में सरकार का हस्तक्षेप न हो। किंतु, हमारे संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता का अर्थ केवल नियंत्रण या आधिपत्य का अभाव ही नहीं है। यह "विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता" के अधिकार की सकारात्मक संकल्पना है। इसमें उन विभिन्न स्वतंत्रताओं का समावेश है जिन्होंने बाद में संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग में मूर्त रूप लिया तथा जिन्हें व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक समझा गया। मिसाल के लिए, अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है और अनुच्छेद 25-28 में विश्वास, धर्म और उपासना समेत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार समाविष्ट है। इस सकारात्मक अर्थबोध में स्वतंत्रता का अर्थ होगा किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। किंतु, 'स्वतंत्रता' तथा 'स्वेच्छाचार' (लाइसेंस) का अंतर स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का, जिस रूप में उसकी व्याख्या संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग में की गई है, विनियमन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे राज्य, लोक हित आदि की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए।

समानता

फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं का विश्वास था कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं। कानून चाहे किसी को बचाता है या सजा देता है, ऐसा उसे जन्म आदि के विभेद का लिहाज किए बिना ही करना चाहिए। इसके अलावा, सभी नागरिक केवल अपनी क्षमता, गुण और प्रतिभा के अनुसार सभी लोक पद, सम्मान और स्थान प्राप्त करने के लिए समान रूप से पात्र है।

राजनीतिविज्ञान के संदर्भ में 'समानता' का अर्थ यह नहीं है कि सभी पुरुष (तथा स्त्रियाँ) सभी परिस्थितियों में बराबर है। उनके बीच शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अंतर तो होंगे ही। हमारी उद्देशिका में केवल प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की सकल्पना का समावेश किया गया है। इसके कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू है। सभी नागरिक विधि की नजर में बराबर है और उन्हें देश की विधियों का समान रूप से सरक्षण प्राप्त है। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश तथा लोक नियोजन के विषय में धर्म, मूलवंश, जाति, स्त्री-पुरुष या जन्मस्थान के आधार पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई विभेद नहीं हो सकता। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने तथा शासन की प्रक्रिया में भाग लेने के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने का बराबर का हक है। आर्थिक क्षेत्र में समानता का अर्थ यह है कि एक-सी योग्यता तथा एक-से श्रमके लिए वेतन भी एक-सा होगा। इसके अलावा, एक व्यक्ति या एक वर्ग अन्य व्यक्तियों या वर्गों का शोषण नहीं करेगा। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की सकल्पना को अनुच्छेद 14 से 18 में ठोस आकार तथा रूप दिया गया है।

बंधुता

न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श तभी तक प्रासंगिक तथा सार्थक होते हैं जब तक वे भाईचारे की, भारतीय बंधुत्व की, एक ही भारतमाता के सपूत होने की सर्वसाक्षी भावना को बढ़ावा देते हैं और इसमें जातीय, भाषाई, धार्मिक और अन्य अनेक प्रकार की विविधताएं आड़े नहीं आतीं। सर्वसामान्य नागरिकता से संबंधित उपबंधों का उद्देश्य भारतीय बंधुत्व की भावना को मजबूत करना तथा एक सुदृढ़ भारतीय भाईचारे का निर्माण करना है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की जो गारंटी दी गई है और सामाजिक तथा आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो निदेशक सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य भी बंधुता को बढ़ावा देना है। इस संकल्पना को संविधान के नये भाग 4 (क) में विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है और उसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को, अन्य बातों के साथ साथ, यह कर्तव्य भी सौंपा गया है कि वे सभी धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गगत विविधताओं को

लांघकर भारत के सभी लोगो मे समरसता और सर्वसामान्य भाईचारे की तथा एक भारतीय परिवार से संबंध रखने की भावना को बढ़ावा दे। वास्तव मे, बंधुता की सकल्पना पंथनिरपेक्षता की संकल्पना से कहीं अधिक व्यापक है। यह धर्म तथा राजनीति के पृथक्करण, धर्म की स्वतंत्रता, सभी धर्मों के प्रति समान आदर आदि से कहीं आगे जाती है। दुर्भाग्यवश, न्यायविदो तथा न्यायाधीशों ने इस सकल्पना को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है। बंधुता के सिद्धांत को मान्यता देने की जरूरत के विषय मे बोलते हुए डा. अबेडकर ने संविधान सभा में कहा था :

बंधुता का अर्थ क्या है? बंधुता का अर्थ है सभी भारतीयों के सर्वसामान्य भाईचारे की, सभी भारतीयों के एक होने की भावना। यही सिद्धांत सामाजिक जीवन को एकता तथा अखंडता प्रदान करता है। इसे प्राप्त करना कठिन है।

बंधुता का एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी है जो हमे विश्व-बंधुत्व की सकल्पना 'वसुधैव कुटुंबकम्'—अर्थात् समूचा विश्व एक परिवार है—के प्राचीन भारतीय आदर्श की ओर ले जाता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 51 मे निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है।

व्यक्ति की गरिमा

बंधुता से व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने तथा बढ़ावा देने की आशा की जाती है। संविधान निर्माताओं के मन मे व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि स्वतंत्रता, समानता आदि के मूल अधिकारों की गारंटी करके तथा निदेशक तत्वों के रूप मे राज्य का ये दिशानिर्देश जारी करके कि वह अपनी नीतियों को इस प्रकार ढाले कि सभी नागरिकों को, अन्य बातों के साथ साथ, जीविका के पर्याप्त साधन, काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाएं और एक समुचित जीवन-स्तर उपलब्ध कराया जा सके, व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। अनुच्छेद 17 में दिए गए मूल अधिकार का उद्देश्य अस्पृश्यता के आचरण का अंत करना था, जो मनुष्य की गरिमा का एक अपमान था। अनुच्छेद 32 में ऐसा उपबंध किया गया कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन तथा अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय के पास भी जा सकता है।

राष्ट्र की एकता तथा अखंडता

व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र का निर्माण हो तथा इसकी एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। सर्वसामान्य भाईचारे तथा बंधुत्व की भावना के द्वारा ही हम अत्यधिक बहुवादी तथा पंचमेल समाज में राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने की

आशा कर सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के बिना, हम अपने आर्थिक विकास के प्रयासों में सफल नहीं हो सकते और न ही हम लोकतंत्र या देश की स्वाधीनता तथा देशवासियों के सम्मान की रक्षा करने की आशा कर सकते हैं। इसलिए, अनुच्छेद-51 (क) के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि वे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। कम-से-कम ऐसे मामलों में, जो राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के लिए खतरा बन सकते हों, सभी नागरिकों में यह आशा की जाती है कि वे सभी भेदभावों को भुलाकर तथा अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर उनका मुकाबला करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्र-निर्माण का कार्य असंभव हो जाता है।

निष्कर्ष

उद्देशिका में समाविष्ट विभिन्न संकल्पनाओं तथा शब्दों से पता चलता है कि हमारी उद्देशिका के उदात्त और गरिमामय शब्द भारत के समूचे संविधान के सारांश, दर्शन, आदर्शों और उसकी आत्मा का निरूपण करते हैं। संविधान के अन्य भाग तथा उपबंध उद्देशिका के शब्दों की एक व्याख्या तथा उन्हें ठोस रूप, विचार-तत्व और अर्थ प्रदान करने का एक प्रयास मात्र हैं। इसमें कोई अचभे की बात नहीं कि उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उद्देशिका में संविधान की कुछ ऐसी बुनियादी विशेषताएँ अंतर्निहित हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी संशोधन द्वारा भी बदला नहीं जा सकता।

किंतु यह लगता है कि उद्देशिका में प्रयोग में लाए गए 'समाजवादी', 'पथनिरपेक्ष' आदि शब्द बहुत ही अस्पष्ट हैं और संविधान में उनकी सही सही परिभाषा न होने के कारण हमारी राज्य व्यवस्था को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए उचित यही है कि एक संविधान संशोधन के द्वारा उनकी परिभाषा कर दी जाए।

संघ और उसका राज्य क्षेत्र

भाग 1, अनुच्छेद 1-4

अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में (i) राज्यों के राज्य क्षेत्र, (ii) संघ राज्य क्षेत्र, और (iii) ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, यथा भारत में पांडिचेरी, कारिकल, माही और यनम (फ्रांसीसी) और गोवा, दमण और दीव और दादरा तथा नागर हवेली (पुर्तगाली) जैसे फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जो भारत में उनके विधितः अंतरण के बाद 1962 में 14वें, 12वें और 10वें संविधान संशोधनों के द्वारा संघ में जोड़ दिए गए थे। [देखिए *अमरसिंह बनाम राजस्थान राज्य*, ए आई आर 1955 एस सी 504, *मस्तान सिंह बनाम मुख्य आयुक्त*, ए आई आर 1962 एस सी 797; और *हरिवंश बनाम महाराष्ट्र राज्य* (1971) 2 एस सी सी 54]।

राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन प्रथम अनुसूची में किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किया है कि किसी समय विशेष पर 'भारत का राज्य क्षेत्र' वह राज्य क्षेत्र है जो संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। (*अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य*, ए आई आर 1955 एस सी 504; *मस्तान सिंह बनाम मुख्य आयुक्त*, ए आई आर 1962 एस सी 797)।

संविधान सभा द्वारा अंगीकृत तथा संविधान में समाविष्ट प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की चार श्रेणियों यानी भाग क, भाग ख और भाग ग के राज्यों और भाग घ के राज्य क्षेत्रों का वर्णन था। भाग क में भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित थे। विधानमंडल सहित पांच देसी रियासतों को भाग ख में रखा गया था। भाग ग में पाच केंद्रशासित राज्य सम्मिलित थे। अदमान तथा निकोबार द्वीपों का उल्लेख भाग घ में किया गया था। संविधान लागू होने के बाद के वर्षों के दौरान भारत के मानचित्र में

काफी परिवर्तन हो गए। आंध्र अधिनियम, 1953 द्वारा भाषाई आधार पर आंध्र के एक पृथक राज्य का सृजन किया गया। अंततः संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के अधीन राज्यों के पुनर्गठन ने भाग क तथा भाग ख के राज्यों का अंतर समाप्त कर दिया। तत्पश्चात्, अनेक नये राज्यों का निर्माण किया गया, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इस समय अनुसूची में निम्नलिखित 25 राज्य तथा सात संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं :

राज्य : (1) आंध्र प्रदेश, (2) अरुणाचल प्रदेश, (3) असम, (4) बिहार, (5) गोवा, (6) गुजरात, (7) हरियाणा, (8) हिमाचल प्रदेश, (9) जम्मू-कश्मीर, (10) कर्नाटक, (11) केरल, (12) महाराष्ट्र, (13) मध्य प्रदेश, (14) मणिपुर, (15) मेघालय, (16) मिजोरम, (17) नागालैंड, (18) उड़ीसा, (19) पंजाब, (20) राजस्थान, (21) सिक्किम, (22) तमिलनाडु, (23) त्रिपुरा, (24) उत्तर प्रदेश, (25) पश्चिमी बंगाल।

संघ राज्यक्षेत्र : (1) अंदमान और निकोबार द्वीप, (2) चंडीगढ़, (3) दादरा और नागर हवेली, (4) दमण और दीव, (5) दिल्ली (अब इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र है) (6) लक्षद्वीप, (7) पांडिचेरी।

देश के नाम के विषय में संविधान सभा में काफी विस्तार से चर्चा की गई थी। जहां 'भारत' प्राचीन नाम था और वह देश की एकता तथा अखंडता की चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति को निरूपित करता था, वहां 'इंडिया' आधुनिक नाम था जिससे देश विश्व भर में जाना जाने लगा था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भी इसका नाम 'इंडिया' था और सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते इसी नाम से किए गए थे। अतः दोनो नामों के प्रबल पक्षधर थे। अंततः, भारत अर्थात् 'इंडिया' के नाम को एक शुभ समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

भारत एक 'संघ' है, इस बात पर बल देने का प्रयोजन इस तथ्य को प्रकाश में लाना था कि यह संघटक इकाइयों के बीच सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि यह संविधान सभा की एक स्पष्ट घोषणा है जिसने अपनी शक्ति तथा प्राधिकार भारत की प्रभुत्व संपन्न जनता से प्राप्त किया था। इसलिए, कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता और न ही अपनी मर्जी से संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। डा. अबेडकर ने संविधान सभा में कहा था :

अमरीकियों को यह सिद्ध करने के लिए गृहयुद्ध छेड़ना पड़ा था कि राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है तथा उनका फेडरेशन अविनाशी है। प्रारूपण समिति का विचार था कि इसे अटकलबाजी या विवाद के लिए छोड़ देने की बजाय बेहतर यही है कि इसे आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया जाए।

हमारा देश फेडरेशन है या नहीं—इस विषय में काफी विचार-विमर्श किया गया है।

(देखिए अध्याय 4 'संविधान की विशेषताएँ' के अतर्गत)।

अनुच्छेद 2 में उपबध किया गया है कि ससद, विधि द्वारा, ऐसे निबधनो और शर्तो पर जो वह ठीक समझे, भारत सघ मे नये राज्यो का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। 1974 तथा 1975 मे 35वे तथा 36वें संविधान संशोधनो द्वारा जिस नवीनतम राज्य को सघ में जोड़ा गया, वह था सिक्किम राज्य। ऐसा सिक्किम विधान सभा के अनुरोध पर और जनमत सग्रह के द्वारा सिक्किम के लोगो की स्वीकृति से किया गया था।

अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागो को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नये राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। वह किसी राज्य का क्षेत्र बढा या घटा सकती है और यहा तक कि किसी राज्य की सीमाओ में या उसके नाम मे परिवर्तन भी कर सकती है। इस प्रकार किसी राज्य की राज्य क्षेत्रीय अखडता अथवा उसके अस्तित्व के बने रहने की कोई गारटी नहीं है। लेकिन, इसके साथ ही, यह निर्णय दिया गया है कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने की ससद की शक्ति में भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को समर्पित करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है। (*बेरुबाडी के संबंध में सघ तथा बस्नियों का विनियम ए आई आर 1950 एस सी 845, 857*)। अत कहा जा सकता है कि भारत नाशवान राज्यों का अविनाशी सघ है।

किंतु, राज्यों को अनुच्छेद 3 के अतर्गत उनके राज्य क्षेत्रो में परिवर्तन के सबध मे अपनी बात कहने का अधिकार है। उनके इस अधिकार की रक्षा के लिए संविधान मे एक व्यावृत्ति-खड रखा गया है। पहली शर्त यह है कि इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, ससद के किसी भी सदन मे कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरे, यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओ या उसके नाम को प्रभावित करता हो तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार की राय राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अदर अदर व्यक्त की जानी चाहिए। बहरहाल, राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। (*बाबूलाल बनाम बर्बर्ड राज्य ए आई आर 1960 एस सी 51*)। -

अनुच्छेद 4 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नये राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओ आदि में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधिया अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के संशोधन नहीं मानी जाएंगी; अर्थात इन्हें बिना किसी विशेष प्रक्रिया के तथा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।

हालांकि संविधान में नये राज्य क्षेत्रों के अर्जन, नये राज्यों के प्रवेश तथा निर्माण आदि का उपबंध किया गया है, किंतु इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने या अंतरित करने का कोई उपबंध नहीं है।

राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की राय मांगे जाने पर, उच्चतम न्यायालय ने बेरुबाड़ी संघ ए आई आर 1960 एस सी 845 के सबंध में राय व्यक्त की कि संविधान सशोधन के बिना कोई राज्य क्षेत्र दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता। इसलिए, बेरुबाड़ी राज्य क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को अंतरित करने के लिए संविधान (नवां सशोधन) अधिनियम पारित किया गया था।

पिछले चार दशकों से अधिक अवधि के दौरान जिस आसानी के साथ भारत के मानचित्र को नया रूप दिया गया है, वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि संविधान में एक अनूठी सुनम्यता तथा लोच है और यह अनुच्छेद 2 और 3 तथा 4 की आवश्यकता तथा उनके औचित्य की पुष्टि करता है। दूसरी ओर, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बुद्धिमत्ता अथवा अबुद्धिमत्ता के सबंध में कड़े विचार व्यक्त किए गए। इसके अलावा राज्यों का और पुनर्गठन करने की मांगों का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला बन गया है और कुछ लोग इस पक्ष में हैं कि राज्य छोटे आकार के तथा और अधिक सख्या में होने चाहिए।

नागरिकता

भाग 2, अनुच्छेद 5-11

नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्यव्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान करती है। वह इसका प्रतीक है कि व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त है, राज्य के प्रति उसकी स्थायी निष्ठा है और वह राज्य द्वारा इस बात की आधिकाधिक स्वीकृति है कि उसे राजनीतिक प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। नागरिकता कतिपय दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। सभी लोक पदों के द्वार नागरिक के लिए खुले होते हैं। वह सभी लोक सेवाओं में भर्ती का पात्र होता है। मतदान करने का अधिकार तथा कतिपय मूल अधिकार केवल नागरिकों को सुलभ होते हैं और कर अदा करने, राष्ट्र की रक्षा करने आदि जैसे दायित्व नागरिकों के होते हैं। नागरिकता को व्यक्ति तथा राज्य के बीच कानूनी संबंध के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति व्यक्त करता है और राज्य व्यक्ति को अपना संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध का विनियमन राष्ट्रीय विधि करती है तथा उसे मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रदान करती है।

26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया तथा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 9 को तुरंत लागू कर दिया। इससे पहले भारतीय नागरिकता की कोई संकल्पना विद्यमान नहीं थी। उस समय तक, हममें से जो लोग ब्रिटिश भारत में रहते थे, क्राउन के अधीन थे और इस प्रकार ब्रिटिश प्रजा थे। उन पर ब्रिटिश राष्ट्रिकता कानून लागू होते थे और जो लोग देसी रियासतों के रहने वाले थे, उन्हें ब्रिटिश संरक्षण-प्राप्त व्यक्तियों का दर्जा प्राप्त था।

भारत के बंटवारे और बड़ी संख्या में लोगों के प्रवास ने नागरिकता के निर्धारण के लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर दीं। संविधान में नागरिकता से संबंधित उपबंधों यानी अनुच्छेद 5 से 11 ने संविधान प्रारूपण समिति को सबसे अधिक परेशान किया और उसके

अनेक प्रारूप तैयार करने तथा उसे अंतिम रूप देने में दो वर्ष से भी अधिक लग गए। फिर भी, संविधान में केवल इस संबंध में विधि निर्धारित की गई कि संविधान के प्रारंभ के समय कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसमें नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के तरीके के बारे में कोई उपबंध नहीं था। अनुच्छेद 11 में कहा गया था कि संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित कर सकती है। 1955 में पारित किए गए भारतीय नागरिकता अधिनियम में नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के बारे में विधि बनाई गई।

अनुच्छेद 5-8 के अंतर्गत 'प्रत्येक उस व्यक्ति' को नागरिकता प्रदान की गई जो संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था :

1. भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा—भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी;
2. अधिवासी, जो भारत में नहीं जन्मा, किंतु जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा था;
3. अधिवासी, जो भारत में नहीं जन्मा, किंतु जो पाच वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतया निवासी रहा था;
4. भारत का निवासी किंतु जी 1 मार्च, 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौट आया था;
5. पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई, 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु छह महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा था और जिसने विहित ढंग से पंजीकरण करा लिया था;
6. भारत के बाहर रहने वाला, किंतु जिसके माता-पिता में से कोई या पितामह-पितामही अथवा मातामह-मातामही में से कोई भारत में जन्मा था।

इस प्रकार, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के लिए (i) अधिवास के आधार पर (ii) पाकिस्तान से आए तथा वहां गए व्यक्तियों के लिए, और (iii) विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता के उपबंध समाविष्ट किए गए थे।

अधिवास: अधिवास किसी देश की नागरिकता के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। हालांकि भारत के संविधान में इस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी अधिवास का अर्थ, सामान्यतया व्यक्ति के उस आवास से होता है जहां वह स्थायी आधार पर रहने का इरादा रखता है। इस प्रकार, स्थायी आवास तथा वहां अनिश्चित काल के लिए रहने का इरादा 'अधिवास' के दो प्रमुख तत्व हैं (मो. राजा बनाम बंबई राज्य, ए आई आर 1966 एस सी 1436)। अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, संविधान के प्रारंभ

1. पुनर्वास अनुज्ञा (Resettlement Permit)

पर भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, उसका या उसके माता-पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ था, या वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है, तो वह भारत की नागरिकता का हकदार बन जाता है।

कोई व्यक्ति जन्म या आवास के आधार पर पूर्वोक्त अधिवास को बदल सकता है। इसके लिए वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने इस इरादे की घोषणा कर सकता है कि वह किसी अन्य देश में अनिश्चित काल तक रहना चाहता है। वास्तव में, नागरिकता का पता अधिवास से चलता है न कि अधिवास का नागरिकता से। अधिवास नागरिकता से भिन्न होता है क्योंकि उसका संबंध मुख्यतया राज्य क्षेत्र से होता है न कि उस समुदाय की सदस्यता से, जो नागरिकता के सिद्धांत के मूल में होती है (*अब्दुल रहमान बनाम बंबई राज्य*, ए आई आर 1964 पेटेट 384)। संविधान दोहरी नागरिकता को अस्वीकार करता है। इकहरी नागरिकता प्रदान करता है और उसका संबंध समूचे भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास से है न कि उसके किसी एक भाग में अधिवास से। संयुक्त राज्य अमरीका की भांति भारत में राज्य की कोई पृथक नागरिकता नहीं है। इसलिए, यह कहना ठीक नहीं है कि भारत का कोई नागरिक भारत संघ के किसी एक या दूसरे राज्य का अधिवासी होता है। उसका अधिवास केवल इकहरा अधिवास होता है अर्थात् भारत के राज्य क्षेत्र का अधिवास। (*प्रदीप जैन बनाम भारत संघ* ए आई आर 1984 एस सी 1420, 19843 एस सी सी 654)। -

पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्ति : अनुच्छेद 6 में संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उपबन्ध किया गया है। इस प्रकार के प्रवासियों में दो प्रकार के भेद किए गए हैं, अर्थात् जो 19 जुलाई, 1948, जब प्रवास के लिए परमिट सिस्टम शुरू किया गया था, से पहले भारत में प्रवास कर गए थे और वे जो उस तारीख के बाद आए थे। जो व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रवास करके भारत में आ गया था, उसे संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा बशर्ते उसके माता-पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम, 1935 में यथापरिभाषित भारत में जन्मा था और जो अपने प्रवास की तारीख से आम तौर पर भारत में रह रहा था। 19 जुलाई, 1948 के बाद प्रवास करने वाले की स्थिति में शर्त यह थी कि उसे भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो। किंतु इस दूसरी स्थिति में, किसी व्यक्ति को तब तक इस रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम-से-कम छह महीनों से भारत में न रह रहा हो।

पाकिस्तान को प्रवास करने वाले व्यक्ति : अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं जो 1 मार्च, 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास कर गए थे किंतु बाद में भारत लौट आए थे। यहां यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 मार्च, 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा, किंतु उन व्यक्तियों की दशा में अपवाद किया गया है जो भारत में पुनर्वास के लिए परमिट के आधार पर भारत लौट आए थे। ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक होने के हकदार बन गए थे यदि वे पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 6 के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। ऐसे मामलों में भी यह आवश्यक था कि प्रवास करने वाले व्यक्तियों की यात्राएं थोड़े या सीमित समय के लिए या कारोबार के लिए या अन्यथा अस्थायी स्वरूप की न हों। (*राज्य बनाम अमर सिंह*, एस आई आर 1955 एस सी 282, *अताउर-रहमान बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, ए आई आर 1951 नाग. 44)। यह याद रखना जरूरी है कि इस अनुच्छेद में उल्लिखित 'प्रवास' का अर्थ है संविधान के प्रारंभ से पूर्व प्रवास। उसके बाद की अवधि से संबंधित मामलों में नागरिकता अधिनियम, 1955 लागू होगा। इसके अलावा, 'प्रवापित' की परिभाषा इस अर्थ में की गई है जो स्वेच्छा से स्थायी या अस्थायी रूप में भारत से पाकिस्तान चला गया था (*कुलताहंल बनाम केरल राज्य*, ए आई आर 1966 एस सी 1974)।

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति : भारतीय मूल के अनेक व्यक्ति रोजगार के प्रयोजन के लिए या अन्यथा विदेशों में रह रहे हैं या वहां प्रवास कर गए हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत के ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों की रक्षा के लिए दूरदर्शिता से काम लिया और संविधान में उपबंध कर दिए। अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो या जिसके माता-पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम, 1935 में यथापरिभाषित भारत में जन्मा था और जो भारत के बाहर किसी देश में सामान्यतया निवास कर रहा है, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते उसके नागरिकता की प्राप्ति के लिए, विहित प्ररूप में, उस देश में भारत के राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक पंजीकृत कर लिया गया हो। इस प्रकार, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों की नागरिकता संबंधी भावी जरूरतों का ख्याल रखा गया है।

किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना : अनुच्छेद 9 में उपबंध किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो भारत की नागरिकता का उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। यह उपबंध

संविधान के प्रारंभ से पूर्व उत्पन्न होने वाले मामलों में लागू था किंतु संविधान के प्रारंभ के पश्चात उत्पन्न होने वाले मामलों में नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि यह निर्धारित करना भारत सरकार का काम है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता से वंचित हो गया है या नहीं और उसके बाद ही कोई राज्य सरकार उसके साथ एक विदेशी के रूप में व्यवहार कर सकती है। केवल यह तथ्य कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश से पासपोर्ट प्राप्त कर लिया है, उसे देश से निष्कासित करने या उस पर अभियोग चलाने का पर्याप्त आधार नहीं है। [कुलाथी मम्मू बनाम केरल राज्य, ए आई आर 1966 एस सी 1614, 1617; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रहमतुल्लाह (1971) 2 एस सी सी 113, 118, ए आई आर 1971 एस सी 1382; आंध्र प्रदेश सरकार बनाम सैयद मोहम्मद ए आई आर 1962 एस सी 1778; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रोशन (1969) 2 एस सी डब्ल्यू आर 232; गुजरात राज्य बनाम इब्राहीम, ए आई आर 1974 एस सी 645; अयूब खां बनाम पुलिस आयुक्त, (1965) 2 एस सी आर 884, मोइनुद्दीन बनाम भारत सरकार (1967) 2 एस सी आर 401; अकबर बनाम भारत संघ, ए आई आर 1962 एस सी 70, मध्य प्रदेश राज्य बनाम पीर मोहम्मद, ए आई आर 1963 एस सी 645; इजहार अहमद बनाम भारत संघ, ए आई आर 1962 एस सी 1052; अनवर बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1971) 3 एस सी सी 104]।

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना : अनुच्छेद 10 में उपबध किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अनुच्छेद 5 से 10 में किए गए उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि किसी नागरिक का नागरिकता का अधिकार, संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से, छीना नहीं जा सकता। (इब्राहीम वजीर बनाम बंबई राज्य, ए आई आर 1954 एस सी 229)।

अनुच्छेद 5 तथा 10 में प्रयुक्त पद 'प्रत्येक व्यक्ति' का निर्वचन इस प्रकार किया गया है कि उनके अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो मुकदमे के दौरान जेल में हों या जो कारावास की सजा भुगत रहे हों। (महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रभाकर, ए आई आर 1966 एस सी 429; सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ए आई आर 1978 एस सी 1675)। अनुच्छेद 33 के अधीन रहते हुए, सशस्त्र बलों के सदस्य भी इनमें शामिल हैं (पृथी बनाम भारत संघ, ए आई आर 1982 एस सी 1413)। कुछ समय तक इस विषय में काफी मतभेद बने रहे कि क्या निगम भी कानूनी व्यक्तियों के दायरे में आते हैं? किंतु नागरिकता अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि निगम नागरिक नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा

है कि निगम, अनुच्छेद 19 के अधीन अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। वे तो केवल नागरिकों के लिए हैं। [भारतीय व्यापार निगम बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (1964) 4 एस सी आर 99; टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लि. बनाम बिहार (1964) 6 एस सी आर 885]।

नागरिकता के अधिकार को विधि तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा विनियमित करने की संसद की शक्ति : अनुच्छेद 11 संसद को भारत की नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के संबंध में तथा उससे संबंधित सभी विषयों के संबंध में विधान अधिनियमित करने की निर्बाध शक्तियां प्रदान करता है। तदनुसार, संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया जिसमें नागरिकता के अर्जन तथा निरसन की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार, संविधान के प्रारंभ के बाद, नागरिकता के अधिकारों से संबंधित सभी मामलों का निपटारा इसके उपबंधों के अनुसार किया जाना है। बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में लोगों के गैर कानूनी तरीके से भारत में आ जाने के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए 1986 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन के परिणामस्वरूप भारतीय नागरिकता का अर्जन और भी कठिन हो गया है। मोटे तौर पर, मूल अधिनियम की संशोधित धारा 3 में उपबंध किया गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता केवल वही व्यक्ति अर्जित कर सकता है जिसके माता-पिता में से कोई जन्म के समय भारत का नागरिक था। इसके अलावा, इस अधिनियम में जन्म, उद्भव, रजिस्ट्रीकरण, देशीकरण द्वारा या गज्य क्षेत्र के समावेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए उपबंध किए गए हैं। इसी तरह, इसमें नागरिकता का स्वयं त्याग कर देने, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेने या भारत सरकार द्वारा कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण नागरिकता को समाप्त कर देने का उपबंध भी किया गया है। इस अधिनियम में राष्ट्रमंडल की नागरिकता के संबंध में भी विशिष्ट उपबंध किए गए हैं।

संक्षेप में, नागरिकता अधिनियम, 1955 में उपबंध किया गया है कि :

- क. 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, कुछ अपवादों, जैसे राजनयिकों तथा शत्रु विदेशियों के बच्चे, के अधीन रहते हुए, जन्म से भारत का नागरिक होगा;
- ख. 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति, कतिपय अपवादों के अधीन रहते हुए, भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक था;
- ग. कतिपय दशाओं में, कुछ श्रेणियों के व्यक्ति विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकते हैं;

- घ. विदेशी व्यक्ति, कतिपय शर्तों पर, नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देकर भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकते हैं;
- ड. यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत का अंग बन जाता है तो भारत सरकार आदेश द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि उसके परिणामस्वरूप कौन व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं;
- च. नागरिकता निरसन, कतिपय आधारों पर स्वेच्छा से त्याग दिए जाने या वंचित कर दिए जाने के कारण समाप्त हो सकती है,
- छ. राष्ट्रमंडल देश के किसी नागरिक को भारत में राष्ट्रमंडल नागरिक का दर्जा प्राप्त होगा। सरकार परस्परता के आधार पर उपयुक्त प्रावधान कर सकती है।

संविधान तथा इस विधि में नागरिकता के उपबन्धों के संबंध में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान निर्माताओं ने एकीकृत भारतीय राष्ट्र तथा संयुक्त बहुता का निर्माण करने के लक्ष्य को सामने रखकर इकहरी भारतीय नागरिकता का प्रावधान करने का निर्णय किया था। सभी नागरिकों के, चाहे उनका जन्म किसी भी राज्य में हुआ हो, बिना किसी भेदभाव के देश भर में एक से अधिकार तथा कर्तव्य हैं। किंतु जम्मू तथा कश्मीर, जनजातीय क्षेत्रों आदि के मामले में कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 16 के अधीन संसद को शक्ति दी गई कि वह किसी राज्य या संघ-राज्य क्षेत्र के अंदर निवास को उस राज्य या संघ-राज्य क्षेत्र के अधीन कतिपय श्रेणियों के रोजगारों के लिए आवश्यक अर्हता विहित कर सकती है।

मूल अधिकार

भाग-3, अनुच्छेद 12-35

जब संविधान सभा ने संविधान-निर्माण का काम अपने हाथों में लिया तो सबसे पहले एक अधिकार-पत्र¹ बनाने का विचार किया। संविधान निर्माता चाहते थे कि इस अधिकार-पत्र में भारत की विविध तथा समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के उन विशिष्ट मूल्यों एवं सकल्पनाओं का स्पष्ट रूप झलके जिनकी जड़े राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणाओं में समाई हुई थी। संविधान सभा तथा उसकी समितियों में विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद जल्दी ही एक व्यापक अधिकार-पत्र तैयार हो गया। डा. अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को "सर्वाधिक आलोचित भाग" कहा था। इस पर 38 दिना तक चर्चा हुई। उपसमिति में 11 दिन तक, सलाहकार समिति में 2 दिन तक और संविधान सभा में 25 दिनों तक विचार-विमर्श हुआ। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा² के ठीक बाद भारत के संविधान में अधिकार-पत्र का समावेश, विश्व के अन्य देशों की समकालीन लोकतन्त्रात्मक तथा मानवीय वृत्ति और संवैधानिक प्रथा के अनुरूप ही था। यह इस बात का प्रमाण था कि संविधान निर्माता सार्वभौम घोषणा में प्रतिपादित बुनियादी सिद्धांतों का समावेश करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कितने उत्सुक थे। इसके अलावा, अल्पसंख्यकों की विशेष समस्याओं तथा उन्हें उनके अधिकारों के पूरे पूरे संरक्षण का आश्वासन देने की जरूरत को देखते हुए हमारे संविधान में मूल अधिकारों का समावेश आवश्यक हो गया था।

भाग 3 में समाविष्ट मूल अधिकार, भाग 4 के निदेशक तत्व और बाद में जोड़े गए भाग 4 (क) के मूल कर्तव्य वास्तव में एक ही समूची व्यवस्था के अंग हैं जिसका मूल स्रोत है उद्देशिका। ये सभी एक साथ मिलकर वास्तव में मूलभूत मूल्यों को अभिज्ञापित

1 अधिकार-पत्र (Bill of Rights)

2. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights)

करते हैं तथा संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करते हैं। अतः उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा के आश्वासन को, जो वास्तव में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अंतर्निहित आधारभूत सिद्धांत हैं, भाग 3 तथा 4 के विभिन्न उपबन्धों के द्वारा लागू करने का प्रयास किया गया है। उद्देशिका में मानव की गरिमा के अनुरूप स्वतंत्रता एवं समानता के मूल्यों की घोषणा बहुत जोर से की गई है। आर्थिक तथा सामाजिक न्याय के आदर्शों द्वारा उन्हें और अधिक पूर्णता तथा स्थायित्व प्रदान किया गया है तथा और विशद रूप में मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्वों में प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्र की एकता तथा आम जनता के हितों के अनुरूप किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों के चार्टरों में से संभवतया सर्वाधिक विस्तृत चार्टर संविधान के भाग 3 में शामिल चार्टर है। इसके बारे में न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर ने कहा है, “यह संविधान द्वारा इस देश में लाई गई लोकतन्त्रात्मक जीवन-पद्धति की ठोस नींव तथा उसका अपरिहार्य अंग” है। (सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 845)। इन मूल अधिकारों में काफी हद तक वे सभी पारंपरिक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार आ गए हैं जो सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 2 से 21 में निर्दिष्ट हैं। न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार

ये मूल अधिकार वैदिक काल से इस देश के लोगों द्वारा सजाए गए आधारभूत मूल्यों का निरूपण करते हैं और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने तथा ऐसी दशाएँ उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त हैं, जिनमें प्रत्येक मानव अपने व्यक्तिगत विकास कर सकता है। ये मानव अधिकारों के बुनियादी ढांचे पर ‘गारटी का प्रतिरूप’ बुनते हैं और राज्य पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का इसके विभिन्न आयामों में अतिक्रमण न करने का वजनात्मक दायित्व आरोपित करते हैं (मनका गांधी बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 547)।

मूल अधिकारों की, मोटे तौर पर, छह श्रेणियों के अंतर्गत गारटी दी गई है, अर्थात्

1. समानता का अधिकार, जिसमें विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15), लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) और अस्पृश्यता तथा उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 17 और 18) शामिल है,
2. स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 21), और भाषण तथा अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम या मंच बनाने, भारत के किसी भाग में जाने और निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार और कोई पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार (अनुच्छेद 19) शामिल है,

1. नागरिक तथा राजनीतिक (Civil and Political)

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बलात् श्रम, बाल श्रम और मानव के दुर्व्यवहार का निषेध किया गया है (अनुच्छेद 23 तथा 24);
4. अतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25 से 28),
5. अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने तथा अपनी रुचि की शिक्षा सस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार (अनुच्छेद 29 तथा 30)
6. इन सभी मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

विधि के समक्ष समानता तथा सभी विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14), अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबन्ध में संरक्षण (अनुच्छेद 20), जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21), कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22), धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) जैसे कुछ मूल अधिकार सभी 'व्यक्तियों' को सुलभ हैं। किंतु कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है, जैसे धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15), लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) और भाषण तथा अभिव्यक्ति, सम्मेलन, सगम, सचरण, निवास और पेशे की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)।

मूलतया अनुच्छेद 19(1) (च) तथा अनुच्छेद 31 में राज्य के विधि के प्राधिकार से नाक प्रयोजन के लिए अनिवार्य अर्जन के अधिकार के अधीन रहते हुए संपत्ति का अधिकार अर्थात् संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और बेचने का अधिकार समाविष्ट था। किंतु जब संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (च) और सारे-के-सारे अनुच्छेद 31 का लोप कर दिया, तब से संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा।

प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अतःस्थापित अनुच्छेद 31 (क) तथा 31 (ख) और पच्चीसवें संशोधन द्वारा अतःस्थापित अनुच्छेद 31 (ग) का उद्देश्य संपदाओं के अर्जन का उपबंध करने वाली विधियों, नवम अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों तथा विनियमों और निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की रक्षा करना था।

अनुच्छेद 33-55 संसद को शक्ति देते हैं कि वह सैन्य बलों पर प्रयुक्ति के बारे में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में उपांतरण कर सकती है।

यह सच है कि भारत के संविधान में प्रतिष्ठित मूल मानव अधिकार अनेक परिसीमाओं तथा प्रतिबंधों से घिरे हुए हैं। इस आलोचना का उत्तर देते हुए कि मूल अधिकारों के साथ इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं कि उनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता और विशेष रूप

से उन आलोचको का उल्लेख करते हुए जिन्होंने अपने इस कथन के समर्थन में अमरीकी संविधान का सहारा लिया था कि मूल अधिकार तब तक मूल अधिकार नहीं होते जब तक वे 'निर्बाध' न हों, डा. अंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में कहा था :

मूल अधिकारों के बारे में सारी-की-सारी आलोचना गलतफहमी पर आधारित है। पहली बात यह है कि मूल अधिकारों तथा अमूल अधिकारों के बीच विभेद करने के विषय में जो आलोचना की गई है, वह ठोस तर्कों पर आधारित नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि मूल अधिकार निर्बाध हैं और अमूल अधिकार निर्बाध नहीं हैं। दोनों में वास्तविक अंतर यह है कि अमूल अधिकार पक्षकारों के बीच समझौते द्वारा उत्पन्न होते हैं जबकि मूल अधिकार विधि की देन हैं। क्योंकि मूल अधिकार राज्य की देन हैं, इसलिए इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य उन्हें सीमित नहीं कर सकता। दूसरे, यह कहना गलत है कि अमरीका में मूल अधिकार 'निर्बाध' हैं—अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने आरक्षी शक्ति के सिद्धांत की कल्पना की और निर्बाध मूल अधिकारों की वकालत करने वालों का इस तर्क द्वारा खंडन किया कि प्रत्येक राज्य में आरक्षी शक्ति अंतर्निहित होती है जिसे संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप में प्रदान किए जाने की जरूरत नहीं होती। अंततः परिणाम में वास्तव में कोई अंतर नहीं होता। एक जिस काम को प्रत्यक्ष रूप से करता है, दूसरा उसे परोक्ष रूप से करता है। दोनों स्थितियों में, मूल अधिकार निर्बाध नहीं होते।

व्यक्ति को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, वे राज्य की कार्यवाहियों पर रोक या प्रतिबंधों के रूप में हैं। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश श्री पातजलि शास्त्री ने कहा था .

संविधान के भाग 3 का एकमात्र उद्देश्य यह है कि उसमें वर्णित स्वतंत्रताओं तथा अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि राज्य मनमाने ढंग से उनका अतिक्रमण न कर सके। (पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल बोस, ए आई आर 1954 एस सी 92)।

डा. एस. राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को 'हमारी जनता के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि' कहा था। स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के लिए अर्थात् कार्यपालिका एवं विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया।

अनुच्छेद 13 इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त उन सभी विधियों तथा कार्यपालिका के आदेशों को, जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, शक्ति-बाह्य और इस प्रकार की असंगति की मात्रा तक शून्य ठहराता है। इसके खंड 2 में कहा गया है :

राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

1. आरक्षी शक्ति के सिद्धांत (Doctrine of Police Power)

इसी प्रकार, इस अनुच्छेद में भारत के अतीत या वर्तमान से संबंधित सभी विधियों के न्यायिक पुनरीक्षण का उपबन्ध किया गया है, हालांकि संविधान के प्रारंभ से पूर्व किसी विधि के उपबन्धों के उल्लंघन में, जो भाग 3 के कारण से शून्य हो गई है, किए गए कार्यों पर भूतलक्षी प्रभाव से कोई असर नहीं पड़ता। (हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य, ए आई आर 1953 एस सी 287, आर. सी. कपूर बनाम भारत संघ, ए आई आर 1973 एस सी 106) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि निश्चय ही राज्य की कार्रवाई का आकलन व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह के अधिकारों पर उसके प्रवर्तन के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 12 के अधीन, 'राज्य' में शामिल हैं (i) भारत सरकार तथा संसद, (ii) प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, (iii) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगरपालिकाएँ, जिला मंडल, पंचायतें, सुधार न्यास आदि और (iv) अन्य प्राधिकारी। स्वभावतया अंतिम श्रेणी "अन्य प्राधिकारी" के कारण कुछ कठिनाइयाँ सामने आईं। किंतु, यह निर्णय किया गया है कि संविधान या कानून के द्वारा बनाए गए सभी प्राधिकारी, जिन्हें कानून द्वारा शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे राजस्थान विद्युत बोर्ड, कोचीन देवस्वम बोर्ड, सहकारी समिति आदि। इसी तरह जीवन बीमा निगम, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और वित्त आयोग को भी अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' माना गया है। (विद्युत बोर्ड, राजस्थान बनाम मोहन लाल, ए आई आर 1967 एस सी 1857; पी.बी.एन नंबूद्रीपाद बनाम कोचीन देवस्वम बोर्ड, ए आई आर 1956 एस सी 19; दुखाराम बनाम सहकारी कृषि संघ, ए आई आर 1961 एम पी 219, सुखदेव बनाम भगत राम, ए आई आर 1975 एस सी 1331)।

दूसरी ओर, उच्चतम न्यायालय ने सभाजित तिवारी बनाम भारत (ए आई आर 1975 एस सी 1329) के मामले में निर्णय दिया कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो एक असांविधिक किंतु समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, 'राज्य' नहीं है। एक अन्य मामले में, एक रजिस्ट्रीकृत समिति को अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए 'प्राधिकारी' माना गया था (अजय हसिया बनाम खालिद मुजीद, ए आई आर 1981 एस सी 487)।

रमन डी. शेटी बनाम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए आई आर 1979 एस सी 1628) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'प्राधिकरण' को अन्य प्राधिकारियों की श्रेणी में रखते हुए यह विचार प्रकट किया कि सरकार का कोई 'परिचरण' या 'अभिकरण', 'प्राधिकारी' या 'राज्य' माना जाएगा और इस प्रश्न की जांच करने के लिए कुछ कसौटियाँ भी निर्धारित कीं। मिसाल के लिए, न्यायालय इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या संबंधित निकाय अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में

है। क्या समूची ग-पूँजी सरकार की है? क्या उस निकाय का नियंत्रण सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों द्वारा किया जाता है और क्या वे सरकार के नियंत्रण में हैं? क्या राज्य उस निकाय पर अंदर तक तथा व्यापक नियंत्रण रखता है? या, क्या उसे राज्य द्वारा प्रदत्त या संरक्षित एकाधिकार प्रतिष्ठा मिली हुई है? और इसी प्रकार की अन्य कसौटियां निर्धारित की। वह सूची स्वयं में पूर्ण नहीं है किंतु न्यायालयों को प्रत्येक मामले का फैसला इस आधार पर करना है कि क्या संबंधित निकाय अनुच्छेद 12 के परिक्षेत्र के अंदर आता है? जहां तक 'न्यायपालिका' का संबंध है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भले ही न्यायालय को 'राज्य' माना जाता है फिर भी सक्षम अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेशों के खिलाफ उस न्यायालय को अनुच्छेद 12 के अधीन रिट जारी नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसे आदेशों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले नहीं कहा जा सकता। (नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए आई आर 1967 एस सी 1, एच.एम सी खार्ड की पुस्तक कांस्टीट्यूशनल ला आफ इंडिया, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 155 भी देखिए)।

समानता का अधिकार

विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण

संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति के इस मूल अधिकार का प्रतिपादन करता है कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और 'विधियों के समान संरक्षण' से वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त संरक्षण केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है बल्कि वह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। इसमें मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अतर्निहित इस सिद्धांत को समाविष्ट किया गया है कि "विधि के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी विभेद के विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं।" हमारे संविधान में प्रयोग में लाए गए दो पदों 'विधि के समक्ष समता' और 'विधियों का समान संरक्षण' में विधि के शासन और समान न्याय की अवधारणाएं सन्निहित हैं। 'विधि के समक्ष समता' पद में एकवचन में 'विधि' का वही अर्थ है जो 'डाइसी का विधि के शासन' या विधि की या न्याय की अवधारणा से था। दूसरी ओर, 'विधियों का समान संरक्षण' पद में बहुवचन में 'विधियां' शब्द स्पष्ट रूप से सांविधिक विधि का निर्देश करता है और उसके द्वारा किया गया प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि जो भी विधियां बनाई जाएं, उनमें बिना किसी विभेद के सभी को समान संरक्षण देने का उपबन्ध होना चाहिए। किंतु, उच्चतम न्यायालय ने अब तक ऐसा कोई विभेद नहीं देखा है। वास्तव में, मुख्य न्यायमूर्ति पातंजलि शास्त्री ने विचार व्यक्त किया है कि द्वितीय पद पहले पद का स्वाभाविक परिणाम है और उस स्थिति की कल्पना करना बहुत कठिन है जिसमें विधियों

1. विधि का शासन (Rule of Law)

के समान संरक्षण का उल्लंघन विधि के समक्ष समता का उल्लंघन नहीं होगा। (पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, ए आई आर 1952 एस सी 75)।

अनुच्छेद का अंतर्निहित मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि एक-सी परिस्थितियों वाले व्यक्तियों तथा चीजों के साथ प्रदत्त विशेषाधिकारों तथा आरोपित दायित्वों, दोनों के संबंध में एक-सा व्यवहार किया जाएगा। विधिया सभी पर एक-सी दशा में लागू की जानी चाहिए। (ए आई आर 1952 एस सी 75, बी.सी. एंड कंपनी बनाम भारत संघ, ए आई आर 1973 एस सी 106)। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विभिन्न वर्गों के लोगों की भिन्न भिन्न जरूरतों के संबंध में प्रायः पृथक पृथक व्यवहार की आवश्यकता होती है। (दास जे के अनुसार, चिरजी लाल बनाम भारत संघ, ए आई आर 1951 एस सी 41)। अतः विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के कारण वर्गीकरण करना अवश्यभावी हो जाता है। क्योंकि अनुच्छेद उन स्थितियों में लागू होता है जहां समकक्ष व्यक्तियों के साथ बिना किसी युक्तियुक्त आधार के भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाता है। जहां समकक्ष व्यक्तियों तथा असमकक्ष व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाता है, वहां यह लागू नहीं होता। इस प्रकार, यह केवल वर्गगत विधान¹ का निषेध करना है, युक्तियुक्त वर्गीकरण² का नहीं। किंतु, यह आवश्यक है कि वर्गीकरण 'मनमाना, कृत्रिम या अपवचक' नहीं होना चाहिए और किसी वास्तविक तथा मूलभूत विभेद पर आधारित होना चाहिए और उसका विधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ न्यायसंगत तथा युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। (आर के. गर्ग बनाम भारत संघ, ए आई आर 1981 एस सी 2138, प्रभाकर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए आई आर 1986 एस सी 210)। यह भूगोल या अन्य चीजों या व्यवसाय पर आधारित हो सकता है (शशि मोहन बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य, ए आई आर 1958 एस सी 194)। अनुज्ञेय वर्गीकरण को, विधिमान्य होने के लिए, वस्तुतया दो शर्तों को अवश्य पूरा करना चाहिए अर्थात् (i) वर्गीकरण एक ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण वैशिष्ट्य पर आधारित होना चाहिए जो व्यक्तियों या वस्तुओं को, जो एक समूह में रखी गई हों, समूह से बाहर रह गए व्यक्तियों या वस्तुओं से अलग दर्शाए; और (ii) वैशिष्ट्य का संबंधित कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। (पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, ए आई आर 1952 एस सी 75)। उसके बाद से अनेक मामलों में इस कसौटी का अनुसरण किया गया है जैसे चिरंजीलाल बनाम भारत संघ ए आई आर 1951 एस सी 41, बुढन चौधरी बनाम राज्य ए आई आर 1955 एस सी 191; रामकृष्ण डालमिया बनाम न्यायमूर्ति तेंदुलकर, 1958 एस सी 538; प्रबोध वर्मा बनाम उत्तर

1. वर्गगत विधान (Class Legislation)

2. युक्तियुक्त वर्गीकरण (Reasonable Classification)

प्रदेश राज्य (1984) 4 एस सी सी 251; राजपाल शर्मा बनाम हरियाणा राज्य (1985) सप्ली, एस सी सी 72, 75)।

ई.वी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (ए आई आर 1974 एस सी 555) के मामले में समानता की पारंपरिक संकल्पना को चुनौती दी गई और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के प्रति उस समय एक नये दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया जब न्यायमूर्ति चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने विचार व्यक्त किया :

समानता एक गतिशील संकल्पना है, जिसके कई पहलू तथा आयाम हैं और इसे पारंपरिक तथा अव्यावहारिक सीमाओं के भीतर 'बंद, ठूसा और सीमित' नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से, समानता निरंकुशता के प्रतिकूल है। वास्तव में, समानता और निरंकुशता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। एक का सबंध किसी गणराज्य में विधि के शासन से होता है जबकि दूसरे का सबंध एक निरंकुश राज्य की सनक तथा मनमानेपन से होता है। जहां कोई कार्य मनमाना होता है, वहां उसका अतर्निहित अर्थ यह होता है कि यह राजनीतिक तर्क तथा सवैधानिक विधि, दोनों तो बेमेल हैं और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने इस दृष्टिकोण से सहमति प्रकट करते हुए, अपनी ओर से तथा न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की ओर से विचार व्यक्त किया :

अनुच्छेद 14 में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है जो हमारी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मूल आधार है और जो उस वर्गविहीन समतावादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है, जिसके निर्माण के लिए हमने अपने आप से उस समय वादा किया था जब हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया। यदि हमें समानता के इस सिद्धांत के प्रति कट्टर आस्था तथा कमजोर निष्ठा के बीच चयन करना पड़े तो हम निस्संकोच कमजोर निष्ठा की बजाय कट्टर आस्था को तरजीह देंगे।

उन्होंने यह भी कहा :

समानता सबंधी खड का आशय वास्तविक तथा यथार्थ विषमताओं और विधायिका की मनमानी तथा निरंकुश कार्यवाहियों पर प्रहार करना है। विधायी असमानता या कार्यपालक विभेद में पूर्वाग्रह के सूक्ष्म अंतर, कठोरता के सूक्ष्म भेद और सैद्धांतिक सभावनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना समानता सबंधी खड के उद्देश्य तथा आशय के प्रतिकूल होगा। (एम. छगनलाल बनाम ग्रेटर बंबई नगरपालिका ए आई आर 1974 एस सी 2009, 2029 और 2039)।

बाद के निर्णयों में (मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ए आई आर एस सी 597; रामन दयाराम शेटी बनाम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ए आई आर 1979 एस सी 1628;

और अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब, ए आई आर 1981 एस सी 487) अनुच्छेद 14 के प्रति न्यायमूर्ति भगवती का दृष्टिकोण और भी स्पष्ट हो गया, जिसका न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित शब्दों में अनुमोदन किया :

अब इस बात को अच्छी तरह से तय मान लेना चाहिए कि अनुच्छेद 14 जिस चीज पर प्रहार करता है वह है निरकुशता, क्योंकि जो कार्रवाई निरकुश है, उसमें समानता का अभाव होना जरूरी है। न्यायालयों ने वर्गीकरण का जो सिद्धांत विकसित किया है, वह अनुच्छेद 14 का भाष्य नहीं है और न ही वह उस अनुच्छेद का उद्देश्य तथा लक्ष्य है। यह केवल इस बात का निर्धारण करने का एक न्यायिक सूत्र है कि प्रश्नाधीन विधायी या कार्यपालक कार्रवाई निरकुश है या नहीं और उसके द्वारा समानता का अतिक्रमण होता है या नहीं। यदि वर्गीकरण युक्तियुक्त नहीं है और ऊपर उल्लिखित दो शर्तों को पूरा नहीं करता तो प्रतिवादित विधान या कार्यपालक कार्रवाई स्पष्ट रूप से निरकुश होगी और वह अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी का उल्लंघन होगी। इसलिए, जहां कहीं भी राज्य की कार्रवाई में, चाहे वह विधायी या कार्यपालक हो या अनुच्छेद 12 के अंतर्गत किसी 'प्राधिकारी' द्वारा की गई हो, निरकुशता होती है तो अनुच्छेद 14 तुरंत सक्रिय हो जाता है और राज्य की ऐसी कार्रवाई को रद्द कर देता है (ए आई आर 1981 एस सी 487)।

इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नये दृष्टिकोण ने अनुच्छेद 14 के प्रवर्तन क्षेत्र का विस्तार कर दिया है और अब दूसरों की तुलना में किसी भेदभाव का आरोप लगाने की जरूरत नहीं रही (ए.एल. कालडा बनाम प्राजैक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन (1984) 3 एस सी 316, 328)। यह स्पष्ट है कि मनमानी तथा अनुचित कार्रवाइया स्वभावतया विभेदकारी तथा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली होगी।

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

जहां अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के संरक्षण की उद्घोषणा करता है, उत्तरवर्ती अनुच्छेद 15 से 18 ज्यादातर भारत के नागरिकों के संबंध में सामान्य सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ क्षेत्रों का निर्देश करते हैं।

अनुच्छेद 15 राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद न करे। इसमें शब्द 'केवल' का प्रयोग अर्थपूर्ण है। इनमें से किसी एक या अधिक आधारों पर तथा अन्य आधार या आधारों पर आधारित विभेद इस अनुच्छेद के द्वारा प्रभावित नहीं होगा (दत्तात्रेय बनाम बंबई राज्य, ए आई आर 1953 बी ओ एम 311), और न ही निवास पर आधारित विभेद अवैध होगा (देखिए डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत राज्य, ए आई आर 1955 एस सी 334)।

अनुच्छेद के खंड (2) में इस प्रतिषेध को विशेष रूप से लागू करने का उपबन्ध किया गया है। वह घोषणा करता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या (ख) पूर्णतया या भागतया राज्य-विधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। जाहिर है कि प्रतिषेध राज्य एवं साधारण जनता, दोनों की कार्रवाइयों पर लागू होता है।

अनुच्छेद 15 के खंड (3) तथा (4) में, विभेद न करने के सामान्य सिद्धांतों के अपवाद अंतर्निहित हैं। ये राज्य को क्रमशः स्त्रियों तथा बच्चों के लिए और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के कुछ वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं। समाज के इन वर्गों के संरक्षण के लिए कतिपय कानूनों की विधिमान्यता के संबंध में उच्चतम न्यायालय की उद्घोषणाएँ इन अपवादों की जरूरत तथा औचित्य को प्रचुर रूप में प्रमाणित करती हैं। (देखिए *युसुफ़ अब्दुल अजीज़ बनाम बर्बई राज्य* ए आई आर 1954 एस सी 321; *मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरईराजन*, ए आई आर 1951 एस सी 226)। किंतु, इन विशेष उपबंधों के बावजूद, यह निर्णय दिया गया है कि अनुच्छेद 14 के अधीन सामान्य प्रतिषेध ऐसे मामलों में भी लागू होगा, राज्य जो भी विशेष प्रावधान करे, वे मनमाने या अनुचित नहीं होने चाहिए। (देखिए *एन. वसुधरा बनाम मैसूर राज्य*, ए आई आर 1971 एस सी 1439)।

अनुच्छेद 15(4) ने जो सबसे बड़ी समस्या पैदा की, वह इस बात के निर्धारण के संबंध में है कि कौन व्यक्ति "सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग" है। इसका निर्धारण करने के लिए उचित मानदंड तैयार करने में, स्वभावतया अनेक कारक अपनी भूमिका निभाएंगे। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि अमुक वर्ग पिछड़ा है या नहीं, व्यक्ति की जाति एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती। *चित्रलेखा बनाम मैसूर* (ए आई आर 1964 एस सी 1823) के मामले में उसने निर्णय दिया कि हालांकि जाति किसी वर्ग के पिछड़ेपन का सुनिश्चय करने के लिए एक प्रासंगिक कारण है, किंतु इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो संबंधित प्राधिकारी को नागरिकों के किसी वर्ग के विशेष पिछड़ेपन का निर्धारण करने से रोकती हो, बशर्ते वह जाति के हवाले के बिना ऐसा कर सकता हो। एक और मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए जाति तथा निर्धनता, दोनों ही प्रासंगिक हैं। किंतु न तो अकेली जाति और न ही अकेली निर्धनता निर्धारण की कसौटी होगी। (कं.एस. जयश्री बनाम केरल,

ए आई आर 1976 एस सी 2381, *छोटे लाल बनाम उत्तर प्रदेश*, ए आई आर 1979 इला. 135 भी देखिए।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षणों का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है और हाल के वर्षों में राजनीतिक क्षेत्र में इसकी काफी चर्चा रही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अलावा विभिन्न पिछड़े वर्गों तथा समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए जाने के लिए बहुत दबाव डाला गया। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि बुनियादी तौर पर कोई भी आरक्षण विभेदकारी होगा क्योंकि इससे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और योग्यता को निम्न प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार बहुत से योग्य उम्मीदवारों को हताशा होगी। इसलिए किसी भी आरक्षण की विधिमान्यता की परख इस आधार पर की जा सकती है कि क्या यह किसी तर्कसंगत तथा प्रासंगिक मानदंड पर आधारित है?

उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर उन वर्गीकरणों का सकेत दिया है जो विभेदकारी होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय और उत्तराखंड क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के वास्तु राज्य के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए स्थानों का आरक्षण किया था। उच्चतम न्यायालय ने *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन* (ए आई आर 1975 एस सी 563) के मामले में निर्णय दिया कि हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए आरक्षण असंवैधानिक है किन्तु पर्वतीय तथा उत्तराखंड क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए विधिमान्य है। उसने विचार व्यक्त किया कि ये सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के उदाहरण हैं। उसने निर्णय दिया कि राज्य की 80 प्रतिशत जनसंख्या के लिए आरक्षण, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, अपने आप में सदृश वर्ग नहीं है। इसी प्रकार, उच्चतम न्यायालय ने राज्य की कुल जनसंख्या में जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जिलावार कोटा नियत करना विभेदकारी घोषित किया (*पी. राजेन्द्रन बनाम मद्रास* ए आई आर 1971 एस सी 2303)। किन्तु चट्टाला के मामले में, केरल राज्य के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय-वार स्थानों के आवंटन को विधिमान्य ठहराया गया। (*डी.एन. चट्टाला बनाम मेसूर*, एस आई आर 1971 एस सी 1762)। न्यायालयों के ताजा निर्णयों के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में कुछ जातियां भी शामिल की जा सकती हैं और उनके लिए आरक्षण किए जा सकते हैं।

लोक नियोजन में अवसर की समानता

अनुच्छेद 16 क खड (1) तथा (2) के अधीन भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता की गारंटी

दी गई है और किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में विभेद नहीं किया जा सकता या वह अपात्र नहीं होगा। किंतु उत्तरवर्ती खंड (3), (4), (4 क) और (5) में चार असाधारण स्थितियों का उपबंध किया गया है, जब अवसर की समानता के सामान्य नियम को तोड़ा जा सकता है। अतः, खंड (3) के अधीन, संसद को उस सीमा का विनियमन करने का अधिकार दिया गया है जहां तक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को खंड (1) तथा (2) में प्रतिपादित सामान्य सिद्धांतों से प्रस्थान करने की इजाजत होगी। इस अधिकार के आधार पर संसद ने लोक नियोजन (निवास संबंधी अपेक्षाएं) अधिनियम, 1957 पारित किया। उसके द्वारा किसी लोक नियोजन के लिए किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास के संबंध में कोई अपेक्षा विहित करने के लिए लागू सभी विधियों को निरसित कर दिया गया था और उपबंध किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह उस राज्य विशेष का निवासी नहीं है। किंतु इस अधिनियम में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के मामले में एक अपवाद किया गया था, जहां पर उन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के आधार पर पांच वर्ष से अनधिक की एक सीमित अवधि के लिए निवास संबंधी योग्यताएं विहित की गई थीं। *नरसिम्हा राव बनाम आंध्र प्रदेश* (ए आई आर 1970 एस सी 422) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम के एक भाग को यह विचार प्रकट करते हुए असंवैधानिक करार दे दिया कि संसद समूचे राज्य में, न कि उसके एक भाग में, निवास संबंधी योग्यता आरोपित कर सकती है।

अनुच्छेद 16 में दूसरे अपवाद के रूप में खंड (4) राज्य को "नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग" के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। किंतु यह खंड केवल एक समर्थकारी उपबंध है और इसमें कोई अधिकार या कर्तव्य अंतर्निहित नहीं है (*राजस्थान बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1968 एस सी 507)। लेकिन जैसा कि एन एम. थामस (ए आई आर 1976 एस सी 490) के मामले में निर्णय दिया गया, यह खंड (1) के अधीन प्रत्याभूत अवसर की समानता का एक सशक्त प्रकथन है, जिसका अर्थ है, एक ही वर्ग के कर्मचारियों के बीच समानता, न कि विभिन्न तथा स्वतंत्र वर्गों के सदस्यों के बीच समानता। अतः, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में, जो सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण असमर्थ होते हैं, अवसर की समानता का मूल अधिकार "राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व" के प्रयोजन के लिए पृथक वर्गीकरण को उचित ठहराता है। [*ए.बी.एस.के. संघ (रेलवे) बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1981 एस सी 298]।

अनुच्छेद 16(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एकमात्र शर्त यह है कि राज्य का समाधान हो जाना चाहिए कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग को सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और यह शर्त सेवाओं में प्रतिनिधित्व की केवल संख्यात्मक पर्याप्तता का नहीं बल्कि गुणात्मक पर्याप्तता का भी निरूपण कर सकती है। दूसरे शब्दों में, इन शक्तियों का नियुक्तियों के आरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि चयनात्मक पदों एवं पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण का उपबंध करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। [महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे बनाम रगाचारी, ए आई आर 1962 एस सी 36; भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक बनाम के.एस. जगन्नाथ (1986) 2 एस सी 679]। किंतु आरक्षण अनुचित नहीं होना चाहिए और उस सीमा तक आरक्षण नहीं किया जा सकता जो अनुच्छेद 16(1) में दी गई गारंटी को प्रभावहीन कर दे। देवदासम बनाम भारत संघ (ए आई आर 1964 एस सी 179) के मामले में जब उच्चतम न्यायालय से 'अग्रनयन नियम' की संविधानिता के संबंध में निर्णय देने के लिए आग्रह किया गया तो उच्चतम न्यायालय ने इस नियम को एक के मुकाबले चार के बहुमत से इस आधार पर अधिकारातीत करार दिया कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन राज्य सरकार में निहित शक्ति का इस प्रकार प्रयोग नहीं किया जा सकता जिससे कि पिछड़े से भिन्न अन्य वर्गों के सदस्य लोक नियोजन के विषयो में अवसर की युक्तियुक्त समानता से वंचित हो जाए। इसने घोषणा की कि एक ही वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक पदों का आरक्षण असंवैधानिक है क्योंकि इससे स्वभावतया अनुच्छेद 16(1) प्रभावहीन हो जाता है।

मडल आयोग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोपित 50 प्रतिशत की सीमा को ध्यान में रखते ए अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। मडल कंस के नाम से ज्ञात [इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 परि.(3) एस सी सी 217] मामले में, उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर, 1992 को अपने फैसले में 3 के मुकाबले 6 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) उसके खंड (1) का अपवाद नहीं है तथा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत पदों का आरक्षण समुचित है बशर्ते उनमें से जो समुन्नत हो गए हैं, उन्हें अर्थात् 'सपन्न वर्ग' को लाभान्वित होने वाली सूची से अलग कर दिया जाए; आरक्षण केवल प्रारंभिक नियोजन तक सीमित रहे, क्योंकि अनुच्छेद 16(4) पदोन्नतियों में किसी आरक्षण की इजाजत नहीं देता और कुल आरक्षित कोटा, कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर, 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रहना चाहिए। "नागरिकों के पिछड़े वर्ग" पद की संविधान में परिभाषा नहीं की गई है। लेकिन चूंकि अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक पिछड़ेपन पर बल दिया गया है, न कि आर्थिक पिछड़ेपन पर, इसलिए पिछड़े वर्ग की पहचान केवल और मात्र आर्थिक मानदंड के आधार

1. अग्रनयन नियम (Carry Forward Rule)

पर नहीं की जा सकती। अतः न्यायालय ने उस अधिसूचना को अवैध ठहरा दिया जिसके द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, जो आरक्षण की किसी वर्तमान योजना के अंतर्गत नहीं आते, 10 प्रतिशत अतिरिक्त पद आरक्षित करने का प्रयास किया गया था। दूसरी ओर, न्यायालय ने निर्णय दिया कि जाति बहुधा एक सामाजिक वर्ग हो सकती है। “यदि यह सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है तो यह अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए पिछड़ा वर्ग हो सकती है।” इसके अलावा, गैर हिंदुओं में भी अनेक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े व्यावसायिक समूह, पंथ और संप्रदाय अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि जो अनुच्छेद 15(4) के अधीन सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, वहीं अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़े वर्ग हैं। भले ही अनुच्छेद 15(2) तथा 16(2) में ‘जाति’ के विभेद का जिक्र एक प्रतिबिद्ध आधार के रूप में आया है और अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में ‘वर्ग’ शब्द का प्रयोग किया गया है, फिर भी बहुमत से दिए गए फैसले में कहा गया कि पिछड़े वर्गों की पहचान निश्चित रूप से अन्य व्यावसायिक समूहों, लोगों के वर्गों और अनुभागों के साथ साथ जातियों के संदर्भ में की जा सकती है। किंतु, इसमें कहा गया कि कतिपय क्षेत्रों के तकनीकी पदों, अनुसंधान तथा विकास संगठनों, चिकित्सा, इंजीनियरी और भौतिकी विज्ञानों तथा गणित के ऐसे ही अन्य पाठ्यक्रमों में विशेष अध्ययन या अति विशेष अध्ययन, तथा रक्षा सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों में आरक्षणों का उपबंध करना उचित नहीं होगा। शिक्षा में प्रोफेसरों, हवाई कंपनियों में पायलटों, आणविक तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोग आदि में वैज्ञानिकों तथा टेक्निशियनों जैसे उच्चतर पदों में भी आरक्षण उचित नहीं है।

अवसर की समानता के अनुच्छेद 16(1) और (2) में दिए गए सामान्य नियम के बावजूद 77वें संविधान संशोधन के द्वारा जून, 1995 में खंड (4) जोड़कर यह अनुबंध किया गया कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण कर सकेगा यदि उसकी राय में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण देश भर में लागू कर दिया गया है। क्योंकि तमिलनाडु में कुल आरक्षित स्थानों की संख्या 50 प्रतिशत से कहीं अधिक अर्थात् 69 प्रतिशत थी, ससद ने 76वां संविधान संशोधक पारित कर उसे वैधता देने का प्रयास किया है। इस संशोधन के द्वारा तत्त्व संबंधी तमिलनाडु के कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है।

लोक नियोजन में अवसर की समानता के सामान्य नियम का चौथा अपवाद अनुच्छेद 16 के खंड (5) में दिया गया है जिसमें उपबंध किया गया है कि विधि विहित कर सकती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य से संबंधित कोई पदधारी या उसके

शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो।

अस्पृश्यता का उन्मूलन

अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' का उन्मूलन करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण करने का निषेध करता है। यदि इसका आचरण किया जाएगा तो यह विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि साथ रहने वाले कतिपय मनुष्यों को कतिपय जातियों में उनके जन्म के कारण गंदा तथा अस्पृश्य माने जाने के अमानवीय आचरण को समाप्त किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रत्याभूत मूल अधिकार का प्रयोग व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा सकता है और राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि इस अधिकार का उल्लंघन न हो। (पीपल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ ए आई आर 1982 एस सी 1473)। साथ ही प्रत्येक नागरिक का यह सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार न हो। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में, जिसे बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का नाम दे दिया गया था, अपराधियों के लिए दंड का उपबन्ध है।

उपाधियों का अंत

अनुच्छेद 18 राज्य को, किसी व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी राष्ट्रिक हो, उपाधियां प्रदान करने का प्रतिषेध करता है। किंतु सेना तथा विद्या संबंधी विशिष्ट सम्मान के मामले में अपवाद किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन, भारत के नागरिक को भी किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने का प्रतिषेध किया गया है। खंड (3) में उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने हुए, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। और खंड (4) के अधीन, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

एक प्रश्न उठाया गया है कि विशिष्ट सराहनीय सेवा के लिए गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति द्वारा बरसों से भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री की जो असाैनिक उपाधियां दी जाती हैं, क्या वे संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करतीं? मामला न्यायालय के विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण कई वर्षों से इन उपाधियों

की घोषणा नहीं की जा रही थी। हालांकि बाद में स्थगन आदेश हटा लिए गए, पर जनवरी 1994 और 1995 में भी इनमें से किसी उपाधि की घोषणा नहीं की गई।

स्वतंत्रता का अधिकार

संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को विशिष्ट रूप से छह बुनियादी स्वतंत्रताओं अर्थात् भाषण और अभिव्यक्ति, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन, संगम बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आने-जाने, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये स्वतंत्रताएं नागरिक की हैसियत में अंतर्निहित नैसर्गिक अधिकार मानी गई हैं। (पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल बोस, ए आई आर 1954 एस सी 92, 95)। लेकिन न्यायालयों ने एक स्वतंत्र नागरिक के लोकतंत्रात्मक मूल्यों का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए इन स्वतंत्रताओं को सर्वांगीण नहीं माना है। न्यायालयों ने अपने निर्णयों में कहा है कि लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के लिए इनके साथ साथ अन्य अनेक स्वतंत्रताओं का होना भी आवश्यक है, भले ही अनुच्छेद 19 में उनका विशिष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है (मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ए आई आर 1978 एस सी 597)। मिसाल के तौर पर, जीवित रहने की स्वतंत्रता (जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 1973 एस सी 947), मतदान करने तथा चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता (एन.पी. पुन्नूस्वामी बनाम रिटनिंग ऑफिसर, ए आई आर 1952 एस सी 64, 71), प्रेस की स्वतंत्रता (बुजभूषण बनाम राज्य, ए आई आर 1950 एस सी 129), सरकारी कर्मचारियों का नौकरी में बने रहने का अधिकार (पी. बालकोटैया बनाम भारत संघ, ए आई आर 1958 एस सी 232, 238), हड़ताल करने का अधिकार (राधेश्याम शर्मा बनाम पी.एन.पी नागपुर, ए आई आर 1965 एस सी 311, 313), जानकारी प्राप्त करने का अधिकार (एल.के. कूलवाल बनाम राजस्थान राज्य ए आई आर 1988 राज. 2)।

राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध छह स्वतंत्रताओं के संरक्षण का अधिकार सभी नागरिकों को सुलभ है। किंतु यह कोई आत्यांतिक या असीमित अधिकार नहीं है क्योंकि जैसा कि न्यायमूर्ति दास ने कहा है, "बेहतर होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सामाजिक हित अन्य बृहत्तर सामाजिक हितों के अधीन हो।" (ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए आई आर 1950 एस सी 27)। अतः अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) तक राज्य को भारत की संप्रभुता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, या सदाचार के हितों में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए प्रोत्साहन के संबंध में उचित कानून बनाकर इस अधिकार के प्रयोग पर 'युक्तियुक्त' प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देते हैं। यह आवश्यक है कि कानून द्वारा जो भी

प्रतिबंध लगाए जाएं, वे युक्तियुक्त हों, मनमाने या सीमाविहीन न हों, और न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप इन्हें सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य की हो। (*खैरबाड़ी टी कंपनी बनाम असम राज्य*, ए आई आर 1964 एस सी 925)। प्रतिबंध जितना कड़ा होगा, उतना ही भारी दायित्व उसकी युक्तियुक्तता को सिद्ध करने का होगा (*सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, ए आई आर 1954 एस सी 728, 738)।

चूंकि संविधान में 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' पद की परिभाषा नहीं की गई है, इसलिए प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने गुणावगुण के आधार पर करना होगा। लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित प्रयोजन, उनके द्वारा जिन बुराइयों का उपचार किया जाना है, उनका विस्तार, आवश्यकता और अनुपात, उस समय प्रवर्तमान हालात और प्रतिबंधों की अवधि उसकी कसौटी बन सकते हैं (*मद्रास राज्य बनाम वी.जी. राव*, ए आई आर 1952 एस सी 196)। मानदंड वास्तव में लचीला है और वह प्रत्येक मामले में समय, स्थान और हालात के साथ बदलता रहता है। (*गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य* ए आई आर 1967 एस सी 1643, 1655)।

प्रतिबंधों की युक्तियुक्तता का निर्धारण अमूर्त तर्कों के आधार पर नहीं बल्कि वस्तुपरक ढंग से और उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से, जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, किया जाना चाहिए (*हनीफ़ कुरैशी बनाम बिहार राज्य*, ए आई आर 1958 एस सी 751)। विधि का प्रभाव ही वास्तव में इसकी युक्तियुक्तता की कसौटी बनता है; इसका उद्देश्य, चाहे अच्छा हो या बुरा, इस प्रयोजन के लिए कोई अर्थ नहीं रखता। और विधि के केवल मूलभूत उपबंध नहीं बल्कि "प्रक्रिया संबंधी उपबंध भी इसकी युक्तियुक्तता के निर्णय का अंग बन जाते हैं।" [एन.बी. खरे बनाम दिल्ली राज्य, ए आई आर 1950 एस सी 11; *किशनचन्द अरोडा बनाम पुलिस आयुक्त*, ए आई आर 1961 एस सी 705। प्रतिबंधों को अनुच्छेद 19 (1) के अधीन प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं और अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) द्वारा अनुज्ञात सामाजिक नियंत्रण के बीच एक उचित सतुलन बनाए रखना चाहिए। *द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, ए आई आर 1954 एस सी 224, 227]। राज्य नीति के निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को युक्तियुक्त ठहराया गया है (*बंबई राज्य बनाम एफ.एन. बलसारा*, ए आई आर 1951 एस सी 378, 328)।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के संचलन का एक अनिवार्य अंग है। लोकतंत्र का अर्थ है सहमति से किया गया शासन और जब तक राजनीतिक एवं अन्य विषयों पर चर्चा करने की स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक उस राज्य व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। अपने स्वाभाविक परिणाम के रूप में, इस पद में प्रेस की

स्वतंत्रता भी शामिल है। न्यायमूर्ति पातंजलि शास्त्री ने इसके आशय को संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट कर दिया है :

भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों का मूल आधार है, क्योंकि मुक्त राजनीतिक विचार-विमर्श के बिना कोई भी सार्वजनिक शिक्षा, जो लोकप्रिय शासन की प्रक्रिया के उचित रूप में चलने के लिए बहुत जरूरी होती है, संभव नहीं है। इतनी व्यापक स्वतंत्रता में उसके दुरुपयोग का जोखिम अतर्निहित हो सकता है। किंतु संविधान निर्माता संभवतया मैडिसन के, जो संघीय संविधान के प्रथम संशोधन की तैयारी में अग्रणी प्रेरणाशक्ति थे, इन विचारों से एकमत थे कि बेहतर यही है कि इसकी कुछ अहितकर शाखाओं को काट देने की बजाय उसे उसकी मर्जी से बढ़ने दिया जाए ताकि उन शाखाओं की स्फूर्ति को आघात न पहुंचे जो उचित फल देती है। (*रमेश थापर बनाम मद्रास गज्य*, ए आई आर 1950 एस सी 124,128)।

अनुच्छेद 19(1) (क) प्रत्येक भारतीय नागरिक को भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं है किंतु यह निर्णय दिया गया है कि यह अधिकार भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। “प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक तथा राजनीतिक समागम का मर्म है। न्यायालयों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखें और उन सभी विधियों या प्रशासनिक कार्रवाइयों को अविधिमान्य कर दे जो संवैधानिक समादेश के प्रतिकूल इसमें हस्तक्षेप करती हैं। [*एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्रा.) लि. बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1958 एस सी 578; *इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ* (1985) एस सी 641]।

इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक अपने विचारों, विश्वासों और दृढ़ निश्चयों को निर्बाध रूप से तथा बिना किसी रोक टोक के मौखिक शब्दों द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्रण के द्वारा अथवा किसी अन्य ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः किसी समाचार-पत्र पर अनर्गल सेसरशिप लगाना (*बृजभूषण बनाम दिल्ली*, ए आई आर 1950 एस सी 129) या उसे ज्वलंत सामयिक विषयों पर अपने या अपने सवाददाताओं के विचारों को प्रकाशित करने से रोकना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा (*वीरेंद्र बनाम पंजाब*, ए आई आर 1957 एस सी 896)। यह अधिकार नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही नहीं बल्कि इसकी सीमाओं के पार भी प्राप्त है। (*मेनका गांधी बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1978 एस सी 597 के मामले में न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार)।

किंतु, अनुच्छेद 19(2) के अधीन (i) राज्य की सुरक्षा, (ii) विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, (iii) लोक व्यवस्था, (iv) शिष्टाचार और सदाचार (v) न्यायालय की अवमानना,

(vi) मानहानि, (vii) अपराध के लिए प्रोत्साहन, और (viii) भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के हितों में या आधारों पर इस अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त सीमाएं या प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं।

राज्य की सुरक्षा : राज्य की सुरक्षा केवल 'लोक अव्यवस्था के गभीर तथा गुरुतर रूपों' की ओर संकेत करती है। दूसरे शब्दों में, विद्रोह, राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, बगावत आदि से राज्य की सुरक्षा को खतरा होने की बहुत संभावना हो सकती है। इसलिए ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति या ऐसे भाषण देना, जो लोगों को हत्या जैसे अपराध करने के लिए उकसाने या प्रोत्साहन देने वाले हो, अनुच्छेद 19(2) के अधीन प्रतिबंध लगाए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार होंगे (*बिहार राज्य बनाम शैलबाला देवी*, ए आई आर 1952 एस सी 329)। ऐसे प्रत्येक भाषण को, जिसमें राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर देने की प्रवृत्ति हो, दंडनीय बनाया जा सकता है (*सन्तोष सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन*, ए आई आर 1973 एस सी 1091)। हालांकि 'लोक व्यवस्था' को 1951 के संविधान संशोधन के द्वारा प्रतिबंध लगाने के आधार के रूप में शामिल कर दिया गया था, किंतु उसके साधारण उल्लंघन यथा गैर कानूनी सम्मेलन, दंगे, झगड़े आदि खंड (2) के विस्तार क्षेत्र से बाहर बने रहेंगे।

विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह आधार संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा इस दृष्टि से शामिल किया गया था कि भारत को लगातार तथा विद्वेषपूर्ण प्रचार के द्वारा होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। किंतु, इस आधार की यह कहकर आलोचना की गई है कि इसके द्वारा उस विनियमन का समर्थन किए जाने की संभावना है, जो सरकार की विदेश नीति की आलोचना पर भी रोक लगा सकता है।

लोक व्यवस्था : यह आधार भी रमेश थापर के मामले (ए आई आर 1950 एस सी 124) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए 1951 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उस निर्णय में कहा गया था कि लोक व्यवस्था के साधारण या स्थानीय उल्लंघन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के कोई आधार नहीं हैं। उस निर्णय में विचार व्यक्त किया गया था कि 'लोक व्यवस्था' पद के व्यापक लक्षणार्थ है और यह 'शांति की उस स्थिति' की ओर संकेत करता है "जो सरकार द्वारा प्रवर्तित आंतरिक विनियमों के परिणामस्वरूप राजनीतिक समाज के सदस्यों में व्याप्त है।"

शिष्टाचार तथा सदाचार : इन शब्दों के कोई स्पष्ट अर्थ विद्यमान नहीं है और इनके सबंध में अनुभव में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। जाहिर है कि इन शब्दों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के आधारों के रूप में मुख्यतया इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि समाज को दूषित तथा भ्रष्ट कार्यों या व्यवहार

से बचाया जा सके। भारतीय दंड संहिता की धारा 292-294 को, जिनके अंतर्गत अशिष्टाचार या अश्लीलता के विस्तार क्षेत्र का वर्णन किया गया है, यथावत बनाए रखा गया था क्योंकि "अश्लीलता के विरुद्ध विधि में केवल लोक शिष्टाचार तथा सदाचार को बढ़ावा देने की चेष्टा की गई है।" (रंजीत उदेशी बनाम महाराष्ट्र, ए आई आर 1965 एस सी 881)। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इंग्लैंड के आर. बनाम हिकलिन के मामले (ए आर 3 क्यू बी 360) में निर्धारित मानदंड का अनुसरण किया जिसमें लेडी चैटर्लेज लवर को अश्लील पुस्तक करार दिया गया था क्योंकि इसमें उन लोगों के दिमाग को, जो इसे पढ़ते हैं, भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति थी।

न्यायालय की अवमानना : प्रतिबंध लगाने के इस आधार को सम्मिलित करने का अंतर्निहित विचार न्यायालयों द्वारा उनकी अवमानना के लिए दंड देने के प्राधिकार को सुरक्षित रखना है। संविधान के अनुच्छेद 129 तथा 215 क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को उनकी अवमानना किए जाने के लिए दंड देने का अधिकार देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 129 के अधीन अवमानना की विधि को अनुच्छेद 19(2) के अधीन युक्तियुक्त ठहराया है (सी.के. दफ्तरी बनाम ओ.पी. गुप्ता ए आई आर 1971 एस सी 1132)। ई.एम.एस. नंबूद्रीपाद बनाम टी.एन. नांबियार (ए आई आर 1970 एस सी 2015) के मामले में न्यायालय ने टिप्पणी की कि भाषण की स्वतंत्रता हमेशा अभिभावी होगी सिवाय उस स्थिति के जहां न्यायालय की प्रत्यक्ष, विद्वेषपूर्ण या वास्तव में अवमानना की गई हो। कित्तु, खुशी की बात है कि हाल के वर्षों में न्यायालय ने अवमानना की विधि के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाया है (देखिए ए आई आर 1978 एस सी 727; ए आई आर 1970 एस सी 489)। एम.आर. पराशर बनाम फारुक अब्दुल्लाह (ए आई आर 1984 एस सी 615) के मामले में न्यायालय ने कहा :

किसी व्यवस्था या संस्था की सद्भावनापूर्ण आलोचना का मकसद उस व्यवस्था या संस्था के प्रशासन को अपने अंदर झांकने तथा अपनी सार्वजनिक छवि में सुधार लाने के लिए प्रेरित करना है। न्यायालय कोई ऐसी स्थिति ग्रहण नहीं करना चाहते कि उनकी आलोचना नहीं की जा सकती और उनके कामकाज में सुधार की कोई जरूरत नहीं है।

मानहानि : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी नागरिक को किसी व्यक्ति की मानहानि करने का हकदार नहीं बना देता। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को घृण, मजाक या तिरस्कार का पात्र बनाकर पेश करना मानहानि है। न्यायालयों ने इस धारा को संवैधानिक दृष्टि से विधिमान्य ठहराया है।

अपराध के लिए प्रोत्साहन : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का यह आधार भी 1951 में जोड़ा गया था। उच्चतम न्यायालय का मत है कि हत्या या

अन्य हिंसक अपराधों के लिए प्रोत्साहित करने से आमतौर पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अतः इस आधार पर लगाया गया कोई प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के अधीन विधिमान्य होगा। (*बिहार राज्य बनाम शैलबाला देवी ए आई आर 1952 एस सी 329*)। **भारत की संप्रभुता तथा अखंडता** : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का यह अधिकार 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ताकि कोई भी व्यक्ति भारत की अखंडता या संप्रभुता को चुनौती न दे सके या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के अध्येर्षण का प्रचार न कर सके।

सम्मेलन की स्वतंत्रता

सभाएं, जुलूस और प्रदर्शन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के सहज परिणाम हैं। केवल इसी प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा लोगों को सूचित, शिक्षित या प्रेरित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) (ख) भारत के सभी नागरिकों के लिए 'बिना हथियारों के शांतिपूर्वक समवेत होने का' अधिकार प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक सभाएं करने तथा प्रदर्शन करने और शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है (*बाबूलाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए आई आर 1961 एस सी 884*)। किसी सम्मेलन के लिए दो अंतर्निहित प्रतिबंध हैं, शांतिपूर्ण रहना और बिना हथियारों के होना। इसके अतिरिक्त, खंड (3) के अधीन, राज्य द्वारा 'भारत की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में' इस अधिकार पर विधि द्वारा ऐसे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो समय समय पर आवश्यक समझे जाए। अतः ऐसे सम्मेलन पर जिसे विधिविरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, विधिमान्यतः रोक लगाई जा सकती है और उसमें जमा लोगों को तितर बितर होने का आदेश दिया जा सकता है।

संगम की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(1) (ग) सभी नागरिकों को संगम तथा संघ बनाने के अधिकार की गारंटी देता है। किंतु अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन राज्य द्वारा 'भारत की संप्रभुता तथा अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में' युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार बनाए गए संगमों में राजनीतिक दल, समितियां, क्लब, कंपनियां, संगठन, साझेदारी फर्म, मजदूर संघ और वस्तुतया व्यक्तियों का कोई भी निकाय सम्मिलित होगा। युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, विध्यनुकूल प्रयोजनों के लिए संगम बनाने की पूरी स्वतंत्रता है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 19(1) (ग) का उदार निर्वचन करने पर भी यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि मजदूर संघों को हड़ताल करने के गारंटीशुदा अधिकार प्राप्त हैं। हड़ताल करने के अधिकार पर समुचित औद्योगिक विधान द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है (*आल इंडिया बैंक इंप्लाईज एसोसिएशन बनाम राष्ट्रीय औद्योगिक*

अधिकरण, ए आई आर 1962 एस सी 171)। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रायोजित संघ का सदस्य बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता (*रघुबीर दयाल बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1962 एस सी 283)। खंड (4) में 'सदाचार' शब्द का व्यापक अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि न केवल 'लोक सदाचार' बल्कि समस्त लोगों द्वारा 'सदाचार' का जो अर्थ समझा जाता है, वह भी इसके अंतर्गत आ जाए (*मनोहर बनाम महाराष्ट्र*, ए आई आर 1984 बंब. 47)।

सर्वत्र आने-जाने और निवास की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(1) के उपखंड (घ) तथा (ड.) के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक को "भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आने-जाने के अधिकार" और "भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने के अधिकार" की गारंटी दी गई है। वास्तव में, ये दोनों अधिकार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र की अभिन्नता पर बल देते हैं। कोई भी नागरिक भारत के किसी भाग की यात्रा कर सकता है या उसमें निवास कर सकता है। किंतु अनुच्छेद 19 के खंड(5) में "जनसाधारण के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए" विधि द्वारा उनमें से किसी के भी प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जाने का उपबंध है। जब कभी नागरिक के आने-जाने या निवास करने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनसे दोनों अधिकार प्रभावित होते हैं। आमतौर पर, इन अधिकारों द्वारा दिए गए सरक्षण का प्रयोग बाह्यकरण¹ या देशनिकाले² के उन आदेशों को चुनौती देने के लिए किया जाता है जिनसे दोनों स्वतंत्रताओं में कटौती हो जाती है। *एन.बी. खरे बनाम दिल्ली राज्य* (ए आई आर 1950 एस सी 211) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल इस कारण से यह आदेश अवैध नहीं हो जाता कि बाह्यकरण का आदेश कार्यपालिका के व्यक्तिपरक समाधान पर निर्भर करता है, और आक्षेपित अधिनियम में न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई उपबंध नहीं है। एक अन्य मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो विधि किसी नागरिक को केवल [पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन] परमिट संबंधी विनियमों के उल्लंघन के कारण दोषसिद्ध होने पर या इस प्रकार का उल्लंघन किए जाने का युक्तियुक्त संदेह होने पर, वस्तुतया नागरिकता से वंचित कर देने का कड़ा दंड देती है, उसे इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसने जनसाधारण के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया था (*इब्राहीम बाजेर मावत बनाम बंबई राज्य*, ए आई आर 1954 एस सी 229)। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंधों का जो उपबंध किया गया है,

1 बाह्यकरण (Externment)

2. देशनिकाला (Deportation)

उसमें अधिकांशतया आदिवासी जनजातियों को ध्यान में रखा गया है क्योंकि उनकी अलग संस्कृति, भाषा और रीति-रिवाज हैं। जिन क्षेत्रों में जनजातीय लोग रहते हैं, यदि उन क्षेत्रों में बाहरी लोगों को बेरोक-टोक आने दिया जाए तो उससे उनके हित खतरे में पड़ सकते हैं (देखिए *धनबहादुर घोरटी बनाम राज्य*, ए आई आर 1957 अनु. 61)।

वेश्याओं पर एक विशिष्ट क्षेत्र में अपना धंधा करने तथा विशेष क्षेत्रों में निवास करने या वहां से संचरण करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को विधिमान्य ठहराया गया है (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या, ए आई आर 1964 एस सी 416)। इसी प्रकार, अभ्यस्त अपराधियों पर लगाए गए निवास के प्रतिबंधों को न्यायालयों ने युक्तियुक्त ठहराया है (अरुपुषम बनाम मद्रास राज्य, ए आई आर 1953 मद्रास. 664)।

वृत्ति तथा व्यापार की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(1) (छ) के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। कारोबार करने के अधिकार में उसे किसी भी समय, जब उसका स्वामी चाहे, उसे बंद करने का अधिकार सम्मिलित है (*हाथीसिंह मैनुफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1960 एस सी 923)। अतः किसी भी नागरिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध कारोबार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। *एक्सेल वियर बनाम भारत संघ* (ए आई आर 1979 एस सी 25) के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब स्वामी अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी भी अदा नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में कारोबार को बंद करने की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति अविधिमान्य है। किंतु स्वतंत्रता के विभिन्न अधिकारों की भांति यह अधिकार भी निर्बाध नहीं है और राज्य “जनसाधारण के हितों में” इस अधिकार पर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मिसाल के तौर पर, नशीली दवाओं या शराब, मिलावटी खाद्य पदार्थों जैसी अहितकर, जोखिमभरी और खतरनाक चीजों का व्यापार या कारोबार करना या महिलाओं या बच्चों का अवैध व्यापार करना मूल अधिकार नहीं हो सकता।

अनुच्छेद 19 के खंड (6) के अधीन, राज्य को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह किसी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के बारे में एवं राज्य को कोई व्यापार या कारोबार, चलाने के, योग्य बनाने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताएं विहित कर सके। ऐसा करते समय नागरिकों को इस अधिकार से पूर्णतया अथवा अंशतया वंचित किया जा सकता है। वस्तुतया राज्य किसी व्यापार या कारोबार का पूर्णतया या अंशतया सभी नागरिकों का अपवर्जन करके, राष्ट्रीयकरण करने के लिए सक्षम है। एक्सेल वियर के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा राज्य के स्वामित्व पर बृहत्तर बल दिया जा सकता है, वहां उद्योगों के निजी स्वामित्व को भी

मान्यता दी जाती है और निजी उद्यम भारत के आर्थिक ढांचे का एक काफी बड़ा हिस्सा है। शेयरहोल्डरों वाली लिमिटेड कंपनियां बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों की मालिक हैं। लेनदारों तथा जमाकर्ताओं और अनेक अन्य व्यक्तियों का इन उपक्रमों के साथ लेनदेन होता है। समाजवाद ऐसे सभी व्यक्तियों के हितों की उपेक्षा करने की हद तक नहीं जा सकता (ए आई आर 1979 एस सी 36; न्यू बिहार बीडी लीव्स कंपनी बनाम बिहार, ए आई आर 1981 एस सी 679)। तिस पर भी राज्य के लिए इस बात को उचित ठहराने की जरूरत नहीं होती कि उसका व्यापार एकाधिकार एक 'युक्तियुक्त' प्रतिबंध है या वह सर्वसाधारण के हित में है (सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 1954 एस सी 728; पी.टी. सोसाइटी बनाम आर.टी.ए. ए आई आर 1960 एस सी 801)। असलियत यह है कि यदि राज्य सभी या कुछ नागरिकों का पूर्णतया या अंशतया अपवर्जन करके एकाधिकार के तौर पर या किसी नागरिक के साथ प्रतियोगिता करते हुए, कोई कारोबार चलाता है तो अनुच्छेद 19(1) (छ) के अधीन उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 20 के अधीन, संविधान ने अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा का ख्याल रखा है। इस अनुच्छेद को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि 44वें संशोधन में प्रावधान किया गया है कि इसे आपात स्थिति के दौरान भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता।

भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि¹ : अनुच्छेद 20 के खंड (1) के अनुसार, "किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो। वह उससे अधिक शास्ति² का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन लगाई जा सकती थी।" अतः विधानमंडल को भूतलक्षी प्रभाव से दांडिक विधियां बनाने का प्रतिषेध किया गया है। भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि के विरुद्ध यह संरक्षण इसके अधीन दोषसिद्ध किए जाने के भागी व्यक्ति को उन्मुक्ति प्रदान करता है (महाराष्ट्र बनाम के. के. सुब्रामनियन रामास्वामी, ए आई आर 1977 एस सी 2091), हालांकि निवारक निरोध के खिलाफ (प्रह्लाद बनाम बंबई ए आई आर 1952 बंब. 1) या किसी व्यक्ति से सुरक्षा की मांग करने के लिए (बिहार राज्य बनाम शैलबाला, ए आई आर 1952 एस सी 329) इस उन्मुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए

1. भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि (Ex-post Facto Law)

2. शास्ति (Penalty)

कि अनुच्छेद 20(1) के अधीन प्रदान किया गया संरक्षण केवल दंडिक अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामलों में लागू होगा किंतु यह विचारण² पर लागू नहीं होगा (*शिव बहादुरसिंह बनाम विंध्य प्रदेश राज्य* ए आई आर 1963 एस सी 394; *भारत संघ बनाम सुकुमन पायरे* ए आई आर 1966 एस सी 1206; *जी.पी. नय्यर बनाम राज्य* ए आई आर 1979 एस सी 602) और न ही किसी व्यक्ति को नागरिक दायित्व के लिए संरक्षण प्राप्त होगा (*ज्वाला राम बनाम पेप्सू राज्य*, ए आई आर 1962 एस सी 1246; *पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम एस.के. घोष*, ए आई आर 1963 एस सी 255 भी देखिए)। खंड 1 में 'शास्ति' शब्द का प्रयोग वास्तव में एक संकीर्ण अर्थ में किया गया है। इसका यह अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति जिस पर अपराध का अभियोग लगाया गया है, आरोप का दोषी पाया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप उसे कुछ 'भुगतान' करना होगा या उसे कुछ स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाएगा। [देखिए *शिवदत्त राम फतेहचन्द बनाम भारत* ए आई आर 1984 एस सी 1194; *आर.एस. जोशी बनाम अजीत मिल्स लि.* (1977) 4 एस सी 98]।

दोहरा जोखिम³ : अनुच्छेद 20 के खंड (2) में 'दोहरे जोखिम' का सिद्धांत समाविष्ट है, क्योंकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 'किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।' संरक्षण के प्रयोजन के लिए 'अभियोजित' और 'दंडित' शब्दों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। वास्तव में, इस सिद्धांत को विद्यमान भारतीय विधि में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है (देखिए, साधारण खंड अधिनियम की धारा 26, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300)। किंतु खंड (2) द्वारा प्रदत्त संरक्षण केवल न्यायालय या न्यायिक अधिकरण द्वारा दिए गए दंड के संबंध में लागू होता है। यह किसी व्यक्ति को उन कार्यवाहियों से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता जो न्यायालय के समक्ष नहीं हैं। अतः न्यायालय द्वारा अभियोजित और दोषसिद्ध सरकारी कर्मचारी को उसी अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत भी दंडित किया जा सकता है (*मोतीसिंह छगनसिंह बोधेला बनाम एस.डी. मेहता*, ए आई आर 1966 गुज. 233)। इस प्रकार, विभागीय रूप से दंडित व्यक्ति पर न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है (*वेंकटरमन बनाम भारत* 1954 एस सी 375)। इसके अलावा, चूंकि अनुच्छेद 20(2) का प्रवर्तन आपराधिक न्यायालय के समक्ष अध्यारोपण तक सीमित है इसलिए यह आपराधिक कार्यवाही के साथ साथ, निषेधाज्ञा का पालन न करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने पर रोक नहीं लगाता, क्योंकि सिविल न्यायालय की

-
1. दंडिक अपराध (Criminal Offence)
 2. विचारण (Trial)
 3. दोहरा जोखिम (Double Jeopardy)

कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही नहीं होती (बच्चा लाल बनाम लाल जी, ए आई आर 1976 इला. 393)।

स्वयं पर दोषारोपण का प्रतिषेध¹ : आपराधिक विधिशास्त्र की निर्णयन विधि के मानदंड के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है; अभियोग पक्ष को उसका दोष सिद्ध करना होगा। दूसरे, जिस व्यक्ति पर अपराध का अभियोग लगाया गया हो, उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बयान देने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत अनुच्छेद 20 के खंड (3) में अंतर्निहित हैं जिसमें निर्धारित किया गया है कि 'किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।' अभियुक्त व्यक्ति के इस विशेषाधिकार के तीन घटक हैं, अर्थात् उसे 'साक्षी होने की बाध्यता' के विरुद्ध और ऐसी बाध्यता के विरुद्ध जिसके परिणामस्वरूप उसे स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देना पड़े, संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त व्यक्ति को बाध्य होकर स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण करने अर्थात् ऐसा बयान देने के विरुद्ध, जो मामले को अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कम-से-कम अपने आप में संभव बना दे, संरक्षण प्राप्त है। इस संदर्भ में 'बाध्यता'² का अर्थ होगा 'विबाध्यता'³ (बंबई राज्य बनाम काठी कोलू ओषड़ ए आई आर 1961 एस सी 1808, 1816)। नन्दिनी सत्पथी के मामले (ए आई आर 1978 एस सी 1025) में न्यायालय ने निर्णय दिया कि "संबद्ध उत्तर, जो अभियुक्त को वस्तुतया अपराध के साथ जोड़ने की साक्ष्य की शृंखला में एक वास्तविक तथा स्पष्ट संबंध उपस्थित करते हैं, यदि अभियुक्त के मुंह से दबाव डालकर प्राप्त किए गए हों, वे अपराध में फंसाने वाले बन जाते हैं और अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हैं।" इस निर्णय ने बाध्यता के क्षेत्र का विस्तार कर दिया और कहा कि "बाध्य करके प्राप्त किया गया परिसाक्ष्य" प्रत्यक्षतया केवल शारीरिक भय या हिंसा द्वारा नहीं बल्कि मानसिक यातना, पारिस्थितिक दबाव, परिवेशी संत्रास, थका देने वाली पूछताछ, अत्याचारी तथा भयोत्पादक तरीकों आदि से प्राप्त किया गया परिसाक्ष्य होता है। न्यायालय ने पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उचित पालन के लिए कुछ दिशानिर्देश भी निर्धारित किए थे जैसे कि, अभियुक्त को यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि उसे उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले वकील को बुलाने का अधिकार है (नन्दिनी सत्पथी बनाम पी.एल. दानी, ए आई आर 1978 एस सी 1025)।

किंतु अनुच्छेद 20 का खंड (3) अभियुक्त को केवल एक विशेषाधिकार देता है जिसे, यदि वह चाहे तो छोड़ सकता है। किंतु जब वह अपनी इच्छा से स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य

-
1. स्वयं पर दोषारोपण का प्रतिषेध (Prohibition against Self Inerimination)
 2. बाध्यता (Compulsion)
 3. विबाध्यता (Duress)

देने के लिए तैयार हो तो इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता (*लक्ष्मीपत चौरसिया बनाम महाराष्ट्र, ए आई आर 1918 एस सी 938*)।

अभियुक्त को प्रदान की गई उन्मुक्ति सारवान पदार्थों की अनिवार्य प्रस्तुति या नमूना-लेखन, नमूना-हस्ताक्षर, अंगुलियों के निशान या शरीर के अनिवार्य प्रदर्शन या खून के नमूने देने की बाध्यता पर लागू नहीं होती (देखिए *दस्तगीर बनाम मद्रास राज्य, ए आई आर 1960 एस सी 756*)। इसके अलावा, कागजात प्रस्तुत करने की बाध्यता का केवल उस स्थिति में प्रतिषेध है जब वे आरोप के संबंध में अभियुक्त की व्यक्तिगत जानकारी को उजागर करते हों (*बंबई राज्य बनाम काठी कोलू ए आई आर 1961 एस सी 1808, 1816*)।

किसी अपराध के लिए अभियुक्त के परिसर की तलाशी के वारंट के तहत तलाशी और कागजात का अभिग्रहीत किया जाना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि तलाशी का वारंट एक पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता है और इसलिए तलाशी और अभिग्रहण संबंधित परिसर के अधिभोगी के कार्य नहीं माने जा सकते बल्कि वे एक अन्य व्यक्ति के कार्य होंगे जिसके सामने अधिभोगी प्रस्तुत होने के लिए बाध्य होता है और इसलिए, वे किसी भी स्थिति में उसके परिसाक्षी कार्य नहीं होते (*एम.पी. शर्मा बनाम सतीश 1954 एस सी 300, 306*)। यदि तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाही के फलस्वरूप कोई कागजात बरामद होते हैं तो उन्हें अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश किया जा सकता है क्योंकि इसे स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाना नहीं कहा जा सकता (*वी.एस. कुट्टन पिल्लै बनाम राम किशन, ए आई आर 1980 एस सी 185*)।

जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता का संरक्षण


संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा' उसके जीवन या उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी। प्रसिद्ध गोपालन मामले में, 'वैयक्तिक स्वतंत्रता' का अर्थ केवल व्यक्ति की देह या उसके शरीर से संबंधित स्वतंत्रता लगाया गया था। इसके अलावा, इसके अंतर्गत केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण आता है (*ए.कं. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए आई आर 1950 एस सी 27*)। लेकिन बाद में, इसके परिक्षेत्र का विस्तार कर दिया गया और विधायी कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण को भी इसमें समाविष्ट कर दिया गया तथा अनुच्छेद 19(1) में उपबंधित स्वतंत्रता के अधिकारों को, जो किसी व्यक्ति को वैयक्तिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, इसके अंतर्गत रख दिया गया। *मेनका गांधी बनाम भारत संघ* के मामले में, उच्चतम न्यायालय

ने वस्तुतया गोपालन केस को नामंजूर कर दिया और विचार व्यक्त किया कि न्यायालय को न्यायिक अर्थान्वयन की प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों के अर्थ तथा संदर्भ को क्षीण करने की बजाय उनके प्रभावक्षेत्र तथा परिक्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। उसने निर्णय दिया कि 'जीवित रहने' का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार भी उसके परिक्षेत्र में आता है (ए आई आर 1978 एस सी 597)। *फ्रांसिस कोरेली बनाम दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र* के मामले में न्यायालय ने इस विचार का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि जीवित रहने का अधिकार केवल पशु जैसे अस्तित्व तक सीमित नहीं है (ए आई आर 1981 एस सी 746)। न्यायालय ने यह भी कहा कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उन्हें मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार से वंचित करने के तुल्य है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है (*पीपल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1982 एस सी 1473)। आम तौर पर पटरीवासियों के केस के नाम से विख्यात केस में, उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि अनुच्छेद 21 में 'जीवन' शब्द में 'आजीविका' का अधिकार सम्मिलित है। उसने कहा कि यदि आजीविका के अधिकार को संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाता तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे उसके आजीविका के साधन से वंचित कर दिया जाए (*ओलगा टेल्लिस बनाम बंबई नगर निगम*, ए आई आर 1986 एस सी 180)।

उच्चतम न्यायालय के सामने जो विभिन्न मामले आए, उन सभी में हमेशा इसी उदार दृष्टिकोण तथा विचार को कायम रखा गया है। अतः यह निर्णय दिया गया है कि कर्जा अदा न कर पाने पर गरीब व्यक्ति को कारावास में डाल देना उसे उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित कर देने के तुल्य है (*जॉली जार्ज बर्घीज बनाम बैंक आफ कोचीन*, ए आई आर 1980 एस सी 470);

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधीन, बंधुवा मजदूरों की पहचान करना तथा उन्हें मुक्त कराना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि अनुच्छेद 21 की सीधी-सादी अपेक्षा को पूरा करने के लिए उनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाना चाहिए (*नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, ए आई आर 1984 एस सी 1099);

'जीवन' शब्द कारावास में शारीरिक अवरोध या परिरोध तक सीमित नहीं बल्कि इसका पशु जैसे अस्तित्व से कहीं ज्यादा महत्व है (*खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, ए आई आर 1963 एस सी 1295);



सर्विधान सभा के अध्यक्ष, श्री राजेन्द्र प्रसाद, सर्विधान पर हस्ताक्षर करते हुए।



पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। उनकी नाई गार है, कि एम प्रशी



सविधान सभा के सत्र के दौरान मोलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू



14-15 अगस्त 1947 की असीर्गात्रि में सपन्न सविधान सभा के सत्र में सपदार बलदेव सिन्हा,
पंडित त्रिवाङ्गलाल नेहरू और अन्य

‘एकांतता का अधिकार’ प्रत्येक मामले के घटनाक्रम की प्रक्रिया से होकर गुजरता है (गोविन्द बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए आई आर 1975 एस सी 1379); यह अधिकार चरित्रहीन स्त्री को भी प्राप्त है, और कोई भी उसकी एकांतता का अतिक्रमण नहीं कर सकता (महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुलकर नारायण, ए आई आर 1991 एस सी 207);

जब तक पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाने वाली निगरानी अपराधों को रोकने के लिए और कानून द्वारा विहित सीमाओं के दायरे में है, तब तक कोई व्यक्ति उसका नाम निगरानी रजिस्टर में शामिल किए जाने के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकता किंतु यदि उसकी अति हो जाए और वह विहित सीमाओं को पार कर जाए तो उसकी विधिमान्यता को अनुच्छेद 21 के अधीन वैयक्तिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत किसी नागरिक के एकांतता के अधिकार तथा अनुच्छेद 19(1) (च) के अधीन संचरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। (मलकसिंह बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 1981 एस सी 760);

हत्या के मामले में, युक्तियुक्त आधार के बिना, जमानत मंजूर करने से इकार करना अनुच्छेद 21 के अधीन वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित करने के तुल्य होगा (बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 1978 एस सी 527);

अनुच्छेद 21 का संरक्षण जेल में बंद दोषसिद्धों को भी प्राप्त है (डी.बी.एम. पटनायक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए आई आर 1974 एस सी 2092);

यदि एकांत परिरोध के कारण बंदी परस्पर सौहार्द से वंचित हो जाए, उनका संपर्क खत्म हो जाए और वे न किसी से बात कर सकें तथा न ही उनसे कोई बात कर सकें, तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा [सुनील बत्रा (एन ओ 1) बनाम दिल्ली प्रशासन ए आई आर 1978 एस सी 1575];

किसी बंदी की वैयक्तिक स्वतंत्रता पर केवल वही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो निवारक निरोध कानून द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत हैं; कोई भी अनधिकृत प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा (महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रभाकर पाडुरंग, ए आई आर 1986 एस सी 424);

‘विदेश यात्रा का अधिकार’ किसी व्यक्ति की ‘वैयक्तिक स्वतंत्रता’ का अंग है, जो कि एक व्यापक संकल्पना है (सतवंत सिंह बनाम सहायक पारपत्र अधिकारी, ए आई आर 1967 एस सी 1836),

सभी डाक्टरों का, चाहे वे सरकारी हों या गैर सरकारी, यह वृत्तिक दायित्व है कि वे घायल व्यक्ति की जान को बचाने के लिए उसे तुरंत डाक्टरी सहायता दें और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस द्वारा पूरी की जाने वाली कानूनी औपचारिकताओं की प्रतीक्षा

1. एकांतता का अधिकार (Right of Privacy)

न करे (परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ, ए आई आर 1989 एस सी 2039);

जब कोई अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए अनुतोष की मांग करता है, तब उसे स्वयं को किसी ऐसे प्रत्यक्ष, स्पष्ट और प्रकट कार्य तक सीमित रखना चाहिए जिससे उसके जीवन या समाज के अन्य लोगों के जीवन के अस्तित्व को खतरा है (रामशरण औत्रिन उपराशि बनाम भारत संघ, ए आई आर 1989 एस सी 549 तथा 552);

किसी व्यक्ति को अवमाननीय दशाओं में रहने के लिए विवश करना भी उसके प्राण ले लेने के बराबर है। उसके प्राण मृत्युदंड के निष्पादन के द्वारा नहीं बल्कि उसे उसकी सभी मानवीय योग्यताओं तथा गरिमाओं से वंचित करके एक धीमी तथा क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा हर लिए जाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाने से भी ज्यादा क्रूर है (शंकर बनर्जी बनाम दुर्गापुर प्राजैक्ट लि. ए आई आर 1988 कल. 136)।

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (ए आई आर 1992 एस सी 1858) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुच्छेद 21 के क्षेत्र का आगे और विस्तार कर दिया और शिक्षा के अधिकार को भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया। वस्तुतया न्यायालय ने चिकित्सा जैसे वृत्तिक क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा को भी मूल अधिकार घोषित कर दिया। किंतु बाद में मोहिनी जैन के मामले में न्यायालय ने अपने ही निर्णय को रद्द कर दिया और निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के अधीन, वृत्तिक डिग्री के लिए शिक्षा के मूल अधिकार का कोई उपबंध नहीं है। किंतु, पांच में से तीन न्यायाधीशों का विचार था कि 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार नागरिकों का मूल अधिकार हो सकता है [जे.पी. उन्नीकृष्णन तथा अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य तथा अन्य, आदि जजमेंट्स टुडे, 1993(1) एस सी 474]।

7 जून, 1993 को उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी सम्मिलित है। किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त कर देने का आदेश 'न केवल उसकी आजीविका बल्कि उसके आश्रितों के भविष्य तथा आजीविका' को भी खतरे में डाल देता है (डी.के. यादव बनाम जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लि.)।

गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण

लोगों को बिना मुकदमा चलाए कैद में डाल लेना औपनिवेशिक शासन में आम बात थी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रमुख मसला था। अनुच्छेद 22 के खंड (1) तथा (2) में निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया गया हो, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, उसे वकील से परामर्श करने

और बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा और उसे 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि निरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना, उसे वकील से परामर्श करने तथा बचाव कराने की इजाजत देना, उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना इस अनुच्छेद के अंतर्गत आज्ञापक अपेक्षाएं हैं [गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) एस सी आर 88; हंसमुख बनाम गुजरात राज्य, ए आई आर 1981 एस सी 28; मध्य प्रदेश राज्य बनाम शोभाराम, ए आई आर 1968 एस सी 1910; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अब्दुल समद, ए आई आर 1962, एस सी 1506]।

उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्टीकरण भी किया कि न्यायालय के आदेशों के तहत गिरफ्तारी, विदेशी को स्वदेश वापस भेजना और सिविल हेतुक के संबंध में गिरफ्तारी अनुच्छेद 22(1) तथा (2) के अंतर्गत नहीं आते [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अब्दुल समद, ए आई आर 1962 एस सी 1506; मधु लिमये वाला मामला, ए आई आर 1969 एस सी 104; पंजाब राज्य बनाम अजायब सिंह (1953) एस सी आर 254]। इसके अलावा खंड (1) तथा (2) किसी विदेशी या निवारक निरोध के मामलों पर लागू नहीं होते।

अनुच्छेद 22 के खंड 3 से 7, परंतुकों या अपवाद खंडों के रूप में हैं और वे किसी कानून के अधीन निवारक निरोध के मामलों में लागू होते हैं। परिभाषा के अनुसार निवारक निरोध किसी गैर कानूनी कार्य को रोकने के लिए होता है, न कि किसी गैर कानूनी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए। अनुच्छेद 22 संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार देता है जिसमें यह निर्धारित किया गया हो कि किसी व्यक्ति को किन परिस्थितियों में, किस वर्ग के मामलों में, अधिक-से-अधिक कितनी अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। उसमें सलाहकार बोर्ड की स्थापना और उसकी प्रक्रिया भी शामिल है। निवारक निरोध के अधिकार के संभावित दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण के रूप में कतिपय उपायों का उपबंध किया गया है। अतः निवारक निरोध को तीन महीने से अधिक अवधि के लिए विधि द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता, जब तक कि सलाहकार बोर्ड उसके लिए पर्याप्त कारण नहीं देखता और बहरहाल कानून में इस प्रकार के निरोध की अधिकतम अनुज्ञात अवधि का उपबंध होना ही चाहिए। निवारक निरोध के प्रत्येक मामले में निरुद्ध व्यक्ति को उसके कारणों से अवगत कराया जाएगा और उसे उसके निरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।

न्यायालयों ने किसी विधि के अंतर्गत, निवारक निरोध के यथार्थ मामलों को छोड़कर, विचारण के बिना निरोध के प्रति बड़ा गंभीर दृष्टिकोण अपनाया है। यदि कोई विधि

अयुक्तियुक्त या अनुचित पाई जाती है, तो उसे रद्द किया जा सकता है या यदि विधि के अधीन गिरफ्तारी तथा निरोध का कोई आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकता है [गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) एस सी आर 88; ए.डी.एम. बनाम शुक्ला ए आई आर 1976 एस सी 1207]।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 तथा 24 का उद्देश्य है कि मानव के अवैध व्यापार, बेगार और अन्य बलात श्रम, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन आदि के द्वारा शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाए। मानवों यानी स्त्रियों-बच्चों आदि का अवैध व्यापार, बलात श्रम आदि मानव की उस गरिमा के प्रतिकूल हैं जो कि उद्देशिका में प्रतिष्ठापित मूल सवैधानिक मूल्य है। पुरानी जमींदारी प्रथा में, असाभियों को कभी कभी अपने जमींदारों की मुफ्त सेवा करने के लिए विवश किया जाता था। इसे बेगार कहा जाता था। न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि भले ही कुछ मेहनताना क्यों न अदा किया जाए, वह श्रम बलात श्रम है (पीपल्स यूनियन बनाम भारत संघ, ए आई आर 1982 एस सी 1473)।

इसके पीछे समूचा उद्देश्य यह है कि राज्य या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश करने या किसी तरह से मानव देह का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में केवल एक अपवाद है जो राज्य को लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने की इजाजत देता है, जैसे, सैनिक सेवा या समाज सेवा जो धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के किसी विभेद के बिना सभी पर समान रूप से आरोपित की जानी चाहिए।

अनुच्छेद 24 कारखानों या खानों में या किन्हीं अन्य खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का विशिष्ट रूप से निषेध करता है। यह निषेध मानव अधिकारों सबंधी अवधारणाओं तथा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप है।

अनुच्छेद 22 तथा 23 को कार्यरूप देने के लिए कुछ कानून बना दिए गए हैं।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा गणराज्य अन्य बातों के साथ साथ पथनिरपेक्ष है। संविधान में पथनिरपेक्षता की अवधारणा धर्मविहीन या धर्मविरोधी अवधारणा नहीं है। इसका केवल यही अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान आदर तथा संरक्षण प्राप्त है, धर्म के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की पूर्ण तथा समान स्वतंत्रता की गारंटी प्राप्त है ("उद्देशिका" संबंधी अध्याय के अंतर्गत देखिए)। अनुच्छेद 25 से 28 में सभी व्यक्तियों को धर्म के सभी पक्षों में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी का उपबन्ध किया गया है।

अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 25 का उपबध है कि सभी व्यक्तियों को—न केवल नागरिकों को—अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का बराबर का हक होगा। किंतु धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। राज्य को छूट होगी कि वह धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी लौकिक गतिविधि को विधि द्वारा विनियमित करे और समाजकल्याण तथा सुधार के लिए या हिंदू मंदिरों आदि को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए उपबध करे। कृपाण धारण करना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा और इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए सिख, जैन और बौद्ध भी हिंदुओं में शामिल होंगे।

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि धर्म का प्रचार करने के अधिकार में बलात धर्म परिवर्तन का कोई अधिकार शामिल नहीं है क्योंकि इससे लोक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है (*स्टेनस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, ए आई आर 1977 एस सी 908)। आनन्द मार्ग के मामले में, सार्वजनिक जुलूस में घातक हथियारों तथा मनुष्य की खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य करने को अनिवार्य धार्मिक आचरण नहीं माना गया था और लोक व्यवस्था तथा सदाचार के हित में उस जुलूस पर रोक लगाना एक युक्तियुक्त प्रतिबंध माना गया था (*जगदीश्वरानन्द बनाम पुलिस आयुक्त*, ए आई आर 1984 एस सी 51)। इसी प्रकार बकरीद के मौके पर गो-वध को इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं माना गया है। इसलिए, लोक व्यवस्था के हित में विधि द्वारा इसका प्रतिषेध किया जा सकता है (*मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी बनाम बिहार राज्य*, ए आई आर 1958 एस सी 731)। धर्मचरण से जुड़ी जिन लौकिक गतिविधियों का विनियमन राज्य कर सकता है, उनका निर्वचन इस अर्थ में किया गया है कि वे धर्म के गैर जरूरी पक्ष हैं या मिसाल के लिए, वे धार्मिक संपत्तियों के लौकिक प्रशासन के मामले में हैं और अनिवार्य है कि उनके संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए [*रतिलाल बनाम बंबई राज्य* (1954) एस सी आर 1055; *रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य* ए आई आर 1972 एस सी 1586; *आयुक्त, एच आर ई बनाम लक्ष्मीन्द्र* (1954) एस सी आर 1005; *दिज्ञदर्शन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*, ए आई आर 1970 एस सी 181]।

धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 25 से प्रसूत अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा उनकी शाखाओं को यह मूल अधिकार देता है कि वे धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण कर सकते हैं, धर्म विषयक अपने कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, और उन्हें संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और प्रबंधन का अधिकार होगा। किंतु, संपत्ति का प्रशासन विधि

के अनुसार होना चाहिए। अनुच्छेद 25 के अधीन दिए गए अधिकारों की भांति, अनुच्छेद 26 के अधीन अधिकार भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन हैं, लेकिन वे अन्य मूल अधिकारों के अधीन नहीं हैं। अनुच्छेद 25 के अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार न्यायालयों ने धर्म के जरूरी तथा गैर जरूरी पक्षों के बीच विभेद किया है। यह निर्णय दिया गया है कि धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति के प्रशासन को विधि द्वारा विनियमित किया जा सकता है किंतु प्रशासन के अधिकार को पूरी तरह से छीना नहीं जा सकता [रतिलाल बनाम बंबई राज्य (1954) एस सी आर 1055; रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य, ए आई आर 1961 एस सी 1402; सरुप बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 1959 एस सी 850; नरेन्द्र बनाम गुजरात राज्य, ए आई आर 1974 एस सी 2092; राम बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 1981 एस सी 1576]।

अनुच्छेद 25 तथा 26, एक साथ, राज्य और धर्म के पृथक पृथक क्षेत्रों तथा भूमिकाओं की व्याख्या करते प्रतीत होते हैं। दोनों को अपने पथनिरपेक्ष और धार्मिक कार्यकलापों को चलाने की छूट है और दोनों एक-दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा अर्थात् यदि करों का इस्तेमाल सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह पथनिरपक्षता की अवधारणा के अनुरूप है और उसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव।

धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 28 पूर्णतया राज्य निधि से पोषित शैक्षिक संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा देने का पूर्णतया प्रतिषेध करता है। राज्य से मान्यता तथा सहायता-प्राप्त अन्य संस्थाओं के मामलों में, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता होगी।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 29 भारत में कहीं भी निवास करने वाले "नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है", उसे बनाए रखने के अधिकार की गारंटी देता है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या उससे सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा

संस्था में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं किया जा सकता।

हालाकि उपांतिक शीर्षक में 'अल्पसंख्यक वर्ग' पद का प्रयोग किया गया है, किंतु अनुच्छेद के पाठ में इसका कोई उल्लेख नहीं है और यह निर्णय दिया गया है कि यह अधिकार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को—चाहे वह अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक—प्राप्त है। (अहमदाबाद सेंट जेवियर कालेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य, ए आई आर 1974 एस सी 1389)।

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबंध करने का

अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंध का अधिकार होगा। 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए खंड 1(क) में उपबध किया गया है कि यदि किसी ऐसी संस्था की संपत्ति अर्जित की जाती है, तो उसका उचित तथा पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा ताकि इस अधिनियम द्वारा दिया गया अधिकार सार्थक बना रहे। खंड (2) में उपबध किया गया है कि सहायता देने के मामले में राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थाओं के साथ विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 30 पूर्णतया अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबद्ध है अर्थात् इसका आशय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह बहुत ही व्यापक है क्योंकि अनुच्छेद 29 की भांति यह भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण तक ही सीमित नहीं है (रेव. फादर प्रस्ट बनाम बिहार राज्य, ए आई आर 1969 एस सी 465; अहमदाबाद सेंट जेवियर कालेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य, ए आई आर 1974 एस सी 1389)। इसके अलावा, इस अनुच्छेद के अधीन 'अपनी रुचि की' शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रबंधन के अल्पसंख्यकों के अधिकार में शिक्षा का माध्यम, पाठ्यचर्या, पढ़ाए जाने वाले विषय आदि चुनने का अधिकार भी सम्मिलित है (डी.वी. कालेज, भटिंडा बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 1971 एस सी 1731; केरल शिक्षा विधेयक के संबंध में, ए आई आर 1958 एस सी 956)।

किंतु प्रबंधन के अधिकार का अर्थ कुप्रबंधन का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राज्य की नियामक शक्ति के अधीन है। समाजकल्याण, औद्योगिक संबंधों, शैक्षिक स्तरों, कार्यकुशलता, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोक व्यवस्था, सदाचार आदि के हितों में बनाई गई विधि अनुच्छेद 30 का उल्लंघन नहीं करती, जब तक कि वह अल्पसंख्यकों को संस्था का प्रबंध करने के उनके अधिकार से वंचित नहीं करती। अध्यापकों के सेवा संबंधी हितों

की रक्षा करने और पदच्युत किए जाने, पद से हटाए जाने और पंक्ति में अवनत किए जाने के विषय में उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए बनाई गई विधि अनुच्छेद 30 का उल्लंघन नहीं करती [केरल शिक्षा विधेयक के संबंध में, ए आई आर 1958 एस सी 956; अहमदाबाद सेंट जेवियर कालेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य, ए आई आर 1974 एस सी 1389; फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल इम्प्लाइज एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1986) 4 एस सी सी 707; आलसेंट्स हाई स्कूल बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर 1980 एस सी 1042]।

अनुच्छेद 30 की, अन्य बातों के साथ साथ, इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का जो अधिकार दिया गया है, वह (अधिकार) बहुसंख्यक समुदाय को नहीं दिया गया है। इसके अलावा, चूंकि संविधान में कहीं भी 'अल्पसंख्यक' शब्द की परिभाषा नहीं की गई है और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होने के लाभ हैं, इसलिए बहुसंख्यक हिंदुओं के कुछ वर्गों ने जैसे, पंजाब में आर्यसमाज ने, अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करना शुरू कर दिया। बंगाल में रामकृष्ण मिशन को घोषणा करनी पड़ी कि वे हिंदू नहीं हैं बल्कि वे एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी.ए.वी. और रामकृष्ण मिशन की संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 30 के संरक्षण तथा लाभ का दावा करने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया [देखिए, संवैधानिक रिट अधिकारिता, सी ओ न. 1283 (1980 की रिट) में रामकृष्ण मिशन द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर किया गया शपथ-पत्र], ('भाषा संबंधी उपबंध' अध्याय के अंतर्गत भी देखिए)।

संपत्ति का अधिकार तथा कुछ विधियों की व्यावृत्ति

संपत्ति का अधिकार सर्वाधिक जटिल तथा विवादास्पद सिद्ध हुआ है। हमारे संविधान में इसका इतिहास बहुत रंग-बिरंगा है। संविधान सभा में भारत के संविधान के निर्माण की विभिन्न प्रावस्थाओं के दौरान, संपत्ति संबंधी उपबंध सर्वाधिक विवादास्पद सिद्ध हुए थे और उन्होंने संविधान निर्माताओं की कल्पना, विलक्षणता, प्रारूपण-कुशलता और अनुकूलन तथा समझौते की भावना पर सबसे ज्यादा बोझ डाला। अंततः एक मतैक्य हो गया जिसका प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी ने अपने तरीके से अर्थ लगाया।

इस मतैक्य को संविधान के अनुच्छेद 31 तथा 19(च) में समाविष्ट किया गया। किंतु संविधान के लागू होने के बाद भी संपत्ति संबंधी उपबंध सर्वाधिक विवादास्पद बने रहे। इनके कारण विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच जबरदस्त टकराव उत्पन्न हो गए और उसकी वजह से संविधान में अनेक संशोधन करने पड़े। अंततः, संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 के द्वारा 20 जून, 1979 से अनुच्छेद 19(छ) और 31 को मूल अधिकारों

की श्रेणी से पूर्णतया निरसित कर दिया गया। इसकी बजाय, संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय, अध्याय 4—और एक नया अनुच्छेद—300 क—जोड़ा गया। उसमें उपबध किया गया कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के अधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा किंतु अभी भी यह कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 क कार्यपालिका की कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है किंतु विधायिका के निर्णय के विरुद्ध संरक्षण प्रदान नहीं करता। अनुच्छेद 31 का निरसन होने पर भी, अनुच्छेद 31 क (जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और चौथे, 17वें और 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था), 31 ख (जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था) और 31 ग (जो 1971 में 25वें तथा 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था) अभी भी मूल अधिकारों के अंग हैं। उनका आशय संपदाओं आदि का उपबंध करने वाली कुछ विधियों को व्यावृत्ति प्रदान करना है ताकि उन पर अनुच्छेद 14 तथा 19 से असंगत होने के आधार पर आपत्ति न हो तथा उन्हें अवैध न ठहराया जाए। उनका आशय है कि नवम अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ अधिनियमों तथा विनियमों को विशिष्ट रूप से विधिमान्य किया जाए और उन्हें इस आधार पर चुनौती न दी जाए कि वे किन्हीं मूल अधिकारों से असंगत हैं। वे निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली कुछ विधियों को अनुच्छेद 14 तथा 19 से असंगत होने के आधार पर आपत्ति किए जाने तथा अविधिमान्य बनाए जाने से व्यावृत्ति प्रदान करते हैं।

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (ए आई आर 1973 एस सी 146) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नवम अनुसूची में समाविष्ट होने के बावजूद किसी विधि को संविधान की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन किए जाने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और यह कि कोई विधि निदेशक तत्वों के अनुरूप है या नहीं, इसके निर्णय संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। *मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ* (ए आई आर 1980 एस सी 1789) के मामले में, न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गई थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है [*श्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य*, ए आई आर 1987 एस सी 1518; *मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1986 एस सी 2030; *संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग*, ए आई आर 1983 एस सी 239; *महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाई* (1986) 2 एस सी सी 516; *वामनराव बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1980 एस सी 273 भी देखिए]।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें लागू किया जा सके और यदि उनका उल्लंघन हो तो उपचार किया जा सके। हमारा संविधान न केवल कतिपय मूल अधिकारों की गारंटी देता है बल्कि अनुच्छेद 32 के अधीन, यह मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा देश के उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटाने के अधिकार की गारंटी भी देता है। उच्चतम न्यायालय बड़ी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। संसद किन्हीं अन्य न्यायालयों को भी इन अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रत्याभूत अधिकार को संविधान द्वारा किए गए उपबन्ध के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता। यथा, (क) आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान, अनुच्छेद 20 तथा 21 के सिवाय, किसी भी मूल अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन निलंबित किया जा सकता है और (ख) अनुच्छेद 358 के अधीन राज्य की कार्यपालक तथा विधायी शक्ति अनुच्छेद 19 में समाविष्ट स्वतंत्रता के अधिकारों द्वारा निबंधित नहीं हो जाएगी। जहां मूल अधिकारों के निलंबन के लिए संविधान द्वारा संरक्षण दिया गया है, वहां अनुच्छेद 32 लागू नहीं होगा (*सोमावन्ती बनाम पंजाब राज्य*, ए आई आर 1964 एस सी 131)। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह अधिकार संविधान में संशोधन करके भी छीना नहीं जा सकता, क्योंकि यह संविधान की बुनियादी विशेषता है (*भारतीय उर्वरक निगम बनाम भारत मघ*, ए आई आर 1981 एस सी 344)। संविधान-रचना के समय भी डा. अवेडकर ने इस उपबन्ध को संविधान की मूल आत्मा तथा मर्म बताया था। केवल संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों को अनुच्छेद 32 के अधीन लागू कराया जा सकता है। वास्तव में, अनुच्छेद 32 का किसी गलत आदेश या किसी विधान की संवैधानिकता के साथ भी तब तक कोई सरोकार नहीं होता जब तक वह प्रत्यक्षतया किसी मूल अधिकार को प्रभावित न करे या उसका अतिक्रमण न करे (*चिरंजी लाल बनाम भारत मघ*, 1950 एस सी 109, *साधू सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन*, ए आई आर 1965 एस सी 9; *गोपाल दास बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1955 एस सी 1; *हाजी इस्माइल बनाम सक्षम अधिकारी*, ए आई आर 1967 एस सी 1244, *कुरियाकोस बनाम केरल राज्य*, ए आई आर 1977 एस सी 1509)। चूंकि अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय स्थायी मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए अनुतोष से इंकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को भी विभिन्न रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, दोनों को समवर्ती अधिकारिता प्राप्त है और प्रभावित व्यक्ति किसी का भी द्वार खटखटा सकता है [*कोचुनी बनाम मद्रास*

राज्य, ए आई आर 1959 एस सी 725, एम.के. गोपालन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) आई एस सी आर 168; बासप्या बनाम नागप्या (1955) आई एस सी आर 250]। किंतु, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है कि जहां अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय के माध्यम से अनुतोष सुलभ हो, वहां पहले उच्च न्यायालय के पास जाना चाहिए [कानुभाई ब्रह्मभट्ट बनाम गुजरात राज्य, ए आई आर 1987 एस सी 1159; पी.एन. कुमार बनाम दिल्ली नगर निगम (1987) 4 एस सी सी 609]।

न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित लोक हित मुकदमे की नयी अवधारणा के अधीन, मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए अब प्रभावित पक्षकार द्वारा ही न्यायालय में प्रार्थनापत्र देना जरूरी नहीं है। जनता का कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की ओर से, जो किसी कारण से न्यायालय में प्रार्थनापत्र देने की स्थिति में न हों, एक पत्र द्वारा भी ऐसा कर सकता है (एस.पी. गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति, ए आई आर 1982 एस सी 149)। (रिट के अर्थ तथा विवरण के लिए “न्यायपालिका” से संबंधित अध्याय के अंतर्गत देखिए)।

अनुच्छेद 33 कर्तव्यों के निर्वहन तथा अनुशासन बनाए रखने के हित में संसद को, मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों, आसूचना कार्मिकों आदि पर लागू होने में उपांतरण करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 34 के अधीन, संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मूल अधिकारों का उल्लंघन करके किए गए किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सकेगी।

निदेशक तत्व

भाग-4, अनुच्छेद 36-51

भाग-4 में समाविष्ट राज्य के नीति-निदेशक तत्व हमारे संविधान को अनोखी विलक्षणता प्रदान करते हैं। आयरलैंड के संविधान के पूर्वोदाहरण के अलावा, निदेशक तत्वों के अध्याय के लिए मूल प्रेरणा कल्याणकारी राज्य की सकल्पना से प्राप्त हुई (केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, ए आई आर 1973 एस सी 146)। व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि हमारा संविधान सामाजिक क्रांति के लिए एक प्रभावी साधन बने। व्यक्ति के अधिकारों तथा समुदाय की जरूरतों के बीच संभावित संघर्ष को टालने के लिए प्रयास करते हुए जहाँ एक ओर स्वयं मूल अधिकारों पर 'लोक हित' आदि की दृष्टि से आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए, वहाँ दूसरी ओर अपेक्षाकृत अधिक निश्चयात्मक राज्य-नीति के निदेशक तत्वों सबधी अध्याय का समावेश कर दिया गया। अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि निदेशक तत्व "देश के शासन के मूलाधार हैं और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।" अतः यह स्पष्ट है कि ये संवैधानिक निदेश कोरे नैतिक उपदेश नहीं हैं बल्कि निश्चयात्मक समादेश हैं तथा संविधान के मानव अधिकारों संबंधी उपबंधों के अभिन्न अंग माने जाते हैं। किंतु, निदेशक तत्वों से ऐसे कोई कानूनी अधिकार नहीं उपजते जिनका उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति उसका उपचार करा सके और न ही वे विधायिका को कोई शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा, किसी भी विधि को इन तत्वों से असंगत होने के कारण अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता [मद्रास राज्य बनाम चम्पकय दुरईराजन (1951) एस सी आर 525; केरल शिक्षा विधेयक के सबध में, ए आई आर 1958 एस सी 956; दीपचन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 1959 एस सी 648; उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हरि ए आई आर 1979 एस सी 65]।

ये समादेश "न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय" बनाए गए थे और इन्हें जानबूझकर ऐसे

शब्दों में व्यक्त किया गया था जिनसे विधायिका को क्रम, समय और उन्हें पूरा करने की रीति का निर्णय करने की कुछ हद तक छूट रहे क्योंकि उनका कार्यान्वयन अनेक अति सूक्ष्म तत्वों पर निर्भर करता है यथा, अपेक्षित ससाधन कहां तक उपलब्ध हैं, परिकल्पित सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए समाज कितना तत्पर है, आदि।

संविधान सभा में बोलते हुए डा. अबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि निदेशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि वे केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं। इसकी बजाय ये अनुदेशों के दस्तावेज के रूप में हैं और जो भी सत्ता में आएगा, उसे "इनका आदर करना ही होगा।" उन्होंने कहा था :

संविधान सभा का आशय यह है कि भविष्य में विधायिका तथा कार्यपालिका, दोनों इस भाग में अधिनियमित इन तत्वों के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति न जताएं बल्कि इन्हें कार्यपालिका तथा विधायिका के उन सभी कार्यों का आधार बना दिया जाए जो इसके बाद देश के शासन के मामले में किए जाएं।

अनुच्छेद 37 में न्यायालय के अधिकारक्षेत्र से मुक्त रखने का खड केवल इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि न्यायपालिका राज्य को निदेशक तत्वों के तहत किसी 'कर्तव्य' को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती, क्योंकि जैसा कि डा अबेडकर ने कहा था: "जिस राज्य ने अपने मुख्य दायित्वों के भार से मुक्त होने के लिए अभी अभी अंगड़ाई ली है, वह तो उनके बोझ तले पिस सकता है यदि उन्हें पूरा करने का क्रम, समय, स्थान और रीति तय करने की छूट उसे नहीं दी जाती।

निदेशक तत्व संविधान के प्रभावी भाग हैं और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग हैं क्योंकि उन्हीं के माध्यम से संविधान चाहता है कि उद्देशिका में निर्धारित लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त किया जाए और उस सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति को साकार किया जाए जिसका सपना हमारे गणराज्य के संस्थापकों ने देखा था। न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े के शब्दों में :

मूल अधिकारों का प्रयोजन है कि एक समतावादी समाज का सृजन हो, सभी नागरिकों को सामाजिक प्रपीड़न अथवा प्रतिबन्ध से मुक्ति मिले और सभी को स्वतंत्रता सुलभ हो। निदेशक तत्वों का प्रयोजन है कि कतिपय सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उन्हें तुरंत प्राप्त करने के लिए अहिंसक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया जाए। ऐसी सामाजिक क्रांति के द्वारा संविधान आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और हमारे समाज के साचे-ढांचे को बदलने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य भारतीय जनता को सही अर्थों में स्वतंत्र बनाना है।

1970 के दशक के तथा उसके बाद के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने निदेशक तत्वों के रचनात्मक पहलुओं पर बल दिया है। इन्हें कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मूल अधिकारों का पूरक माना गया है। निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है और इस प्रकार का विधान, जब तक वह संविधान की किसी बुनियादी विशिष्टता का उल्लंघन नहीं करता, विधिमान्य माना जाएगा [केरल राज्य बनाम थॉमस, ए आई आर 1976 एस सी 496; मुख्य न्यायाधिपति बनाम दीक्षितुलू (1979) 2 एस सी सी 34; मुकेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए आई आर 1985 एस सी 537, लक्ष्मीकान्त बनाम भारत संघ, ए आई आर 1987 एस सी 232]।

निदेशक तत्वों का लक्ष्य है इन आदर्शों को प्राप्त करना यथा, एक सच्चे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो और, अन्य बातों के साथ साथ, आर्थिक शोषण और भारी असमानताओं तथा अन्यायों के अंत की व्यवस्था हो तथा राज्य पर न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का भार डाला जाए। अतः अनुच्छेद 38, जो निदेशक तत्वों का मूलमंत्र तथा मर्म है, कहता है : “राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी सस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।” अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सकेन्द्रण न हो, पुरुषों और स्त्रियों, दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो (“यह मूल अधिकार नहीं है किन्तु एक संवैधानिक लक्ष्य है”— रधीर बनाम भारत संघ, ए आई आर 1982 एस सी 879, रामचन्द्र बनाम भारत संघ, ए आई आर 1984 एस सी 541), पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल न हो और बच्चों तथा युवाओं को शोषण से बचाया जाए। मूल अधिकारों का निर्वचन करने के लिए इस अनुच्छेद की सहायता ली जा सकती है (केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, ए आई आर 1973 एस सी 146; श्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य, ए आई आर 1987 एस सी 1518)। अनुच्छेद 41 में उपबंध किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 तथा 43 में उपबंध किया गया

है कि राज्य कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, काम की मानवोचित दशाएं, प्रसूति सहायता, शिष्ट जीवन-स्तर और अवकाश का पूर्ण उपभोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण निदेशक तत्व भी हैं। उनमें उपबंध है कि बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिले (अनुच्छेद 45); अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो (अनुच्छेद 46); पोषाहार-स्तर और जीवन-स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है (अनुच्छेद 47); कृषि और पशुपालन का संगठन हो तथा गो-वध का प्रतिषेध हो (अनुच्छेद 48); ग्राम पंचायतों का संगठन हो (अनुच्छेद 40); कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो (अनुच्छेद 50); समूचे देश के लिए समान सिविल संहिता¹ हो (अनुच्छेद 44); राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण हो (अनुच्छेद 49); और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा पनपे, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध पनपें; अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर की अभिवृद्धि हो और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाए (अनुच्छेद 51)। इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां अपने आप राष्ट्रीय विधि का हिस्सा नहीं बन जातीं। इन्हें कानून बनाकर अगीकार अथवा समाविष्ट करना पड़ता है। यह अनुच्छेद 253 के अधीन संघ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय विधि का निर्वचन करते समय, न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के साथ समरसता बनाए रखने का प्रयास करते हैं किंतु टकराव होने की स्थिति में राष्ट्रीय विधि का सम्मान करना ही होगा (बेरुबाड़ी यूनिनयन संबंधी मामला, ए आई आर 1960 एस सी 845; ग्रामोफोन कंपनी बनाम वीरेन्द्र, ए आई आर 1984 एस सी 667)।

हालांकि निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, फिर भी इन तत्वों ने सामाजिक सुधार संबंधी कानून बनाने में संघ तथा राज्यों के विधानमंडलों का अब तक मार्गदर्शन किया है, न्यायालयों ने संविधान के उपबंधों के अपने निर्वचन के समर्थन में इन तत्वों को उद्धृत किया है, और योजना आयोग ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा कायाकल्प के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्धारण करने के लिए इन्हें उपयोगी दिशानिर्देश के रूप में स्वीकार कर लिया है।

संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 ने इस आशय के नये निदेशक तत्व जोड़ दिए :

- i बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं (अनुच्छेद 39 च);

1. समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code)

- ii कानूनी व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और राज्य, विशिष्टतया आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करे (अनुच्छेद 39 क)। यह अधिकार अनुच्छेद 21 में भी अंतर्निहित था (*हरियाणा राज्य बनाम दर्शना*, ए आई आर 1979 एस सी 855; *खत्री बनाम बिहार राज्य*, ए आई आर 1981 एस सी 928; *शुकदास बनाम संघ राज्यक्षेत्र*, ए आई आर 1986 एस सी 991);
- iii उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए (अनुच्छेद 43 क), और
- iv. पर्यावरण का संरक्षण हो तथा उसमें सुधार लाया जाए और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाए (अनुच्छेद 48 क)।

44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में एक खंड जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने और व्यष्टियों के बीच तथा विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। (संपत्ति का अधिकार और कुछ विधियों की व्यावृत्ति, अनुच्छेद 31 ग के अंतर्गत "मूल अधिकार" अध्याय भी देखिए)।

इसके अलावा, (i) अनुच्छेद 31 ग में संशोधन करके यह निर्धारित किया गया है कि किसी या सभी निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधि अनुच्छेद 14, 19 या 31 के अंतर्गत किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करने के कारण शून्य नहीं होगी, और (ii) एक नये अनुच्छेद 31 घ में विशिष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापों या संगमों के निवारण या प्रतिषेध का अधिकार प्रदान करने वाली कोई विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अंतर्गत किसी मूल अधिकार से असंगत है।

उद्देशिका, मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के परस्पर संबंध

इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि उद्देशिका, मूल अधिकार और निदेशक तत्व सभी एक ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं। वे सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और उन्हें एक दूसरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

उद्देशिका, मूल अधिकार और निदेशक तत्व के शीर्षकों के अंतर्गत संविधान योजना में समतावादी समाज के निर्माण पर और सामाजिक आर्थिक न्याय की संकल्पना पर बल दिया गया है। क्योंकि निदेशक तत्वों को, भले ही उन्हें विधियों के निर्माण तथा प्रशासन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत घोषित किया गया है, न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया

है। अतः वे उन दो पक्षों के बीच सूक्ष्म सामंजस्य के प्रतीक हैं, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने स्वाधीनता संग्राम के नेताओं के रूप में आदर्श या लक्ष्य माना और जिसे यथार्थवादियों के रूप में उन्होंने तत्काल व्यवहार्य माना। मूल अधिकार और निदेशक तत्व दोनों ही संविधान की आत्मा हैं।

अब यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच या मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्वों के बीच कोई सारभूत विभाजन नहीं है। वे एक दूसरे के पूरक तथा अनुपूरक हैं। (केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, ए आई आर 1973 एस सी 146)। यदि मूल अधिकार सरकार और विधायिका के लिए न करने योग्य बातों का निरूपण करते हैं तो निदेशक तत्व करने योग्य बातों का निरूपण करते हैं। इन दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक, 1951 को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश करते समय, जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष की संभावना का उल्लेख किया और इस कठिनाई का वर्णन इस प्रकार किया :

वास्तविक कठिनाई जो हमारे सामने आई है, वह यह है : संविधान में राज्य नीति के कुछ निदेशक तत्वों का निर्धारण किया गया है और लंबे-चौड़े विचार-विमर्श के बाद उनके लिए हमारे बीच सहमति हुई है और उनमें उस रास्ते का निर्देश किया गया है जिस पर हमें चलना है। संविधान में कुछ मूल अधिकार भी निर्धारित किए गए हैं। दोनों महत्वपूर्ण हैं। राज्य नीति के निदेशक तत्व कतिपय लक्ष्य की ओर गतिशीलता का निरूपण करते हैं। मूल अधिकार कतिपय विद्यमान अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ स्थिरता का निरूपण करते हैं। इस रूप में भी दोनों सही हैं। किंतु किसी कारण से तथा किसी समय ऐसा हो सकता है कि गतिशीलता और स्थायी स्थिरता एक-दूसरे के साथ ठीक तरह से मेल न खाए।

किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गतिशीलता का निश्चित रूप से यह अर्थ है कि कुछ परिवर्तन हो रहे हैं; यही गतिशीलता का सार है। किंतु, ऐसी स्थिति आ सकती है जब गतिशीलता की प्रक्रिया से कतिपय वर्तमान संबंधों में परिवर्तन हो जाए, भिन्नता आ जाए या वे प्रभावित हो जाएं। वास्तव में, वे स्थापित संबंधों को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत हैं और फिर भी यदि आप मूल अधिकारों की ओर लौटते हैं तो उनका अभिप्राय कतिपय स्थापित संबंधों को, प्रत्यक्षतया नहीं, सुरक्षित रखना है। दोनों रवैयों के बीच कुछ टकराव है, जो स्वभावजन्य नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि उनका आशय यह नहीं है। किंतु इसमें इस तरह की थोड़ी-सी मुश्किल है और स्वाभाविक है कि जब देश के न्यायालय इन विषयों पर विचार करेंगे तो उन्हें राज्य नीति के निदेशक तत्वों की अपेक्षा मूल अधिकारों पर अधिक बल देना होगा। संविधान के पीछे जो असल मकसद था, वह यह था कि वह एक गतिशील संविधान बने जो धीरे धीरे किंतु निश्चित लक्ष्य की अग्रसर हो। किंतु गतिशीलता की अपेक्षा स्थिरता पर थोड़ा अधिक बल दिए जाने के कारण इस लक्ष्य की पूर्ति में विघ्न एवं बाधा

आती है और हमें इसके समाधान के लिए कोई-न-कोई रास्ता ढूँढ निकालना होगा।

यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए आप व्यक्तिगत या सामूहिक असमानता की रक्षा भी करते हैं तो आपका टकराव निदेशक तत्व से होता है, जो आपके अपने संविधान के अनुसार क्रमिक समुन्नति चाहता है या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि यह, जहाँ तक संभव हो, एक ऐसी स्थिति की ओर इतने धीरे धीरे नहीं बल्कि अधिक तेजी के साथ बढ़ना चाहता है, जहाँ कम-से-कम असमानता और अधिक-से-अधिक समानता हो। यदि व्यक्तिगत स्वाधीनता तथा स्वतंत्रता के लिए किसी प्रकार की अपील का अर्थ वर्तमान असमानता को जारी रखने की अपील माना जाता है तो आप कठिनाइयों में फँस जाते हैं। तब आप गतिहीन, अप्रगतिशील बन जाते हैं और परिवर्तित नहीं हो सकते और आप समतावादी समाज के उस आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि, मुझे आशा है, हममें से अधिकांश का लक्ष्य है।

लोक सभा में संविधान (चौथे) संशोधन पर बोलते हुए नेहरू जी ने घोषणा की कि राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण की नीतियों की जिम्मेदारी संसद की होनी चाहिए, न कि न्यायालयों की। चूंकि न्यायालयों के निर्णय ने सिद्ध किया है कि मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच कुछ अंतर्जात विरोध हैं, इसलिए संसद की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इस विरोध को समाप्त कर दे और "मूल अधिकारों को राज्य नीति के निदेशक तत्वों का अनुचर बना दे।"

जैसा कि बाद में 1971 में उच्चतम न्यायालय ने कहा

व्यापार की स्वतंत्रता का अर्थ शोषण की स्वतंत्रता नहीं है। संविधान के उपबन्ध प्रगति के मार्ग में बाधाएं बनाकर खंडे नहीं किए गए हैं। उनमें संविधान की उद्देशिका द्वारा परिकल्पित सामाजिक व्यवस्था की ओर क्रमिक प्रगति की योजना का उपबन्ध किया गया है। वे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, किसी प्रकार की दासता की इजाजत नहीं देते। यह सोचना एक भ्रम है कि हमारे संविधान के अधीन केवल अधिकारों का उपबन्ध है और कर्तव्यों का कोई उपबन्ध नहीं है। जहाँ भाग-3 के अधीन प्रदत्त अधिकार देश के शासन के सबन्ध में मूल अधिकार हैं, वहाँ हमें भाग-3 तथा भाग-4 में समाविष्ट उपबन्धों के बीच समग्र रूप से कोई टकराव दिखाई नहीं देता। वे एक-दूसरे के पूरक तथा अनुपूरक हैं। भाग-4 के उपबन्ध विधायिका तथा सरकार को नागरिकों पर कुछ कर्तव्य आरोपित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उनके अंतर्गत जो उपबन्ध किए गए हैं, वे जानबूझकर लचीले बनाए गए हैं क्योंकि नागरिकों पर आरोपित किए जाने वाले कर्तव्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि निदेशक तत्वों को किस हद तक कार्यान्वित किया जाता है। संविधान का लक्ष्य एक ऐसे कल्याणकारी समाज का निर्माण करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे राष्ट्रीय जीवन की सभी समस्याओं को अनुप्राणित करे। यदि हमारे निम्नतम वर्ग के नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं तो संविधान द्वारा दिलाई गई आशाएं तथा आकांक्षाएं झूठी

पड जाएंगी (चन्द्र भवन बोर्डिंग एंड लाजिंग, बगलौर बनाम मैसूर राज्य तथा अन्य, 1970, 2 एस सी आर 600)।

इसके अलावा, केशवानन्द भारती के मामले में, न्यायमूर्ति मैथ्यू ने निम्नलिखित अर्थपूर्ण विचार व्यक्त किए :

मूल अधिकारों की अपनी कोई निश्चित अंतर्वस्तु नहीं है; उनमें से अधिकांश खाली पोत हैं जिनमें प्रत्येक पीढ़ी को अपने अनुभव के प्रकाश में, अपना हिस्सा डालना होगा। ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं, जिनकी संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की हो, जब इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना, इन्हें न्यून करना, इनमें कटौती करना और यहां तक कि इन्हें रद्द करना जरूरी हो जाए। देश के इतिहास में ऐसे विशिष्ट अवसर आ सकते हैं जब भाग-4 में समाविष्ट नैतिक दावे उनकी सर्वोच्चता के दावे पर हावी हो जाए। देश के इतिहास में किसी विशिष्ट अवसर पर, किसी विशिष्ट मूल अधिकार को भाग-4 में समाविष्ट नैतिक दावे की अपेक्षा प्राथमिकता मिलनी चाहिए या उसे झुक जाना चाहिए या नहीं, इस बात का निर्णय प्रत्येक पीढ़ी को अपने अनुभव तथा अपने मूल्यों के प्रकाश में करना होगा। और यदि संसद संशोधी निकाय की हैसियत से संविधान में इस तरह से संशोधन करने का निर्णय करती है जिससे संविधान के भाग-4 में समाविष्ट नैतिक दावों को प्राथमिकता देने के लिए मूल अधिकार छीन लिया जाता है या न्यून कर दिया जाता है तो न्यायालय संविधान संशोधन को इस कारण से अमान्य नहीं ठहरा सकता कि संविधान निर्माताओं ने जिसे गौण बनाया था, उसे अब प्रमुख बना दिया गया है। संविधान संशोधन का इस आधार पर न्यायिक पुनरीक्षण करने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि यह भाग-3 में समाविष्ट मूल अधिकारों की अपेक्षा भाग-4 में समाविष्ट नैतिक दावों को प्राथमिकता देता है [1973(4) एस सी सी 225]।

कभी कभी 'सकारात्मक अधिकार' तथा 'नकारात्मक अधिकार' के बीच अंतर करने का प्रयास किया जाता है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जबकि भाग-3 का संबंध वैयक्तिक स्वतंत्रता के क्षेत्रों और राज्य द्वारा उन पर रोक लगाए जा सकने की सीमा से है, भाग-4 का संबंध उन सकारात्मक कर्तव्यों से है जिनका भार सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने के लिए राज्य पर डाला गया है। किंतु, मूल अधिकारों में भी कुछ सकारात्मक प्रतिषेध हैं जो समाज के हितों और गरीब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुस्थापित वर्गों के अतिक्रमण से करना चाहते हैं। अतः अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसके आचरण को विधि द्वारा दंडनीय अपराध बना दिया गया है। अनुच्छेद 15 में अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान किया गया है कि दुकानों, कुओं, सड़कों, भोजनालयों आदि सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के मामले में किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद

नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 द्वारा एक और बड़ी बुराई अर्थात् बेगार का प्रतिषेध कर दिया गया है। यह सारे-का-सारा प्रयास इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कहीं नागरिकों के मूल अधिकार बहुजन हिताय के स्थान पर चंद लोगों की स्वतंत्रताओं का घटिया रूप धारण न कर लें।

मूल कर्तव्य

भाग-4 क, अनुच्छेद 51 क

भले ही नागरिकों के कतिपय कर्तव्यों का निर्धारण करने वाला भाग 4-क आपातस्थिति की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा लाया गया था, फिर भी वह संविधान के सर्वाधिक मूल्यवान भागों में है। इसके साथ ही, यह सर्वाधिक उपेक्षित भाग भी है।

जबकि मूल अधिकारों संबंधी उपबंधों में व्यक्ति के अधिकारों का और निदेशक तत्वों में राज्य के कर्तव्यों का समावेश है, 1976 तक हमारे संविधान में व्यक्ति के कर्तव्यों का अधिकथन करने वाले कोई उपबंध नहीं थे, हालांकि परंपराओं तथा भारतीय चिंतन की धारा ने सदियों से कर्तव्यों पर बहुत अधिक बल दिया है। प्रत्येक अधिकार के लिए, उसके अनुरूप एक कर्तव्य है। कर्तव्य अधिकार का एक अभिन्न अंग है; दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो किसी एक व्यक्ति के लिए कर्तव्य है, वही दूसरे के लिए अधिकार है। यदि सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार प्राप्त है तो सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे मानव जीवन का आदर करें और किसी अन्य व्यक्ति को आहत न करें। जब गांधी जी से मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया तब उन्होंने कहा :

मैंने अपनी निरक्षर किंतु बुद्धिमान मां से सीखा कि जिन अधिकारों के हम पात्र होना चाहते हैं तथा जिन्हें हम सुरक्षित कराना चाहते हैं, वे सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्य से प्राप्त होते हैं। अतः जीवित रहने का अधिकार भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम विश्व की नागरिकता के कर्तव्य को पूरा करते हैं। इस एक मूल कथन के आधार पर पुरुष तथा स्त्री के कर्तव्यों की परिभाषा करना तथा प्रत्येक अधिकार को पहले निभाए जाने वाले किसी तदनुरूप कर्तव्य के साथ संबद्ध करना संभवतया काफी आसान है। प्रत्येक अन्य अधिकार को अनुचित रीति से स्थापित अधिकार सिद्ध किया जा सकता है और उसके बारे में विवाद करने का कोई लाभ नहीं है।

गांधी जी ने सभी नागरिकों की आर्थिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों पर बल देने का प्रयास किया था। उन्हीं के विचारों को ध्यान में रखकर संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा संविधान में क्रमशः मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्वों के प्रारंभिक भाग 3 तथा 4 के बाद “मूल कर्तव्य” शीर्षक से एक नया भाग 4 क जोड़ा गया था। नए भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क शामिल है जो इस प्रकार है :

51 क. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, प्रयत्न और उपलब्धि की नयी ऊंचाइयों को छू ले।

निदेशक तत्वों के अंतर्गत राज्य के कर्तव्यों की भांति नागरिकों के कर्तव्यों को भी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। उनका पालन कराने या उनका उल्लंघन होने पर दंड देने के लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं है। किंतु न्यायालय किसी विधि का, जिसके एक से अधिक निर्वचन हो सकते हों, अर्थ लगाते समय इन्हें निश्चित रूप से ध्यान में रख सकते हैं। पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 51(छ) विशेष रूप से न्यायालयों के सामने आया है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्रों

मे खनन के काम को रोक देने के लिए मौखिक आदेश जारी किए थे। कतिपय विवादग्रस्त क्षेत्रों को आरक्षित वन घोषित करने के संबन्ध में भी आदेश जारी किए गए थे (मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुलभाई, ए आई आर 1976 एस सी 1455; ग्रामीण मुकदमेबाजी केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 1987 एस सी 1109, बनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 1987 एस सी 374)।

विश्लेषण के बाद अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मूल कर्तव्यों का पालन कराने का एकमात्र तरीका यह है कि लोगों को नागरिकता के मूल्यों तथा कर्तव्यों के बारे में शिक्षित किया जाए और उनमें पर्याप्त जागृति उत्पन्न की जाए तथा एक ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने सवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने तथा समाज के प्रति अपना ऋण चुकाने में गर्व तथा बंधन का अनुभव करे।

संघ की कार्यपालिका

भाग 5, अध्याय 1, अनुच्छेद 52-78

हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए संसदीय लोकतंत्र प्रणाली चुनी। उसके अधीन मंत्रिगण लोक सभा के जन-प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में परंपरा है कि राज्य का अध्यक्ष राजा होता है। लेकिन वहां राजा तथा संसद के संबंध का विकास अनेक सदियों में हुआ है और वहां अब कार्यपालिका-शक्ति मंत्रिमंडल में निहित हो गई है। वहां राजा केवल संवैधानिक, नाममात्र का अथवा औपचारिक अध्यक्ष भर रह गया है। भारत में राजतंत्र है ही नहीं। इसके अलावा भारत ब्रिटेन जैसा कोई छोटा-मोटा एकात्मक राज्य नहीं है। भारत अमरीका जैसा एक विशाल गणराज्य तथा राज्य-संघ है। वहां गणराज्य का अध्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। अतः हमारा एक अनोखा स्थान है। हम एक ही साथ संसदीय राज्य व्यवस्था तथा राष्ट्रपति वाले गणराज्य की श्रेणी में आ जाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 73 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है और उन सभी अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे।

राष्ट्रपति का पद तथा शक्तियां

संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे संविधान की योजना में राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा का है। वह राज्य का अध्यक्ष होता है। यह कहना नितांत अनुचित होगा कि वह तो केवल नाममात्र का अथवा नामधारी अध्यक्ष होता है। जैसा कि संविधान सभा में नेहरू ने कहा था, उद्देश्य यह नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति को केवल नाममात्र का अध्यक्ष बनाया जाए। संघ की समूची कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार सीधे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों

में मंत्रियों का समावेश अपेक्षित है (सम्राट बनाम श्रीनाथ ए आई आर 1945 जी सी 163)। भारत सरकार की समूची कार्यपालिका-कार्रवाई उसके नाम से की जाती है। रक्षाबलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होता है (अनुच्छेद 53 तथा 77)।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। सभी मंत्री अपने पद राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत धारण करते हैं (अनुच्छेद 75)।

संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। वह दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करता है, उनके अधिवेशनों का सत्रावसान करता है और लोक सभा को भंग कर सकता है (अनुच्छेद 85)। प्रति वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा हर आम चुनाव के बाद वह दोनों सदनों के समवेत सदस्यों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति, अन्यथा भी, संसद के दोनों सदनों को सदेश भेज सकता है और उनमें से प्रत्येक को अथवा दोनों को संबोधित कर सकता है। अनिवार्य है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित सभी विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए। तभी वे कानून बन सकते हैं। कतिपय श्रेणियों के विधेयको को (यथा धन-विधेयकों को) केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरःस्थापित तथा संचालित किया जा सकता है (अनुच्छेद 79, 85-87, 111 तथा 117)। एक उदारहण। नवीं लोक सभा में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया। उसमें प्रस्ताव था कि केवल एक वर्ष की सेवा के बाद ही संसद-सदस्यों को पेंशन दे दी जाए। उसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ही पुरःस्थापित करके पारित कर दिया गया पर राष्ट्रपति वेंकटरामन ने विधेयक को अपनी अनुमति नहीं दी।

ऐसी स्थिति में जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि तत्काल कार्यवाही करना जरूरी है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है और इन अध्यादेशों का वही जोर तथा प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित विधियों का होता है (अनुच्छेद 123)। ये अध्यादेश अंतरिम या अस्थायी विधान के रूप में होते हैं क्योंकि उन्हें जारी रखने के लिए जरूरी है कि उन पर संसद का अनुमोदन प्राप्त किया जाए और अध्यादेशों के स्थान पर विधियां बनाई जाएं। राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों के बारे में अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके बारे में संसद विधियां बना सकती है। अध्यादेश जारी रखने की राष्ट्रपति की शक्ति की विधिमान्यता तथा वैधता को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है (ए.के. राय बनाम भारत संघ, ए आई आर 1982 एस सी 710; आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ, ए आई आर 1981 एस सी 2139)।

संविधान के अंतर्गत, संसद से संबंधित कुछ अन्य कृत्यों की भी राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर वह लोक सभा के अस्थायी अध्यक्ष की तथा

राज्य सभा के कार्यकारी सभापति की नियुक्ति करता है। यदि किसी विधेयक के बारे में दोनों सदनों के बीच अंतिम रूप से असहमति हो जाए तो वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति प्रति वर्ष सदन के समक्ष सरकार का बजट रखवाता है। संविधान में बजट को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है। कुछ अन्य संवैधानिक कृत्यकारियों की रिपोर्टें भी राष्ट्रपति रखवाता है। वे हैं भारत का नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक¹, वित्त आयोग², संघ लोक सेवा आयोग³, अनुसूचित जातियो एव अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के आयोग के लिए विशेष अधिकारी। वह लोक सभा के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय के अधिक-से-अधिक दो सदस्यों को नामजद कर सकता है, यदि उसकी राय हो कि उस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोक सभा में नहीं हुआ है। राष्ट्रपति राज्य सभा के लिए 12 सदस्यों का नाम-निर्देशन भी करता है। वह ऐसे व्यक्तियों में से होने चाहिए जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवा जैसे विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। इसके अलावा, उसे यह अधिकार है कि वह निर्वाचन आयोग की राय जान लेने के बाद यह निर्णय करे कि क्या कोई विधिवत निर्वाचित सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102(1) में विहित नियोग्यताओं की परिधि में आता है। इस मामले में उसका निर्णय अंतिम होता है।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के महान्यायवादी⁴ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, राज्यपालों द्वारा राज्य के अन्य सभी उच्च कृत्यकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है (अनुच्छेद 76, 124, 148, 155, 217)।

अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह उन सभी मामलों में जिनमें दंड सेना न्यायालय ने दिया हो, दंड संधीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए हो, अथवा दंड मृत्युदंड हो, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सके अथवा दंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सके। अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति न्यायपालिका का मुह नहीं ताकती। वह अपीलीय न्यायालय के रूप में काम नहीं करता। उद्देश्य यह होता है कि यदि न्यायपालिका से कोई भूल हो जाए तो उसे सुधार दिया जाए। इसके अलावा वह ऐसी अवस्था में भी राहत देने का फैसला कर सकता है जहां से लगे कि दंड अति कठोर है। राष्ट्रपति को इस बात के लिए विवश

-
1. नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General),
 2. वित्त आयोग (Financial Commission)
 3. संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)
 4. भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India)
 5. क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार (Pardon, Reprieve, Respite or Remission)
 6. दंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण (Suspend, Remit or Commute)

नहीं किया जा सकता कि वह याचिकादाता की याचिका पर सुनवाई करे ही। न्यायालय गुण-दोषों के आधार पर राष्ट्रपति के निर्णयों के बारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन वे इस बारे में छानबीन कर सकते हैं कि राष्ट्रपति ने समूची संबद्ध सामग्री पर विचार कर लिया है या नहीं (हुकुम सिंह बनाम पंजाब राज्य ए आई आर 1975 पी एड एच 902; हरबंस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आर 1982 एस सी 849; कुलजीत बनाम उपराज्यपाल, ए आई आर 1982 एस सी 774, मारु बनाम भारत संघ ए आई आर 1980 एस सी 2147, गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य ए आई आर 1961 एस सी 600; नानावती बनाम बंबई राज्य, ए आई आर 1961 एस सी 122)।

अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति समूचे भारत में या उसके किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसी गंभीर स्थिति विद्यमान है जिससे युद्ध या बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। अनुच्छेद 354 के अधीन राष्ट्रपति राजस्वों के वितरण को सीमित या प्रतिबंधित कर सकता है। जब आपात की घोषणा लागू हो तो राष्ट्रपति मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है (अनुच्छेद 359)। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। अतः राष्ट्रपति की आपात संबंधी शक्तियां कठोर तथा दूरगामी प्रभाव वाली हैं।

संक्षेप में, (1) राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियां हैं जिनका प्रयोग वह सीधे स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। (2) उसके पास उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा राज्य के अन्य उच्च कृत्यकारियों को नियुक्त करने की शक्तियां हैं। (3) उसके पास सैन्य शक्तियां हैं, वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह युद्ध तथा शांति की घोषणा कर सकता है। (4) उसके पास क्षमा, प्रविलंबन आदि प्रदान करने की शक्ति होती है। (5) उसके पास राजनयिक शक्तियां होती हैं; वह राजदूतों की नियुक्ति भी कर सकता है और विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के पद के प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकता है। (6) उसके पास विधायी शक्तियां होती हैं यथा, वह दोनों सदनों की बैठकें बुला सकता है और उनका सत्रावसान कर सकता है; लोक सभा को भंग कर सकता है, विधेयकों आदि को अनुमति दे सकता है और कानूनी शक्ति वाले अध्यादेश जारी कर सकता है। (7) उसके पास आपात घोषणा की शक्ति होती है।

शानदार शक्तियों के इस पूरे ठाट बाट के बावजूद हमारे राष्ट्रपति के पद के बारे में सोचा जाता है कि वह एक संवैधानिक राज्याध्यक्ष है। यह स्मरण रखना होगा कि स्वयं

अनुच्छेद 53 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका-शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति "संविधान के अनुसार" ही करेगा और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रयोग पर भी 'विधि का अंकुश' होगा (यू.एन. राव बनाम इंदिरा गांधी, ए आई आर 1971 एस सी 1002; संजीव बनाम मद्रास राज्य, ए आई आर 1970 एस सी 1102)। अनुच्छेद 60 के अधीन भी राष्ट्रपति 'संविधान तथा विधि के परिरक्षण, संरक्षण तथा रक्षण' की शपथ लेता है। अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह अपने सभी कृत्यों का निर्वहन करते समय केवल मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह से ही काम करेगा। हमने मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली जिस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, उससे भी यही निष्कर्ष निकलता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में इस स्थिति को मान्यता प्रदान की है कि राष्ट्रपति एक सवैधानिक अध्यक्ष है और उसके लिए अनिवार्य है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करे। हमारी प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका-शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है (शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए आई आर 1974 एस सी 2192; यू.एन. राव बनाम इंदिरा गांधी, ए आई आर 1971 एस सी 1002; सर्वश्री विशंवर दयाल चन्द्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आर 1982 एस सी 33; रामजवाया बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 1955 एस सी 544)। इसके अलावा, राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रयोग के मामले में सामान्य स्थिति तथा आपात स्थिति के बीच संविधान कोई विभेद नहीं करता। आपात स्थिति में शक्तियों के किसी स्वविवेकी प्रयोग के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले सभी शक्तियों के प्रयोग पर अनुच्छेद 74 का अंकुश है। अतः मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति समान रूप से बंधा हुआ है, चाहे स्थिति आपात स्थिति हो या सामान्य स्थिति। 44वें संविधान संशोधन ने अंततः स्थिति के सभी संदेहों को मिटा दिया। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी कर सकता है जब लिखित रूप में उसे यह संदेश प्राप्त हो जाए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसे ऐसा करने की सलाह देने का निर्णय कर लिया है।

भले ही संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करे, फिर भी ऐसे कुछ धुंधले क्षेत्र हैं जहां अब भी राष्ट्रपति को अपने विवेक तथा बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। वे हैं :

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति [अनुच्छेद 75(1)], जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि किसी भी एक पार्टी को लोक सभा सदस्यों के बहुमत का स्पष्ट समर्थन प्राप्त न हो। जाहिर है कि राष्ट्रपति ऐसे पदावरोही¹ प्रधानमंत्री की सलाह पर नये प्रधानमंत्री की नियुक्ति

- नहीं कर सकता है जो चुनाव में हार गया हो या जिसने लोक सभा का समर्थन गंवा दिया हो।
2. पदधारी की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति (यथा, इंदिरा गांधी की हत्या से उत्पन्न स्थिति में), जहां सत्तारूढ़ विधानमंडल पार्टी नेता का चुनाव करने के लिए तत्काल बैठक न कर सकती हो, जहां मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच कोई निश्चित वरिष्ठताक्रम न हो और जहां मंत्रिमंडल से बाहर के किसी नाम का सुझाव दिया गया हो।
 3. ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोक सभा का विघटन [अनुच्छेद 85(2) (ख)] जिसने लोक सभा में बहुमत का समर्थन गंवा दिया हो या जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो।
 4. उस स्थिति में मंत्रियों की बर्खास्तगी जब मंत्रिपरिषद ने लोक सभा का विश्वास गंवा दिया हो पर वह इस्तीफा देने के लिए तैयार न हो।

ऐसी कुछ स्थितियों में राष्ट्रपति की भूमिका अति नाजुक तथा निर्णायक हो सकती है। उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति तब पैदा हुई जब चरणसिंह, राजीव गांधी तथा चन्द्रशेखर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था।

इसके अलावा, अनुच्छेद 78(क) प्रधानमंत्री पर यह दायित्व डालता है कि संघ के कार्यों के प्रशासन के बारे में तथा विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करे, वह उन सभी की सूचना राष्ट्रपति को दे और तत्संबंधी जो सूचना राष्ट्रपति मांगे, उसे वह दे। यदि किसी मामले में एक मंत्री ने निर्णय लिया है तो राष्ट्रपति अपेक्षा कर सकता है कि उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाए। इसके अलावा 44वें संशोधन द्वारा 1978 में जोड़े गए अनुच्छेद 74 के परंतुक के अधीन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपेक्षा कर सकता है कि परिषद अपनी सलाह पर पुनर्विचार करे। निश्चय ही राष्ट्रपति पुनरीक्षित सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन मंत्रिपरिषद जो सलाह राष्ट्रपति को देती है, वह उनके बीच गोपनीय होती है और कोई भी न्यायालय उसके बारे में जांच नहीं कर सकता। [अनुच्छेद 74(2); *एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1982 एस सी 149; *राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ*, ए आई आर 1977 एस सी 1361]।

जब अनुच्छेद 111 के अधीन किसी विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह घोषणा कर सकता है कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति नहीं देता है। पर इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कितने समय के भीतर वह अनुमति दे दे या अनुमति न देने के अपने निर्णय की घोषणा कर दे। लेकिन राष्ट्रपति, विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक नहीं है, यथाशीघ्र,

संसद के सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। पुनर्विचार के बाद जब विधेयक संशोधनों के बिना या संशोधनों के सहित, पारित कर दिया जाता है और पुनः राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह उस पर अनुमति नहीं रोकेगा।

जहां राष्ट्रपति का एक कृत्य यह भी है कि वह विधेयकों को अनुमति दे और उसके निर्वाह में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करे, वहां उसे छूट है कि वह अनुच्छेद 78 (ख) के अधीन प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण के लिए सूचना मांगे या अनुच्छेद 74(1) के परंतुक के अधीन विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटा दे। संभवतया यही राष्ट्रपति जैल सिंह ने विवादास्पद डाक विधेयक के बारे में किया था। संभवतया यही राष्ट्रपति वेंकटरामन ने उस विधेयक के बारे में किया था जिसमें, और बातों के अलावा, उपबंध था कि केवल एक वर्ष की सेवा के बाद ही संसद-सदस्यों को पेंशन दे दी जाए।

जब संविधान सभा के विचारार्थ यह प्रश्न आया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार हो तो एक सुझाव यह भी था कि सार्वजनीन वयस्क मताधिकार के अधीन लोग सीधे उसका चुनाव करें। इसके सर्वथा विपरीत दूसरा सुझाव यह था कि केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति को चुनें। संविधान सभा ने एक अनोखा तरीका निकाला। वह मध्य मार्ग था।

चूंकि संसद के दोनों सदनों की सदस्य संख्या में एक ही पार्टी का बाहुल्य होने की संभावना थी, अतः यदि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के सदस्यों के बहुमत के आधार पर होता तो उसके कारण राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री की भांति सत्तारूढ़ दल का नामजद व्यक्ति बन सकता था। ऐसा राष्ट्रपति सभ के संघटक राज्यों का प्रतिनिधि नहीं हो सकता था। दूसरी ओर, यदि राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता तो वह मंत्रिपरिषद का प्रतिद्वंद्वी शक्ति-केंद्र बन जाता और यह मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली के प्रतिकूल बात होती। जैसा कि नेहरू ने संविधान सभा में कहा था, न तो हमारे राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो सकता है और न ही हम उसे “वास्तविक शक्तियां” दे सकते हैं।

अमरीका के राष्ट्रपति की भांति ही हमारा राष्ट्रपति भी एक निर्वाचक-गण' द्वारा चुना जाता है। लेकिन भारत के निर्वाचक-गण में संसद के दोनों सदनों के तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं (अनुच्छेद 54)। संविधान सभा का विचार था कि ऐसा निर्वाचक-गण न केवल राष्ट्रपति को समूचे राष्ट्र का निर्वाचित प्रतिनिधि बना देगा बल्कि वह राज्यों को भी वाणी की मुखता प्रदान करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 58 में व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का पात्र तभी होगा जब वह (क) भारत का नागरिक हो, (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी

1. निर्वाचक-गण (Electoral-College)

कर चुका हो, और (ग) लोक सभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। लेकिन कोई व्यक्ति केवल इसलिए कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है। डा. एस. राधाकृष्णन ने 1962 में और डा. जाकिर हुसैन ने 1967 में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था पर उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन संविधान के उपबन्धों के बावजूद तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि ने तथा लोक सभा के अध्यक्ष डा. एन. संजीव रेड्डी ने पहले अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया और फिर 1969 में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अपने नामांकन पत्र भरे। उपराष्ट्रपति श्री आर. वेकटरामन ने 1987 में तथा उपराष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा ने 1992 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और जीता पर उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से तब तक इस्तीफा नहीं दिया जब तक कि उन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर लिया।

निर्वाचन कानून : राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन से संबंधित सभी मामलों का विनियमन करते हैं। 1952 के अधिनियम में 1974 में संशोधन किए गए। पूर्ववर्ती चुनावों में प्राप्त अनुभव के आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। उसी प्रकार राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन-नियम, 1952 में भी 1974 में संशोधन किए गए। अधिनियम की मुख्य अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

- (i) भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र विहित रूप में पूरा किया जाए। उम्मीदवार हस्ताक्षर करके नामांकन के प्रति सहमति प्रगट करे। साथ ही, कम-से-कम दस निर्वाचक नाम का प्रस्ताव करें और कम-से-कम दस निर्वाचक प्रस्ताव का अनुमोदन करें। इस अपेक्षा को उचित ठहराया गया है क्योंकि अनुच्छेद 58 केवल पात्रता के लिए अर्हताओं का प्रावधान करता है, न कि वैध नामांकन की अपेक्षाओं के लिए (चरनलाल साहू बनाम नीलम संजीव रेड्डी ए आई आर 1978 एस सी 499)
- (ii) हर नामांकन पत्र के साथ ऐसी प्रविष्टि की एक सत्यापित प्रति नथी की जानी चाहिए जो बताती हो कि उम्मीदवार का नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचन-नामावलि में है जिसमें उम्मीदवार को निर्वाचक के रूप में दर्ज किया गया है।

अनुच्छेद 55 का उपबन्ध है कि जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापदंड में एकरूपता होगी। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व

पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत¹ द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अनुच्छेद यह प्रावधान भी करता है कि राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता लाने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है, उनकी संख्या निम्न रीति से निर्धारित की जाएगी :

- (क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए;
- (ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष पांच सौ से कम नहीं है तो उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा।

उदाहरण

राज्य की कुल जनसंख्या	:	43,502,708
विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या	:	294
प्रत्येक के लिए वोटों की संख्या	:	43,502,708
		<hr/>
		1000 × 294
		<hr/>
		= 147.96 या 148

- (ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी।

उदाहरण के लिए, 1987 के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के वास्ते निर्वाचक-नामावलि में सदस्यों की कुल संख्या 4695 थी। ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) राज्य सभा	:	233
(ख) लोक सभा	:	543
(ग) राज्य विधान सभाएं	:	3919
		<hr/>
		कुल 4,695

1. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (System of Proportional Representation by means of Single Transferable Vote)

संसद (राज्य सभा तथा लोक सभा दोनों) के प्रत्येक सदस्य के वोट का मूल्य 702 था। राज्य विधान सभा के हर सदस्य के वोट का मूल्य प्रत्येक राज्य में अलग अलग था। उसका आधार थी विधान सभा की सदस्य संख्या तथा 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी। सबसे कम मूल्य सिक्किम का (7) था और सबसे अधिक मूल्य उत्तर प्रदेश का (208) था।

एक ओर राज्यों में आपस में तथा दूसरी ओर समस्त राज्यों तथा संघ के बीच एकरूपता प्रदान करने के तरीके का आशय यह था कि समूची प्रक्रिया का पलड़ा राज्यों के प्रतिनिधियों के पक्ष में हो। उन्हें दोहरा प्रतिनिधित्व मिला, पहले विधान परिषदों के सदस्यों के रूप में और फिर राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के रूप में। ऐसा जानबूझकर किया गया। उद्देश्य था, राष्ट्रपति पद को समूचे देश तथा संघटक राज्यों का निर्विवाद समर्थन मिले। विभिन्न राज्यों के बीच आपस में प्रतिनिधित्व के मापदंड में एकरूपता प्रदान करने के विचार का मोटे तौर पर उद्देश्य यह था कि आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, एक व्यक्ति—एक वोट के सिद्धांत का पालन किया जाए और इकहरी भारतीय नागरिकता एवं सभी नागरिकों के बीच समता की संकल्पनाओं का समादर किया जाए। राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाने का संभवतया सहज कारण यह विचार था कि वह अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकेगा। संविधान सभा में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रस्ताव को केवल स्वीकार कर लिया गया। एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति में इस पद्धति की कोई अधिक सार्थकता नहीं है। यह पद्धति तभी सार्थक होती है जब एक से अधिक सीटें हों और उन्हें एक ही मतदान के द्वारा वही मतदाता भरें। वस्तुतया वर्तमान पद्धति को एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति कहना उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि उसे अनुकल्पी मत की पद्धति¹ कहा जाए क्योंकि व्यवहार में उसका रूप वैसा ही है।

राष्ट्रपति पद के लिए अब तक दस निर्वाचन हो चुके हैं। डा. सजीव रेड्डी वह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें 1977 में निर्विरोध चुना गया। सर्वाधिक रोमांचकारी चुनाव श्री वी.वी. गिरि का था। तब द्वितीय अधिमानी वोटों की गणना करनी पड़ी थी। डा. राजेन्द्र प्रसाद ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए दो बार चुना गया।

एक चुनाव ऐसा भी हुआ जो राजनीतिक दृष्टि से अति रोमांचकारी था और उसके कारण राजनीतिक क्षेत्रों में सर्वाधिक हलचल पैदा हुई। वह था 1987 का चुनाव। तब श्री आर. वेंकटरामन तथा न्यायाधीश कृष्णा अय्यर के अलावा एक तीसरा वैध उम्मीदवार भी था।

राष्ट्रपतीय निर्वाचनों का एक सर्वाधिक उल्लेखनीय पक्ष यह रहा है कि बहुधा अनेक

1. अनुकल्पी मत की पद्धति (System of Alternate Vote)

नामांकन पत्र दाखिल कर दिए जाते हैं। भले ही उनमें से अधिकांश उम्मीदवार चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते और जांच करने पर उनके नामांकन पत्र अवैध पाए जाते हैं, फिर भी इस बात पर गर्व किया जा सकता है कि कोई भी नागरिक बिना किसी भेदभाव के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की कामना कर सकता है।

निर्वाचन-विवाद : संविधान के अनुच्छेद 71 में उपबंध है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि निर्वाचन नामावलि के सदस्यों में कोई रिक्ति हो गई है।

जो व्यक्ति न तो उम्मीदवार है और न ही निर्वाचक है, वह राष्ट्रपति-निर्वाचन की वैधता को चुनौती देने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता (एन.बी. खरे बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग, ए आई आर 1958 एस सी 139)।

राष्ट्रपतीय निर्वाचन के मामले में (ए आई आर 1974 एस सी 1682 में) उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है और न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधान सभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक-नामावलि अधूरी थी या पूरी तरह गठित नहीं हुई थी।

राष्ट्रपति की पदावधि : अनुच्छेद 62(1) में कहा गया कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 56(1) का उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले।

महाभियोग की प्रक्रिया : अनुच्छेद 61 का उपबंध है कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है पर उसके लिए एक सकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य-संख्या से कम-से-कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों। और उसे उस सदन की कुल सदस्य-संख्या का कम-से-कम दो तिहाई बहुमत पारित करे। जब संसद का कोई सदन इस प्रकार आरोप लगाएगा तो दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और यदि यह दूसरा सदन भी अपनी

कुल सदस्य-संख्या के दो तिहाई बहुमत से संकल्प को पारित कर देगा तो संकल्प के पारण की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा।

उपराष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति के बाद अधिकृत अग्रता-अधिपत्र¹ में सर्वोच्च स्थान उपराष्ट्रपति को दिया गया है। अतः उसका पद उच्च गरिमा एवं प्रतिष्ठा वाला है। संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा (अनुच्छेद 64)। यह अमरीकी प्रथा का अनुसरण है। राज्य सभा के सभापति के रूप में वह राज्य सभा की कार्यवाहियों का सभापतित्व करता है और लोक सभा में अपने प्रतिरूप अध्यक्ष की भांति ही सभा के सभी मामलों से सबद्ध कृत्यों का निर्वहन करता है। लेकिन जहां तक उपराष्ट्रपति के कृत्यों का संबंध है, संविधान में उसे कोई कृत्य नहीं सौंपे गए हैं। प्रथा के अनुसार वह अनेक औपचारिक कृत्य करने लगा है। वह राजदूतों तथा विदेशों के विशिष्ट व्यक्तियों आदि से भेंट करता है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद-त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाए। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन न कर सके तो उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, तब वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा (अनुच्छेद 64)।

हमारे दो राष्ट्रपतियों डा. जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था और तब उपराष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि तथा उपराष्ट्रपति श्री बी.डी. जत्ती ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ऐसे अवसरों से यह सिद्ध हो जाता है कि उपराष्ट्रपति की भूमिका राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है (अनुच्छेद 66)। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि उसे संसद के दोनों सदनों का विश्वास प्राप्त हो।

उपराष्ट्रपति की पदावधि पांच वर्षों की होती है और पद के लिए निर्वाचन को पदावधि की समाप्ति से पूर्व पूरा करना होगा। इस निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं तथा विवादों की जांच तथा निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। उसे उसके पद से ऐसे संकल्प

1. अधिकृत अग्रता-अधिपत्र (Official Warrant of Precedence)

द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिसे लोक सभा की सहमति प्राप्त हो (अनुच्छेद 67, 68 और 71)। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा (अनुच्छेद 66)।

उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के लिए पात्रता की शर्तें वैसी ही हैं जैसी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हैं। अपवाद केवल यह है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है कि उम्मीदवार राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो।

मंत्रिपरिषद

संविधान के अनुच्छेद 74 का उपबंध है कि राष्ट्रपति को उसके मूल्यांकों को प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा।

‘एक मंत्रिपरिषद होगी’, इसका अर्थ यही लगाया जाता है कि सदैव उसका अस्तित्व होगा ही। संविधान ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं करता जहां न तो कोई प्रधानमंत्री हो और न ही कोई मंत्रिपरिषद। संघीय स्तर पर संवैधानिक तंत्र के ठण्ठ हो जाने तथा राष्ट्रपति के सीधे शासन के बारे में कोई उपबंध नहीं है, जैसा कि राज्यों के लिए अनुच्छेद 356 में है।

विशेषया 42वें तथा 44वें संवैधानिक संशोधनों के बाद राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी हो गया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करे। संशोधनों से पूर्व भी उच्चतम न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि सलाह सभी मामलों में बाध्यकारी है (*शमशेर बनाम पंजाब राज्य*, ए आई आर 1974 एस सी 2192)।

लोक सभा के विघटन के बाद भी अपनी शक्तियों के निर्वहन में राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह बाध्यकारी है। *यू.एन. राव बनाम इंदिरा गांधी* (ए आई आर 1971 एस सी 1002) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति यदि शक्तियों का कोई प्रयोग करेगा तो वह संविधान के विरुद्ध होगा क्योंकि उससे अनुच्छेद 74(1) का अतिक्रमण होता है।

लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह की स्वीकृति कोई स्वतःचालित यांत्रिक क्रिया नहीं है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उस पर विचार करते समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। 44वां संशोधन राष्ट्रपति को इस बात का अवसर प्रदान करता है कि

वह मंत्रिपरिषद को सलाह एवं चेतावनी दे और किसी मामले पर पुनर्विचार किए जाने का आग्रह करे और उसके बाद ही प्रस्तावित कार्यविधि को स्वीकार करे और उस पर अपने अनुमोदन का ठप्पा लगाए।

मंत्रिमंडल के निर्णय गोपनीयता से किए जाते हैं। राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है, वह भी राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच गोपनीय रहती है। अतः उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। निश्चय ही न्यायालय उन पर विचार कर सकता है, यदि उन्हें सरकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। उस पर कोई रोक नहीं है (एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, ए आई आर 1982 एस सी 149; राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, ए आई आर 1977 एस सी 1361; मध्य प्रदेश राज्य बनाम नन्दलाल ए आई आर 1987, एस सी 251, चौधरी बनाम बिहार सरकार, ए आई आर 1980 एस सी 383)।

अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

जहां राष्ट्रपति को अपने कृत्यों के निर्वहन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह से पूर्ण मार्गदर्शन मिलता है, वहां यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के सर्वाधिक नाजुक कृत्य का निर्वहन वह किसकी सलाह से करता है। जहां तक संविधान की शब्दावलि का संबंध है, राष्ट्रपति लगभग किसी को भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है पर शर्त केवल यह है कि उसे लोक सभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना ही चाहिए। यदि किसी पार्टी को लोक सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो तो कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि ऐसे मामलों में सुस्थापित संसदीय प्रथाओं तथा परिपाटियों के अनुसार राष्ट्रपति को बहुमत वाली पार्टी के नेता को आमंत्रित करना पड़ता है कि वह प्रधानमंत्री का पदभार संभाले और सरकार बनाए। लेकिन जहां कोई एक पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती, वहां अनेक जोड़तोड़ संभव होते हैं और कुछ समूहों की निष्ठाएं भी बदलती रहती हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी ही नाजुक तथा कठिन हो जाती है। हो सकता है कि यह निर्णय करने में वह अपनी समूची प्रतिभा लगा दे कि कौन-सा नेता लोक सभा का विश्वास प्राप्त करने में सर्वाधिक सफल हो सकता है।

जहां यह कहा जाता है कि मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, वहां वास्तव में स्थिति यह है कि उनका चयन प्रधानमंत्री करता है; राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने न की हो और वे प्रधानमंत्री के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री से अप्रसन्न या असंतुष्ट हो जाता है तो वह उसे पद-त्याग की सलाह दे सकता है,

राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, अथवा अपनी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा दे सकता है और संबद्ध मंत्री का नाम काटकर उसका पुनर्गठन कर सकता है।

ब्रिटेन में संकल्पना मंत्रियों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की है। लेकिन हमारा संविधान केवल सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान करता है। इसका अर्थ है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सरकार के सभी कार्यों के लिए समूची मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः वह खड़ी भी होती है एक साथ और गिरती भी है एक साथ। यदि वह लोक सभा का विश्वास गंवा देती है तो समूची मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना ही होगा। इसके अलावा, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होगा कि मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से अलग अलग वाणियों में नहीं बोलना होगा। यदि किसी मंत्री का मतभेद मंत्रिमंडल के किसी निर्णय अथवा नीति से हो जाए तो उसके लिए अनिवार्य है कि या तो वह इस्तीफा दे दे या फिर बराबर के तथा संयुक्त उत्तरदायित्व को स्वीकार कर ले।

ब्रिटेन में ऐतिहासिक दृष्टि से मंत्रिस्तरीय दायित्व की संकल्पना इस सिद्धांत की उपज थी कि राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता ("King can do no Wrong")। चूंकि राज्य के गलत कार्यों के लिए राजा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था, अतः उत्तरदायित्व का भार डालने के लिए मंत्री सबसे सुलभ पात्र समझे गए। राज्य के हर कार्य के लिए कोई-न-कोई मंत्री उत्तरदायी माना जाता है। अतः किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए सम्राट के नाम से दिए जा रहे हर आदेश पर किसी मंत्री को प्रति-हस्ताक्षर करने होते हैं।

दूसरी ओर, भारत में मंत्रिस्तरीय दायित्व की संकल्पना और उसका विकास प्रतिनिधानात्मक लोकतंत्र के सर्वोच्च सिद्धांतों के आधार पर किया गया। यह है लोक सभा में जनता के सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति सरकार का दायित्व। वस्तुतया भारत में राज्य के उन कार्यों के लिए मंत्रियों का कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता जो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उनके बारे में प्रमाणिकरण के रूप में प्रति-हस्ताक्षर की अपेक्षा मंत्री से नहीं की जाती बल्कि उसकी अपेक्षा सरकार के किसी सचिव (अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी) से की जाती है।

संविधान केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है। वह मंत्रिमंडल के मंत्रियों, उपमंत्रियों आदि के रूप में मंत्रियों के किसी वर्गीकरण या श्रेणीकरण का उल्लेख नहीं करता। साथ ही, वह केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है और सिवाय (1979 में यथासंशोधित) अनुच्छेद 352 के मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं करता। वहां मंत्रिमंडल की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि वह मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्रियों वाली परिषद होगी। सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए मंत्रिमंडल ही नीति संबंधी निर्णय करता है और राष्ट्रपति

को सलाह देता है। कार्य-निष्पादन के लिए सभी श्रेणियों के मंत्रियों सहित समूची मंत्रिपरिषद तो संभवतया कभी भी बैठक नहीं करती।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री को यह विशेष कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रशासन तथा विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता रहे, इन मामलों के संबंध में राष्ट्रपति जो जानकारी मागे उसे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।

संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का अद्वितीय स्थान है। वह सर्वाधिक सशक्त कृत्यकारी होता है। वह संसद तथा कार्यपालिका, दोनों पर नियंत्रण रखता है। संसदीय सरकार को बहुधा प्रधानमन्त्रीय सरकार कहा जाने लगा है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री सरकार का भी अध्यक्ष होता है। साथ ही, वह संसद में अपनी पार्टी का नेता तथा लोक निर्वाचित लोक सभा का नेता होता है। लेकिन अंतिम विश्लेषण यह है कि बहुत कुछ प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व तथा इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्र, उसकी ..टी तथा संसद उसे किस हद तक स्वीकार करती है और कितना समर्थन देती है। प्रधानमंत्री को सरक्षण की विशाल शक्तियां प्राप्त हैं। सभी मंत्री उसकी सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं तथा बर्खास्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करता है। साथ ही, वह इच्छानुसार उनके विभागों में परिवर्तन कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच सवाद का सेतु है।

प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के बीच एव प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच कैसे सबध हो, इस बारे में संविधान के गठन काल से ही विवाद चला आ रहा है। गृहमंत्री के रूप में सरदार पटेल की तथा प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू की अनुभूतियों में आकाश-पाताल का अंतर रहा है। इसी प्रकार, प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद तथा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच बुनियादी मतभेद थे। अभी हाल में इस बारे में कि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक अध्यक्ष है, सभी सशोधनों तथा न्यायिक स्पष्टीकरणों के बावजूद राष्ट्रपति जैल सिंह प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लगभग भिड़ने के लिए, यहां तक कि उन्हें बर्खास्त करने की धमकी देने के लिए तैयार हो गए थे।

भारत का महान्यायवादी

“कार्यपालिका” अध्याय के अधीन संविधान में एक प्रावधान है अनुच्छेद 76, जिसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता-प्राप्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। वह भारत सरकार को

कानूनी मामलों के बारे में सलाह देता है और कानूनी स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो उसे सौंपे जाएं।

महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। लेकिन चूंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर की जाती है अतः यह परिपाटी बन गई है कि सरकार बदलने के साथ ही वह अपना इस्तीफा पेश कर देता है।

महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही, उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है पर वह वोट नहीं दे सकता। न तो वह लोक सभा का पूर्णकालिक अधिकारी होता है और न ही ब्रिटेन की भांति वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। साथ ही, उसे निजी प्रैक्टिस करने से रोका नहीं जाता। अपवाद केवल यह है कि भारत सरकार के विरुद्ध वह न तो सलाह दे सकता है और न ही उसके विरुद्ध वकालत कर सकता है।

संघ की विधायिका

भाग 5, अध्याय 2 तथा 3, अनुच्छेद 79-123

संसद

भारत संघ की सर्वोच्च विधायिका का नाम है संसद। जैसा कि संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में स्वाभाविक है, देश के प्रशासन में भारत की संसद को प्रमुख स्थान प्राप्त है।

संसद का गठन

भारत की संसद राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनी है। सदनों के नाम हैं राज्य सभा तथा लोक सभा। अनुच्छेद 79 के प्रारंभ में ही कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। इसका अर्थ है कि संघ के लिए एक संसद सदैव अस्तित्व में रहेगी। संसद के तीन घटकों में से केवल लोक सभा का ही विघटन हो सकता है। राज्य सभा एक स्थायी अथवा शाश्वत सभा है और यह अनिवार्य है कि सदैव एक राष्ट्रपति अथवा एक ऐसा व्यक्ति हो जो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करे।

राष्ट्रपति : यद्यपि राष्ट्रपति संसद का एक संघटक अंग है पर वह दोनों सदनों में न तो बैठता है और न ही उनकी चर्चाओं में भाग लेता है। लेकिन राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों की बैठकें बुलाता है। वह दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है और लोक सभा का विघटन कर सकता है। सत्रावसान सत्र की समाप्ति करता है पर विघटन सदन के जीवन का अंत कर देता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के बाद ही वह विधि बन सकता है। इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उसके लिए तुरंत कार्यवाही करना जरूरी हो गया है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उनका वही जोर तथा प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित विधि का होता है (अनुच्छेद 85, 111 तथा 123)।

लोक सभा के लिए हर आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ होने पर तथा प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करता है और संसद को उसे बुलाए जाने के कारणों की सूचना देता है। इसके अलावा, वह संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। उसे यह भी अधिकार है कि वह संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सके और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है, वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा (अनुच्छेद 86 तथा 87)। कुछ श्रेणियों के विधेयकों का पुरःस्थापन तथा उन पर कार्रवाई राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है [अनुच्छेद 117 तथा 274(1)। अध्याय 11 भी देखिए]।

राज्य सभा : राज्य सभा अपने नाम के अनुरूप राज्यों की परिषद है। वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि उसका समूहन संघ, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनेक अंगों के रूप में होता है और राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं [अनुच्छेद 80(4)]। संघ के विभिन्न राज्यों को राज्य सभा में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। भारत के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अधिकतर उसकी आबादी पर निर्भर करती है। अतः जहां राज्य सभा में उत्तर प्रदेश के 34 सदस्य हैं, वहां मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे छोटे छोटे राज्यों का केवल एक एक प्रतिनिधि है। अडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा तथा नागर हवेली, दमण तथा दीव और लक्षद्वीप जैसे कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की आबादी इतनी कम है कि राज्य सभा में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। संविधान के अनुसार राज्य सभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। उसमें राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित बारह सदस्य तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित 238 सदस्य होते हैं [अनुच्छेद 80(1)]।

राज्य सभा में इस समय 245 सदस्य हैं। विवरण इस प्रकार है :

आंध्र—18, अरुणाचल—1, असम—7, बिहार—22, गोवा—1, गुजरात—11, हरियाणा—5, हिमाचल—3, जम्मू-कश्मीर—4, कर्नाटक—12, केरल—9, मध्य प्रदेश—16, महाराष्ट्र—19, मणिपुर—1, मेघालय—1, मिजोरम—1, नागालैंड—1, उड़ीसा—10, पंजाब—7, राजस्थान—10, सिक्किम—1, तमिलनाडु—18, त्रिपुरा—1, उत्तर प्रदेश—34, पश्चिमी बंगाल—16, दिल्ली—3, पांडिचेरी—1 और नामनिर्देशित—12।

लोक सभा की एक निश्चित कालावधि होती है और उसका विघटन राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है। इसके विपरीत राज्य सभा एक स्थायी निकाय है और उसका

विघटन नहीं किया जा सकता। जहां राज्य सभा के किसी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, वहां उसके सदस्यों में से यथासंभव एक तिहाई सदस्य विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं [अनुच्छेद 83(1)]। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं और वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पर उपसभापति का चुनाव राज्य सभा के सदस्य अपने सदस्यों में से करते हैं (अनुच्छेद 64, 66 तथा 89)।

लोक सभा : दूसरा सदन लोक सभा यानी लोक सदन है। इसका निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, लोक सभा के चुनावों में वोट देने का अधिकारी है जब तक कि विधि के अधीन उसे अन्यथा अयोग्य न ठहरा दिया जाए (अनुच्छेद 326)। संविधान का उपबंध है कि लोक सभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने गए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे [अनुच्छेद 81(1)]। इसके अलावा, राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिक-से-अधिक दो सदस्य नामजद कर सकता है (अनुच्छेद 331)। इस प्रकार, संविधान में लोक सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। समस्त निर्वाचन-सदस्य संख्या को राज्यों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि प्रत्येक राज्य को लोक सभा में आवंटित स्थानों की संख्या ऐसी हो कि उस संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक-सा ही हो। इस प्रयोजन के लिए जनसंख्या से अभिप्रेत है 1971 की जनगणना में निश्चित जनसंख्या। सन् 2000 तक लोक सभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा [अनुच्छेद 81(3)]।

लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण राज्यवार जनसंख्या-अनुपात के आधार पर किया गया है। मूलतया आरक्षण दस वर्षों के लिए था लेकिन उसे हर बार अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है (अनुच्छेद 330 तथा 334)।

लोक सभा के लिए निश्चित अवधि का उपबंध है। यही स्थिति संयुक्त राज्य अमरीका की जन-निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा ब्रिटेन के हाउस आफ कामंस की है। प्रतिनिधानात्मक लोकतंत्र का प्रमुख प्रयोजन यह है कि पद पर वैध रूप से बने रहने के लिए सरकार नियत समय पर जनोदश प्राप्त करे। लोक सभा की अवधि उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्षों की है। पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर उसका स्वतः विघटन हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में लोक सभा की पूर्ण अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उसका विघटन किया जा सकता है। जब आपात की घोषणा लागू हो तब संसद लोक सभा की

अवधि को बढ़ा सकती है, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और घोषणा के लागू न रहने के बाद किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा (अनुच्छेद 83)। वस्तुतया प्रथम लोक सभा से ही हर बार लोक सभा का विघटन उसकी पूर्ण अवधि समाप्त होने से पूर्व किया गया है। एक बार जब आपात के दौरान उसकी अवधि को बढ़ाया गया था तो बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोक सभा का विघटन कर दिया गया था।

संसद-सदस्य

सदस्यता के लिए अर्हता : अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की सदस्यता संबंधी अर्हताओं का उपबंध है। कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में चुने जाने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। राज्य सभा की सदस्यता के लिए उसकी आयु कम-से-कम तीस वर्ष की और लोक सभा की सदस्यता के लिए उसकी आयु कम-से-कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। अतिरिक्त अर्हताएं विधि द्वारा विहित की जा सकती हैं।

सदस्यता के लिए निरर्हताएं : अनुच्छेद 102 के अधीन कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के और सदस्य होने के योग्य नहीं होगा यदि वह—

- (i) भारत का नागरिक नहीं है अथवा अन्यथा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है; यदि वह (ii) अनुन्मोचित दिवालिया¹ है अथवा विकृतचित्त है और उसके बारे में सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; (iii) भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, सिवाय मंत्री पद के अथवा उस पद के जिसके बारे में ससद ने विधि द्वारा छूट दी है, और (iv) ससद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन अयोग्य ठहराया गया हो।

दसवीं अनुसूची के अधीन दलबदल के आधार पर भी किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जा सकता है। संविधान में इस अनुसूची को 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।

यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदस्ता के अयोग्य हो गया है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा पर उससे पूर्व वह निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उस राय के अनुसार निर्णय करेगा। यदि अयोग्यता दलबदल के आधार पर हो तो उस मामले में निर्णय, यथास्थिति, लोक सभा का अध्यक्ष अथवा राज्य सभा का सभापति करेगा।

स्थानों का रिक्त होना : अनुच्छेद 101 का उपबंध है कि यदि कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो

1. अनुन्मोचित दिवालिया (Undischarged Insolvent)

उसे एक सदन में अपना स्थान छोड़ना होगा। राज्य विधानमंडल की दशा में यदि सदस्य वहाँ अपने पद का त्याग नहीं करता है तो संसद के सदन में उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। कोई स्थान उस अवस्था में भी रिक्त हो जाएगा यदि कोई सदस्य अयोग्यता से ग्रस्त हो जाता है अथवा स्वेच्छा से अपना पद त्याग कर देता है। सदन किसी स्थान के रिक्त होने की घोषणा ऐसी स्थिति में भी कर सकता है जब संबद्ध सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक अवधि तक सदन से अनुपस्थित रहे।

सदस्यों द्वारा शपथ : आम चुनाव के बाद लोक सभा के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में सदस्यगण विहित रूप में शपथ लेते हैं और प्रतिज्ञान करते हैं। वे कहते हैं [“मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा”]; “मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा” और “मैं संसद-सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा।” किसी भी सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व हर सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वह शपथ ले तथा प्रतिज्ञान करे (अनुच्छेद 99 तथा तीसरी अनुसूची)।

सदस्यों के वेतन तथा भत्ते : दोनों सदनों के सदस्य ऐसे वेतनों तथा भत्तों के हकदार होते हैं जिनका निर्धारण समय समय पर विधि द्वारा संसद स्वयं करती है (अनुच्छेद 106)। इस उपबंध में पेंशनो का अलग से कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन संसद सदस्य (वेतन, भत्ते तथा पेंशन) अधिनियम के अधीन संसद ने सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। नवीं लोक सभा के कार्यकाल में दोनों सदनों ने एक विधेयक पारित किया। उसमें, अन्य बातों के साथ साथ, यह उपबंध भी किया गया था कि केवल एक वर्ष की सेवा के बाद भी किसी सदस्य को पेंशन दी जाए। लेकिन, राष्ट्रपति द्वारा इस पर अनुमति नहीं दी गई।

संसद के अधिकारी

संविधान में लोक सभा के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का और राज्य सभा के लिए सभापति तथा उपसभापति का उपबंध किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति का चुनाव राज्य सभा अपने सदस्यों में से करती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव लोक सभा अपने सदस्यों में से करती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोक सभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करता है। इसी प्रकार सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। ऐसी अध्यक्षता करते समय उप-पीठासीन [अधिकारी दोनों अवस्थाओं में सदन के पीठासीन] अधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है (अनुच्छेद 89, 91, 93-95)।

भारत में, सामान्यतया अध्यक्ष का पद कमोबेश हाउस आफ कॉमंस के अध्यक्ष जैसा ही होता है। उसका पद प्रतिष्ठा, प्रताप और प्राधिकार वाला होता है। वह लोक सभा

का अध्यक्ष होता है। उसका प्रमुख दायित्व है कि वह सदन की कार्यवाही का सहज तथा सुव्यवस्थित संचालन करे। सदन के भीतर तथा सदन से संबंधित सभी मामलों में उसका कथन वेदवाक्य होता है। उसके वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि¹ से लिए जाते हैं यानी उनकी अनुमति संसद से नहीं ली जाती। उसके आचरण पर चर्चा केवल सारभूत आधार वाले प्रस्ताव के द्वारा ही की जा सकती है। वह सदन में वोट नहीं देता, सिवाय उस स्थिति के जब किसी मामले में पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर वोट पड़े हों [अनुच्छेद 94, 96, 100(1) तथा 112(3) (ख)]।

जहां तक कतिपय मामलों में दोनों सदनों के संबंधों का प्रश्न है, संविधान ने अध्यक्ष को विशेष स्थान प्रदान किया है। वह निश्चित करता है कि वे कौन-से मामले हैं जो लोक सभा के एकमात्र अधिकारक्षेत्र के भीतर आने वाले वित्तीय मामले हैं। यदि वह किसी विधेयक को 'धन-विधेयक' का प्रमाणपत्र प्रदान करता है तो उसका निर्णय अंतिम होता है (अनुच्छेद 110)। जब भी किसी विधेयक के बारे में दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो वह ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और ऐसी बैठक में प्रक्रिया संबंधी सभी नियमों का संचालन उसके निर्देशों तथा आदेशों के अनुसार होता है [अनुच्छेद 108 तथा 118(4)]।

लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोक सभा का सदस्य न रहने पर अपना पद रिक्त कर देता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। उसे सदन के संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, पर इसके लिए 14 दिन की सूचना देनी होगी और उसे सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित करना होगा (अनुच्छेद 94)। अनुच्छेद 90 में राज्य सभा के उपसभापति के लिए ऐसा ही प्रावधान है। लेकिन लोक सभा का विघटन हो जाने पर भी नये सदन की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है (अनुच्छेद 94, परंतुक 2)।

संसद के सत्र

राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए बुलाता है। लेकिन अनुच्छेद 85(1) क उपबंध है कि दो सत्रों के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा। सामान्यतया प्रतिवर्ष संसद के तीन सत्र होते हैं अर्थात् बजट-सत्र (फरवरी-मई), वर्षाकालीन सत्र (जुलाई-सितंबर) और शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)। लेकिन राज्य सभा के बजट-सत्र का विभाजन दो सत्रों में कर दिया जाता है और उनके बीच तीन से चार सप्ताह का अंतराल होता है। अतः उसके वर्ष में चार सत्र हो जाते हैं।

1. भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)

कार्य-संचालन तथा विधायी प्रक्रिया

प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया का सर्वाधिकारी होता है और संविधान के अनुच्छेद 118 के उपबंधों के अधीन अपनी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन को विनियमित करने के नियम बना सकता है। संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता की प्रक्रिया को किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद का कोई अधिकारी या सदस्य संसद में प्रक्रिया-विनियमन अथवा कार्य-संचालन के मामले में किसी शक्ति के प्रयोग के लिए न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा (अनुच्छेद 122)।

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के कुछ बुनियादी नियमों के बारे में स्वयं संविधान में ही उपबंध कर दिया गया है। अनुच्छेद 100 का प्रावधान है कि (1) इस संविधान में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय (यथा संविधान-संशोधनों, राष्ट्रपति के महाभियोग, पीठासीन अधिकारियों, न्यायाधीशों आदि को हटाए जाने की दशा में), प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण, पीठासीन अधिकारी को छोड़कर जो केवल वोटों की बराबरी की दशा में ही निर्णायक वोट का इस्तेमाल करेगा, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, (2) सदस्यता में रिक्ति अथवा विवाद या मतदान में अनधिकृत भागीदारी होने पर भी किसी भी सदन की सभी कार्यवाहियां विधिमान्य होगी, और (3) प्रत्येक सदन के अधिवेशन का गठन करने के लिए गणपूर्ति, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवा भाग होगी।

धन विधेयको तथा अन्य वित्तीय विधेयकों को छोड़कर किसी भी विधेयक को किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। ऐसे विधेयक को अनुमति के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने से पूर्व अनिवार्य है कि उसे दोनों सदन बिना किसी संशोधन के या दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित पारित किया जाए। धन विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधेयक की दशा में यदि दोनों सदनों के बीच कोई अंतिम असहमति हो जाए तो राष्ट्रपति मतभेदों को दूर कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है (अनुच्छेद 107-108)।

वित्तीय विधेयक¹ संविधान धन विधेयकों तथा वित्त विधेयकों के बीच विभेद करता है। सामान्यतया कहा जा सकता है कि वित्त विधेयक वह विधेयक है जिसका संबंध राजस्व अथवा व्यय से है। धन विधेयक के बारे में संविधान में विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिए उपबंध करने के अलावा वित्त विधेयक अन्य मामलों के बारे में भी उपबंध कर सकता है। सुविधा की दृष्टि से वित्त विधेयक को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

श्रेणी 'क' : वे विधेयक जो धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट किसी मामले के बारे में उपबंध करते हैं पर केवल उन्हीं मामलों तक सीमित नहीं रहते यथा

1. वित्तीय विधेयक (Financial Bills)

एक विधेयक जिसमें कराधान संबंधी खंड तो होता है पर वह केवल कराधान से संबंध नहीं रखता।

श्रेणी 'ख' के विधेयक जिनमें संचित निधि में व्यय संबंधी उपबन्ध होते हैं (अनुच्छेद 110 तथा 117)।

धन-विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया

धन विधेयक की परिभाषा करते हुए अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें केवल इन विषयों के बारे में उपबन्ध होता है अर्थात् कर, उधार, संचित निधि तथा^१ की अभिरक्षा, विनियोग, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित घोषित करना, संचित निधि में धन की प्राप्ति तथा अभिरक्षा, सघ या राज्य के लेखाओं की लेखापरीक्षा या कोई अन्य आनुषंगिक मामले। कोई विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धन संबंधी शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके भुगतान का उपबन्ध करता है अथवा वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, विनियमन आदि का उपबन्ध करता है। यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। हर धन विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए उपस्थित किया जाता है तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाणपत्र दिया जाएगा कि वह धन विधेयक है (अनुच्छेद 110)। धन विधेयक केवल लोक सभा में और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पुर-स्थापित किया जा सकता है। जब लोक सभा उसे पारित करके राज्य सभा में भेज देती है तो राज्य सभा 14 दिन की अवधि के भीतर सिफारिश, यदि कोई हो, कर सकती है और लोक सभा किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसके बाद माना जाता है कि उसे लोक सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। यदि संशोधन के बारे में राज्य सभा की सिफारिश को लोक सभा स्वीकार नहीं करती या राज्य सभा विधेयक को 14 दिन के भीतर नहीं लौटाती तो समझा जाता है कि उसे दोनों सदनों ने उस रूप में पारित कर दिया है जिस रूप में उसे लोक सभा ने पारित किया था (अनुच्छेद 109)।

-
1. धन-विधेयक (Money Bill)
 2. आकस्मिता निधि (Contingency Fund)

विधेयकों पर अनुमति

अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि जब ससद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाएगा तो राष्ट्रपति या तो विधेयक पर अनुमति देगा या फिर अनुमति रोक लेगा। वह विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक नहीं है, दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि विधेयक को संशोधनों के सहित या उनके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है और अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो वह उस पर अनुमति नहीं रोकेंगा (अनुच्छेद 111)। राष्ट्रपति के पास एक और विकल्प यह है कि वह कुछ सूचना या स्पष्टीकरण मागे या विधेयक को सरकार को यानी मंत्रिपरिषद् को लौटा दे ताकि वह अपनी इस सलाह पर कि विधेयक को अनुमति दी जाए पुनर्विचार कर सके। [अनुच्छेद 74(2) तथा 78(ख)]। सभवतया राष्ट्रपति जैल सिंह ने डाक विधेयक के बारे में और राष्ट्रपति वेकटरामन ने केवल एक वर्ष की सेवा के बाद ही ससद सदस्यों को पेंशन दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक के बारे में यही कदम उठाया था।

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

बजट : राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में ससद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण रखवाएगा। इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' या बजट कहा जाता है।

वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के अनुमानों में—

- (क) इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियाँ, और
- (ख) भारत की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियाँ;

अलग अलग दिखाई जाएगी और राजस्व खाते में होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा।

भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार होगा :

- (क) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय;
- (ख) राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;
- (ग) ऐसे ऋण-भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन-भार तथा उधार लेने और ऋण-सेवा और ऋण-मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं;

- (घ) (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन, (ii) फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय पेंशन, (iii) उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या जो (भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के) अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था;
- (ङ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को या उसके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन;
- (च) किसी न्यायालय या माध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां;
- (छ) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या ससद द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारत घोषित किया जाता है (अनुच्छेद 112)।

अनुमान तथा अनुदानों की मांगें¹ : संचित निधि पर भारत व्यय से संबंधित अनुमान ससद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते लेकिन उनकी चर्चा पर रोक नहीं है। अन्य अनुमानों को लोक सभा के सामने अनुदानों की मांगों के रूप में रखा जाता है और लोक सभा किसी मांग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। वह मांग को कम करके भी स्वीकार कर सकती है। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी अन्यथा नहीं (अनुच्छेद 113)।

विनियोग विधेयक² : लोक सभा द्वारा अनुदान की मांगों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद भारत की संचित निधि में से विनियोग के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है। अनुदानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियों को लोक सभा अनुमति प्रदान करती है तथा व्यय को संचित निधि पर भारत किया जाता है। ऐसे किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती जिसका उद्देश्य रकम में अथवा अनुदान मद के आवंटन में या किसी भारत व्यय की रकम में परिवर्तन करना हो। विनियोग विधेयक जरूरी है क्योंकि संसदीय मजूरी के बिना संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती। अतिरिक्त, अनुपूरक या अधिक अनुदानों को मतदान के लिए अलग से रखा जा सकता है लेकिन उन पर भी वही प्रक्रिया लागू होगी (अनुच्छेद 114-115)।

1. अनुमान तथा अनुदानों की मांगें (Estimates and Demands for Grants)

2. विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)

अनुच्छेद 116 में उपबंध है कि (1) लेखानुदान¹ दिया जा सकता है यानी बजट अनुमोदन तथा समूची प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व पेशगी अनुदान दिए जा सकते हैं, (2) ऐसा असाधारण अनुदान दिया जा सकता है जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का अंग नहीं होता, और (3) बड़े पैमाने की अप्रत्याशित या अनिश्चित स्वरूप की मांग की पूर्ति के लिए अनुदान दिया जा सकता है (अनुच्छेद 116)।

वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन संबंधी प्रक्रिया को संसद विधि द्वारा विनियमित कर सकती है (अनुच्छेद 119)।

संसद की भाषा

संविधान में घोषणा की गई है कि संसद में कार्य हिंदी तथा अंग्रेजी में किया जाएगा। लेकिन पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को भली भांति व्यक्त नहीं कर सकता है, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है (अनुच्छेद 120)।

संसदीय विशेषाधिकार

संविधान का अनुच्छेद 105 सदन के सदनों, उसके सदस्यों तथा उनकी समितियों के अधिकारों, विशेषाधिकारों आदि के बारे में उपबंध करता है।

विशेषाधिकार से अभिप्रेत है कोई विशेष या असाधारण अधिकार या स्वतंत्रता या उन्मुक्ति जो वर्ग विशेष के व्यक्तियों को प्राप्त हो। कानूनी दृष्टि से इसका अर्थ है ऐसे किसी कर्तव्य, भार, उपस्थिति या दायित्व से छूट जो दूसरों को पूरे करने पड़ते हैं। विशेषाधिकार की यह परिभाषा भी की जा सकती है कि वह ऐसा अधिकार है, जो दूसरों के पास नहीं होता। संसदीय विशेषाधिकार सदन के दोनों सदनों, उसके सदस्यों तथा समितियों के वे विशेष अधिकार हैं। जिनके बिना वे अपने कृत्यों का निर्वहन उस रीति से नहीं कर सकते जिसकी उनसे आशा की जाती है। विशेषाधिकार देने का उद्देश्य यह है कि सदन के सदनों, उनकी समितियों तथा उनके सदस्यों की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को तथा कार्य करने की उनकी आजादी को बनाए रखा जा सके और वे बिना किसी विघ्न या बाधा के काम कर सकें। विशेषाधिकार वस्तुतया कतिपय अधिकारों, उन्मुक्तियों तथा छूटों को जन्म देते हैं। लेकिन सदस्यों के विशेषाधिकार उन्हें तब तक कानून की नजरों में साधारण नागरिक से भिन्न दर्जा प्रदान नहीं करते जब तक कि स्वयं संसद के हित में ऐसा करने के समुचित कारण न हों। बुनियादी कानून यह है कि संसद सदस्यों समेत सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान समझा जाए। उनके भी अधिकार तथा उन्मुक्तियां

1. लेखानुदान (Vote on Account)

साधारण नागरिकों जैसी ही हैं, सिवाय उस स्थिति के जब संसद में वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। सदस्यों को ये विशेषाधिकार केवल तभी उसी सीमा तक उपलब्ध हैं जब तक वे संसद में जनप्रतिनिधियों के रूप में काम करते हैं और अपने संसदीय दायित्वों का निर्वाह करते हैं। ये विशेषाधिकार किसी भी दशा में उन्हें समाज के प्रति उनके दायित्वों से मुक्त नहीं करते। इन दायित्वों का भार उन पर दूसरों जैसा ही है और संभवतया उस हैसियत से कुछ अधिक ही।

अधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है। वे हैं संसद में बोलने की आजादी तथा संसद में उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए मत के बारे में न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति—

1. संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों तथा स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद में बोलने की आजादी होगी।
2. संसद में या उनकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी संसद-सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और कोई व्यक्ति, संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी रिपोर्ट, पत्र, मर्तों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार दायी नहीं होगा [तेज किरण बनाम संजीव, ए आई आर 1970 एस सी 1573, गतीश बनाम हरिसाधन (1956) 60 सी डब्ल्यू एन 971, ए आई आर 1961 एस सी 613]।
3. अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तिया ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर, विधि द्वारा, परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं, तब तक वही होंगी जो संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के लागू होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं।
4. जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद-सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।

दूसरे शब्दों में, वस्तुतया प्रत्येक सदन, उसकी समितियों तथा सदस्यों को (संविधान में विनिर्दिष्ट अधिकारों को छोड़कर) वे अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो 26 जनवरी, 1950 को ब्रिटिश हाउस आफ कामंस को प्राप्त थे।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसदीय विशेषाधिकार यह है कि संसदीय कर्तव्यों का पालन करते समय बोलने की आजादी होगी। अनुच्छेद 19 भी नागरिक को बोलने की आजादी का अधिकार देता है लेकिन अनुच्छेद 105 तथा 194 विधानमंडलों के सदस्यों के बोलने की आजादी के अधिकार को विशेष रूप से रेखांकित करते हैं। अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी के अधिकार पर युक्तियुक्त अंकुश लगाता है यथा, मानहानि की विधि का। यदि कोई साधारण व्यक्ति कुछ अपमानजनक बात कहता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है लेकिन कोई संसद सदस्य जो सदन में या उसकी किसी समिति में बोलता है, वह उन्मुक्त है। उसके विरुद्ध इस आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती कि उसका भाषण अपमानजनक या मानहानिकारक था।

सदस्यों को सार्वजनिक शिकायतों को अभिव्यक्त करना पड़ता है और सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मामलों को उठाना पड़ता है। ऐसा करते समय सदस्यों के मन में किसी प्रकार की दुविधा या संकोच नहीं होना चाहिए और उन्हें अपनी बात तथा अपने विचारों को आजादी से व्यक्त कर सकना चाहिए। सदन में तथा संसदीय समितियों की बैठकों में सदस्य को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह जो चाहे कह सके पर एकमात्र शर्त यह है कि वह सदन या संबद्ध समिति के आंतरिक अनुशासन का पालन करे। किसी बाहरी प्राधिकारी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सदस्य के लिए वाक-स्वातंत्र्य नितांत आवश्यक है। तभी वह समितियों तथा संसद की सभाओं में बिना किसी भय या पक्षपात के आजादी से काम कर सकता है। सदस्य जो कहता है, उसके बारे में जब तक उसे कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्त प्राप्त नहीं होगी, तब तक उससे आशा नहीं की जा सकती कि वह आजादी से तथा उन्मुक्त भाव से बोले। अतः संविधान का उपबंध है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी संसद सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में या संसद के अलावा किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सदस्य द्वारा संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई बात के लिए उसकी आलोचना करना या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना भी विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसी प्रकार उसके द्वारा संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात के लिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।

‘सर्चलाइट’ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 105 के अधीन सदस्यों को बोलने की जो आजादी दी गई है, उस पर केवल संविधान के उन उपबंधों का अंकुश होगा जो संसदीय प्रक्रिया तथा सदन के नियमों और स्थायी आदेशों का विनियमन करते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी निबंधन से मुक्त है जो किसी साधारण नागरिक के वाक-स्वातंत्र्य पर अनुच्छेद 19(2) के अधीन बनाई गई विधि द्वारा लगाए

जा सकते हैं। अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन करते समय सदस्यों द्वारा कही गई किसी बात या किए गए किसी कार्य को लेकर संसद से बाहर की गई किसी जांच-पड़ताल के बारे में समझा जाएगा कि वह सदस्यों के अधिकारों में गंभीर हस्तक्षेप है। भले ही किसी सदस्य के सभा में दिए गए भाषण से न्यायालय की अवमानना होती हो, पर उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। न्यायालय एक बाह्य प्राधिकरण है, अतः उसे इस मामले की पड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 122 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसदीय कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय कोई जांच-पड़ताल नहीं कर सकते।

इस प्रकार, भारत के न्यायालयों ने इस बात को मान्यता प्रदान की है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन को यह निर्णय करने का एकमात्र प्राधिकार है कि किसी प्रकरण विशेष में विशेषाधिकार का हनन हुआ है या नहीं। यह निर्णय भी दिया गया है कि मानहानि के लिए कार्रवाई करने की लोक सभा की शक्ति हाउस आफ कामंस की शक्ति जैसी ही होगी और उस शक्ति के प्रयोग की अन्वीक्षा के लिए कोई भी न्यायालय सक्षम नहीं होगा।

लेकिन बाह्य प्रभाव या हस्तक्षेप से उन्मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि संसद की चारदीवारी के भीतर बोलने की आजादी का कोई निरंकुश लाइसेंस दे दिया गया है। यह याद रखना जरूरी है कि सदनों, सदस्यों तथा उनकी समितियों के विशेषाधिकारों पर संविधान के अन्य उपबंधों का बंधन है और उनके साथ उनका समरस अर्थ लगाया जाना चाहिए। यथा, संसद में वाक-स्वातंत्र्य के विशेषाधिकार पर अनुच्छेद 118 के अधीन संसद के सदनों द्वारा बनाए गए प्रक्रिया संबंधी नियमों का अंकुश होगा। अनुच्छेद 121 संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध करता है; केवल उन्हें हटाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। (एम.एस. शर्मा बनाम श्रीकृष्ण सिन्हा, ए आई आर 1959 एस सी 395)।

1964 के विशेष परामर्श केस (केशव सिंह केस) में अपनी राय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने, 1965 में, ये विचार प्रगट किए थे :

‘सर्चलाइट केस’ में बहुमत के निर्णय का यह अर्थ लगाना उचित नहीं होगा कि उसके द्वारा यह सामान्य प्रस्थापना निर्धारित कर दी गई है कि जब भी अनुच्छेद 194(3) के उत्तरवर्ती भाग के उपबंधों का टकराव भाग 3 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों के उपबंधों से हो तो उत्तरवर्ती को पूर्ववर्ती के आगे झुकना ही होगा। अतः बहुमत निर्णय का यही अर्थ लगाना होगा कि उसने फैसला कर दिया है कि अनुच्छेद 19(1) (क) लागू नहीं होगा और अनुच्छेद 21 लागू होगा। अनुच्छेद 194 के खंड (3) में निहित उपबंधों के प्रभाव पर विचार करते समय, जब भी यह प्रतीत हो कि उक्त उपबंधों तथा मूल अधिकारों संबंधी उपबंधों के बीच

टकराव है तो यह प्रयास करना होगा कि समरस अर्थान्वयन नियम¹ को अपनाकर उक्त टकराव को दूर किया जाए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केशव सिंह केस के बारे में दिनांक 10 मार्च, 1965 के अपने निर्णय में (जो उच्चतम न्यायालय के परामर्श-मत के बाद दिया गया) इस प्रकार कहा है

1. हमारा मत है कि प्राधिकार की दृष्टि से तथा संविधान के सगत उपबंधों के विचार की दृष्टि से यह मानना ही होगा कि अनुच्छेद 194(3) के आधार पर विधान सभा को अपनी मानहानि के लिए कार्रवाई करने की वैसी ही शक्ति प्राप्त है जैसी शक्ति हाउम आफ कामस को प्राप्त है।
2. हमारा मत है कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के उपबन्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिद्धदोष तथा कारावास के दंडारोपण के अनुसरण में किए गए निरोध पर लागू नहीं हो सकते।
3. चूंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि विधान सभा को अपनी मानहानि के लिए याचिकादाता के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति है और चूंकि अनुच्छेद 208(1) के अधीन विधान सभा ने अपने कार्य-संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी नियम बनाए हैं, अतः याचिकादाता के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की वंचना तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई के बारे में यही कहना पड़ेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थात्गत विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की गई है।
4. एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि विधान सभा को इस बारे में शक्ति तथा अधिकारिता है कि वह अपनी मानहानि के लिए कार्रवाई करे और याचिकादाता को सुनाए गए दंड को आरोपित करे, हम कार्रवाई की यथातथ्यता, औचित्य अथवा वैधता के बारे में विचार नहीं कर सकते। विधान सभा ने अपनी मानहानि के लिए याचिकादाता के विरुद्ध कार्रवाई करने का जो निर्णय लिया है, उसके विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दायर की गई याचिका की सुनवाई यह न्यायालय नहीं कर सकता। विधान सभा अपनी प्रक्रिया की सर्वाधिकारी है और इस प्रश्न की एकमात्र निर्णायक है कि उसकी मानहानि हुई है या नहीं।

अतः सरकार ने निश्चय किया कि संविधान का संशोधन जरूरी नहीं है। उसका मत था कि उच्चतम न्यायालय के मत तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल तथा न्यायपालिका अपनी निजी परिपाटियां बनाएंगी।

1. समरस अर्थान्वयन नियम (Rule of Harmonious Construction)

अतः कहा जा सकता है कि जहां तक विशेषाधिकार के मामलो का संबंध है, सर्चलाइट केस के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आज भी अंतिम प्रमाण है।

विशेषाधिकारों का संहिताकरण : अनुच्छेद 105(3) अपेक्षा करता है कि स्वयं संविधान में उल्लिखित विशेषाधिकारों के अलावा अपने अन्य विशेषाधिकारों की व्यवस्था संसद विधि द्वारा समय समय पर कर सकती है। लेकिन प्रत्येक सदन, उसके सदस्यों तथा उसकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों की व्याख्या के लिए इस उपबंध के अनुसार संसद ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है।

जहां तक इस संवैधानिक अपेक्षा का संबंध है कि "जब तक ससद विधि द्वारा व्याख्या नहीं करती" तथा संसदीय विशेषाधिकारों की व्याख्या करने या उन्हें संहिताबद्ध करने के प्रश्न का संबंध है, उनके बारे में अलग अलग मत हैं।

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि यदि ससद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो और उसका समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की शक्ति तथा प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानूनों जैसा ही है। अपवाद केवल इतना है कि ऐसे सभी अध्यादेश ससद के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर या उससे पूर्व यदि दोनों सदन उनका निरनुमोदन कर दें, निष्क्रिय हो जाते हैं।

यह व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति के समाधान की न्यायिक पुनरीक्षा नहीं हो सकती लेकिन इसका अर्थ है कि समाधान मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह पर हो (ए.के. राय बनाम भारत संघ ए आई आर 1982 एस 710; कूपर बनाम भारत संघ, ए आई आर 1970 एस सी 564; सतपाल बनाम उपराज्यपाल, ए आई आर 1979 एस सी 1550; वेंकट बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए आई आर 1985 एस सी 725; नागराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए आई आर 1985 एस सी 55; राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, ए आई आर 1977 एस सी 136)।

किसी अध्यादेश को पुनः जारी कर दिया जाए पर तत्स्थानी विधेयक को विधानमंडल द्वारा पारित कराए जाने का कोई प्रयास न किया जाए, इसे तथा केवल किसी अध्यादेश को जारी करने के लिए सदन का सत्रावसान कर देने की प्रथा को बिहार के राज्यपाल के केस में (डी.सी. वधवा बनाम बिहार राज्य, ए आई आर 1987 एस सी 579 में) संविधान के साथ घोखाघड़ी ठहराया गया है और वही बात राष्ट्रपतीय अध्यादेशों पर भी लागू होनी चाहिए।

अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति को अनेक बार न्यायालयों में चुनौती दी गई है। यह स्पष्ट है कि जहां अध्यादेशों की संवैधानिक वैधता को मान्यता दी गई है, वहां राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति वैसी ही मर्यादाओं के अधीन है जैसी कि मूल अधिकारों के, सातवीं अनुसूची के अधीन विधायी शक्तियों के वितरण के न्यायिक पुनरीक्षा के अधीन होने के मामले में संसद की विधायी शक्तियों पर लागू होती हैं (पंजाब राज्य बनाम मोहर सिंह, ए आई आर 1955 एस सी 84; उडीसा राज्य बनाम भूपेन्द्र, ए आई आर 1962 एस सी 945; नागराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए आई आर 1985 एस सी 551; वेकट बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1985 एस सी 724, आर.के. गर्ग बनाम भारत सघ, 1981 एस सी 2139; ए.के. राय बनाम भारत सघ, ए आई आर 1982 एस सी 710)।

दोनों सदनों की तुलनात्मक भूमिका

संसद के दोनों सदनों को सभी क्षेत्रों में समान शक्ति तथा दर्जा प्राप्त है सिवाय वित्तीय मामलों तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के बारे में, जो केवल लोक सभा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तदनुसार राज्य सभा की शक्तियों पर निम्न अंकुश लगाए गए हैं :

1. धन विधेयक राज्य सभा में पुर.स्थापित नहीं किया जा सकता।
2. राज्य सभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। धन विधेयक के बारे में वह केवल सिफारिशें कर सकती है। यदि ऐसा विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया जाता है तो ऐसे विधेयक के बारे में समझा जाएगा कि उसे उक्त अवधि की समाप्ति के बाद दोनों सदनों ने उस रूप में पारित कर दिया है जिस रूप में उसे लोक सभा ने पारित कर दिया था (अनुच्छेद 109)।
3. कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में निर्णय लोक सभा का अध्यक्ष करेगा [अनुच्छेद 110(3)]।
4. राज्य सभा 'वार्षिक वित्तीय विवरण' पर चर्चा कर सकती है। वह अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं करा सकती।
5. राज्य सभा को मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है [अनुच्छेद 75(3)]।

अनिवार्य है कि हर गैर वित्तीय विधेयक को दोनों सदनों अलग अलग पारित करें। तभी वह कानून बन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण मामलों के बारे में राज्य सभा को लोक सभा जैसी ही शक्तियां प्राप्त हैं। वे हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का हटाया जाना, संवैधानिक संशोधन, तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों

का हटाया जाना [अनुच्छेद 56, 61, 67, 124(1) तथा 217(1) (ख)]। अनिवार्य है कि हर राष्ट्रपतीय अध्यादेश, आपात की घोषणा तथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाए [अनुच्छेद 123, 352(4) तथा 356(4)]। घन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के अलावा किसी विधेयक पर यदि दोनों सदनों के बीच कोई असहमति हो जाए तो उसका निपटारा दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में करेंगे। वहां मामलों का निपटारा बहुमत से किया जाता है। दोनों सभाओं की पूर्वोक्त ऐसी बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है [अनुच्छेद 108 तथा 118(4)]।

संविधान ने राज्य सभा को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। केवल राज्य सभा ही यह घोषणा कर सकती है कि संसद के लिए राष्ट्रहित में यह जरूरी है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी मामले के संबंध में कानून बनाए। यदि दो तिहाई बहुमत से राज्य सभा इस आशय का कोई संकल्प पारित कर देती है तो संसद समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए विधियां बना सकती है (अनुच्छेद 249)। इसके अलावा, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित कर दिया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है तो संसद विधि द्वारा सघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबन्ध कर सकती है (अनुच्छेद 312)।

संसद तथा कार्यपालिका

जब नयी लोक सभा का विधिवत निर्वाचन तथा गठन हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति लोक सभा के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने वाली पार्टी या पार्टियों के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है।

जहां प्रधानमंत्री सामान्यतया लोक सभा का सदस्य होता है, वहां मंत्री संसद के दोनों सदनों से लिए जाते हैं। संसद-सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है लेकिन छह मास के बाद उसे पद छोड़ना होगा, यदि वह इस बीच दोनों में से किसी सदन का सदस्य चुने जाने का प्रबन्ध नहीं कर लेता। चूंकि मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है (अनुच्छेद 75), अतः मंत्रियों का यह संवैधानिक दायित्व होता है कि जैसे ही वे लोक सभा का विश्वास गंवा दें, वैसे ही सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दें।

हमारे संविधान की योजना कार्यपालिका तथा विधायिका के सर्वोच्च प्राधिकारों का यथार्थ समन्वय दर्शाती है। कार्यपालिका तथा विधायिका का संबंध अति प्रगाढ़ तथा आदर्श स्वरूप है। वह किसी वैर-विरोध या द्विभाजन की अनुमति नहीं देता। कार्यपालिका और

विधायिका सत्ता की होड़ के केंद्र नहीं माने गए हैं बल्कि वे तो सरकार के कार्य में अभिन्न भागीदार या सहभागी माने गए हैं। संसद एक विशाल निकाय है। वह स्वयं न तो शासन करती है और न कर ही सकती है। मंत्रिपरिषद को एक प्रकार से संसद की ऐसी विराट कार्यपालिका समिति कहा जा सकता है जिसे मूल निकाय की ओर से प्रशासन का प्रभार सौंपा गया हो। या, यूँ ही कहें कि कार्यपालिका कोई अलग या बाहरी निकाय नहीं है। चूँकि मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद से लिए जाते हैं और वह संसद का अंग होती है और लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः उनके रिश्ते के बारे में कहा जा सकता है कि वह तो वैसा ही रिश्ता है जैसा अंश का पूर्ण से होता है। वह परस्पर निर्भरता का रिश्ता है। लेकिन कार्यपालिका तथा संसद के कृत्यों के बीच स्पष्ट विभेद है (अनुच्छेद 75)। संसद विधान बनाती है, सलाह देती है, आलोचना करती है तथा जनता की शिकायतों को मुखर करती है। भले ही संसद की ओर से हो, कार्यपालिका शासन करती है।

जहाँ कार्यपालिका को इस बारे में लगभग असीम अधिकार है कि वह संसद के समक्ष विधायी तथा वित्तीय प्रस्तावों का शुभारंभ तथा प्रारूपण करे और अनुमोदित नीतियों को बिना किसी संसदीय अवरोध तथा विरोध के कार्य रूप दे, वहाँ संसद को भी इस बारे में असीम शक्ति है कि वह सूचना की मांग करे, चर्चा करे, छानबीन करे तथा कार्यपालिका के प्रस्तावों पर लोकानुमोदन का ठप्पा लगाए। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रशासन जवाबदेह रहता है। संसद का कार्य है कि कार्यपालिका पर राजनीतिक तथा वित्तीय नियंत्रण रखे और प्रशासन की संसदीय निगरानी करे।

संसद तथा न्यायपालिका

संसद को अधिकार है कि वह न्यायालयों के गठन, सगठन, अधिकारिता तथा शक्तियों के विनियमन के बारे में विधियाँ बना सके। संविधान में उपबन्ध है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी। लेकिन हमारे संविधान (अनुच्छेद 124) के अधीन संसद विधि द्वारा :

1. किसी संघ-राज्य क्षेत्र पर से उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या उसका निस्तार कर सकती है;
2. दो या उससे अधिक राज्यों के लिए या दो या अधिक राज्यों तथा किसी संघ-राज्य क्षेत्र के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है; और
3. किसी संघ-राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है या ऐसे राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय को संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है (अनुच्छेद 241)।

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। उसे उसके पद से राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब विशेष बहुमत से (यानी प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समावेदन उसके सामने प्रस्तुत किया जाए [अनुच्छेद 124(4) तथा 218]। संसद को अधिकार नहीं है कि वह उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यपालन संबंधी उसके आचरण के बारे में चर्चा कर सके सिवाय उस स्थिति के जब किसी न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रार्थना करने वाला कोई समावेदन राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए (अनुच्छेद 121)।

संसद विधि द्वारा उपबध कर सकती है कि सभ के लिए प्रशासनिक अधिकरण की और हर राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अलग से प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जाए। इस उपबंध के अधीन बनाई गई विधि अधिकरणों की अधिकारिता तथा शक्तियों का विनिर्देश कर सकती है। ऐसी विधि कतिपय विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में, अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय, सभी न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकती है (अनुच्छेद 323 क तथा 323 ख)। इसके अलावा, संविधान के अधीन संसद एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन कर सकती है। उसमें जिला न्यायाधीश से अवर पद का कोई पद नहीं होगा [अनुच्छेद 312(1) तथा (3)]।

संसद की दोनों सभाओं की किसी कार्यवाही की वैधता को किसी न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती [अनुच्छेद 122(1) तथा 212(1)]। प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी या कोई अधिकारी या संसद-सदस्य जिनमें अस्थायी रूप में प्रक्रिया या कार्य-संचालन को विनियमित करने की तथा संसद के किसी सदन के निर्णय को लागू करने की शक्तियां निहित हों, इन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। [अनुच्छेद 122(2) तथा 105(3)]।

किसी विधि की संवैधानिक वैधता को भारत में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि विधान की विषयवस्तु :

1. उस विधानमंडल की सक्षमता में नहीं है जिसने उसे पारित किया है;
2. संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है; अथवा
3. किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। वह तब तक देश की विधि बना रहता है जब तक कि उसके निर्वचन की पुनरीक्षा या उसमें परिवर्तन स्वयं उच्चतम न्यायालय नहीं कर देता या संसद विधि या संविधान में समुचित संशोधन नहीं कर देती। यदि संसद के किसी अधिनियम को न्यायपालिका रद्द कर देती है तो संसद उसे रद्द किए जाने के कारणों को दूर करके उसे पुनः अधिनियमित कर सकती है। साथ ही, संसद अपनी संविधायी शक्तियों की सीमाओं के भीतर संविधान में इस प्रकार संशोधन कर सकती है कि विधि संविधान के विरुद्ध न रहे।

अतः भारतीय संसद ब्रिटिश संसद जैसी सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटिश संसद विधान की किसी न्यायिक पुनरीक्षा की अनुमति नहीं देती। साथ ही, भारत की न्यायपालिका उतनी सर्वोच्च नहीं है जितनी कि अमरीका की न्यायपालिका है। अमरीकी न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षा के क्षेत्र पर वस्तुतया कोई सीमा स्वीकार नहीं करती।

संसद की प्रभुता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं [देखिए ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950, एस सी आर 88; दिल्ली विधियों से संबंधित मामला (1951) एस सी आर 747; शकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ए आई आर 1951 एस सी 458]। लेकिन गोपालन केस में यह निर्णय दिया गया है कि अपनी शक्तियों की विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर संसद सर्वोच्च है।

संसद के कृत्य

विधान : परंपरा से तो विधायिका का मुख्य कार्य विधान बनाना है। अनुच्छेद 245-246 के अधीन सातवीं अनुसूची के अनुसार संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के अधीन परिभाषित तथा परिसीमित रूप में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर संसद संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी एक भाग के लिए विधिया बना सकती है। संघ सूची के संबंध में विधान केवल संसद ही बना सकती है। समवर्ती सूची की प्रविष्टियों के बारे में संघ तथा राज्यों, दोनों को समवर्ती शक्ति प्राप्त है। यदि संघ तथा राज्य की विधियों के बीच कोई टकराव हो तो संघ की विधियां अभिभावी होंगी (अनुच्छेद 254)। अवशिष्ट शक्तियां भी संसद में निहित हैं [अनुच्छेद 248 तथा संघ सूची की प्रविष्टि (97)]। अनेक अनुच्छेदों में संसद को अधिकार दिया गया है कि विभिन्न मामलों में वह ऐसी शक्तियों का सहारा लेकर विधिया बना सकती है यथा, 'संसद द्वारा विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय', 'संसद विधि द्वारा—सकती है', 'जब तक संसद विधि द्वारा विहित नहीं करती', आदि। संसद विधि द्वारा राज्यों के नाम, सीमाएं, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है (अनुच्छेद 2, 3 और 4) नये राज्यों की स्थापना कर सकती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों

1. समवर्ती सूची (Concurrent List)

की संख्या में वृद्धि कर सकती है, अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है (अनुच्छेद 124, 247)। अनुच्छेद 249 के अधीन ससद राज्य-सूची के मामलों के बारे में भी विधान बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अधीन वह किसी अन्य देश के साथ हुई संधि अथवा समझौते को लागू करने के बारे में विधान बना सकती है, भले ही मामला राज्य सूची का हो। राष्ट्रपति-शासन की (अनुच्छेद 356) अथवा आपात की घोषणा की दशा में भी (अनुच्छेद 352) संसद राज्य के अंतर्गत आने वाले विषयों में विधान बना सकती है।

संविधायी शक्तियाँ : अनुच्छेद 368 के अधीन, विभिन्न श्रेणियों के संशोधनों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ससद संविधायी शक्तियों का प्रयोग करती है। जहाँ संसद विशेष बहुमत द्वारा अनेकानेक अनुच्छेदों में स्वयं संशोधन कर सकती है, वहाँ कतिपय मामलों में राज्यों की सहमति अपेक्षित है (देखिए 'संविधान संशोधन' के अधीन)।

सरकार पर संसदीय नियंत्रण : ससदीय शासन प्रणाली में तथा हमारी संवैधानिक योजना के अधीन संसद को कार्यपालिका या मंत्रियों के उत्तरदायित्व, वित्तीय नियंत्रण तथा प्रशासनिक जवाबदारी को सुनिश्चित करना होता है।

संसद के प्रति कार्यपालिका या मंत्रियों का उत्तरदायित्व या जिसे प्रायः कार्यपालिका अथवा सरकार पर संसदीय नियंत्रण कहा जाता है, दो बातों पर निर्भर होता है। वे हैं संसद के जन-निर्वाचित सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में संवैधानिक उपबंध तथा (2) बजट पर संसदीय नियंत्रण (अनुच्छेद 75, 114-116 तथा 265)।

कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण का स्वरूप राजनीतिक है। कार्यपालिका की जवाबदारी सीधी, सतत, समवर्ती तथा दिन-प्रतिदिन की है। जब संसद की बैठक चल रही हो तो सरकार के सत्ता में बने रहने का आधार यह है कि वह हर पल हर घड़ी लोक सभा के विश्वास को बनाए रखे। लोक सभा किसी भी समय बहुमत से सरकार को पदच्युत करने का फैसला कर सकती है। यानी यदि सत्तारूढ़ दल लोक सभा के सदस्यों का बहुमत गंवा देता है तो उसकी सरकार गिर जाती है। तब किसी आधार, तर्क, प्रमाण या औचित्य की आवश्यकता नहीं है। जब लोक सभा स्पष्ट तथा निर्णायक रूप से यह घोषणा कर देती है कि तत्कालीन सरकार को उसका समर्थन प्राप्त नहीं है तो सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। सरकार के प्रति संसद के अविश्वास को लोक सभा इस प्रकार व्यक्त कर सकती है। इसके लिए वह (क) मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास के मूल प्रस्ताव को पारित कर सकती है, (ख) नीति विषयक बड़े मुद्दे पर सरकार को पराजित कर सकती है, (ग) स्थगन प्रस्ताव को पारित कर सकती है, अथवा (घ) पूर्तियों पर मतदान से इंकार कर सकती है या वित्त विधेयक पर सरकार को गिरा सकती है।

लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण : करारोपण अथवा करों में संशोधन तथा पूर्तियों एवं अनुदानों पर मतदान करना कार्यपालिका पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंकुश है ताकि वह

मनमानी शक्तिया ग्रहण न कर सके। विधि द्वारा विशिष्ट संसदीय प्राधिकरण के बिना कानूनी तौर पर न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई व्यय सरकारी खजाने से किया जा सकता है (अनुच्छेद 114-116 तथा 265)।

वस्तुस्थिति यह है कि सिवाय इसके कि सैद्धांतिक दृष्टि से संसद का बजट पर नियंत्रण है या उसे अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की निर्णायक शक्ति प्राप्त है, 'संसदों की जननी' में भी अब सरकार पर संसद का नियंत्रण नहीं रहा है। वस्तुतया सरकार ही लोक सभा में अपने बहुमत के द्वारा संसद पर नियंत्रण करती है। उसे अधिकार है कि वह सभा का विघटन करा दे और राष्ट्रपति से नये चुनाव कराए जाने का आदेश जारी करवा दे।

प्रशासनिक जवाबदारी को सुनिश्चित करने के अनेक माध्यम हैं, यथा, प्रश्नों जैसी संसदीय युक्तियां, विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा, समिति द्वारा छानबीन, और मंत्री जो वास्तव में संसद का प्रतिनिधि है और संसद की ओर से अपने विभाग का नियंत्रण करता है। **अन्य कृत्य** : इसके अलावा, संसद विविध प्रकार के कृत्य करती है यथा, राष्ट्रपति के महाभियोग का मामला, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रक महानेखापरीक्षक, मुख्य निर्वाचन-आयुक्त, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों आदि को हटाए जाने का मामला (अनुच्छेद 61, 124, 217, 148, 320 तथा 90; और देखिए सबद्ध अध्याय। आगे अध्ययन के लिए देखिए सुभाष काश्यप, *हमारी संसद*, नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली)।

दलबदल विरोधी कानून : संविधान (52वा मसोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में मसोधन कर दिया गया है जिनका संबंध सीटों की रिक्ति से तथा संसद एवं राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अयोग्य होने से है। उसके द्वारा एक नयी अनुसूची (दसवी अनुसूची) संविधान में जोड़ी गई है। उसमें दलबदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में कुछ उपबन्ध किए गए हैं। दसवी अनुसूची, और बातों के साथ साथ, उपबन्ध करती है कि

1. संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी निर्वाचित सदस्य को, जिसे किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के रूप में चुना गया है, और संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी नामजद सदस्य को, जो अपनी सीट को ग्रहण करते समय किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहरा दिया जाएगा यदि वह स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक पार्टी की अपनी सदस्यता को त्याग देता है और ऐसी पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करके सदन में मत देता है या मतदान में भाग नहीं लेता;
2. संसद अथवा राज्य विधानमंडल के ऐसे निर्दलीय सदस्य को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा यदि अपने चुनाव के बाद वह किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है;

3. संसद अथवा राज्य विधानमंडल के ऐसे नामजद सदस्य को, जो अपनी नामजदगी के समय किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं है और जो अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से 6 मास की समाप्ति से पूर्व किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बन गया है, अयोग्य ठहरा दिया जाएगा यदि वह 6 मास की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है;
4. कोई अयोग्यता नहीं होगी जहा सदस्य यह दावा करता है कि वह किसी पार्टी के विभाजन या एक पार्टी के दूसरी पार्टी में विलयन से उत्पन्न धड़े का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह का है, परंतु शर्त यह है कि विभाजन की दशा में समूह में विधानमंडल पार्टी के एक तिहाई से कम सदस्य न हों और विलयन की दशा में संबद्ध विधानमंडल पार्टी के दो तिहाई से कम सदस्य न हों;
5. ऐसे व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा जिसने लोक सभा के या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए या राज्य सभा के उपसभापति पद के लिए या राज्यविधान परिषद के सभापति अथवा उपसभापति पद के लिए चुन लिए जाने पर अपनी राजनीतिक पार्टी से नाता तोड़ लिया है;
6. इस प्रश्न का कि क्या संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अयोग्यता का पात्र हो गया है, निपटारा संबद्ध सदन का सभापति अथवा अध्यक्ष करेगा; जहा प्रश्न का सबध स्वयं सभापति या अध्यक्ष से हो, वहा उसका निपटारा संबद्ध सदन का वह सदस्य करेगा जिसे सदन ने इस काम के लिए चुना हो;
7. सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वह इस अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाए। नियमों के बारे में अपेक्षा की गई है कि वे सदन के समक्ष रखे जाएं और सदन उनमें उपांतरण या उनका निरनुमोदन कर सकता है;
8. अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी प्रश्न के बारे में सभी कार्यवाहियों को संसद में अनुच्छेद 122 के अर्थात्तर्गत की गई कार्यवाहियां तथा राज्य विधानमंडल में अनुच्छेद 212 के अर्थात्तर्गत की गई कार्यवाहियां समझा जाएगा, जैसी भी स्थिति हो; और
9. संविधान में किसी बात के होते हुए भी, सदन के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी मामले में किसी भी न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी।

संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985 जिसे आमतौर पर दलबदल-विरोधी कानून कहा जाता है, प्रारंभ से ही विवाद का विषय बना रहा है। उसे ऐसे अनेक आधारों पर चुनौती दी गई है कि वह संविधान के मूल सांचे-ढांचे का उल्लंघन करता है, वह संसद

की सक्षमता से परे है और वह समीचीनता को ऊंचा तथा सिद्धांतों को नीचा बनाता है।

दसवीं अनुसूची के पैरा 7 को, जो न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक लगाता है, पजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए कहा कि वह संविधान के अधिकार से बाहर है। इस आदेश के विरुद्ध सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की। 1985 के अधिनियम की वैधता तथा संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अनेक रिट याचिकाएं भी उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई थीं। सरकार के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के सामने लंबित रिट याचिकाओं को वहां से हटाकर स्वयं अपने यहां स्थानांतरित कर लिया।

उच्चतम न्यायालय ने (किहोतो होल्लोहान बनाम जाचिलिहू तथ अन्य, एस सी 1991 के सी डब्ल्यू पी 17 में) पाया कि दलबदल-विरोधी कानून के पारण में कुछ कानूनी खामियां हैं क्योंकि संविधान संशोधन को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उसकी पुष्टि अपेक्षित संख्या में राज्य विधान सभाओं ने नहीं की। साथ ही, 10वीं अनुसूची के अधीन अध्यक्ष के कृत्यों के बारे में जरूरी है कि मामलों का विधि के अधीन न्यायिक निरीक्षण किया जाए। अयोग्यता के प्रश्न के निर्धारण की प्रक्रिया को सदन की कार्यवाहियों का अंग नहीं माना जा सकता। अतः उसे न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्त नहीं माना जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक लगाने वाली अनुसूची के पैरा 7 को रद्द कर दिया और घोषणा की कि दलबदल-विरोधी कानून के अधीन कार्य करते समय अध्यक्ष की स्थिति न्यायाधिकरण¹ जैसी होगी। अतः सभी न्यायाधिकरणों के निर्णयों की भांति उसके निर्णय की भी न्यायिक पुनरीक्षा की जा सकती है।

दलबदल को गैर कानूनी ठहराने के लिए 52वे संशोधन का प्रारूप जिन लोगों ने तैयार किया, लगता है कि उन्होंने बाद में उत्पन्न हुई कुछ स्थितियों के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया था। यह तथ्य है कि दसवीं अनुसूची के कतिपय प्रावधानों के बारे में पाया गया कि विभिन्न पीठासीन अधिकारी उनका नितांत भिन्न निर्वचन कर सकते हैं। इस कारण कानून को लागू करने में भयकर अनिश्चितता तथा अस्थिरता पैदा हो गई। उससे अनेक खामियां उजागर हुईं। संघीय स्तर पर दो सरकारें यानी श्री वी.पी सिंह तथा श्री चन्द्रशेखर की सरकारें जल्दी जल्दी गिर गईं। भले ही श्री चन्द्रशेखर ने जनता दल (समाजवादी) सरकार का गठन किया और मूल प्रस्ताव पर लोक सभा का विश्वास प्राप्त किया, पर सत्तारूढ़ जनता दल (समाजवादी) के सभी सदस्य या तो वे थे जिन्हें अध्यक्ष रवि राय ने 'असंबद्ध' घोषित कर दिया था अथवा वे थे जिनके विरुद्ध अध्यक्ष राय ने दलबदल-विरोधी कानून के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'कारण बतओ' नोटिस जारी कर दिए थे। अध्यक्ष की कार्रवाई की परिधि में श्री चन्द्रशेखर की अध्यक्षता

1. न्यायाधिकरण (Tribunal)

वाली मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य आ गए थे। मामला घिसटता रहा। अंततः 11 जनवरी, 1991 को राय ने संदेह का लाभ सत्तारूढ़ दल को देने का निश्चय किया और कहा कि विभाजन एक विगत प्रक्रिया थी जो 5 नवंबर को शुरू हुई और समाप्त हो गई। जनता दल (समाजवादी) को 54 सदस्यों वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। जो सात सदस्य विभाजन की तिथि के बाद शामिल हुए, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया।

7 अगस्त, 1992 को जनता दल-विभाजन के दूसरे मामले में जनता दल के 59 सदस्यों में से 20 सदस्य एक साथ एक समूह में सशरीर अध्यक्ष पाटिल के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने दावा किया कि उनका एक अलग समूह है और उन्हें श्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल के सदस्यों से अलग स्थान दिया जाए। भले ही जनता दल के नेतृत्व ने दो अलग अलग बारियों में इनमें से आठ सदस्यों को पहले ही पार्टी से निकाल दिया था, फिर भी अध्यक्ष ने सदन में उनके लिए अलग सीटें आवंटित की। उन्हे लोक सभा के सभी अधिकृत रिकार्डों में जनता दल के 59 सदस्यों के रूप में दिखाया जाता रहा। 1 जून, 1993 को अपने अंतिम निर्णय में अध्यक्ष पाटिल ने व्यवस्था दी कि (i) संविधान के अधीन राजनीतिक पार्टियों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वे विधानमंडल पार्टी से सदस्यों को निकाल दें और पार्टी विशेष के टिकट पर चुने गए सदस्यों के रूप में उनके संवैधानिक दर्जे को छीन ले [दसवीं अनुसूची, पैरा 2(1) का स्पष्टीकरण (क) और (ii)] 20 सदस्य 7 अगस्त, 1992 को किसी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं थे और चूंकि उस दिन उनकी एक तिहाई की अपेक्षित संख्या थी, अतः उनका जनता दल ससदीय पार्टी का वैध घड़ा था। बीस सदस्यों में से चार को अध्यक्ष ने इस आधार पर अयोग्य ठहराया कि उन्होंने अपनी पार्टी के सचेतक की आज्ञा का उल्लंघन किया था। लेकिन अयोग्यता का, आदेश की तिथि से केवल भविष्यलक्षी प्रभाव होना था। सबसे महत्व की बात यह है कि अध्यक्ष ने इस बारे में सहमति प्रकट की कि दलबदल-विरोधी कानून में खामिया हैं और उनका पुनरीक्षण तथा उनमें सुधार होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि दसवीं अनुसूची के अधीन सदस्यों की अयोग्यता के निर्धारण का कार्य न्यायाधीशों को सौंप दिया जाए।

सभी पक्ष इस बारे में सहमत हैं कि दलबदल-विरोधी कानून वाली संविधान की दसवीं अनुसूची में अनेक गंभीर खामियां हैं। उनके कारण हमारी राज्य व्यवस्था को भारी क्षति पहुंची है और उसमें तत्काल संशोधन की आवश्यकता है। यथा, 'राजनीतिक पार्टियां', 'विभाजन' 'विलय' आदि अनेक शब्दों की परिभाषा नहीं की गई है।

दसवीं अनुसूची में 'विधानमंडल पार्टी' तथा 'मूल राजनीतिक पार्टी' की परिभाषा दोनों ही दशाओं में 'राजनीतिक पार्टी' के संदर्भ में की गई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 'राजनीतिक पार्टी' की परिभाषा नहीं की गई है। यह जरूरी है कि 'राजनीतिक पार्टी'

की परिभाषा की जाए और दलबदल-विरोधी कानून के प्रयोजनों के लिए उसकी मान्यता की शर्तें निर्धारित की जाएं। दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के संवैधानिक उपबंध की दृष्टि से यह विशेष रूप से आवश्यक है। उसका आशय है कि विभाजन के बाद अलग हुए घड़े को पैरा 2(1) के प्रयोजनों के लिए 'राजनीतिक पार्टी' समझा जाएगा (इस विषय पर भाष्य के लिए देखिए, सुभाष सी. काश्यप, *एंटीडिफेक्शन ला एंड पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेज़*, त्रिपाठी, बंबई, 1993, 1995 का परिशिष्ट सहित पुनर्मुद्रण)।

न्यायपालिका

अनुच्छेद 124-147 तथा 214-237

भारत की न्यायपालिका संबंधी उपबंध 'सघ की न्यायपालिका' शीर्षक वाले अध्याय 4 के अधीन भाग 5 में हैं और 'राज्यों के उच्च न्यायालय' तथा 'अधीनस्थ न्यायालय' शीर्षक वाले क्रमशः अध्याय 5 तथा 6 के अधीन राज्यों संबंधी भाग 6 में है। लेकिन बात यह है कि अमरीकी जैसी अन्य सघात्मक प्रणालियों की भांति हमारे यहां संघ तथा राज्य के न्यायालयों के अलग अलग अधिक्रम नहीं हैं। भारत के समूचे गणराज्य के लिए एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। न्यायालयों का एक अधिक्रम है। सर्वोच्च तथा चोटी के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय है। वह संघ तथा राज्यों के बीच के तथा राज्यों के आपसी संबंधों के मामलों के निपटारे के लिए एकमात्र मध्यस्थ है।

उच्चतम न्यायालय

न्यायालय का गठन तथा न्यायाधीश के पद की शर्तें : अनुच्छेद 124 का उपबंध है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। उसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति तथा सात अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। 1986 से विधि द्वारा निश्चित संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा 25 कर दी गई थी। राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद, जिनसे वह परामर्श करना उचित समझे, उच्चतम न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। लेकिन मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, भारत में मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के पहले निर्णयों के अनुसार यह अनिवार्य था कि परामर्श प्रभावी हो और उसमें विचारों का आदान-प्रदान हो और गुणों पर विचार हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि सहमति हो ही। न्यायमूर्ति भगवती का स्थिति में सुधार के लिए सुझाव था कि मुख्य न्यायमूर्ति के नाम का सुझाव देने के लिए एक पैनल बनाई जाए (एस.पी.

गुप्ता बनाम भारत संघ, ए आई आर 1982 एस सी 149)। किंतु, 16 अक्टूबर, 1993 को उच्चतम न्यायालय द्वारा एडवोकेट्स-ऑन-रिकार्ड एसोशिएशन तथा अन्य बनाम भारत संघ (ए आई आर 1994 एस सी 268) में दिए गए निर्णय से विधि में वर्तमान स्थिति बदल गई है। इस निर्णय में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श निर्णायक और प्रायः पूर्णतया मान्य होगा। मुख्य न्यायमूर्ति अपना परामर्श देने से पहले उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की राय लेगे तथा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 के अंतर्गत अपनी सलाह देते समय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श की प्रमुखता को ध्यान में रखेगा।

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह कम-से-कम पांच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो या विख्यात विधिवेत्ता हो।

मुख्य न्यायमूर्ति के आसन पर सामान्यतया उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। लेकिन 1970 के दशक में कुछ काल के लिए इस परिपाटी की उपेक्षा की गई थी और कुछ मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति उनके अधिक वरिष्ठ साथियों का अधिक्रमण करके की गई थी। वरिष्ठता के सिद्धांत को शीघ्र ही पुनः प्रतिष्ठा प्रदान की गई।

उच्चतम न्यायालय का हर न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहता है जब तक वह पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब 'कदाचार या असमर्थता के आधार पर' उसे हटाए जाने के लिए सदन के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रख दिया जाए। प्रक्रिया को संसद विधि द्वारा विनियमित कर सकती है (अनुच्छेद 124)। न्यायमूर्ति रामास्वामी के केस में उन्हें हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को समावेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को लोक सभा में अपेक्षित बहुमत नहीं मिल सका।

आम धारणा के विपरीत, किसी न्यायाधीश पर 'महाभियोग' चलाए जाने के लिए हमारे संविधान में कोई उपबंध नहीं है। महाभियोग का उपबंध केवल राष्ट्रपति के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं। इसके अलावा, हटाए जाने की प्रक्रिया तथा महाभियोग की प्रक्रिया के बीच और महाभियोग के प्रस्ताव की स्वीकृति के प्रभाव एवं किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त करने के वास्ते उसे समावेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के पारण के बीच बुनियादी अंतर है। महाभियोग की दशा में जैसे ही दोनों सदन

प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं रहता। लेकिन किसी न्यायाधीश के पद से हटाए जाने के प्रस्ताव के दोनों सदनों के पास हो जाने के बाद, राष्ट्रपति आवश्यक आदेश जारी करने के बारे में विचार करता है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान में विहित रीति से शपथ लेनी होती है। संविधान में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय के समक्ष कानून की प्रैक्टिस नहीं करेगा [अनुच्छेद 124 (6) तथा (7)]।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा विनिश्चित करे और जब तक ऐसा विनिश्चय नहीं किया जाता, दूसरी सूची में विनिर्दिष्ट वेतन दिए जाएंगे (अनुच्छेद 125)। इस समय मुख्य न्यायमूर्ति को 10,000 रुपये प्रति मास तथा अन्य सभी न्यायाधीशों को 9,000 रुपये प्रति मास वेतन के रूप में मिलते हैं। उसमें किराए से मुक्त आवास, देश के भीतर यात्रा, यात्रा-व्यय, पेशन आदि भत्ते, सुविधाएं तथा विशेषाधिकार शामिल नहीं हैं।

जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो या जव अनुपस्थिति के कारण मुख्य न्यायमूर्ति अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा और वह मुख्य न्यायमूर्ति के कर्तव्यों का पालन करेगा (अनुच्छेद 126)।

यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति उपलब्ध न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अधिकार है वह किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों में से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखते हो, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उतनी अवधि के लिए कर सकता है जितनी वह आवश्यक समझे। ऐसा वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह उच्चतम न्यायालय के कर्तव्यों को प्राथमिकता दे। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उतनी अवधि के लिए जितनी वह आवश्यक समझे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने तथा कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसे भी राष्ट्रपति की तथा इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सहमति से किया जा सकता है (अनुच्छेद 127 तथा 128)।

उच्चतम न्यायालय की शक्ति तथा अधिकारिता : अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय¹ होगा और उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। यह न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। अतः उसकी कार्यवाहियों, कार्यों तथा निर्णयों के अभिलेख रखे जाते हैं ताकि कानून क्या है, इसके समर्थन में जरूरत पड़ने पर उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके और उनका अक्षय स्मृति भंडार बना रहे। अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ यह है कि उसके अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी न्यायालय में उनकी प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती। (दफ्तरी बनाम गुप्ता, ए आई आर 1971 एस सी 1132; नंबूद्रीपाद बनाम नम्बियार, ए आई आर 1970 एस सी 2015)।

अभिलेख न्यायालय का यह अर्थ भी है कि वह अपनी मानहानि के लिए दंड दे सकता है। लेकिन इस संक्षिप्त शक्ति का उपयोग कभी कभार अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही किया जाता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि न्यायालय तथा उसके कार्य की खरी तथा सदाशयपूर्ण आलोचना पर कोई पाबंदी है। लोकहित में न्यायिक कार्य की उचित तथा युक्तियुक्त आलोचना से किसी की मानहानि नहीं होती।

उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अपीलीय तथा मंत्रणा² देने की अधिकारिता होती है। मूल अधिकारिता का अर्थ है प्रथमतया किसी विवाद को सुनने तथा उस पर निर्णय देने की शक्ति। उच्चतम न्यायालय को अनन्य मूल अधिकारिता दी गई है। वह ऐसे विवादों पर लागू होती है यथा, (क) जो भारत सरकार तथा एक या उससे अधिक राज्यों के बीच हों (पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम भारत संघ, ए आई आर 1963 एस सी 1241); (ख) जहां एक ओर भारत सरकार तथा एक या उससे अधिक राज्य हों और दूसरी ओर एक या उससे अधिक राज्य हों, (ग) जो दो या उससे अधिक राज्यों के बीच हों। लेकिन यह अधिकारिता ऐसे विवाद पर लागू नहीं होगी जो किसी ऐसी संधि, समझौते आदि से उठा हो जो चालू हो और जिसके अंतर्गत इस विवाद को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया हो (अनुच्छेद 131)। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को कतिपय अन्य मामलों में भी अलग रखा जा सकता है जैसे, राज्यों के बीच जल विवाद (अनुच्छेद 262), वित्त आयोग को सौंपे गए मामले (अनुच्छेद 280), तथा संघ एवं राज्यों के बीच कतिपय खर्चों तथा पेशानों का समायोजन (अनुच्छेद 290)। अनुच्छेद 131 के अधीन कोई राज्य उच्चतम न्यायालय के सामने भारत सरकार से हर्जाना वसूल करने का दावा नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद संघ तथा राज्यों के बीच के ऐसे साधारण वाणिज्यिक मामलों के बारे में प्रावधान नहीं करता [भारत संघ बनाम राजस्थान राज्य (1984) 4 एस सी सी

1. अभिलेख न्यायालय (Court of Record)

2. आरंभिक अपीलीय तथा मंत्रणा (Original Appellate and Advisory)

238]। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए गए ऐसे विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त होना ही चाहिए जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है।

1978 में 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 139 क के अधीन उच्चतम न्यायालय स्वयं एक या अधिक उच्च न्यायालयों से मामलों का अंतरण कर सकता है, यदि उनमें विधि या भारी महत्व के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों। उच्चतम न्यायालय न्याय के हित में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को मामलों का अंतरण भी करता है।

उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता व्यक्तियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों पर भी लागू होती है और न्यायालय इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनेक आदेश (रिट) जारी कर सकता है। हमारे संविधान का यह विशेष लक्षण है कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वार खटखटा सकता है।

उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दीवानी, फौजदारी तथा सवैधानिक मामलों पर लागू होती है। दीवानी मामले में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्ली अथवा अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है, यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में सार्वजनिक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और उस प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक है (अनुच्छेद 133)।

फौजदारी मामलों में अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी, यदि (क) उच्च न्यायालय ने किसी अभियुक्त की दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्युदंड का आदेश दे दिया है, या (ख) अपने अधिकार के अधीन किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया है और उसे मृत्युदंड का आदेश दे दिया है (अनुच्छेद 134; *रामकुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, ए आई आर 1975 एस सी 1026; *पट्टा नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, ए आई आर 1975 एस सी 1252)।

अनुच्छेद 134 (1) (ग) के अधीन किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। लेकिन उपखंड (ग) के परंतुक में कहा गया है कि ऐसी अपीले उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों तथा ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगी जिन्हे उच्च न्यायालय नियत करे। फौजदारी मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय में अपीलों के उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणपत्र का दिया जाना इस मूल्यांकन पर निर्भर करता है कि क्या मामले में विधि तथा

उसके निर्वचन का सारवान प्रश्न अतर्ग्रस्त है और क्या उस पर उच्चतम न्यायालय के लिए तुरंत अपनी राय का दिया जाना अपेक्षित है और क्या इसके फलस्वरूप अभियुक्त के प्रति गभीर अन्याय हो जाएगा, यदि उसे उच्चतम न्यायालय में अपील के अवसर से वंचित किया जाता है?

अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। अनुच्छेद 134 के अधीन उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र देने की जो शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है, उससे कहीं अधिक व्यापक उच्चतम न्यायालय की ये शक्तियां अपील की विशेष इजाजत देने के बारे में हैं। सैनिक न्यायालयों के अलावा राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ या दीवानी, फौजदारी या राजस्व सबधी किसी भी प्रकार के मामलों में अपील की विशेष इजाजत उच्चतम न्यायालय दे सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कहा है कि वह केवल उन्हीं मामलों में अपील की विशेष इजाजत देगा जिनमें घोर अन्याय हुआ है (*हरिपद डे बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य*, ए आई आर 1965 एस सी 757; *मरतू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, ए आई आर 1971 एस सी 1050, *रानी सरन बनाम सी टी ओ*, ए आई आर 1962 एस सी 1326)।

संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय को परामर्श की अधिकारिता प्रदान करता है। सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय राष्ट्रपति माग सकता है जिसके बारे में उसका विचार हो कि ऐसी राय प्राप्त करना समीचीन है। राष्ट्रपति से प्राप्त ऐसे निर्देश के बाद उच्चतम न्यायालय, ऐसी सुनवाई के बाद जो वह ठीक समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय के बारे में रिपोर्ट देगा। राय केवल सलाह के रूप में होती है। राष्ट्रपति को छूट है कि वह उसे माने या न माने। ऐसा प्रथम निर्देश दिल्ली लाज केस (1951) एस सी आर 747 में किया गया था।

राष्ट्रपति ऐसे ही निर्देश द्वारा किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत के बारे में जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और उसके पश्चात भी लागू है, उच्चतम न्यायालय की राय माग सकता है।

अनुच्छेद 138 के अधीन, उच्चतम न्यायालय को सघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जिन्हें संसद विधि द्वारा प्रदान करे। यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग किए जाने का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य

की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे। इससे उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है और उसे इस बारे में अति विशेष अधिकारिता प्रदान करता है कि वह शीघ्र निपटारे के लिए सीधे ही तथा अपनी आरंभिक अधिकारिता में अति तात्कालिक प्रकृति के मामलों की सुनवाई कर सके।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा निर्णयों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल तथा न्यायिक प्राधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार के अधीन कर दिया गया है, क्योंकि इन सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे उच्चतम न्यायालय की सहायता करें (अनुच्छेद 144)। उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के सामान्य विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश अथवा अधिकारी करता है जिसे वह निर्दिष्ट करे (अनुच्छेद 145-146)।

न्यायिक पुनर्विलोकन¹ : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है, उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबन्धों के अनुरूप है या नहीं है। इस संबंध में हमारा संविधान बहुत कुछ अमरीकी प्रथा का अनुसरण करता है। संविधान देश की मूल विधि है अतः हर विधायी अधिनियम को, चाहे वह सघ का हो या राज्यो का, इस मूल विधि के अनुरूप होना ही चाहिए। भारत में केवल अपवाद यह है कि जब विधि को संवैधानिक घोषित कर दिया जाता तो उसके बाद अधिकांश मामलों में संविधान में संशोधन किया जा सकता है ताकि न्यायिक निर्वचन की रक्षा की जा सके और विधि को अनुज्ञेय बनाया जा सके।

प्रायः राज्य सरकार अथवा प्रभावित निजी व्यक्ति अथवा पक्ष उच्चतम न्यायालय के समक्ष वाद दायर करते हैं और दावा करते हैं कि विधि विशेष को अधिनियमित करते समय संबद्ध सरकार ने सातवीं अनुसूची के अधीन शक्तियों के विभाजन के संबंध में अपनी अधिकारिता की सीमा का उल्लंघन किया है। ऐसे कानून का पुनर्विलोकन करते समय उच्चतम न्यायालय जांच करेगा कि अधिकारिता की सीमाओं का उल्लंघन हुआ है या नहीं। संविधान में मूल अधिकारों संबंधी अध्याय का समावेश न्यायिक पुनर्विलोकन को विशेष संगतता प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के बारे में यह गारंटी देता है कि राज्य की किसी भी प्रकार की कार्रवाई उसका अपहरण नहीं करेगी। और इस अनुच्छेद के अधीन 'राज्य' की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उसमें भारत की सरकार और

1. न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)

संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आ जाते हैं।

अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें न्यून करने वाली सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे असंगत हैं। 1967 तक उच्चतम न्यायालय भी इस दृष्टिकोण को स्वीकार करता था कि संविधान-संशोधन-अधिनियम अनुच्छेद 13 (2) की परिभाषा के अधीन 'विधि' नहीं है। लेकिन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय किया कि इस परिभाषा के अधीन संविधान-संशोधन-अधिनियम भी 'विधि' है और इसलिए उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। संविधान (24वां संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा संविधान में खंड 13 (4) जोड़ा गया। उसमें कहा गया है कि संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 (2) की परिभाषा के अधीन 'विधि' नहीं है। केशवानन्द भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को उचित ठहराया।

मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति विशेष रूप से प्रदान की गई है। इस अनुच्छेद के अधीन हर नागरिक को अधिकार है कि वह अध्याय 3 में दिए गए अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटा सके। उच्चतम न्यायालय अपनी आरंभिक अधिकारिता में याचिका की सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए, ऐसे निदेश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो, जारी कर सके।

अनुच्छेद 226 के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालयों को ऐसी ही शक्तियां दी गई हैं। वे इन अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए अपने राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे निदेश, आदेश, या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट शामिल हैं, या उनमें से किसी को जारी कर सकते हैं (रिटों के विवरण के लिए देखिए उच्च न्यायालयों के अधीन)।

विधि की सम्यक प्रक्रिया बनाम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार¹ : अमरीकी संविधान के अनुसार केवल विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को स्वातंत्र्य तथा संपत्ति के उसके अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन भारतीय संविधान का प्रावधान है कि केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति

1. विधि की सम्यक प्रक्रिया बनाम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार (Due Process of Law vs. According to Procedure Established by Law)

को स्वातंत्र्य तथा संपत्ति के उसके अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

सम्यक प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय को इस बारे में भारी गुंजाइश प्रदान करती है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। वह इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को न केवल गैर कानूनी होने के सारभूत आधारों पर बल्कि अनुचित होने के प्रक्रियात्मक आधारों पर भी शून्य घोषित कर सकती है। लेकिन किसी विधि की संवैधानिकता का निश्चय करते समय उच्च न्यायालय को केवल इस मूल प्रश्न पर विचार करना होता है कि कानून संबद्ध प्राधिकार की शक्तियों के भीतर है या नहीं। उससे यह आशा नहीं की जाती कि वह उसकी युक्तियुक्तता, अनुकूलता अथवा नीति संबंधी जटिलताओं पर विचार करे।

उच्चतम न्यायालय विनिर्दिष्ट याचिका द्वारा विनिर्दिष्ट मामले में अपना निर्णय देता है। वह सामान्य निर्देश पर राय या सलाह नहीं देता। कोई व्यथित व्यक्ति होना चाहिए जो अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करे। उसे दिखाना पड़ेगा कि कानून को लागू किए जाने के कारण उसे कोई सीधी क्षति पहुंची है या तत्काल पहुंचने का खतरा है और जिस क्षति के बारे में शिकायत की गई है, वह वाद-योग्य है।

लोकहित संबंधी मुकदमे : न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि जनता का कोई भी व्यक्ति, भले ही उसका वाद से सीधा संबंध न हो पर उसमें उसकी 'पर्याप्त रुचि' हो, अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में गुहार कर सकता है अथवा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उन व्यक्तियों की शिकायतों को दूर कराने के लिए जो 'गरीबी, लाचारी या अममर्थता या सामाजिक एवं आर्थिक विपन्नता' के कारण न्यायालय का द्वार नहीं खटखटा सकने, उच्चतम न्यायालय में फरियाद कर सकता है। ऐसे मामले में एक पत्र के द्वारा भी न्यायालय के द्वार तक पहुंचा जा सकता है (एस.पी. गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति ए आई आर 1982 एस पी 149)। इस निर्णय से लोकसेवी व्यक्ति/नागरिक को या समाजसेवी संगठनों को छूट मिल गई है कि वे आम जनता के हित में न्यायिक राहत की मांग कर सकें।

बधुआ-मुक्ति मार्चा बनाम भारत संघ (ए आई आर 1984 ए सी 803) में बधुआ-मुक्ति के ध्येय के प्रति समर्पित एक संगठन ने एक पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित पत्थर खदानों का सर्वेक्षण किया और पाया कि वहां ऐसी खदानों में भारी संख्या में मजदूर 'अमानवीय तथा असह्य परिस्थितियों' में काम कर रहे हैं और उनमें से अनेक बधुआ मजदूर हैं। याचिकादाताओं ने याचना की कि संविधान के विभिन्न उपबधों तथा कानूनों के समुचित परिपालन के लिए रिट जारी

की जाए ताकि उन मजूरों का दुःख, कष्ट एवं लाचारी दूर हो सके। न्यायालय ने पत्र को रिट याचिका माना और एक आयोग नियुक्त किया। उसमें दो अधिवक्ता थे। उनसे कहा गया कि वे इन पत्थर खदानों में जाएं, वहां जांच करें और उस बारे में न्यायालय को रिपोर्ट दें।

लक्ष्मीकान्त पांडे बनाम भारत संघ में एक याचिका दायर की गई थी। उसका आधार एक पत्र था। उसमें शिकायत की गई थी कि विदेशियों को भारतीय बच्चे गोद देने के काम में रत समाज-संगठन तथा स्वयंसेवी एजेंसियां कदाचार कर रही हैं। आरोप था कि सुकुमार वय के बच्चों को गोद लेने की आड़ में उन पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्हें सुदूर देशों की लबी भयावह यात्रा तो करनी ही पड़ती है पर साथ ही उनकी जान को भारी जोखिम रहता है और उनका आश्रय तथा भविष्य भी अधर में लटक जाता है। मुख्य न्यायमूर्ति श्री पी.एन. भगवती ने बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतिपय सिद्धांत तथा मापदंड निर्धारित किए। उन्होंने सरकार तथा मामले से सबद्ध एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे सिद्धांतों का पालन करें।

संवैधानिकता के पक्ष में उपधारणा¹ उपधारणा सदैव कानून की संवैधानिकता के पक्ष में रहती है। संवैधानिकता के विरुद्ध सभी तथ्य तथा प्रमाण जुटाने का भार याचिकादाताओं पर होता है।

पृथक्करणीयता का सिद्धांत² कानून का निर्वचन करते समय न्यायालय को निर्णय करना होता है कि समूचा कानून संविधान के विरुद्ध है या केवल उसका कोई भाग। यदि तथ्यों की अपेक्षा हो तो न्यायालय आंशिक रूप से भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है।

प्रगतिशीलतापरक निर्वचन का सिद्धांत³ उच्चतम न्यायालय ने संविधान का निर्वचन करते समय प्रगतिशीलतापरक निर्वचन के सिद्धांत से मार्गदर्शन ग्रहण किया है। इसका अर्थ है कि उसने संविधान का निर्वचन करते समय सतत परिवर्तनशील सामाजिक एवं कानूनी सदर्भ को ध्यान में रखा है।

संविधान-विरुद्ध घोषित की गई विधि का प्रभाव : अनुच्छेद 141 के अधीन, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिये बाध्यकारी होगी। अतः यदि उच्चतम न्यायालय किसी विधि को संविधान-विरुद्ध घोषित करता है तो चाहे उसका आधार विधायी सक्षमता हो या मूल अधिकारों का उल्लंघन, उस बात को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय मानने के लिए बाध्य होंगे। ऐसी विधि की पूर्ण

1 संवैधानिकता के पक्ष में उपधारणा (Presumption in favour of Constitutionality)

2 पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability)

3 प्रगतिशीलतापरक निर्वचन का सिद्धांत (Doctrine of Progressive Interpretation)

उपेक्षा की जाएगी और उत्तरवर्ती कार्यवाहियों में उसे लागू नहीं किया जाएगा [स्टार कंपनी बनाम भारत संघ, ए आई आर 1987 एस सी 179; असिस्टेंट कलक्टर बनाम डनलप (1985) 1 एस सी सी 260, गौर्या बनाम ठाकुर, ए आई आर 1986 एस सी 1440]।

न्यायपालिका की स्वाधीनता : प्रतिनिधिक लोकतंत्र में न्याय प्रशासन का विशेष महत्व होता है क्योंकि वहां व्यक्तियों के अधिकारों का प्रश्न होता है और इस बात की जरूरत होती है कि कार्यपालिका या विधायिका के हस्तक्षेप से उनकी रक्षा की जाए। न्यायपालिका को सरकार के अन्य दो अंगों से स्वाधीन तथा सर्वोच्च बना दिया गया है। संघात्मक राज्य व्यवस्था में स्वाधीन तथा सर्वोच्च न्यायपालिका एक अनिवार्य अपेक्षा है विशेषकर सघात्मक सरकार तथा उसके संघटक एककों की सरकारों के बीच संवैधानिक विभाजन है, और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का कार्यात्मक विभाजन है। मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए भी स्वाधीन तथा निष्पक्ष न्यायपालिका एक अनिवार्य अपेक्षा है। केवल एक स्वाधीन न्यायपालिका ही व्यक्ति तथा संविधान के अधिकारों के अभिभावक के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकती है। न्यायालयों की स्वाधीनता को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में अनेक युक्तियां हैं जैसे, न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाए जाने के बारे में, कार्यकाल की सुरक्षा के बारे में, न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा की शर्तों और उनके वेतन तथा भर्ती को संचित निधि पर प्रभारित करने के बारे में, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निजी कर्मचारियों की भर्ती तथा नियुक्ति के बारे में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगाने तथा मानहानि के लिए दंडित करने आदि के बारे में संवैधानिक उपबंध।

उच्च न्यायालय

संविधान में कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन ससद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए या दो या अधिक राज्यों और किसी सघ राज्य क्षेत्र के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है (अनुच्छेद 214 तथा 231)।

उच्चतम न्यायालय की भांति प्रत्येक उच्च न्यायालय भी अभिलेख और आरंभिक तथा अपील की अधिकारिता वाला न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी (अनुच्छेद 215)। अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से इतर सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की दशा में, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। *एस.सी. गुप्ता बनाम भारत संघ* (ए आई आर 1982 एस सी आर 149)

मे यह निर्णय दिया गया था कि इस परामर्श की प्रक्रिया में तीनों कृत्यकारियों को समान महत्व देना होगा। किंतु 1993 के ताजा निर्णय के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श निर्णायक और प्रायः पूर्णतया बाध्य होगा (एडवोकेट्स-ऑन-रिकार्ड एशोसिएशन तथा अन्य बनाम भारत संघ ए आई आर 1994 एस सी 268)। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कम-से-कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या दस वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। नियुक्त हो जाने पर हर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पद की शपथ लेना अनिवार्य है। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। उसे अपने पद से केवल उसी गति से हटाया जा सकता है जिसकी व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए की गई है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की स्वाधीनता को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति, उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश पद को धारण करने के बाद उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भाग्य के किसी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। उच्च न्यायालय का हर न्यायाधीश ऐसे वेतन तथा भत्ते का हकदार होगा जिन्हें ससट विधि द्वारा निर्धारित करें अथवा जिनका विनिर्देश संविधान की दृमरी अनुमूर्ची में हो। फिलहाल उच्च न्यायालय (सेवा की शर्तें) अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय का हर न्यायाधीश वेतन के रूप में 8000 रुपये प्रति मास प्राप्त करता है और राज्य का मुख्य न्यायमूर्ति वेतन के रूप में 9000 रुपये प्रति मास प्राप्त करता है। इसके अलावा, वे निःशुल्क सरकारी आवास तथा व्यय-भत्ते का हकदार है।

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में परामर्श करने के बाद न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता (भारत संघ बनाम साकलचन्द, ए आई आर 1977 एस सी 2328)। एडवोकेट्स वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श को प्रमुखता और मान्यता दी जाएगी (ए आई आर 1994 एस सी 268)। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कर सकता है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। पर उनका कार्यकाल दो वर्ष से अधिक का नहीं होगा। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की सहमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में उपस्थित होने और कार्य करने के लिए कर सकता है

(अनुच्छेद 215, 217-224 क)।

प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे (अनुच्छेद 216)। प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र में, सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों तथा अधिकरणों को छोड़कर, अन्य सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों का अधीक्षण करेगा (अनुच्छेद 227)।

यदि किसी उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि किसी निम्नतर न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो वह मामले को अपने पास मंगा सकता है और या तो वह मामले को स्वयं निपटा सकेगा या उक्त विधि के प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और मामले को अवधारण के लिए न्यायालय को लौटा सकेगा (अनुच्छेद 228)।

प्रत्येक उच्च न्यायालय का अपने कर्मचारीवृंद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के कर्मचारीवृंद के वेतनों तथा भत्तों को पूर्णतया राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाता है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारीवृंद की नियुक्तियां न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अथवा न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश अथवा अधिकारी करता है जिसके बारे में वह विनिश्चय करे। अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय के कर्मचारीवृंद तथा अधिकारियों की सेवा की शर्तें ऐसे नियमों द्वारा समुचित रूप से तय की जाएं जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति बनाएं और जिनका अनुमोदन राष्ट्रपति करे (अनुच्छेद 229)। किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अतर्गत लाया जा सकता है अथवा उसकी परिधि से निकाला जा सकता है (अनुच्छेद 230)।

अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले समूचे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे निदेश, आदेश या रिट जैसे, बंदी प्रत्यक्षीकरण¹, परमादेश², प्रतिषेध³, अधिकार-पृच्छा⁴ और उत्प्रेषण रिट⁵ या उनमें से किसी को जारी कर सकेगा। अतः जहां उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर है, वहां उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अधीन कहीं अधिक व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और वे किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामलों में रिट जारी

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

2. परमादेश (Mandamus)

3. प्रतिषेध (Prohibition)

4. अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)

5. उत्प्रेषण रिट (Cortiorer)

कर सकते हैं। 'किसी अन्य प्रयोजन के लिए' पद इस बात को स्पष्ट कर देता है। उच्च न्यायालय किसी अवैध आदेश को रद्द कर सकता है, किसी कानून या अधिकार की घोषणा कर सकता है और अवैध कर आदि की वापसी के रूप में राहत का आदेश दे सकता है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों के लिए वेदवाक्य है, ठीक उसी प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि राज्य के भीतर या उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आने वाले राज्य क्षेत्र के भीतर के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वेदवाक्य है (उडीसा राज्य बनाम मदन गोपाल (1952) एस सी आर 28, रामभट्टैया बनाम सचिव, एस आई आर 1981 एस सी 1653; देसाई बनाम रोशन, ए आई आर 1976 एस सी 578; मध्य प्रदेश राज्य बनाम भाईलाल, ए आई आर 1964 एस सी 1006)।

लेकिन यह याद रखना चाहिए कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के अलावा अन्य मामलों में रिट के द्वारा उपचार सामान्य उपचार नहीं है और उसे नित्यचर्या के रूप में प्रदान करने की आशा नहीं की जाती। यह एक असाधारण उपचार है जिसकी अपेक्षा विशेष परिस्थितियों में और न्यायालय के विवेकाधिकार के अधीन ही की जा सकती है (हिम्मतलाल शाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 1954 एस सी 403, अब्राहम बनाम आई. टी. ओ., ए आई आर 1961 एस सी 609; भोपाल शुगर इंडस्ट्री बनाम आई. टी. ओ., ए आई आर 1967 एस सी 549, राजस्थान राज्य बनाम करमचन्द, ए आई आर 1965 एस सी 913)।

रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में निहित की गई है। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए त्वरित न्याय तथा त्वरित राहत सुनिश्चित कराना है जिनके अधिकारों का उल्लंघन बिना किसी दडभय के किया गया है और यदि परिहार्य तकनीकी बातों की अपेक्षा करके तत्काल फलदायी तथा त्वरित उपचार उपलब्ध नहीं कगया जाता तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। पाच प्रकार की जानी मानी रिटें हैं. **बंदी प्रत्यक्षीकरण** - इसका अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामले में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। रिट को जारी करने का अर्थ है कि निरुद्ध कराने वाले प्राधिकारी या व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह निरुद्ध व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे और निरोध का कारण बताए ताकि न्यायालय उसकी वैधता या अवैधता का निर्धारण कर सके। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आजाद कर दिया जाता है। चूंकि अब 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलबन नहीं किया जा सकता, अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की सुरक्षा के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण रिट हो गई है।

जहां उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहां उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं।

परमादेश वैध रूप से कार्य करने का आदेश है। इसके अधीन अवैध कार्य को रोका जाता है। जहां 'क' को ऐसा कानूनी अधिकार है जो 'ख' पर कतिपय कानूनी दायित्व डालता है, वहां 'क' इस आशय के परमादेश की मांग कर सकता है कि 'ख' को उसका कानूनी कर्तव्य-पालन करने का निर्देश दिया जाए। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायो के भी विरुद्ध की जा सकती है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व के पालन में चूक या इंकार करते हैं। किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय 'परमादेश' जारी कर सकता है, यदि कहा जाता है कि किसी सरकारी आदेश या कार्य से उसका उल्लंघन हुआ है। इस रिट को जारी करके उच्च न्यायालय किसी अधिकारी को उसके संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों के प्रयोग के बारे में निर्देश दे सकते हैं। वे किसी व्यक्ति को विवश कर सकते हैं कि वह संविधान या कानून द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करे, वे किसी न्यायिक प्राधिकारी को उसकी अधिकारिता के प्रयोग के लिए विवश कर सकते हैं और वे सरकार को किसी संविधान-विरुद्ध कानून को लागू न करने का आदेश दे सकते हैं।

प्रतिषेध कोई उच्चतर न्यायालय किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को जारी करता है और उसका उद्देश्य होता है कि उसे उसकी अधिकारिता का उल्लंघन करने से मना किया जाए। 'प्रतिषेध' की रिट प्रशासनिक एजेंसियों के खिलाफ जारी नहीं की जाती। वह केवल न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है।

अधिकार-पृच्छा की रिट प्रश्न करती है 'किस प्राधिकार या अधिकार से' रिट में मांग की जा सकती है कि लोक पद को धारण करने के किसी व्यक्ति के दावे के बारे में लोक हित में कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया जाए। ऐसी रिट की मांग करने का आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है बशर्ते प्रश्नगत पद संविधान या विधि द्वारा सर्जित स्थायी स्वरूप का अधिष्ठायी लोक पद हो और व्यक्ति की नियुक्ति बिना किसी कानूनी प्राधिकार के तथा संविधान या कानूनों का उल्लंघन करके की गई हो।

उत्प्रेषण रिट भी न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारियों, न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के खिलाफ जारी की जाती है और उसका अर्थ है 'सूचनार्थ प्रेषण'। यथा, जब कोई न्यायाधिकरण बिना अधिकारिता के या उसका उल्लंघन करके कार्य करता है और कोई अवैध आदेश जारी करता है तो 'उत्प्रेषण' की रिट द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है।

रिटों के अलावा, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन लोगों को न्याय के हित में अन्य निर्देश तथा आदेश जारी कर सकते हैं (टी.सी. बासप्पा बनाम नागप्पा, ए आई आर 1954 एस सी 440)।

(लोक हित संबंधी वाद के लिए देखिए 'उच्चतम न्यायालय' के अधीन)

अधीनस्थ न्यायालय

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। वह व्यक्ति जो सरकारी सेवा में पहले से ही नहीं है, उसके पास जिला न्यायाधीश के पद का पात्र होने के लिए 'बार' का कम-से-कम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए (अनुच्छेद 233)।

20वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 233 क कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि को वैध ठहराता है (अनुच्छेद 233 क)।

किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से इतर व्यक्तियों की नियुक्ति इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार राज्यपाल ही करेगा। ऐसी नियुक्तियों के मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के अलावा उच्च न्यायालय से भी सलाह लेनी होगी (अनुच्छेद 234)।

जिला न्यायालयों तथा उनके अधीनस्थ अन्य न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा। यहां तक कि राज्य की न्यायिक सेवा के किसी व्यक्ति और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति की तैनाती, प्रोन्नति और उसकी छुट्टी की व्यवस्था भी वही करेगा [(अनुच्छेद 235) तेजपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1985) 3 एस सी सी 604; असम राज्य बनाम रंगा मोहम्मद, ए आई आर एस सी 903]। अनुच्छेद 236 निर्वचन-खंड है और वह जिला न्यायाधीश, न्यायिक सेवा आदि पदों की व्याख्या करता है।

राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र

भाग 6, अनुच्छेद 152-213 : भाग 8, अनुच्छेद 239-240

भारत के संविधान में न केवल संघ का संविधान है बल्कि उसमें राज्यों का संविधान भी है। वस्तुतया कुछ विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। अतः कहा जा सकता है कि भारत के संविधान के भीतर अनेक राज्य-संविधान हैं। आमतौर पर, राज्यों के लिए उपबंध संघ-शैली का अनुसरण करते हैं। राज्य-स्तर पर भी वैसी ही ससदीय शासन प्रणाली है जिसमें एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है और मंत्रिगण विधानमंडल के जन-निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यथार्थ कार्यपालिका-शक्ति का प्रयोग मंत्री करते हैं। राज्यपाल के 'समाधान' का अर्थ है मंत्रिपरिषद का समाधान (रामजवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 1955 एस सी 549; शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 1974 एस सी 2193)।

जम्मू-कश्मीर राज्य वैसे तो भारत का अभिन्न अंग है पर वह एकमात्र राज्य है जिसका अपना अलग राज्य-संविधान है। लेकिन अन्य अनेक राज्यों को भी विशेष दर्जा प्राप्त है और उनके संबंध में कतिपय विशेष उपबंध हैं और वे केवल उनमें से प्रत्येक पर अलग अलग लागू होते हैं यथा, महाराष्ट्र तथा गुजरात के राज्य (अनुच्छेद 371), नागालैंड (371 क), असम (371 ख), मणिपुर (371 ग), आंध्र प्रदेश (371 घ तथा 371 ड), सिक्किम (371 च), मिजोरम (371 छ), अरुणाचल प्रदेश (371 ज) तथा गोवा (371 झ)।

राज्य-कार्यपालिका

राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसके पद के लिए शर्तें : अनुच्छेद 153 के अनुसार हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति को कभी कभी दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है (अनुच्छेद 155)। राज्यपाल के लिए विहित पदावधि पांच वर्ष की है लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (अनुच्छेद 156)। राष्ट्रपति का प्रसाद वाद-योग्य नहीं

है। राज्यपाल के कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं है। राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकता है (सूर्य नारायण बनाम भारत संघ, ए आई आर 1982 राज. 1)।

किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो (अनुच्छेद 157)। इसके अलावा, राज्यपाल सदन या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि किसी सदस्य को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने की तारीख से विधानमंडल का अपना स्थान रिक्त कर दिया है। राज्यपाल लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता। हर राज्यपाल बिना किराया दिए सरकारी आवास का तथा ऐसी अन्य उपलब्धियाँ आदि का हकदार होगा, जिनका निर्धारण सदन द्वारा विधि के जरिए अथवा संविधान की दूसरी अनुसूची के अधीन किया जाए। 1987 के अधिनियम के अधीन राज्यपाल की उपलब्धियाँ 11,000 रुपये प्रति मास निश्चित की गई हैं (अनुच्छेद 158)। *हरगोविन्द बनाम रघुकुल* (ए आई आर 1979 एस सी 1109) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल का पद सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं है।

राज्यपाल तथा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वाह करने वाला हर व्यक्ति यह शपथ लेगा कि वह श्रद्धापूर्वक पद का कार्यपालन करेगा और संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा (अनुच्छेद 159)।

राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कृत्य : संविधान के अनुसार राज्यपाल कतिपय मामलों में कुछ अपवादों को छोड़कर, अपने सभी कृत्यों का निर्वाह मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह से करेगा (अनुच्छेद 163)।

जहाँ गणराज्य का राष्ट्रपति तथा राज्य का राज्यपाल दोनों ही संवैधानिक अध्यक्ष हैं, वहाँ दोनों की स्थिति में कुछ बुनियादी अंतर हैं, अर्थात् (1) जहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वहाँ राज्यपाल नामनिर्देशित किया जाता है, (2) जहाँ राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की कठिन प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, वहाँ राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, (3) जहाँ राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों के निर्वाह में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है, वहाँ राज्यपालों के मामले में सहायता और सलाह का उपबंध, जहाँ तक कि राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है वह अपने विवेकानुसार कार्य करेगा, उसके सिवाय लागू होगा (अनुच्छेद 163)। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन करके यह उपबंध कर दिया गया है कि राष्ट्रपति सलाह के अनुसार कार्य करेगा ही। लेकिन राज्यपालों पर लागू तदनु रूप अनुच्छेद 163 में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह निर्णय दिया गया है कि सामान्यतया राज्यपाल 'अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही कार्य कर सकता है, अन्यथा नहीं।' (*संजीवी बनाम मद्रास राज्य*, ए आई आर 1970 एस सी 1102; यू.

पी लोक सेवा आयोग बनाम सुरेश, ए आई आर 1987 एस सी 1953; सुनीत कुमार बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार, ए आई आर 1950 कलकत्ता 274)।

कतिपय ऐसे क्षेत्र हैं जहां राज्यपाल को अपनी बुद्धि तथा विवेक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है यथा, (क) जहां किसी एक पार्टी या नेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो, उस स्थिति में नये मुख्यमंत्री की नियुक्ति; (ख) उस स्थिति में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी जहां सदन में बहुमत का समर्थन गवा देने पर भी या अविश्वास-प्रस्ताव पर हार जाने पर भी वह मंत्रिमंडल इस्तीफा देने से इकार कर दे, (ग) बहुमत का समर्थन गंवाने वाले मुख्यमंत्री की सलाह पर विधान सभा का विघटन, (घ) छठी अनुसूची के अधीन असम के जनजातीय क्षेत्रों की दशा में जिला परिषदों के लिए खनिज लाइसेंसों की रायल्टी का निर्धारण, (ङ) राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाए; तथा (च) विधेयकों पर अनुमति। कुछ राज्यपालों को अनुच्छेद 371 से 371 (झ) के अधीन कतिपय विशेष दायित्वों का निर्वाह भी करना पड़ सकता है।

कार्यपालिका-शक्तियाँ : राज्य की कार्यपालिका-शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है (अनुच्छेद 154)। राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का सह-विस्तार उसकी विधायी शक्ति के अनुसार होता है। जहां कोई मद समवर्ती सूची में होती है, वहां राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन शक्तियों के अधीन होगी जो सभ का संविधान या विधियां प्रदान करती हैं (अनुच्छेद 246 तथा 162, मध्य प्रदेश राज्य बनाम जैन, ए आई आर 1981 एस सी 2045)।

राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है (अनुच्छेद 165, 316, 283 तथा 284)।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। सभी मंत्री अपना पद राज्यपाल के प्रसादपर्यंत धारण करते हैं लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवहार में, इसका अर्थ है कि केवल विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा और मंत्रिपरिषद तभी तक पद धारण करती है जब तक उसे विधान सभा का विश्वास प्राप्त होता है (अनुच्छेद 164)।

कार्यपालन संबंधी समूचा कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्यपाल राज्य के और सुविधाजनक कार्य-निष्पादन तथा मंत्रियों के बीच काम के आवंटन के बारे में नियम बना सकता है। मंत्रिपरिषद का कोई निर्णय सरकारी आदेश के रूप में तब तक

लागू नहीं होता जब तक उसे राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त न किया जाए और उसका विधिवत अधिप्रमाणन¹ न हो (अनुच्छेद 166; *केरल राज्य बनाम लक्ष्मी कुटी*, ए आई आर 1987 एस सी 331, *बी.एल. काटन मिल्स बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य*, ए आई आर 1967 एस सी 1145)।

विधायी शक्तियाँ : जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, वहां अनुच्छेद 171 (3) (ड) तथा (5) के अधीन राज्यपाल राज्य की विधान परिषद के लिए सदस्यों के छठवें भाग को नामजद कर सकता है। ये सदस्य उन लोगों में से होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन एवं समाजसेवा का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होगा। वह विधान सभा के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को भी नामजद कर सकता है, यदि उसकी राय में वहा समुदाय का प्रतिनिधित्व जरूरी हो और विधान सभा में उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो (अनुच्छेद 333)।

अनुच्छेद 168 के अनुसार, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अग है (अनुच्छेद 168)। जहां दो सदनों वाले विधानमंडल हैं, वहां वह विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकें बुलाता है और उनका सत्रावसान करता है। वह राज्य विधान सभा का विघटन कर सकता है (अनुच्छेद 174)। वह विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करता है और संदेश भेज सकता है (अनुच्छेद 175-176)। राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, भले ही उसे दोनों सदनों पारित कर दें (अनुच्छेद 200)।

जब किसी विधेयक को विधान सभा और विधान परिषद (यदि कोई हो) पारित कर देती है तो उसे, मंत्रिपरिषद की सलाह से, राज्यपाल के समक्ष इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि वह यथापारित विधेयक को अपनी अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल (i) विधेयक को अनुमति दे सकता है, (ii) अनुमति रोक सकता है, (iii) विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, या (iv) धन विधेयक के सिवाय, अन्य विधेयक को यथाशीघ्र अपने संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (अनुच्छेद 200)। एक पांचवीं सभावना भी है जिसका प्रायः उल्लेख नहीं किया जाता। वह यह है कि विधेयक के सबंध में कतिपय स्पष्टीकरण या सूचना मांगी जाए और विधेयक सरकार के पास लौटा दिया जाए और वस्तुतया सुझाव दिया जाए कि विधेयक पर अनुमति के लिए मंत्रिपरिषद ने पहले जो सलाह दी है, उस पर पुनर्विचार किया जाए (अनुच्छेद 167)।

यदि राज्यपाल किसी विधेयक को संदेश के साथ विधानमंडल को लौटा देता है, तो उस पर तदनुसार विचार किया जाएगा और यदि उसे पुनः संशोधनों सहित या उनके बिना पारित कर दिया जाता है तो उस पर अनुमति दे दी जाएगी। सिवाय उस स्थिति के जब विधेयक सरकार को लौटा दिया जाता है, राज्यपाल के बारे में कहा जा सकता है कि

वह चारों विकल्पों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।

अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल उस अवधि के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधान सभा अथवा दोनों सदनों का (जहां विधानमंडल के दोनों सदन हों) सत्र न चल रहा हो। यह शक्ति वैसी ही है जैसी कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अधीन प्राप्त है। अध्यादेशों का वैसा ही बल तथा प्रभाव होता है जैसा कि विधानमंडल द्वारा पारित तथा राज्यपाल द्वारा अनुमति-प्राप्त विधियों का होता है। इसके अलावा, उन पर भी विधानमंडल द्वारा पारित विधियों जैसे प्रतिबंध होते हैं। अतः राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, यदि (i) वैसे ही उपबंध वाले विधेयक के पुरःस्थापन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मजूरी की अपेक्षा होती, यदि (ii) वैसे ही उपबंध वाले विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता, अथवा यदि (iii) वैसे ही उपबंध वाला कोई राज्य-अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के अभाव में अवैध हो जाता।

राज्यपाल द्वारा जारी किए गए हर अध्यादेश को राज्य विधान सभा के समक्ष (दो सदनों वाले राज्य विधानमंडल की दशा में दोनों सदनों के समक्ष) रखना होगा तथा वह विधानमंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या उससे पूर्व भी लागू नहीं रहेगा यदि उसके निरनुमोदन का सकल्प पारित कर दिया जाता है। अध्यादेश को राज्यपाल किसी भी समय वापस ले सकता है (अनुच्छेद 213)। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के कृष्यात दुरुपयोग को *डी.सी. वधवा बनाम बिहार राज्य* (1987) 1 एस सी सी 378 में उजागर किया गया था। 1967-1981 के दौरान बिहार के राज्यपाल ने 256 अध्यादेश जारी किए थे। इन सभी को पुनः पुनः जारी करके बनाए रखा गया। न्यायालय का निर्णय था कि यह कार्य 'लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उन्मूलन' था और 'संविधान के प्रति धोखाधड़ी' था। इस शक्ति का उपयोग तो असाधारण परिस्थितियों का सामना करने के लिए यदाकदा ही किया जाना चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ-पूर्ति के लिए उसके दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

वित्तीय शक्तियां : अनुच्छेद 202 के अधीन, राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाए। राज्यपाल की सिफारिश के बिना न तो धन विधेयक का पुरःस्थापन किया जा सकता है और न ही अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया जा सकता है। सशोधनों के लिए भी राज्यपाल की सिफारिश चाहिए।

क्षमा आदि की शक्तियां : राज्यपाल को क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति दी गई है। वह उस विषय के सबंध में, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के

दंडादेश का निलबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है (अनुच्छेद 161)। *के.एम. नानावती बनाम बंबई राज्य* (ए आई आर 1961 एस सी 99) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि राज्यपाल को छूट है कि वह किसी भी समय, यहा तक कि उस समय भी जब मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित हो, पूर्ण क्षमा प्रदान कर सकता है लेकिन जब मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हो, उस अवधि के लिए राज्यपाल दंडादेश के निलबन की अपनी शक्ति का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता। यह कहा गया कि राज्यपाल की निलबन की शक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होगी।

राज्य विधानमंडल

किसी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा विधान सभा से मिलकर बनेगा, सिवाय उन कुछ राज्यों के जहां विधान सभा और विधान परिषद के रूप में दो सदन हैं। फिलहाल केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में विधान परिषदें हैं (अनुच्छेद 168)।

इस प्रश्न का निर्णय हर राज्य की विधान सभा पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो ससद से सिफारिश करे कि जहा विधान परिषद है, वहा उसका उत्सादन कर दिया जाए और जहा विधान परिषद नहीं है, वहा उसकी स्थापना कर दी जाए (अनुच्छेद 169)।

किसी राज्य की विधान सभा में पांच सौ से अधिक तथा साठ से कम सदस्य नहीं होंगे। उन्हें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा। विधान परिषद की सदस्य सख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल सख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में चालीस से कम नहीं होगी। उसके एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन नगरपालिकाएँ, जिला बोर्ड तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारी ससद द्वारा विधि के जरिए विनिर्दिष्ट रूप में करेंगे। उसके बारहवें भाग का निर्वाचन स्नातक-निर्वाचन-क्षेत्र करेगा। उसके एक तिहाई भाग का निर्वाचन विधान सभा के सदस्य करेंगे और शेष यानी छठे भाग का नामनिर्देशन राज्यपाल करेगा। परिषद के निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत द्वारा होंगे (अनुच्छेद 170-171)।

विधान सभा की अवधि पांच वर्ष होगी। विधान परिषद शाश्वत सदन होगा। उसका विघटन नहीं होगा, लेकिन उसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष के बाद निवृत्त हो जाएंगे (अनुच्छेद 172)।

विधानमंडल की सदस्यता का पात्र होने के लिए अनिवार्य है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वह सविधान के प्रति शपथ ले, नामांकन की तिथि को विधान सभा

के लिये कम-से-कम 25 वर्ष की आयु का हो और विधान परिषद के लिए कम-से-कम 30 वर्ष की आयु का हो (अनुच्छेद 173)। (हुसैन बनाम नजालिंगप्पा, ए आई आर 1969 एस सी 1034)।

राज्य सूची की मदों पर विधान बनाने के बारे में राज्य विधानमंडल की अनन्य अधिकारिता है और तीसरी अनुसूची की मदों के बारे में उसकी समवर्ती अधिकारिता है (अनुच्छेद 245-246)। (देखिए 'संघ और राज्यों के बीच संबंध के अधीन)।

राज्य में विधान परिषद की स्थिति संघ स्तर पर राज्य सभा जैसी ही है। अन्य बातों के अलावा, यही स्थिति विधानमंडलों की उन्मुक्तियों एवं उनके विशेषाधिकारों, सदस्यों की अनर्हता, दोनों सदनों के आपसी संबंधों, विधायी प्रक्रिया, धन विधेयकों के उद्गम आदि के बारे में है।

विधान सभा का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। उनका निर्वाचन विधान सभा करती है और उनका पद तथा उनके कृत्य लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जैसे ही होते हैं। लेकिन विधान परिषद का भी एक सभापति तथा उपसभापति होता है और उनका निर्वाचन परिषद करती है (अनुच्छेद 178-187)। (देखिए, "संघ की विधायिका" के अधीन)।

संघ-राज्य क्षेत्र

संघ-राज्य क्षेत्रों की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका सीधा प्रशासन संघ के हाथ में होता है। संप्रति सात संघ-राज्य क्षेत्र हैं अर्थात् दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, पांडिचेरी तथा चंडीगढ़ (प्रथम अनुसूची)। हाल तक जो महानगर परिषद तथा कार्यकारी पार्षदों वाला दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र कहलाता था, अब वह विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया है (अनुच्छेद 239 क क तथा 239 क ख)।

संसद विधि द्वारा संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ-राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। प्रशासक को सामान्यतया उपराज्यपाल कहा जाता है। राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को भी किसी संघ-राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त राज्यपाल प्रशासक के कृत्यों का निर्वाह राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से करेगा (अनुच्छेद 239)। संसद विधि द्वारा किसी संघ-राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद का सृजन कर सकती है। ऐसा विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद पांडिचेरी संघ-राज्य क्षेत्र एवं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बन चुका है। अंदमान और निकोबार द्वीपों के संघ-राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल के स्थान पर एक नामनिर्देशित

निकाय है (अनुच्छेद 239 क)। संघ-राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यों के राज्यपालों की भांति अध्यादेश जारी कर सकता है (अनुच्छेद 239 ख)। सिवाय उन संघ-राज्य क्षेत्रों के जहां विधानमंडल कार्य कर रहा हो, अन्य सभी ऐसे राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति तथा सुशासन के लिए राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है (अनुच्छेद 239 क तथा 240)। संसद विधि द्वारा किसी सघ-राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकेगी या उसके प्रयोजनों के लिए किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी (अनुच्छेद 241)।

संघ और राज्यों के बीच संबंध

भाग 11, अनुच्छेद 245-263

हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। जब भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई तो उस समय उसका रूप अति केंद्रप्रधान तथा एकात्मक था। भारत को अपने साम्राज्यवादी शिकंजे में रखने के लिए अंग्रेजों को उसका नियंत्रण केंद्र से करना था और यह सुनिश्चित करना था कि सत्ता उनके हाथों में रहे। साम्राज्य तथा प्रशासन, दोनों ही दृष्टियों से अंग्रेजों के लिए एक सशक्त केंद्रीय प्राधिकार आवश्यक था। 1833 के चार्टर अधिनियम में तो भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया की अति ही कर दी गई। मद्रास तथा बंबई की सरकारों को सभी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और उनका सकेंद्रण कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल में कर दिया गया। इस अधिनियम में स्पष्टतया यह भी कहा गया कि भारत के समूचे सैनिक तथा असैनिक प्रशासन का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल के हाथ में रहेगा।

भारत शासन अधिनियम, 1919 में उपबंध किया गया कि काफी हद तक प्राधिकार का अंतरण प्रांतों को कर दिया जाए। 1934 में संविधान सुधार संबंधी समिति ने कहा :

1919 के अधिनियम के फलस्वरूप प्रांतों को दिए गए प्राधिकार की मात्रा के बावजूद, भारत सरकार एक एकात्मक तथा केंद्रप्रधान सरकार है और मूलतया वैसी बनी रहेगी और गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल समूचे संवैधानिक सांचे-ढांचे का प्रमुख स्तंभ होगा।

जब ब्रिटिश हाउस आफ कामंस में कामनवेल्थ आफ इंडिया बिल पर चर्चा हुई तो सरकारी प्रवक्ता मैल्कम हेली ने और बातों के अलावा, इस बात पर जोर दिया कि किसी-न-किसी प्रकार का फेडरेशन अनिवार्य है और उसे अंतिम लक्ष्य के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए। देसी रियासतों तथा ब्रिटेन के वाणिज्यिक हितों के मसलों को भी उठाया

गया और उन्हें ब्रिटिश आकाओं के सीधे नियंत्रण में एक सशक्त केंद्रीय प्राधिकार का आधार बताया गया। साइमन कमीशन (1927-29) तथा बटलर कमेटी (1927-30) दोनों ने ही समूचे भारत के लिए एक फेडरल संघ का सपना संजोया, भले ही वह सुदूर आदर्श के रूप में रहा हो।

भारत शासन अधिनियम, 1935 में प्रस्ताव किया गया कि भारत में फेडरल (परिसंघीय) राज्य व्यवस्था हो, एक केंद्रीय सरकार हो और प्रांत अपनी अधिकारिता तथा शक्तियां क्राउन से सीधे अंतरण द्वारा प्राप्त करें। 1935 के अधिनियम का प्रांतीय स्वायत्तता वाला भाग लागू किया गया। चूंकि केवल प्रांतीय स्तर पर सीमित दायित्व वाली सरकार की स्थापना की गई, अतः स्वाभाविक था कि राष्ट्रवादियों ने प्रांतीय विधानमंडलों के लिए और अधिक शक्तियों की मांग की। लेकिन यह प्रयोग अधिक समय तक नहीं चला। बहरहाल 1919 के अधिनियम के अधीन समूचे देश पर केवल केंद्रीय प्राधिकार का शासन चलता रहा।

जब पहले-पहल 1946 में तथा 1947 के प्रारंभ में संविधान सभा की बैठक हुई तो उस समय विचार यह था कि सीमित शक्तियों वाले केंद्र सहित फेडरेशन (परिसंघ) हो। इससे पूर्व कि संघीय संविधान समिति कोई सार्थक कार्यवाही कर पाती, 3 जून, 1947 की माउंटबेटन योजना की घोषणा कर दी गई। राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने की सभी आशाएं धूल में मिल गईं और सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन एक दृढ़ निश्चय बन गया। आशा के अनुरूप एक सशक्त केंद्र का पलड़ा भारी हो गया। संघीय संविधान समिति तथा प्रांतीय संविधान समिति ने 5 जून को एक संयुक्त बैठक में निश्चय किया कि 3 जून की घोषणा को देखते हुए संविधान के स्वरूप के बारे में कैबिनेट मिशन की योजना द्वारा थोपी गई सीमाएं समाप्त हो गई थीं। जब विभाजन एक वास्तविकता बन ही गया तो इस बात की कोई जरूरत नहीं रह गई कि मुस्लिम लीग की तुष्टि की जाए और सघ सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाए। 6 जून, 1947 की बैठक में संघीय संविधान समिति ने अस्थायी रूप से निश्चय किया कि एक सशक्त केंद्र सहित संविधान का एक सशक्त सांचा-ढांचा हो और तीन सर्वांगपूर्ण सूचियां हों और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हों।

5 जुलाई, 1947 को संघीय शक्तियां समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने एक दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि संविधान के लिए सर्वाधिक ठोस संरचना है सशक्त केंद्र वाला संघ। रिपोर्ट में कहा गया कि कैबिनेट मिशन की योजना में केंद्रीय प्राधिकार क्षेत्र पर जो कठोर अंकुश लगाया गया था, उसे संविधान सभा ने देश की प्रशासनिक जरूरतों के अपने आकलन की घोर उपेक्षा करके समझौते के रूप में इसलिए स्वीकार किया था कि मुस्लिम लीग की भी बात रह जाए। संघीय शक्तियां

समिति ने सर्वसम्मति से यह दृष्टिकोण अपनाया कि यह देश के लिए हितकर नहीं होगा कि एक अशक्त केंद्रीय प्राधिकार की व्यवस्था की जाए क्योंकि ऐसा प्राधिकार न तो शांति की एवं सामूहिक हित संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में समन्वय की व्यवस्था कर सकेगा और न ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समूचे देश के लिए प्रभावशाली ढंग से आवाज उठा सकेगा। इस बीच 600 से भी अधिक देसी रियासतों को उभरते भारतीय संघ में लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय संघ में राज्य की इकाइयों की संस्था घटकर नियंत्रण-योग्य हो गई।

इन घटनाओं के संदर्भ में प्रारूपण समिति ने निश्चय किया कि भारत को एक संघ कहा जाए, भले ही उसके संविधान का स्वरूप परिसंघात्मक हो। भारत के संघ होने पर जोर देने के पीछे आशय यह था कि यह संघटक इकाइयों के बीच किसी सविदा या समझौते की उपज नहीं है बल्कि उस संविधान सभा की घोषणा है जिसने अपना प्राधिकार भारत के लोगों से प्राप्त किया है। इसके अलावा, संकल्पना का स्पष्ट उद्देश्य था कि राज्य व्यवस्था के संघात्मक स्वरूप को दर्शाया जाए पर उसमें राज्यों की स्थिति गौण हो और सरचना एवं संचालन का सतुलन संघ की सर्वोच्चता के पक्ष में हो। इस बात को उच्चतम न्यायालय ने *पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ* (ए आई आर 1963 एस सी 1241) में उचित ठहराया था।

चाहे संविधान निर्माता हो या राज्यों के पुनर्गठन एवं संघ तथा राज्यों के आपसी संबंधों पर विचार के लिए आजादी के बाद नियुक्त विभिन्न आयोग तथा समितियां हो यथा जे. वी. पी. समिति, दर आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राजमन्मार समिति, सरकारिया आयोग आदि, सभी की सर्वोपरि चिंता का विषय भारत की एकता तथा अखंडता रहा है। राज्य पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट का निष्कर्ष था -

भारत का संघ ही हमारी राष्ट्रिकता का आधार है—राज्य तो केवल संघ के अंग हैं और जहां हम यह मानते हैं कि अंगों को स्वस्थ एवं सशक्त होना ही चाहिए वहां संघ की सशक्तता तथा स्थिरता तथा विकास एवं सर्वर्धन की उसकी क्षमता ही वह तत्व है जिसे देश के सभी परिवर्तनों का नियामक आधार माना जाए।

विधायी संबंध

अनुच्छेद 245-255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। संसद भारत के समूचे राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधियां बना सकती है। किसी राज्य का विधानमंडल समूचे राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधियां बना सकता है। राज्य की कोई विधि शून्य हो जाएगी, यदि उसका राज्य

1. शून्य (Void)

क्षेत्रातीत प्रवर्तन¹ होता है (कोचुनी बनाम मद्रास राज्य, ए आई आर 1960 एस सी 1080) और जब तक कि उद्देश्य तथा राज्य के बीच पर्याप्त संबंध नहीं दर्शाया जा सकता (बंबई राज्य बनाम आर. एम. डी. सी., ए आई बार 1957 एस सी 699; टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी बनाम बिहार राज्य, ए आई आर 1958 एस सी 452)। लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती (अनुच्छेद 245)। संविधान की सातवी अनुसूची में तीन सूचियां हैं अर्थात् संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जिनमें क्रमशः 97, 66 तथा 47 मदे हैं। अनुच्छेद 246 में व्यवस्था है कि संघ सूची की मदों के बारे में संसद को विधियां बनाने की अनन्य अधिकारिता होगी, राज्य सूची की मदों के बारे में राज्य के विधानमंडल को विधियां बनाने की अनन्य शक्ति होगी और समवर्ती सूची में शामिल मदों के बारे में संघ तथा राज्यों के विधानमंडल, दोनों ही विधान बना सकते हैं। यदि समवर्ती सूची की मदों के बारे में संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बीच कोई असंगति हो तो संघ की विधियां प्रभावी होंगी और राज्य की विधि उस विसंगति की मात्रा तक शून्य होगी, सिवाय उस स्थिति के जहां राज्य की विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई हो और उस पर उसकी अनुमति मिल गई हो (अनुच्छेद 245)। विधायी शक्तियों के त्रिविध वितरण में, विधान की अवशिष्ट शक्तियां संघ को सौंपी गई हैं (अनुच्छेद 248)। साथ ही, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय अथवा विनिश्चय का कार्यरूप देने के लिए समूचे देश या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बना सके (अनुच्छेद 253)।

संघ सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिनका सबघ संघ के सामान्य हित से है और जिनके बारे में समूचे संघ के भीतर विधान की एकरूपता अनिवार्य है। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जो हित तथा व्यवहार की विविधता की दृष्टि से देते हैं। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिनके बारे में समूचे संघ के भीतर विधान की एकरूपता वांछनीय तो है पर अनिवार्य नहीं है। भले ही राज्य सूची में शामिल विषयों के बारे में राज्यों को अनन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं पर इस सामान्य नियम के दो अपवाद हैं। अनुच्छेद 249 के अधीन यदि राज्य सभा के उपस्थित तथा मत देने वाले दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प के जरिए यह घोषणा कर दी जाए कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि राज्य सूची में शामिल किसी विषय के बारे में संसद विधियां बनाए तो समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय के बारे में संसद विधियां बनाने के वास्ते सक्षम होगी। ऐसा संकल्प एक वर्ष तक वैध रहता है। उसकी अवधि को और एक वर्ष के लिए बाद के संकल्प द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऐसे संकल्प के अधीन बनाई गई विधि संकल्प

1. क्षेत्रातीत प्रवर्तन (Extra-territorial Operation)

की अवधि बीत जाने के बाद 6 मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगी। पुनः अनुच्छेद 250 के अधीन, जब आपात की घोषणा लागू हो तो संसद को अधिकार दिया गया है कि वह समूचे भारत या उसके किसी भाग के वास्ते राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधियां बना सकती है। ऐसी विधियों की वैधता की अधिकतम अवधि आपात की समाप्ति के बाद छह मास की होगी।

यदि अनुच्छेद 249 तथा 250 के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधियों तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बीच कोई असंगति हो तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी और राज्य की विधि विरोध की मात्रा तक अप्रवर्तनीय होगी और संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहेगी (अनुच्छेद 251)।

अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वह राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधियां बनाए। ऐसी विधियों का विस्तार अन्य राज्यों पर किया जा सकता है बशर्ते कि संबद्ध राज्यों के विधानमंडल उस आशय के संकल्प पारित करें।

प्रशासनिक संबंध

अनुच्छेद 256 से 265 तक संघ तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक सबंधों के विनियमन की व्यवस्था करते हैं। संघात्मक प्रणालियों में सामान्यतया ऐसा होता है कि संघ तथा राज्यों के आपसी प्रशासनिक संबंध झमेलों से ग्रस्त रहते हैं। भारत के संविधान का उद्देश्य है कि दोनों स्तरों के बीच संबंधों का निर्वाह सहज रूप से होता रहे। वह उपबंध करता है कि राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का पालन सुनिश्चित हो सके। संघ की कार्यपालिका को राज्यों को ऐसे निर्देश देने का भी अधिकार प्राप्त है जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

इसी प्रकार, अनुच्छेद 257 का उपबंध है कि हर राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि वह संघ की कार्यपालिका-शक्ति के प्रयोग में बाधक न हो। संघ इस संबंध में तथा रेलों के संरक्षण एवं राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार-साधनों को बनाए रखने के बारे में आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। केंद्रीय निर्देशों के पालन में जो अतिरिक्त व्यय राज्य करेगा, केंद्र उसकी भरपाई राज्य को करेगा। अनुच्छेद 261 का उपबंध निर्देश देता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी भागों में संघ तथा राज्यों के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास एवं पूरी मान्यता दी जाएगी। यह बात संघ एवं राज्यों के आपसी संबंधों के सुचारु निर्वाह में अति सहायक होती है। अंतर्राज्यिक नदियों पर संसदीय नियंत्रण तथा अंतर्राज्यिक जल-विवादों के

न्याय-निर्णयन संबंधी उपबंधों के कारण संघ तथा राज्यों के बीच तथा स्वयं राज्यों के बीच संघर्ष की ढेर सारी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं (अनुच्छेद 262)। वास्तविकता तो यह है कि संविधान-निर्माता किसी बात की संभावना नहीं छोड़ना चाहते थे। अतः उन्होंने अतर्राज्यिक परिषदों की व्यवस्था की। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अतर्राज्यिक परिषद की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। इन परिषदों का उद्देश्य है कि वे राज्यों के आपसी विवादों तथा राज्यों के या संघ एवं राज्यों के सामान्य हित के आपसी मामलों के बारे में जांच करे और उन्हें सलाह दे और नीति एवं कार्रवाई के बेहतर समन्वय के बारे में सिफारिशें करे।

अनुच्छेद 258 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य सौंप सकेगा जिन पर संघ की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 258 के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य सौंप सकेगा जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार है।

वित्तीय संबंध

संघ तथा राज्यों के बीच विभिन्न संबंधों के बारे में भी हम केंद्रीय प्रधानता वाली भारतीय संसद की सामान्य प्रवृत्ति के दर्शन कर सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि वित्तीय दृष्टि में संघ अधिक सशक्त है। सुनियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश की उन्नति की जम्हरता के स्वरूप को देखते हुए यह स्थिति न केवल वांछनीय बल्कि नितांत आवश्यक हो सकती है। लेकिन राज्यों के अपने समाधान हैं। महायुद्ध-अनुदानों, कतिपय करों के अग्र-आगमों आदि के रूप में संघ राज्यों के लिए सारवान राशियों की व्यवस्था करता है। संविधान का उपबंध है कि हर पाचव वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाए और वह संघ तथा राज्यों के बीच अग्र-आगमों के वितरण की जांच करे एवं सहायता-अनुदान का नियमन करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करे। यह भारतीय संविधान की एक नयी देन है। इसने संघ तथा राज्यों के बीच सामान्यतया सुचारु संबंधों को और भी सहज बनाया है (वित्तीय प्रावधानों के लिए देखिए, अध्याय 16)।

संघ-राज्य संबंधों के क्षेत्र में इस बात पर विशेष बल दिया जाना चाहिए कि संघ-राज्य के स्थान पर 'केंद्र-राज्य'² शब्द के गलत प्रयोग के कारण भारी नुकसान हुआ है और व्यापक गलतफहमी फैली है। संविधान में 'केंद्र' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया।

1. संघ-राज्य (Union-State)
2. केंद्र-राज्य (Centre-State)

वास्तविकता यह है कि 'केंद्रीय सरकार', 'केंद्रीय विधानमंडल', 'केंद्रीय विधियां' आदि शब्द औपनिवेशिक शासन के केंद्रप्रधान शासन काल की अशुभ थाती के रूप में चले आ रहे हैं। 'केंद्र' तथा 'संघ' शब्द नितांत भिन्न छवियां प्रस्तुत करते हैं और अति भिन्न संकल्पनाओं को दर्शाते हैं। 'केंद्र' किसी परिधि के मध्य का बिंदु हैं और 'संघ' पूर्ण परिधि है। संघ तथा राज्यों का आपसी संबंध वैसा ही है जैसा कि समग्र देह का अपने अंगों से होता है, न कि प्राधिकार के केंद्र और उसकी परिधियों जैसा।

वित्तीय उपबंध एवं व्यापार आदि

भाग 5, अध्याय 5 तथा भाग 12 और 13
अनुच्छेद 148-151, 264-307

भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ¹

प्रशासन का वित्तीय नियंत्रण संसदीय लोकतंत्र का कवच है और वित्तीय नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा एजेंसी अनिवार्य पूर्वपिक्सा है। संविधान भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उपबंध करता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रवर्तमान कार्यपालिका शासन से इस पद की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए उपबंध किया गया है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके पद से तभी हटाया जा सकेगा जब सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी रीति से प्रस्तुत किया जाए जो अनुच्छेद 124(4) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। इसके अलावा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। उसका वेतन आदि संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। संशोधित रूप में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 तत्संबंधी स्थिति का विनियमन करता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन आदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं। लेखापरीक्षक तथा लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर

1. भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller Auditor General of India)

भारित होंगे (अनुच्छेद 148)।

संघ तथा राज्यों के लेखाओं को किस रूप में रखा जाए, इसका निर्धारण राष्ट्रपति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह से करेगा। संघ तथा राज्यों के लेखाओं के बारे में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों के निर्धारण का भार संविधान ने संसद पर छोड़ दिया है (अनुच्छेद 149 तथा 150)। लेकिन अनुच्छेद 151 में विनिर्दिष्ट रूप से उपबध किया गया है कि संघ के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनो को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। इसी प्रकार राज्यों के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनो को संबद्ध राज्यों के राज्यपालो के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वे संबद्ध विधामंडलों के सदन/सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

वित्त, संपत्ति, संचित निधि और वाद

अनुच्छेद 265 'प्रतिनिधान बिना कराधान नहीं'¹ के स्वस्थ लोकतंत्रात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि केवल विधि के प्राधिकार से ही करों को लगाया जा सकता है।

संचित निधि² : 'आकस्मिकता निधि' तथा राज्यों के लिए आवंटनों के लिए आवश्यक धन के अतिरिक्त, भारत सरकार को राजस्वों या उसके द्वारा लिए गए करों आदि से भारत को जो भी धन मिलेगा उससे भारत की संचित निधि बनेगी। इसी प्रकार, सभी राज्यों के लिए अन्य सभी धनराशियां संघ या संबद्ध राज्य के लोक खाते में जमा की जाएंगी। विधि के प्राधिकार के बिना संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जाएगी। लोक खातों³ पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता (अनुच्छेद 266)।

आकस्मिकता निधि⁴ : ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए जिनके अधीन अकम्पात कुछ व्यय करना जरूरी हो जाए, अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी 'आकस्मिक निधियां' स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिकता निधि संघ या राज्य सरकार (राष्ट्रपति या राज्यपाल) के हाथ में रखी जाती है ताकि वे अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के वास्ते तब तक के लिए अग्रिम धन दे सकें जब तक कि विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते।

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण : संघ एवं राज्यों के बीच राजस्वों

1. 'प्रतिनिधान बिना कराधान नहीं' (No Taxation without Representation)
2. संचित निधि (Consolidated Fund)
3. लोक खाते (Public Accounts)
4. आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)

के वितरण की एक योजना का उपबंध अनुच्छेद 258-273 में किया गया है। उसके अनुसार राज्य द्वारा उद्गृहीत सभी करो के आगम संबद्ध राज्य पूर्णतया स्वयं अपने पास रखेंगे जबकि सघ सूची में शामिल कर अंशतया राज्यों को आवंटित किए जा सकते हैं।

जिन करो पर सघ का अनन्य अधिकार है, उनमें सीमा शुल्क,¹ निगम-कर² आस्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर,³ आयकर पर अधिभार⁴ आदि एवं सूची के विषयो से संबंधित कर शामिल हैं।

जिन करो पर राज्य का अनन्य अधिकार है, उनमें वे मटे शामिल हैं यथा भू-राजस्व, राज्य सूची में शामिल मटे पर स्टाप शुल्क, अतर्देशीय जलमार्गों से ढोए जाने वाले यात्रियों एव माल पर कर, भूमि एव भवन, खनिज अधिकार, पशु एव नौकाए, सड़क पर चलने वाले वाहन, विज्ञापन, बिजली की खपत, विलास सामग्री मनोरंजन आदि, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, राज्य चुगी कर, राज्य-सूची के मामलों से संबंधित शुल्क और 2500 रुपये प्रति वर्ष से अनधिक व्यवसाय, व्यापार आदि पर कर (अनुच्छेद 276 तथा सानवी अनुसूची की सूची 2, प्रविष्टि 60)। विनियम पत्रों आदि पर स्टाप शुल्क तथा संघ सूची में वर्णित औषधीय और प्रसाधन-निर्मितियों पर उत्पादन-शुल्कों का उद्ग्रहण तो संघ करेगा लेकिन उनका संग्रह एव विनियोजन राज्य करेगा और सघ-राज्य क्षेत्रों के अलावा वे उनके आगमों के अंश होंगे (अनुच्छेद 268)। वे सब शुल्क तथा कर जो विधि द्वारा संसद के विनिश्चय के अनुसार संबद्ध राज्यों को सौंपे जाएंगे और उनके बीच वितरित किए जाएंगे, इस प्रकार हैं - कृषि-भूमि से इतर संपत्ति के मवध में सपदा शुल्क, रेल. समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले भाड़ों पर कर, स्टाक-एक्सचेंज और वायदा-बाजारों के सौदों पर कर, समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर; समाचार पत्रों से इतर माल के अंतर्राज्य-क्रय-विक्रय पर कर; माल के अंतर्राज्य-पारिषण पर कर। लेकिन सघ-राज्य क्षेत्रों को संदेय आगम भारत की संचित निधि के अंश होंगे (अनुच्छेद 269)।

संघ सूची में शामिल आयकर तथा उत्पादन-शुल्क जैसे कुछ करों का उद्ग्रहण तथा संग्रह तो संघ करता है लेकिन उनके आगमों का वितरण सघ एवं राज्यों के बीच किया जाता है। वित्त आयोग के गठन के बाद आयोग की सिफारिशों पर विचार करके आयकर से प्राप्त आगमों के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश जारी किया जाएगा।

-
1. सीमा शुल्क, (Customs Duty)
 2. निगम-कर (Corporation Tax)
 3. आस्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर (Taxes on Capital Values of Assets)
 4. आयकर पर अधिभार (Surcharge on Income Tax)

उत्पादन-शुल्क के मामले में आगमों के वितरण का निर्धारण संसद विधि द्वारा करेगी (अनुच्छेद 270-272)।

अनुच्छेद 273, 275 तथा 282 में तीन प्रकार के सहायता-अनुदानों तथा उन परिस्थितियों का उपबंध है जिनमें संघ यह अनुदान राज्यों को दे सकता है। जैसे, जूट पर तथा जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले में असम, बिहार, उड़ीसा, तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों को संघ अनुदान दे सकता है (अनुच्छेद 273)। किसी भी जरूरतमंद राज्य को जैसा आवश्यक समझा जाए, अनुदान दिए जा सकते हैं (अनुच्छेद 275)। अनुच्छेद 282 के अधीन संघ अथवा राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान दे सकता है, भले ही वह प्रयोजन संघ अथवा संबद्ध राज्य की विधायी अधिकारिता से परे हो।

अनुच्छेद 274 अपेक्षा करता है कि ऐसे कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों के बारे में, जिनसे राज्यों का हित जुड़ा हो, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होगी।

राज्यों के विधानमंडल विधि द्वारा व्यवसायो, व्यापारों, घघों अथवा रोजगार पर कर लगा सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा देय इन करों की राशि 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। व्यवसायो आदि से होने वाली आय के बारे में विधि बनाने की संसद की शक्ति पर उपबंध का प्रभाव नहीं पड़ेगा (अनुच्छेद 276)।

वित्त आयोग : अनुच्छेद 280 का उपबंध है कि हर पाचवें वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे। आयोग राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिशें करेगा कि संघ तथा राज्यों के बीच आगमों का वितरण किस प्रकार किया जाए। वह इस बारे में भी सुझाव देगा कि भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किन सिद्धांतों के आधार पर दिए जाए। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को तथा उन पर की गई कार्यवाही को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा (अनुच्छेद 280-281)।

प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध

संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों तथा लोक खातों में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि का विनियमन संसद तथा प्रत्येक संबद्ध राज्य विधानमंडल करेगा (अनुच्छेद 283)।

लोक सेवकों तथा न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकताओं की जमा राशियों तथा अन्य राशियों को, यथास्थिति, संघ अथवा राज्यों के लोक खातों में जमा किया जाएगा (अनुच्छेद 284)।

संघ की संपत्ति को राज्यों के करों से छूट होगी तथा उसी प्रकार, राज्यों की संपत्ति को संघ के करों से छूट होगी (अनुच्छेद 285 तथा 289)।

1. वित्त आयोग (Finance Commission)

अनुच्छेद 286-288 में प्रावधान है कि राज्य के बाहर बिजली या जल की खपत या बिक्री पर, माल के क्रय-विक्रय पर अथवा निर्यात एवं आयात पर राज्य कर नहीं लगाएंगे।

अनुच्छेद 290 में बताया गया है कि किसी न्यायालय या आयोग के कतिपय व्यक्तियों की तथा संविधान के प्रारंभ से पूर्व सेवारत व्यक्तियों की पेशनों की अदायगी के बारे में संघ एवं राज्य सरकारों के बीच समायोजन किस प्रकार किया जाए। अनुच्छेद 290 का उपबन्ध है कि तिरुवाकुर तथा तमिलनाडु की देवस्वम् निधियों को इन राज्यों की संचित निधियों में से कुछ धनराशियाँ दी जाएंगी।

उधार लेना : संघ की कार्यपालिका-शक्ति के अनुसार ससद द्वारा विधि के अधीन नियत सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि से उधार लिया जा सकता है (अनुच्छेद 292)। कोई राज्य भी राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर इसी प्रकार उधार ले सकती है। भारत सरकार उधार संबंधी अपनी शक्तियों के भीतर किसी राज्य को उधार दे सकती है या राज्य द्वारा लिए गए उधार के बारे में गारंटी दे सकती है। जब तक ऐसा कोई उधार बकाया रहता है तब तक राज्य सरकार भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकती (अनुच्छेद 293)।

संपत्ति, सविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद : अनुच्छेद 294, 295 और 296 का उपबन्ध है कि संविधान के प्रारंभ से पूर्व जो संपत्ति, आस्तियाँ, अधिकार, दायित्व एवं बाध्यताएँ डोमिनियन की सरकार में या किसी प्रांत में या किसी देशी रियासत में निहित या प्रोद्भावी थीं, वे संघ अथवा संबद्ध राज्य में निहित होंगी।

राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड¹ या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि² की मूल्यवान चीजे या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधन संघ में निहित होंगे (अनुच्छेद 297)।

संघ की तथा प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार व्यापार या कारोबार करने और संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन तथा सविदा करने पर भी होगा परंतु वह संबद्ध राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगा (अनुच्छेद 298)। जाहिर है कि यह अनुच्छेद, अनुच्छेद 245 के अलावा कार्यपालिका-शक्ति का स्वतंत्र अथवा अतिरिक्त स्रोत है। उच्चतम न्यायालय ने *खजानसिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* (ए आई आर 1974 एस सी 669) में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 298 के अधीन राज्य की शक्ति का अर्थ है कि दूसरे राज्यों में भी व्यापार किया जा सकता है (*अनराज बनाम महाराष्ट्र राज्य* ए आई आर 1984, एस सी 781 भी देखिए)।

संघ या राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का प्रयोग करते हुए जो भी सविदाएं की जाएंगी, वे सभी (1) यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से की जाएंगी और (2) ऐसे

1. राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड (Territorial Waters)

2. महाद्वीपीय मग्नतट भूमि (Continental Shelf)

अधिकारियों द्वारा एवं (3) ऐसी रीति से की जाएंगी जिन्हे वह निर्दिष्ट करे। राष्ट्रपति या राज्यपाल या संविदा आदि करने वाले व्यक्तियों का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा (अनुच्छेद 299)। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अनुच्छेद 299 आदेशात्मक है और कोई संविदाएँ आदि तभी वैध होगी जब वे इस प्रावधान की अपेक्षाओं के अनुसार की जाएगी (बिहार एफ. जी. एफ. कोआपरेटिव सोसाइटी बनाम सिपाही सिंह ए आई आर 1977 एस सी 2149, मूलनचन्द बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए आई आर 1968 एस सी 1818, पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम बी.के. मोडल, ए आई आर 1962 एस सी 779; करमशी बनाम बंबई राज्य, ए आई आर 1964 एस सी 1714)।

भारत सरकार अथवा कोई राज्य सरकार अपने नाम से कोई वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा लेकिन ऐसा वाद मसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगा। यदि भारत डोमिनियन किसी वाद में एक पक्षकार थी तो उसके स्थान पर भारत संघ को प्रतिस्थापित किया जाएगा और यदि कोई प्रांत या देसी गियासत एक पक्षकार थी तो उसके स्थान पर तत्स्थानी राज्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा (अनुच्छेद 300)।

सर्पति का अधिकार : मूलनया संविधान में अनुच्छेद 19 (च) तथा 31 के अधीन सर्पति का समावेश मूल अधिकार के रूप में किया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 20 जून, 1979 से अनुच्छेद 19(च) तथा 31 का विलोपन कर दिया गया। इसके साथ ही एक नया अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को उसकी सर्पति से विधि के प्राधिकार में ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। अतः सर्पति का अधिकार मूल अधिकार तो नहीं रहा लेकिन संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार बना रहा। अनुच्छेद 300 क के अधीन अधिकार के उल्लंघन की दशा में, जहाँ अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की रिट-अधिकारिता का अवलंब नहीं किया जा सकता, वहाँ निश्चय ही अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय का द्वारा खटखटाया जा सकता है। अनुच्छेद 300 क के अधीन प्राणित किसी विधि की वैधता को चुनौती इस आधार पर दी जा सकती है कि किसी नागरिक को उसकी सर्पति से वंचित करने के लिए मूआवज के भुगतान के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है (विश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आर 1982 एस सी 33; मंनका गांधी बनाम भारत संघ, ए आई आर 1978 एस सी 597) ("मूल अधिकार" के अधीन भी देखिए)।

व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 301 में उपबंध किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और समागम सर्वत्र अबाध रूप से होगा। लेकिन संसद विधि द्वारा राज्यों के बीच आपसी व्यापार, वाणिज्य

तथा समागम पर लोकहित में प्रतिबंध लगा सकती है (अनुच्छेद 301 और 302)। न तो संसद और न ही राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसी विधि बनाई जा सकती है जो व्यापार एवं वाणिज्य के मामले में एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती हो, लेकिन संसद विधि द्वारा ऐसे विभेद को प्राधिकृत कर सकती है जो भारत के किसी भाग में माल की कमी की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक हो जाए (अनुच्छेद 303)।

व्यापार की स्वतंत्रता आदि पर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए जो व्यापारिक गतिविधि के अबाध प्रवाह में सीधी या तत्काल बाधा डालता हो। व्यापार की सुविधा के लिए विनियामक विधयों को या कर लगाने वाले प्रतिकरत्मक विधान को व्यापार की स्वतंत्रता का हरण करने वाला नहीं माना जा सकता। व्यापार की स्वतंत्रता सबर्धी उपबन्ध में राज्यों के बीच व्यापार तथा राज्य के भीतर व्यापार दोनों ही शामिल हैं। व्यापार, वाणिज्य तथा समागम में माल और व्यक्तियों का आना जाना शामिल है। (*अनियाबाड़ी टी कंपनी बनाम असम राज्य*, ए आई आर 1961 एस सी 297; *आटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट बनाम गजस्थान राज्य*, ए आई आर 1962 एस सी 506, *बिहार राज्य बनाम हरिहर प्रसाद देबुका* (1989) 3 एस सी सी।)।

अनुच्छेद 301 के अधीन व्यापार की स्वतंत्रता आदि पर अनुच्छेद 302 और 303 के अधीन लगाए गए प्रतिबंधों का अर्थ है। इसके अलावा अनुच्छेद 304 के अधीन कोई राज्य किसी दूसरे राज्य में आने वाले माल पर कर लगा सकता है, यदि राज्य के भीतर बनाने वाले वैसे ही माल पर वैसे ही कर लगाना है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि दूसरे राज्य में आने वाले माल तथा राज्य के भीतर निर्मित माल के बीच कोई विभेद न हो। राज्य विधि द्वारा व्यापार में भी प्रतिबंध लगा सकता है लेकिन इस प्रयोजन के लिए विधायक कृपल गैरप्राप्त का सब अनुमति से ही पुर स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान कानून एवं राज्यों के एकाधिकार वाले कानूनों पर अनुच्छेद 301 और 303 की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (अनुच्छेद 305)।

अनुच्छेद 307 का उपबन्ध है कि अनुच्छेद 301-304 के उपबंधों को कार्यरूप देने के लिए मन्त्र उपयुक्त प्राधिकारी की नियुक्ति करे।

आपात उपबंध

भाग 18, अनुच्छेद 352-360

‘आपात’ शब्द की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वह ‘ऐसी कठिन स्थिति है जो अचानक पैदा हो गई है और जिसका तकाजा है कि लोक प्राधिकारी ऐसी संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा या अन्यथा उन्हें विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के अधीन तुरत कार्रवाई करें।’

हमारे संविधान निर्माताओं का विचार था कि असाधारण परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं और उनमें संविधान की सामान्य योजना नहीं चल सकेगी और संविधान के कनिष्ठ भागों या उपबंधों के प्रवर्तन का निलंबन जरूरी हो जाएगा ताकि राष्ट्र की स्वाधीनता एवं सुरक्षा तथा संविधान एवं लोकतंत्र-प्रणाली का संरक्षण किया जा सके।

डा. अंबेडकर का दावा था कि भारतीय संघ अनोखा है क्योंकि किसी अन्य संघ के विपरीत, आपातकाल में वह अपना रूपान्तर पूर्णतया एकात्मक राज्य के रूप में कर सकता है। इस दृष्टिकोण को उच्चतम न्यायालय ने *गुलाम सरवर बनाम भारत संघ* (ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1335) में उचित ठहराया।

संक्षेप में, संविधान के आपात उपबंधों में दो प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है अर्थात् (1) युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात और (2) अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात। तीसरे प्रकार की स्थिति वह स्थिति है जो अनुच्छेद 356 के अधीन किसी राज्य विशेष में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से पैदा होती है और वहां राष्ट्रपति का शासन आवश्यक हो जाता है। भले ही इस स्थिति का समावेश ‘आपात उपबंध’ संबंधी भाग के अधीन किया गया है पर वस्तुतया उसे आपात स्थिति नहीं माना जा सकता।

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा

अनुच्छेद 352 उपबंध करता है कि यदि मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित संसूचना प्राप्त

होने के बाद राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसा गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह समूचे भारत या उसके किसी भाग के बारे में आपात की उद्घोषणा कर सकेगा। वह विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं जारी कर सकता है। यह अपेक्षा की जाती है कि आपात की हर उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा उसे जारी किए जाने की तिथि से एक मास की समाप्ति पर वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी, यदि इस बीच दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया गया हो। लेकिन एक बार संसद द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने पर उद्घोषणा एक बार में 6 मास के लिए प्रवर्तन में बनी रह सकती है, यदि उससे पहले किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा उसे राष्ट्रपति रद्द न कर दे। आपात की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित करना होगा। यदि लोक सभा उद्घोषणा का या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर दे तो वह तत्काल रद्द हो जाएगी। यदि लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दसवें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके किसी संकल्प की सूचना राष्ट्रपति/अध्यक्ष को दी जाती है तो उस पर विचार करने के लिए 14 दिन के भीतर लोक सभा की विशेष बैठक की जाएगी।

संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा 1978-79 में अनुच्छेद 352 के उपबन्धों को और कठोर बना दिया गया। उक्त अधिनियम 20 जून, 1979 से लागू हुआ। आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर 25 जून, 1975 को घोषित आपात के कटु अनुभव के बाद ऐसा किया गया। आपात उपबन्धों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'आंतरिक अव्यवस्था' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द रखे गए। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जारी किए जाने के लिए सघीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित संसूचना को अनिवार्य पूर्व-शर्त बना दिया गया। आपात उपबन्धों की समूची प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया गया ताकि संसद के विशेषतया लोक सभा के अनुमोदन पर निर्भरता को सुनिश्चित किया जा सके।

अनुच्छेद 365 के साथ पठित अनुच्छेद 353 का उपबन्ध है कि एक बार जब आपात की उद्घोषणा कर दी जाती है तो संघ की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिका-शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी राज्य को निदेश दिए जाने पर हो जाता है और निदेशों का पालन करने में असफलता को अनुच्छेद 365 के अधीन राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने के लिए पर्याप्त औचित्य माना जाएगा।

आपात के प्रवर्तन के दौरान संसद को यह विधायी शक्ति भी मिल जाती है कि वह उन मामलों के बारे में जिनका अन्यथा समावेश संघ सूची में नहीं है, संघ के प्राधिकारियों

को विधि द्वारा शक्तिया प्रदान करे और उन्हें कर्तव्य सौंपे।

अनुच्छेद 354 के अधीन, आपात के प्रवर्तन के दौरान (अनुच्छेद 268-279) राजस्वों के वितरण के संबंध में उपबंधों की प्रयुक्ति में समुचित उपांतरण किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 आपात की स्थितियों के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन का उपबंध करता है जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को प्राधिकार देता है कि वह संविधान के भाग 3 के प्रत्याभूत सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को आदेश द्वारा निलंबित कर दे, पर अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन अपराधों की दोषसिद्धि के संरक्षण तथा जीवन एवं स्वातंत्र्य के संरक्षण से संबंधित अधिकार इसके अपवाद होंगे।

अनुच्छेद 358 और 359 के अधीन शक्तियों के प्रयोग का प्रभाव यह है कि न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका भी व्यक्तियों के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है, सिवाय उन अधिकारों के जो अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन दिए गए हैं।

अनुच्छेद 358 और 359 के अधीन पारित किसी विधि की वैधता के लिए अनिवार्य है कि उसमें इस आशय का कथन होगा कि उसका उद्देश्य प्रवर्तमान आपात की उद्घोषणा से है। यह भी कि जैसे ही आपात समाप्त हो जाता है या राष्ट्रपति के आदेश का प्रभाव समाप्त हो जाता है वैसे ही मूल अधिकारों के अधीन अक्षमता की मात्रा तक ऐसी सभी विधियाँ प्रभावी नहीं हो पाएंगी।

भारत में राष्ट्रीय आपात की तीन उद्घोषणाएँ की गई हैं। एक अक्टूबर 1962 में चीनी आक्रमण के समय की गई, दूसरी दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान में युद्ध के समय की गई और तीसरी जून, 1975 में अतारक अव्यवस्था के आधार पर की गई। आपात की अवधि के दौरान अनेक विधियों के अधीन साँ सरकार ने असाधारण शक्तियाँ ग्रहण कर लीं और संसद ने संविधान-संशोधन पारित किए।

विधायिका आंतरिक आपात की अवधि के दौरान शक्तियों के दुरुपयोग की व्यापक आलोचना की गई। उसके बाद हुए आम चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कांग्रेस (आई) हार गई और जनता दल की सरकार बनी। संविधान (44वाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 19 के निलंबन को युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति तक सीमित कर दिया गया यानी उन अवस्थाओं में जहाँ आपात की उद्घोषणा 'सशस्त्र विद्रोह' के आंतरिक आधार पर की जाए, वहाँ अनुच्छेद 19 के अधीन स्वतंत्रता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। उसी संशोधन में यह भी उपबंध किया गया कि किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि आपात में भी, अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन अधिकारों के प्रवर्तन को रोकना नहीं जा सकता।

1978 के संशोधन से पूर्व उच्चतम न्यायालय ने आपात उपबंधों से संबंधित अनेक मामलों का फैसला किया। इनका संबंध उन मामलों से था जो 1962 और 1971 में उद्घोषित

पहले और दूसरे आपातों के दौरान पैदा हुए। न्यायालय ने राष्ट्रपति के उस आदेश को वैध ठहराया जिसमें अनुच्छेद 21 और 22 के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के नागरिक के अधिकार को निलंबित कर दिया गया था (*मोहन चौधरी बनाम मुख्य आयुक्त*, ए आई आर 1964 एस सी 173)। *माखनसिंह बनाम पंजाब राज्य* (ए आई आर 1964 एस सी 381) में न्यायालय ने प्रयास किया कि नागरिकों के मूल अधिकारों का सतुलन आपात के उपबन्धों तथा राज्य की सुरक्षा सबधी जरूरतों से किया जाए। जहां उसने यह स्वीकार किया कि यदि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में हो तो व्यक्तिगत अधिकारों को राज्य के लिए मार्ग छोड़ना ही होगा, वहां न्यायालय ने कहा :

आपात की उद्घोषणा कब तक जारी रहे और आपात के दौरान नागरिकों के मूल अधिकारों पर क्या प्रतिबन्ध लगाए जाए, ये ऐसे मामले हैं जिनका भार अनिवार्यतया कार्यपालिका पर ही छोड़ना होगा, क्योंकि कार्यपालिका स्थिति की जरूरतों को जानती है। वही जानती है कि गंभीर संकटों के दौरान बाध्यकारी कारणों का प्रभाव क्या होगा।

लेकिन न्यायालय ने यह भी कहा कि उसे उस आपात विधान की वैधता को निरखने एवं परखने का अधिकार है, जिसके अधीन व्यक्तियों को दुर्भावना से या कार्यपालिका को अत्यधिक अधिकार दिए जाने के कारण निरुद्ध किया गया है। एक अन्य मामले में न्यायालय ने उस कानून की वैधता को उचित ठहराया जिसके अधीन कार्यपालिका को कठोर शक्तियां दी गईं और विचार प्रकट किया कि मुकदमा चलाए बिना निरुद्ध करने की शक्ति मूलतया कार्यपालिका का कार्य है और उसकी न्यायिक पुनर्गंक्षा नहीं की जा सकती (*साधू सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन* ए आई आर 1966 एस सी 91)। *महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रभाकर पाटुरंग साइगिरि* (ए आई आर 1966 एस सी 124) में न्यायालय ने निरुद्ध शक्ति की स्वतंत्रता को उचित ठहराया और कहा कि वह अपनी पुस्तक को प्रकाशन के लिए जेल में बाहर भेज सकता है, क्योंकि इसे गोकने के मर्यादा आदेश और आपात नियमों को लागू करने के प्रयोजन के बीच कोई संघर्ष नहीं है। इस दृष्टिकोण को *कं. आनंद नम्बियार बनाम मुख्य सचिव* (ए आई आर 1966 एस सी 657) में दोहराया गया। वहां न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर ने इस बात पर बल दिया कि आपात के प्रवर्तन के दौरान भी, मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश के प्रभाव पर विचार करते समय, आदेश को कठोरता से नागरिक के मूल अधिकारों के पक्ष में होना चाहिए। *राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य* (ए आई आर 1966 एस सी 740) में यह निर्णय दिया गया कि निरोध का आदेश अनिवार्यतया प्रथम दृष्ट्या उचित होना चाहिए; 'विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने' को 'लोक व्यवस्था बनाए रखने' के बराबर नहीं माना जा सकता और भारत सुरक्षा नियमों के अधीन की गई कार्रवाई तभी वैध होगी जब उसे 'लोक व्यवस्था के हित में' किया जाए, न कि केवल 'विधि एवं व्यवस्था की सहायता में' किया जाए। आपात

के दौरान राज्य-सुरक्षा के सर्वोच्च हित का संरक्षण करते समय स्वतंत्रता संबंधी नागरिक के अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। उसके लिए भारत सुरक्षा नियमों में विनिर्दिष्ट औचित्यपूर्ण आवश्यकता होनी ही चाहिए। इस आधार पर न्यायालय ने कहा कि निरोध 'स्पष्टतया तथा प्रत्यक्षतया दुर्भावनापूर्ण है' (जी. सदानन्दन बनाम केरल राज्य, 1966 एस सी 1925)। पी.एल. लखनपाल बनाम भारत संघ (ए आई आर 1967 एस सी 1507) में, साधूसिंह के मामले में निर्णय को अनुचित ठहराया और कहा कि निरोध के आदेश की पुनरीक्षा के लिए दिए जाने वाले निर्णय पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य बनाम भरतसिंह (ए आई आर 1967 एस सी 1170) में न्यायालय ने और आगे बढ़कर कहा :

कार्यपालिका की कोई भी कार्रवाई जो किसी व्यक्ति के प्रतिकूल पड़ती हो, निश्चय ही विधि के प्राधिकार से समर्थित होनी चाहिए। अनुच्छेद 358 की शर्तें इस नियम के प्रभाव को कम नहीं करतीं। अनुच्छेद 358 का आशय यह नहीं है कि नागरिक तथा अन्य लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य को मनमाना प्राधिकार दे दिया जाए, वह केवल यह उपबंध करता है कि जब तक आपात की उद्घोषणा जारी रहती है, विधियां बनाई जाएं और वैध प्राधिकार के अनुसार कार्यपालिका की कार्रवाई की जाए जो यदि अनुच्छेद 19 के उपबंध लागू होते तो अवैध होती।

मोहम्मद याकूब बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (ए आई आर 1968 एस सी 765) में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टतया कहा कि इस बात को देखते हुए कि राष्ट्रपति ने राज्य-सुरक्षा के हित में मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन कर दिया है, अनुच्छेद 359 के अधीन शक्ति के प्रयोग तथा भारत की सुरक्षा के बीच कोई संबंध खोजने के लिए नागरिक पुनरीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। भूतनाथ बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य (ए आई आर 1974 एस सी 806) में भी न्यायालय ने कहा कि आपात को जारी रखना अवैध नहीं है। न्यायमूर्ति अय्यर ने कहा कि यह तर्क कि वास्तव में कोई आपात नहीं है, न्यायिक नियंत्रण की परिधि से बाहर है। इस दृष्टिकोण को हैदराबाद के कलक्टर बनाम इब्राहीम एंड कंपनी (ए आई आर 1970 एस सी 1275) में दोहराया गया। न्यायालय ने कहा :

केवल उसी कार्यपालिका आदेश की आलोचना नहीं की जा सकती जिसे, अनुच्छेद 19 में निहित उपबंधों के अलावा, राज्य देने के लिए सक्षम है। कार्यपालिका का कोई काम जो अन्यथा अवैध हो, आलोचना से केवल इसलिए नहीं बच सकता कि वह उस समय किया गया जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में थी।

अनुच्छेद 358 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपात के दौरान की गई या न की गई कार्रवाइयों को आपात की समाप्ति के बाद भी इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा

सकती कि संबद्ध आपात-विधि ने अनुच्छेद 19 का उल्लंघन किया (माखनसिंह का मामला, पूर्व उद्धृत; बनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, ए आई आर 1973 एस सी 106; ए. कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड बनाम भारत संघ, ए आई आर 1976 एस सी 958)।

आंतरिक आपात (1975-77) की उद्घोषणा के दौरान आपात उपबंधों के संदर्भ में उठने वाले मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के प्रति उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन दीख पड़ता है। 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' की दशा में, न्यायालय ने व्यक्तियों के निरोध के मामलों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, क्योंकि उसके विचार में स्पष्ट मंतव्य यह था कि निवारक निरोध पर कार्यपालिका का अनन्य नियंत्रण रहे। निरुद्ध व्यक्ति 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' की रिट के लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, यदि प्रथम दृष्ट्या वैध निरोध आदेश विद्यमान था (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बनाम शिवकान्त शुक्ल, ए आई आर 1976 एस सी 1207)।

भारत संघ बनाम भानुदास (ए आई आर 1977 एस सी 1027) में पुनः न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति के आदेशों के कारण राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19, 21 और 22 के अधीन व्यक्तिगत आजादी के सभी अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। न्यायालय के इन निर्णयों में से अधिकांश की वैधता समाप्त हो गई जब 44वें संशोधन द्वारा अन्य बातों के अलावा अनुच्छेद 352, 358 और 359 का संशोधन कर दिया गया।

मिनर्वा मिल्स के मामले में यह निर्णय दिया गया कि न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, यदि यह सिद्ध कर दिया जाए कि संघ सरकार ने दुर्भावना से या संबद्ध तथ्यों के अभाव में कार्रवाई की। अन्यथा, उपचार केवल राजनीतिक हो सकता है। राष्ट्रपति के समाधान जैसा मामला न्यायालय की परिधि से परे है। शक्ति का प्रयोग केवल तभी संविधान के विरुद्ध होगा जब यह दर्शा दिया जाए कि वस्तुतया कोई समाधान था ही नहीं अथवा समाधान बेतुका, विकृत अथवा दुर्भावनापूर्ण था। निश्चय ही ऐसे मामले में न्यायालय, समिति न्यायिक पुनरीक्षा कर सकते हैं। (मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ए आई आर 1980 एस सी 1789)।

राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा

संघ का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अव्यवस्था से अपने राज्यों की रक्षा करे और सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए (अनुच्छेद 355)। यदि किसी राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति

1. प्रथम दृष्ट्या (Prima Facie)

का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह उद्घोषणा जारी करके राज्य सरकार के कोई भी कृत्य तथा शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। उनमें राज्यपाल तथा राज्य के अन्य प्राधिकारियों की शक्तियां भी शामिल होगी। निश्चय ही, राष्ट्रपति के समाधान का अर्थ है संघ सरकार का समाधान और राष्ट्रपति का शासन वस्तुतया संघ सरकार का शासन है। यदि कोई राज्य अनुच्छेद 256, 257 या 353 के अधीन संघ सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति यह धारणा बना सकता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है।

उद्घोषणा के अधीन राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग ससद या ससद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति कर सकता है। राज्य विधान सभा का विघटन किया जा सकता है या उसे निलंबित अवस्था में रखा जा सकता है। राष्ट्रपति अन्य सभी आवश्यक उपाय कर सकता है। उसमें उच्च न्यायालयों के सिवाय राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबद्ध किन्हीं संवैधानिक उपबंधों का निलंबन भी शामिल है। निश्चय ही, दो मास की समाप्ति पर हर उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी, यदि उसका अनुमोदन दोनों सदनों के सकल्यों द्वारा न कर दिया जाए। संसद के अनुमोदन के बाद भी कोई उद्घोषणा एक बार में 6 मास से अधिक समय तक और कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती। इसका एक अपवाद वह उद्घोषणा है जो पञ्जाब के मन्त्र मे मई, 1987 में संविधान (68वां संशोधन) अधिनियम, 1991 के अधीन पांच वर्ष के लिए जारी की गई थी (अनुच्छेद 356)।

अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान ससद, राज्य की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंप सकती है और उसे अधिकार दे सकती है कि वह इन शक्तियों को अन्य प्राधिकारियों को दे दे (अनुच्छेद 357)।

अनुच्छेद 356, जिसके अधीन संघ, राज्यों पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर सकता है, संविधान का सर्वाधिक आलोचित एवं विवादग्रस्त उपबन्ध रहा है। इस उपबन्ध के अधीन विगत 45 वर्षों में संघ ने राज्यों का शासन कोई 100 बार अपने हाथ में लिया है। विरोध पक्ष के सदस्यों तथा आलोचकों ने कहा है कि संघ-स्तर पर सत्तारूढ़ दल ने बहुधा इस अनुच्छेद का प्रयोग राजनीतिक तथा दलगत प्रयोजनों के लिए किया है और सामान्यतया विरोध पक्ष के दलों की राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है। संविधान सभा में इस प्रावधान के आलोचकों का उत्तर देते समय डा. अंबेडकर ने आशा व्यक्त की थी कि हो सकता है कि कभी उसका प्रयोग ही न किया जाए, सिवाय अंतिम चारे के रूप में जब हर अन्य उपाय विफल हो जाए। *राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ* (ए आई आर 1977 एस सी

1361) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा का आधार है राष्ट्रपति का आत्मपरक समाधान और न्यायालय न तो राष्ट्रपति के समाधान के स्थान पर अपना समाधान रख सकता है और न ही वह अनुच्छेद 74 (2) को दृष्टि में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में जांच-पड़ताल कर सकता है। लेकिन न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि यदि राष्ट्रपति का समाधान दुर्भावनापूर्ण हो, विषयेतर या असंगत आधारों पर टिका हो या समाधान का नितांत अभाव हो तो वह हस्तक्षेप कर सकता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को उस हद तक न्यायिक पुनरीक्षा के अधीन लाया गया।

उच्चतम न्यायालय ने *एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ* (1994 एस सी सी) के निर्णय में 11 मार्च, 1994 को कहा कि राष्ट्रपति शासन केवल ऐसी स्थिति में लागू किया जाना चाहिए जब और कोई इलाज न बचे, हालत असाध्य हो जाए और राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल सकना असंभव हो जाए। न्यायालय ने स्पष्टतया निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के राष्ट्रपतीय निर्णय की न्यायिक पुनरीक्षा की जा सकती है और यह देखा जा सकता है कि निर्णय सचमुच किसी सामग्री पर आधारित था, और क्या यह सामग्री मामले से संबद्ध थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि राज्य की विधान सभा का विघटन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपतीय उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाए। न्यायालय के अनुसार, यदि विधान सभा भंग कर दी गई हो और सरकार भी बर्खास्त कर दी गई हो और बाद में राष्ट्रपतीय उद्घोषणा को अवैध घोषित किया जाए तो न्यायालय विधान सभा को पुनर्जीवित कर सकता है तथा बर्खास्त की हुई सरकार को बहाल कर सकता है। ऐसा करते समय न्यायालय कह सकता है कि उद्घोषणा के लागू रहते जो निर्णय लिए जा चुके हो या जो काम किए जा चुके हों, वे सब वैध और प्रभावी रहेंगे। निर्णय में आगे कहा गया है कि मंत्रिपरिषद को सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं, इसका निर्णय सदन में ही किया जा सकता है। यह मामला किसी के भी—भले ही वह राज्यपाल हो या राष्ट्रपति—व्यक्तिगत अथवा निजी मत का नहीं है।

न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बर्खास्तगी को वैध ठहराया क्योंकि पंथनिरपेक्षता संविधान के मूलभूत ढांचे का अंग है और इन सरकारों के इस सिद्धांत में विश्वास पर गहरा सदेह उत्पन्न हो गया था।

वित्तीय आपात

संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह उद्घोषणा द्वारा

वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाए कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है। बाद की उद्घोषणा द्वारा इस उद्घोषणा को वापस लिया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा। वह दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, यदि इस बीच दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाए। एक बार यदि संसद उसका अनुमोदन कर दे तो अनुच्छेद 352 के अधीन की गई उद्घोषणाओं के विपरीत उसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है, जब तक कि उसे वापस न ले लिया जाए या उसमें परिवर्तन न कर दिया जाए।

वित्तीय आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ की कार्यपालिका का प्राधिकार इस बारे में भी होगा कि वह राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी कतिपय विनिर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करने के लिए निदेश दे सके और ऐसे अन्य निदेश दे सके जिन्हें राष्ट्रपति जरूरी और उचित समझे। ये निदेश इस बारे में भी हो सकते हैं कि राज्य की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों के वेतनो तथा भत्तो में कटौती कर दी जाएं और अनुच्छेद 207 के अधीन घन-विधेयकों तथा अन्य विधेयको को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाए जब वे राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कर दिए जाएं। राष्ट्रपति संघ के कार्यकलापो के संबंध में सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों के वेतनों तथा भत्तों में कमी करने का निदेश भी दे सकता है और उनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे।

सौभाग्य से, अभी तक संविधान के प्रवर्तन के विगत लगभग 45 वर्षों (1950-1993) के दौरान वित्तीय आपात लागू करने का एक भी अवसर नहीं आया है।

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

भाग 14-14 क, अनुच्छेद 308-323 ख

सेवाएं

वर्तमान लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में सिविल सेवाएं सरकारी तंत्र के अनिवार्य अंग हैं। वस्तुतया ये अराजनीतिक तथा अनिर्वाचित कृत्यकारी ही हैं जो जन-निर्वाचित प्रतिनिधियों के निदेश एवं नियंत्रण के अधीन एवं नियमों तथा सिद्धांतों के अनुसार प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

आजादी के समय हमें विगत में अखिल भारतीय सेवाओं का एक सुसंगठित साचा-ढाचा प्राप्त हुआ। इसके अलावा केंद्रीय, प्रांतीय तथा अधीनस्थ सेवाओं की एक सुगठित शृंखला भी थी।

भले ही सरकारी सेवाओं संबंधी मामलों का विनियमन सामान्यतया विधियों द्वारा किया जा सकता था और संघ एवं राज्यों के कर्मचारियों की भरती तथा सेवा की शर्तों के बारे में ब्यौरेवार नियम-निर्धारण की शक्ति संबद्ध विधानमंडलों को सौंप दी गई थी (देखिए, सूची 1 की प्रविष्टि 70 और सूची 2 की प्रविष्टि 41), फिर भी संविधान निर्माताओं ने इसे अति विवेकोचित समझा कि सेवाओं को कुछ आश्वासन दिए जाएं। इसके लिए उन्होंने भरती, पदावधि की सुरक्षा, अनुशासन संबंधी कार्यवाही आदि के मामले में कतिपय सवैधानिक गारंटियों एवं रक्षा के उपायों की व्यवस्था की। इस सिलसिले में संविधान में एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग के गठन की भी व्यवस्था की गई। संघ तथा राज्यों की सेवाओं के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, समूचे भारत पर लागू होते हैं (अनुच्छेद 308)।

अनुच्छेद 309 का उपबन्ध है कि संबद्ध विधानमंडल संविधान के उपबन्धों के अधीन संघ तथा राज्यों की सेवाओं की भरती एवं सेवा शर्तों का विनियमन करेंगे। जब तक ऐसी विधियां नहीं बनाई जातीं, तब तक सेवाओं का विनियमन ऐसे नियमों द्वारा किया जाएगा जिन्हें, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल बनाए।

अनुच्छेद 310 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन है कि हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वह रक्षा सेवा का हो या सिविल सेवा का, अपना पद राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत धारण करेगा। लेकिन यह संभव है कि संविदा के अधीन, विशेष मामलों में, सेवा को करार से पूर्व समाप्त करने के लिए प्रतिकर का उपबंध किया जाए। इसके अलावा, कतिपय उच्च कृत्यकारियों के लिए विशेष सवैधानिक रक्षोपाय हैं। उनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग के सदस्य आदि शामिल हैं। संबद्ध अनुच्छेदों (124, 217, 317, 324 आदि) में निर्धारित रीति के अलावा उन्हें उनके पदों से नहीं हटाया जा सकता। इसके अलावा, कतिपय श्रेणियों के लोक सेवकों की भरती तथा सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए पृथक उपबंध हैं। ये हैं विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी (अनुच्छेद 98 तथा 187); उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कर्मचारी (अनुच्छेद 146 तथा 299) और भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्ति (अनुच्छेद 148)। अनुच्छेद 309 उन पर लागू नहीं होता।

अनुच्छेद 311 का उद्देश्य है कि सिविल सेवकों संबंधी 'प्रसादपर्यंत' सिद्धांत के प्रयोग पर कुछ अंकुश रखा जाए। अतः किसी भी सिविल सेवक को उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी न तो पदच्युत कर सकता है और न ही हटा सकता है। किसी सिविल सेवक को तभी पदच्युत किया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है या पंक्ति में अवनत किया जा सकता है, जब ऐसी जांच कर ली जाए जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाए और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाए। यह सरक्षण रक्षा कर्मचारियों को प्राप्त नहीं है और सिविल कर्मचारियों की दशा में भी यह लागू नहीं होता, यदि दंड पदच्युति, पद से हटाए जाने या पंक्ति में अवनत किए जाने के अलावा कुछ और है। लेकिन अनुच्छेद अस्थायी पदधारी और स्थायी पदधारी के बीच कोई विभेद नहीं करता (नरसिम्हाचार बनाम मैसूर राज्य, ए आई आर 1960 एस सी 247; पुरुषोत्तम बनाम भारत सघ, ए आई आर 1958 एस सी 36)।

यह माना गया है कि अनुच्छेद 311 के अधीन दिए गए सरक्षण का स्वरूप केवल प्रक्रियात्मक है, वह स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। कोई उपचार नहीं रहेगा, यदि प्रक्रिया संबंधी सभी अपेक्षाओं को अच्छी तरह से पूरा कर लिया गया हो। मुख्यतया ये अपेक्षाएं इस प्रकार हैं कि (क) जिस सिविल सेवक के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव हो, उसके विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोप लगाने ही होंगे; (ख) आरोपों की सूचना औपचारिक रूप से दी ही जाएगी; (ग) आरोपों का उत्तर देने के लिए उसे युक्तियुक्त अवसर दिया ही जाएगा; (घ) उसे इस बात का अवसर दिया ही जाएगा कि वह अपने ब्रचाव के लिए गवाहों से जिरह कर सके और अपने भरोसे के सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर सके; और (ङ) मामले में निर्णय का आधार

अनिवार्यतया वे तथ्य तथा सामग्रियां हों जो जांच करने वाले प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएं और किसी सामग्री पर तभी विश्वास किया जाए जब संबद्ध सिविल सेवक को उसकी जांच और उसके स्पष्टीकरण का अवसर दे दिया जाए। बुनियादी सिद्धांत यह है कि जांच में नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन किया जाए (भारत संघ बनाम वर्मा, ए आई आर 1957 एस सी 882)।

यह निर्णय दिया गया है कि यदि सिविल सेवक के विरुद्ध की गई कार्रवाई के साथ वेतन, भत्तों अथवा पेंशन की हानि जैसे कोई दंडात्मक प्रभाव नहीं हैं तो अनुच्छेद 311 लागू नहीं होगा। शब्द जो भी हों, यदि उनका अर्थ होता है पदच्युति या पद से हटाया जाना तो अनुच्छेद लागू होगा। यदि सेवाएं संविदा की शर्तों या सेवानिवृत्ति के अनुसार या विहित प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आधार पर समाप्त की जाएं तो अनुच्छेद 311 कोई सरक्षण प्रदान नहीं करेगा। पंक्ति में अवनति की दशा में भी कसौटी यह है कि क्या कोई दंडात्मक प्रभाव अंतर्ग्रस्त है? मूल पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को किसी निम्नतर पद पर तभी लाया जा सकता है जब अनुच्छेद 311 के अधीन जांच आदि की प्रक्रिया का पालन कर लिया जाए। लेकिन यदि स्थानापन्न पद से मूल पद पर प्रतिवर्तन हो तो जब तक कि कोई दंडात्मक प्रभाव न हो, वह अनुच्छेद 311 के प्रयोजनों के लिए पंक्ति में अवनति नहीं माना जाएगा (पुरुषोत्तम बनाम भारत संघ)।

लेकिन अनुच्छेद 311 में वर्णित जांच कतिपय दशाओं में नहीं की जाएगी यथा, (क) जब किसी आपराधिक आरोप पर व्यक्ति का दोष सिद्ध हो गया हो; (ख) जहां समुचित प्राधिकारी ने जांच के व्यावहारिक न होने के कारणों को लेखबद्ध कर दिया हो, और (ग) जब, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाए तो राज्य की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि ऐसी जांच की जाए।

अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र तथा राज्यों की सेवाओं से इस अर्थ में भिन्न हैं कि जहां केंद्रीय सेवाओं के सदस्यों का संबंध केवल संघ के कार्यकलापों से होता है और राज्यों की सेवाओं के सदस्यों का संबंध केवल राज्यों के मामलों से, वहां अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का संबंध संघ एवं राज्यों से सम्मिलित रूप से होता है और वे बारी बारी से संघ तथा राज्यों की सरकारों की सेवा करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा नामक दो सेवाओं का उल्लेख स्वयं संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 312 का उपबंध है कि यदि राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक या समीचीन है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा समेत एक या उससे अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं की व्यवस्था कर सकती है। संसद ने इस अनुच्छेद के अधीन अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 बनाया है और उसके अधीन पहले से ही 1948 में गठित

आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. की अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा कतिपय अन्य अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया है। अनुच्छेद 312 संसद को यह अधिकार भी देता है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्त व्यक्तियों की भरती एवं सेवा की शर्तों का विनियमन करे।

संविधान (28वां संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 312 क संसद को अधिकार देता है कि वह संविधान के प्रारंभ से पूर्व भारत में क्राउन की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन कर दे या उन्हें रद्द कर दे। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध है। उसमें कहा गया है कि जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, किसी लोक सेवा पर लागू प्रवर्तमान सभी कानून जारी रहेंगे। अनुच्छेद 314 में कतिपय सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों को संरक्षण देने का जो उपबंध था, उसे 28वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद 315 का उपबंध है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। दो या उससे अधिक राज्य संयुक्त आयोग का वरण कर सकते हैं। अनुरोध किए जाने पर संघ लोक सेवा आयोग किसी राज्य की किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सहमत हो सकता है।

लोक सेवा आयोगों के बारे में समझा जाता है कि वे स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान होते हैं। वे सरकारी या राजनीतिक हस्तक्षेप या नियंत्रण के अधीन नहीं होने। उन पर लोक सेवाओं की भरती एवं प्रबंध के दायित्व का भार होना है। संघ एवं राज्यों के सेवा आयोगों के समूचे व्यय संघ की संचित निधि या संबद्ध राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं (अनुच्छेद 322)।

लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल करता है। यह अनिवार्य है कि उनके कम-से-कम आधे सदस्य संघ या राज्यों की सरकार में दस वर्ष तक सेवा कर चुके हों। सदस्य 6 वर्ष की नियत अवधि तक या संघ आयोग के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु तक और राज्य आयोग के मामले में 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेंगे। आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब वह दिवालिया हो गया हो, तन या मन से शिथिल हो गया हो, किसी अन्य सवेतन रोजगार पर लग गया हो, सिद्ध कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया हो, सरकारी संविदा से हितबद्ध हो या ऐसी संविदा या समझौते के लाभों में हिस्सेदार हो। लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर पुनः उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होता [अनुच्छेद 316-317; उत्तर प्रदेश लोक

सेवा आयोग बनाम सुरेश, ए आई आर 1987 एस सी 1953, हरगोविन्द बनाम रघुकुल, ए आई आर 1979 एस सी 1109; 317 (1) के अंतर्गत, ए आई आर 1983 एस सी 996]।

अनुच्छेद 318 में उपबन्ध है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण कर सकता है और उनकी सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकता है।

आयोग के सदस्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति के पात्र नहीं होते, लेकिन किसी राज्य आयोग का अध्यक्ष सघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। सघ लोक सेवा आयोग का सदस्य सघ लोक सेवा आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है और राज्य आयोग का सदस्य सघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है (अनुच्छेद 319)।

सघ लोक सेवा आयोगों के कृत्य इस प्रकार हैं :

1. सघ/राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना;
2. सघ/राज्य सरकार से उसकी सेवाओं में व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में सिफारिशें करना;
3. भरती की पद्धति, नियुक्ति संबंधी सिद्धांतों, प्रोन्नतियों, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरणों तथा सिविलियन कर्मचारियों के अनुशासन संबंधी मामलों के बारे में परामर्श देना;
4. ऐसे किसी अन्य मामले पर परामर्श देना जिसे राष्ट्रपति/राज्यपाल निर्देशित करे;
5. अनुरोध किए जाने पर, दो या उससे अधिक राज्यों को संयुक्त भरती की योजनाओं के बारे में मदद देना;
6. राष्ट्रपति/राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जो उसे संसद के सदनों/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।
7. कोई अन्य कृत्य जिसे संसद/राज्य विधान सभा विधि द्वारा सौंपे।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि आयोग का काम केवल सलाह देना है और यदि परामर्श के लिए विनिर्दिष्ट किसी मामले पर सरकार उससे सलाह लेने में विफल रहती है तो उससे प्रभावित लोक सेवक अनुच्छेद 320 के अधीन न्यायालय में उपचार की आशा नहीं कर सकता। लेकिन जहां विधि या विनियम द्वारा सलाह का उपबन्ध है, वहां वह कानूनी दायित्व होगा (अनुच्छेद 320-321 और 323; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्रीवास्तव, ए आई

आर 1957 एस सी 912; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजस्थान, ए आई आर 1988 एस सी 162, केशव बनाम उत्तर प्रदेश एच ई एस सी (1985) आई एस सी सी 671; नीलिमा बनाम हरियाणा राज्य, ए आई आर 1987 एस सी 169)।

प्रशासनिक अधिकरण

संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा नया भाग-14 क तथा अनुच्छेद 323 क और 323 ख जोड़े गए। इसमें संसद तथा राज्य विधानमंडलों को शक्ति दी गई है कि वे विधि द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों का गठन कर सकते हैं। ये अधिकरण लोक कर्मचारियों की भरती तथा सेवा की शर्तों से संबद्ध सेवा के सभी मामलों में विवादों तथा शिकायतों का अधिनिर्णयन कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकरणों का गठन किया गया है। उन पर सेवा संबंधी मामलों से उत्पन्न विवादों में उच्चतम न्यायालय के सिवाय अन्य किसी न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।

निर्वाचन

भाग 15, अनुच्छेद 324-329 क

देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी क्रांति यह थी कि लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए सार्वजनीन वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। घोर पिछड़ेपन, घोर दरिद्रता, तथा घोर निरक्षरता वाले, नये नये स्वाधीन हुए देश में, हर नागरिक को जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो (अब घटाकर 18 कर दी गई है) और जो किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य न हो, वोट का अधिकार देना संविधान निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ी आस्था और जनसाधारण में विश्वास का काम था।

अनुच्छेद 324 कहता है कि एक निर्वाचन आयोग होगा। वह संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के वास्ते तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के वास्ते सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करेगा। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अक्टूबर, 1993 में दो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए और उन्हें एक अध्यादेश द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसा ही दर्जा एवं हैसियत प्रदान की गई। साथ ही, आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करे। अध्यादेश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनौती दी। अध्यादेश ने अधिनियम का रूप लिया और उच्चतम न्यायालय ने पहले यथास्थिति का आदेश देकर अंततः अधिनियम को वैध ठहराया।

अनुच्छेद 324 का यह उपबंध भी है कि आम चुनावों के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करने के बाद प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति तथा उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिनका निर्देश

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए किया गया है। उसकी सेवा की शर्तों को उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, यदि कोई हों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर उनके पद से हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 325 का उपबंध है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक-नामावलि होगी। न तो कोई व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधारों पर ऐसी नामावलि में शामिल किए जाने के लिए अपात्र होगा और न ही कोई व्यक्ति किसी ऐसे आधार पर किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि में शामिल किए जाने का दावा कर सकेगा।

अनुच्छेद 327 संसद को विधायी शक्ति प्रदान करता है। उसके अनुसार वह संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या उसके प्रत्येक सदन के निर्वाचनों से संबंधित सभी मामलों के बारे में कानून बना सकेगी। इनमें निर्वाचक-नामावलियों की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा “ऐसे सदन या सदनों का सम्बन्ध गठन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक” सभी अन्य मामले भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडलों को इस बारे में शक्तिया प्रदान करता है कि वे राज्यों के किसी विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचनों के बारे में कानून बना सकते हैं।

अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप की वर्जना करता है। इनमें (1) अनुच्छेद 327 या 328 के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आवटन से संबद्ध कोई विधि और (2) संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के निर्वाचन की वैधता भी शामिल है। किसी निर्वाचन की वैधता के बारे में आपत्ति केवल निर्वाचन-याचिका द्वारा की जा सकती है। यह याचिका ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगी जिसका प्रावधान संबद्ध विधानमंडल विधि द्वारा करे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन-विवादों के निपटारे की शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है। तत्संबंधी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय ही करेगा।

निर्वाचन संबंधी सुधार

अनुच्छेद 324 में प्रयुक्त ‘अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण’ शब्दों की परिभाषा या व्याख्या कितनी व्यापक या सीमित हो सकती है, विवाद का विषय है। प्रश्न उठता है कि क्या अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को कोई ऐसा अधिकारी भी मिल जाता है जिसके

द्वारा वह यह निर्णय कर सके कि निर्वाचन कराए ही नहीं जाएंगे। जब जम्मू-कश्मीर राज्य में दिसंबर, 1995 में वहां की विधान सभा के लिए आम चुनाव कराए जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया और निर्वाचन आयोग ने अपनी जांच के आधार पर यह घोषणा कर दी कि स्थिति चुनावों के अनुकूल नहीं है अतः चुनाव नहीं कराए जा सकते, तब मामला उच्चतम न्यायालय के सामने पहुंचा और विचाराधीन है। इससे पहले पंजाब में भी निर्वाचन आयोग ऐसा ही निर्णय एक बार ले चुका था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव सुधारों के बारे में कतिपय आदेश भी दिए थे जिनमें मतदाताओं के लिए परिचय-पत्र दिया जाना शामिल था। सभी राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे किंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि परिचय-पत्रों की व्यवस्था नहीं की गई तो वे संबद्ध राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं करेंगे और उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकेंगे। आशा है उच्चतम न्यायालय के निर्णय से इस विषय में निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण हो जाएगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर दिए गए अनेक सुधार प्रस्तावों के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आयोग ने निर्वाचनों के लिए आचार संहिता को कड़ाई के साथ लागू करने का प्रयास किया है। सरकार भी समय समय पर 'शीघ्र ही' इस विषय पर कानून बनाए जाने का वायदा करती रही है। एक विधेयक भी काफी समय से लंबित है किंतु लगता है सारा मामला राजनीतिक और दलगत मतभेदों में उलझकर रह गया है।

भाषा संबंधी उपबंध

भाग 3, अनुच्छेद 29-30; भाग 5, अनुच्छेद 120; भाग 6,
अनुच्छेद 210; भाग 17, अनुच्छेद 343-351; भाग 22,
अनुच्छेद 394 क तथा आठवीं अनुसूची

हालांकि 'राजभाषा' के सबंध में एक पृथक भाग—भाग 17—है, फिर भी भाषा संबंधी उपबंध संविधान के विभिन्न भागों तथा अध्यायों में बिखरे हुए हैं।

भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा धर्म के आधार पर विभेद का निषेध

अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भारत में कही भी रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या सस्कृति को अक्षुण्ण रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को भाषा, धर्म आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 का उद्देश्य है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार मिले। राज्य को आदेश दिया गया है कि वह किसी शिक्षा संस्था के प्रति इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है (देखिए 'मूल अधिकार' अध्याय के अधीन)।

सातवें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 350 क आदेश देता है कि हर राज्य का स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करे। यह भी कहा गया है कि इस विषय में राष्ट्रपति किसी भी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है। 'भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग' पद का निर्वाचन करते समय यह अर्थ लगाया गया है कि वह ऐसे लोगों का समूह है जो किसी क्षेत्र विशेष या उसके प्रदेश से भिन्न समूचे राज्य में अल्प

संख्या में हैं। (केरल शिक्षा विधेयक के संबंध में, ए आई आर 1958 एस सी 956)।

अनुच्छेद 350 ख का कहना है कि भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे। उसका कर्तव्य होगा कि वह भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करे और उनके बारे में ऐसे अंतरालों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे जिनका निदेश राष्ट्रपति दे। ऐसी सभी रिपोर्टें संसद के समक्ष रखी जा सकती हैं और संबद्ध राज्य सरकारों के पास भेजी जा सकती हैं।

विधानमंडलों की भाषा

अनुच्छेद 120 में संसद की अधिकृत भाषा का उपबंध है। और बातों के अलावा, उसमें कहा गया है कि संसद का कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। लेकिन प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अतः संसद के दोनों सदनों में यह प्रबंध किया गया है कि प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं में किए गए भाषणों का साथ साथ भाषांतरण हिंदी और अंग्रेजी में किया जाए। लेकिन वास्तविक व्यवहार में, अधिकांश समय प्रत्येक सदन की समूची कार्यवाही हिंदी अथवा अंग्रेजी में की जाती है, पर इस बात की पूर्ण सुविधा दी जाती है कि हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में भाषांतरण होता रहे।

राज्य विधानमंडलों के लिए समानरूप भाषायी उपबंध अनुच्छेद 210 में किया गया है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा और किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को, जो इन भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

संघ की राजभाषा

हमारे सविधान निर्माताओं के सामने जो अनेक दुरूह समस्याएँ आई, उनमें से हमारी किसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अथवा संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न सर्वाधिक जटिल प्रश्न सिद्ध हुआ। अंत में, अनुच्छेद 343 में शामिल किए गए एक मध्यमार्गी सूत्र के अधीन देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और कहा गया कि अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह अनुमति दी गई कि 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा और उसके बाद भी, संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के या अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग का उपबंध किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कर सकेगी।

अनुच्छेद 344 में उपबंध है कि राष्ट्रपति पांच वर्ष के बाद और उसके बाद हर दस वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह इन मामलों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करे यथा, (1) शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग; (2) शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निबंधन; (3) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा; (4) प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप, और (5) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

अनुच्छेद 344 में उपबंध है कि संसद के दोनों सदनों की 30 सदस्यों वाली एक समिति का गठन होगा। वह आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी। राष्ट्रपति उस पर जरूरी निदेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 349 के अनुसार भाषा संबंधी किसी विधेयक या संशोधन की अनुमति तभी दी जाएगी जब इस समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति विचार कर ले। प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में की गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की समिति ने विचार किया और उसकी राय राष्ट्रपति के पास भेजी गई। राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया। उसमें कहा गया कि वैज्ञानिक, प्रशासनिक एवं कानूनी साहित्य संबंधी हिंदी शब्दावली तैयार करने के लिए तथा अंग्रेजी कृतियों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक स्थायी आयोग का गठन किया जाए। वस्तुतया इस आदेश के अधीन दो आयोगों का गठन किया गया। हिंदी पर्याय तैयार करने के लिए एक का गठन तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के अधीन तथा दूसरे का गठन विधि मंत्रालय के अधीन किया गया। और बातों के अलावा, आदेश में व्यवस्था की गई कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे और बाद में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रचलन शुरू किया जाए। संसदीय विधान कार्य अंग्रेजी में चलता रहेगा पर उसके अधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था करनी होगी।

प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तथा अनुच्छेद 343 के अधीन संसद ने राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया। अधिनियम में कहा गया कि 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ संघ के सभी प्रयोजनों तथा संसद के कार्य-निष्पादन के लिए किया जा सकता है।

कतिपय विषयों में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए हिंदी का चलन वैकल्पिक माध्यम के रूप में शुरू किया गया। बाद में, उम्मीदवारों को यह छूट दी गई

कि वे 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में अपने उत्तर दे सकते हैं।

प्रादेशिक भाषाएं और संपर्क भाषा

अनुच्छेद 345 प्रत्येक राज्य के लिए राजभाषा के तथा सरकारी स्तर पर राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा के प्रश्न के निपटारे का प्रयास करता है। किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। संघ की राजभाषा के रूप में प्रयोग के लिए प्राधिकृत भाषा राज्यों के बीच तथा राज्यों और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों को छूट होगी कि वे अपने बीच पत्रादि के लिए हिंदी के प्रयोग के बारे में सहमत हो जाएं (अनुच्छेद 346)।

यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग मांग करे और राष्ट्रपति का समाधान हो जाए तो वह आदेश दे सकता है कि उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में सरकारी मान्यता दी जाए।

1963 के राजभाषा अधिनियम में उपबध है कि संघ तथा अहिदीभाषी राज्यों के बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा और यदि हिंदी तथा अहिदीभाषी राज्य के बीच पत्रादि के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाए तो ऐसे पत्रादि के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी होगा।

उच्चतर न्यायालयों की तथा विधियों के प्राधिकृत पाठकों आदि की भाषा

जब तक ससद विधि द्वारा अन्यथा उपबध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा, संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयको, सशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे (अनुच्छेद 348)।

1963 के राजभाषा अधिनियम में उपबध है कि राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिनियमों आदि का हिंदी अनुवाद प्रामाणिक समझा जाएगा और हर विधेयक

या संशोधन के साथ उसका हिंदी अनुवाद अनिवार्य होगा।

1963 के अधिनियमों में यह भी कहा गया है कि कतिपय दशाओं में राज्य के अधिनियमों आदि का भी हिंदी अनुवाद दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्णयों आदि के बारे में अधिनियम का प्रावधान है कि हिंदी या किसी अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है, यदि राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त कर ले और निर्णय आदि के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद नत्थी हो।

लोक शिकायतों की भाषा

अनुच्छेद 350 का एक अति महत्वपूर्ण उपबंध है कि न केवल किसी नागरिक को अपितु हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह किसी शिकायत को दूर कराने के लिए सघ या राज्य के किसी प्राधिकारी या अधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयुक्त किसी भाषा में अभ्यावेदन दे सके। अतः कोई भी सरकारी विभाग, एजेंसी या अधिकारी किसी अभ्यावेदन को लेने से इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि वह राजभाषा में नहीं है।

हिंदी का विकास

अनुच्छेद 351 के अधीन सघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिलीजुली सस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वाछनीय हो, वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतया सस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

भाषा सबधी उपबंधों, विशेषतया अनुच्छेद 343, 344 और 351 के समरस पठन से पता चलेगा कि अंतिम लक्ष्य यह है कि हिंदी का प्रचार प्रसार एवं विकास किया जाए और धीरे धीरे शासकीय प्रयोजनों के लिए और संपर्क भाषा के रूप में उसका प्रयोग किया जाए। अनुच्छेद 351 का कोई उल्लंघन नहीं होगा यदि 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 343 के अधीन संसद को केवल यह शक्ति दी गई है कि वह राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति को देखते हुए उन विशेष प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करे जिनके लिए संघ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रख सकता है (भारत संघ बनाम मुरासौली, ए आई आर 1977 एस सी 225)। दलवी बनाम तमिलनाडु राज्य (ए आई आर 1976 एस सी 1559) में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके द्वारा हिंदी विरोधी आंदोलनकर्ताओं को पेंशन दी गई थी।

न्यायालय का विचार था कि आदेश से अनुच्छेद 351 का उल्लंघन होता है क्योंकि वह हिंदी के संवर्धन के स्थान पर हिंदी-विरोध की भावना को भडकाता है।

संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ

56वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए नये अनुच्छेद 394 में हिंदी भाषा में संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ का उपबंध है। उसके बाद संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित कर दिया गया है।

आठवीं अनुसूची

हिंदी के अलावा हमारा संविधान अन्य भाषाओं को तथा उनके विकास की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है। आठवीं अनुसूची में शामिल भारत की 18 भाषाएँ हैं : असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू और उर्दू।

संविधान का संशोधन

भाग 20, अनुच्छेद 368

संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान-संशोधन से संबंधित विनिर्दिष्ट उपबध है। उसके अनुसार ससद सघ की संविधायी शक्ति का भंडार है। उसके अनुसार संविधान-संशोधन-प्रक्रिया के कतिपय विशिष्ट लक्षण है जो विधायिका के रूप में ससद की सामान्य भूमिका से उसकी संविधायी क्षमता की अलग पहचान बनाते है। एक तो यह कि संविधान-संशोधन का सूत्रपात केवल ससद के दोनो सदनों में से किसी में विधेयक का पुरःस्थापन करके ही किया जा सकता है। अतः संविधान-संशोधन के मामले में पहला कदम केवल ससद ही उठा सकती है। दूसरा यह कि अधिकांशतया संविधान के उपबधों का संशोधन ससद एक विशेष बहुमत से ही कर सकती है। वह है प्रत्येक सदन के उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों का बहुमत। केवल सीमित श्रेणी के संविधान उपबधों के बारे में (यानी, सातवी अनुसूची की सूचियों से, ससद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से, अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित संविधान-उपबधों के बारे में) यह व्यवस्था है कि जब ससद का प्रत्येक सदन विहित विशेष बहुमत से संशोधन-विधेयक को पारित कर दे तो जरूरी है कि कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल उसका अनुममर्थन करे। तीसरा यह कि जब विधिवत पारित अनुममर्थित रूप में संविधान-संशोधन विधेयक को अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी और विधान मन्त्री साधारण विधेयकों के विपरीत उसके पास कोई विकल्प नहीं होता कि वह अपनी अनुमति रोक ले या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोक सभा को लौटा दे। और अंतिम यह है, और यह महत्वपूर्ण है, कि संविधान में ऐसा कोई उपबध नहीं है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ससद हर प्रकार से संविधान के किसी भी उपबध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है और ऐसे संशोधनों पर किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती, जब तक

कि उनका उद्देश्य ऐसा परिवर्तन अथवा उल्लंघन न हो जिसे संविधान के मूलाधारों का उल्लंघन समझा जाए।

1950-72 की अवधि के दौरान तीन अलग अलग मामलों में उच्चतम न्यायालय के सामने यह प्रश्न आया कि मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है या नहीं। वे तीन मामले थे—*शंकरा प्रसाद बनाम भारत संघ* (ए आई आर 1951 एस सी 458); *सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य* (ए आई आर 1965 एस सी 845) और *गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य* (ए आई आर 1967 एस सी 1643)। जब तक गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया था, तब तक विधि की स्थिति इस प्रकार थी -

1. संविधान-संशोधन अधिनियम साधारण विधियां नहीं हैं और उनका पारण ससद सामान्य विधायी शक्तियों से सर्वथा भिन्न अपनी संविधायी शक्ति के प्रयोग से करती है। संविधान-संशोधन प्रयोजनों के लिए कोई अलग संविधायी निकाय नहीं है और संविधायी शक्ति भी 'संसद' में निहित है।

[बाद में, बहुत बाद में 1981 में—उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति एक संविधायी शक्ति है और सातवीं अनुमूर्ची के अधीन विधायी शक्तियों के वितरण की योजना से उसका कोई वास्ता नहीं है (*शशाक बनाम भारत संघ*, ए आई आर, 1981 एस सी 522)]।

2. संशोधन करने की शक्ति पर कोई निबन्धन नहीं है यानी संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 368 की शर्त पूर्णतया सामान्य हैं और वे ससद को शक्ति प्रदान करती हैं कि ससद बिना किसी अपवाद के संविधान का संशोधन कर सकती है।
3. संविधान (भाग 3) के अधीन प्रत्याभूत मूल अधिकार संविधान-संशोधन की ससदीय शक्ति के अधीन हैं।

गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6:5 के बहुमत द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया और कहा कि संविधान में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं, अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन-प्रक्रिया का उपबन्ध है और उसमें ससद को संविधान-संशोधन की कोई मूल शक्ति या उसकी विधायी शक्ति से अलग थलग या अलग पहचान वाली कोई संविधायी शक्ति प्रदान नहीं की गई है, संविधान-संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थात्तर्गत विधि है, अतः अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान-संशोधन अधिनियम के द्वारा भी संसद न तो मूल अधिकारों को छीन सकती है और न ही उन्हें कम कर सकती है।

1973 में *केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य* (ए आई आर 1973 एस सी 1461)

में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले के निर्णय की पुनरीक्षा की। 13 में से 10 न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि स्वयं अनुच्छेद 368 में संविधान-संशोधन की शक्ति निहित है और अनुच्छेद 13 (2) की विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान-संशोधन को आत्मसात नहीं करती। तदनुसार गोलकनाथ के मामले में घोषित विधि को उलट दिया गया। इस प्रश्न के बारे में कि क्या अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति निरंकुश और असीम है, सात न्यायाधीशों ने बहुमत से निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति निहित अर्थ वाली सीमा के अधीन है; वह एक ऐसी सीमा है जो इस आवश्यक निहितार्थ से उत्पन्न हुई है कि वह 'संविधान-संशोधन' की शक्ति है। 7:6 के बहुमत से न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की 'मूल संरचना' या सांचे-ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता। लेकिन मूल संरचना क्या है, इसे बहुमत ने स्पष्ट नहीं किया और प्रश्न विवादास्पद बना रहा।

केशवानन्द के मामले में इस निर्णय के बाद संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए और संसद की संशोधन करने की शक्तियों के 'मूल लक्षणों' के परिसीमन को कम कर दिया गया। इन खंडों में कहा गया है कि (क) अनुच्छेद 368 (1) के अधीन संसद की संशोधन-शक्ति पर, अभिव्यक्त या निहित रूप में, कोई सीमाएं नहीं हैं, वह शक्ति 'संविधायी शक्ति' है, (ख) अतः संविधान संशोधन अधिनियम की किसी आधार पर न्यायिक पुनरीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन *मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सघ* (ए आई आर 1980 एस सी 1789) में उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत की प्रयुक्ति की पुनः पुष्टि की और निर्णय दिया कि खंड 4 और 5 शून्य हैं। आधार यह बताया गया कि यह संशोधन चाहता है कि न्यायिक पुनरीक्षा की पूर्ण अपवर्जना कर दी जाए जबकि वह संविधान का एक 'मूल लक्षण' है।

'मूल लक्षणों' के सिद्धांत की वर्तमान स्थिति यह है कि जब तक केशवानन्द के मामले में दिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय की कोई पूर्ण पीठ उलट नहीं देती, तब तक संविधान के किसी भी संशोधन के बारे में न्यायालय इस आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है कि वह संविधान के किसी एक या दूसरे मूल लक्षण पर प्रभाव डालता है।

केशवानन्द के मामले में न्यायमूर्ति सीकरी ने (पैरा 302 में) संविधान के मूल लक्षणों को इस प्रकार सारणीबद्ध करने का प्रयास किया :

1. संविधान की सर्वोच्चता,
2. गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली
3. संविधान का पंचनिरपेक्ष स्वरूप;
4. शक्तियों का पृथक्करण;
5. संविधान का संघात्मक स्वरूप।

इसी मामले में न्यायमूर्ति हेगड़े तथा न्यायमूर्ति मुखर्जी ने संविधान की मूल संरचना के तत्वों में भारत की संप्रभुता तथा एकता का, हमारी राज्य व्यवस्था के लोकतंत्रात्मक स्वरूप का तथा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का समावेश किया। उनका विचार था कि संसद को कोई अधिकार नहीं है कि वह कल्याणकारी राज्य तथा समतावादी समाज के निर्माण के आदेश को रद्द कर दे (पैरा 682)। न्यायमूर्ति खन्ना ने भी कहा कि संसद हमारी लोकतंत्रात्मक शासन-प्रणाली को बदलकर उसे तानाशाही या वंशानुगत राजतंत्र का रूप नहीं दे सकती और न ही लोक सभा और राज्य सभा के उन्मूलन की अनुमति दी जा सकेगी। इसी प्रकार, राज्य के पंचनिरपेक्ष स्वरूप को भी समाप्त नहीं किया जा सकता (पैरा 1437)।

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण (ए आई आर 1975 एस सी 2299, पैरा 55 एव 213) में न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने निम्नलिखित को संविधान की मूल संरचना का मूल तत्व बताया :

1. भारत का संपूर्ण प्रभुत्व सपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का स्वरूप;
2. प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता;
3. पंचनिरपेक्षता और अतःकरण की स्वतंत्रता,
4. विधि का शासन।

इसी न्यायमूर्ति ने मिनर्वा मिल्स के मामले में संविधान के मूल तत्वों की सूची में 'संसद की सशोधन की शक्तियों' 'न्यायिक पुनरीक्षा' और 'मूल अधिकारों एव निदेशक तत्वों के बीच संतुलन' को भी जोड़ दिया।

कुछ मामलों के संबंध में, न्यायाधीशों के बीच इस बारे में मतभेद है कि कोई तत्व विशेष मूल लक्षणों का तत्व है या नहीं। यथा, जहां मुख्य न्यायमूर्ति रे को लगा कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनों की सकल्पना मूल लक्षण नहीं हो सकती, वहां न्यायमूर्ति खन्ना को उसी मामले में लगा कि यह सिद्धांत संविधान के मूल लक्षणों का तत्व है (इंदिरा नेहरू गांधी का मामला, पैरा 55 और 213)। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने यह दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया कि संविधान की उद्देशिका उसकी मूल संरचना की कुंजी है (पैरा 665)। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति बेग को लगा कि न्यायालय संवैधानिक विधिमान्यता की कसौटी को संविधान की उद्देशिका में खोज सकता है। उनका विचार था कि उद्देशिका संविधान-सशोधनों पर प्रयुक्त के लिए भी मापदंड प्रस्तुत करती है (पैरा 623)।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) एस सी सी में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी के मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी और रामास्वामी ने यह विचार दोहराया कि संघवाद संविधान के विशेष मूल लक्षणों में है। न्यायमूर्ति रामास्वामी के अनुसार लोकतांत्रिक

शासन व्यवस्था, सघीय ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरीक्षण संविधान के मूल लक्षणों में हैं।

यह स्पष्ट है कि इस सबध में अभी तक न्यायाधीशों के बीच न तो कोई मतैक्य हुआ है और न ही बहुमत का कोई निर्णय उपलब्ध है जिसके द्वारा संविधान के उन लक्षणों का निर्धारण किया गया हो जिन्हें 'मूल' माना जाए। न्यायालय ने अभी मूल लक्षणों की सूची पर पूर्ण विराम नहीं लगाया है जैसा कि विभिन्न मामलों में विभिन्न न्यायाधीशों के निर्णयों से पता चलता है। इंदिरा नेहरू गांधी के मामले में न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कहा था, 'हर विशिष्ट मामले में, अमूर्त रूप में नहीं बल्कि ठोस समस्या के संदर्भ में, मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जाना है।' (पैरा 2465)।

1950 में संविधान के प्रारंभ से लेकर अब तक संविधान में 78 संशोधन किए जा चुके हैं। यह सब ससद की संविधायी शक्ति का प्रयोग करके किया गया है।

इस बारे में काफी मतभेद है कि संविधान-संशोधन शक्ति का बार बार बहुधा दुरुपयोग या सदुपयोग किया गया है। जैसा कि नेहरू ने कहा था, 'संविधान कितना भी बढ़िया हो, वह हर नजरिए से पूरा नहीं हो सकता है और इस बात की जरूरत पड़ सकती है कि उसे अमल में लाने में जो खामिया दीख पड़े, उन्हें दूर करने के लिए उसमें फेरबदल किया जाए' (देखिए "संविधान की विशेषताएं" के अंतर्गत भी)।

प्रकीर्ण, अस्थायी एवं विशेष उपबंध

भाग 16, 19, 21, 22

अनुच्छेद 330-342, 361-367, 369-392

कतिपय वर्गों के लिए विशेष प्रावधान

सभी को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय दिलाने एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान में कतिपय उपबंध किए गए हैं। उनका उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों की मदद की जा सके और वे नागरिकों के सामान्य समूह के स्तर पर आ सकें। अतः अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है तथा उनके लिए विधानमंडलों में स्थानों और सेवाओं में पदों का आरक्षण किया गया है।

संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा नहीं दी गई है। इन्हें किसी राज्य के राज्यपाल की सलाह से उस राज्य के संबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से चीन्हा जाएगा। राष्ट्रपति ने अनेक आदेश जारी किए हैं और उनके द्वारा विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का विनिर्देश किया गया है। अनुच्छेद 341-342 के अधीन दी गई शक्तियों के अनुसार संसद ने अधिनियमों द्वारा इन आदेशों में संशोधन भी किए हैं।

समय समय पर यथासंशोधित अनुच्छेद 334 में उपबंध है कि संविधान के प्रारंभ से 50 वर्ष की अवधि तक लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को स्थानों का आरक्षण और आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। आरक्षित स्थानों की संख्या का आधार कुल जनसंख्या से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अनुपात होगा। यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल आंग्ल-भारतीय समुदाय के अधिक-से-अधिक दो सदस्यों को लोक सभा के लिए और एक सदस्य को राज्य विधान सभा के लिए नामजद कर सकता है, यदि यह पाया

जाए कि लोक सभा/विधान सभा में उस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है (अनुच्छेद 331-334)। जबकि कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, मतदाता सभी में जनसाधारण हैं, यानी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता समुदाय अथवा जाति आदि के भेदभाव के बिना मत दे सकते हैं। कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होंगे। स्थानों का आरक्षण भी अल्प अवधि के लिए है। इस अवधि के बीच आशा की जाती है कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आगे बढ़ेंगी और वे शेष जनसंख्या के स्तर पर आ जाएंगी। लेकिन हर बार जब आरक्षण की अवधि समाप्त हो जाती है तो सरकार अपने विवेकानुसार उसे और बढ़ाने का निश्चय करती है और उसके लिए संविधान के संबद्ध उपबंध में संशोधन कर देती है (अनुच्छेद 334)। उपबंध का नवीनतम संशोधन 62वें संशोधन द्वारा किया गया। उसके द्वारा अवधि को बढ़ाकर 50 वर्ष यानी वर्ष 2000 तक कर दिया गया।

अनुच्छेद 335 के अधीन लोक सेवाओं के लिए नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा, पर साथ ही प्रशासन की दक्षता को भी बनाए रखा जाएगा। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध है।

अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। आयोग 'सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों' का अन्वेषण करता है और उनकी कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी दशा में सुधार करने के बारे में सिफारिशें करता है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि सामाजिक पिछड़ेपन के जाति समेत विभिन्न कारण हो सकते हैं लेकिन केवल जाति पर आधारित कोई वर्गीकरण वैध नहीं होगा (*जानकी प्रसाद बनाम जम्मू-काश्मीर राज्य*, ए आई आर 1973 एस सी 930)। अभी हाल में, मंडल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पिछड़े वर्गों को सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, पर निदेश दिया कि आरक्षण के कोटे से पिछड़े वर्गों के उन्नत वर्गों या संपन्न स्तर के लोगों को निकाल दिया जाए और इस बात पर बल दिया कि सकल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो ("मूल अधिकार" संबंधी अध्याय के अधीन भी देखिए)। लेकिन 76वें संविधान संशोधन के द्वारा तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण होने संबंधी कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक अधिकार क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास किया गया है।

प्रकीर्ण प्रावधान

अनुच्छेद-361 संघ के अध्यक्ष (भारत का राष्ट्रपति) को तथा राज्यों के अध्यक्षों (राज्यपालों) को संरक्षण प्रदान करता है। वे अपने कर्तव्यों के निर्वाह में किसी कार्यवाही के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। उनकी पदावधि के दौरान उन पर कोई दांडिक

कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकेगी। लिखित रूप में दो मास का नोटिस दिए बिना उनके विरुद्ध कोई सिविल कार्यवाही जिसमें राहत का दावा भी शामिल है, नहीं की जा सकेगी।

अनुच्छेद का प्रयोजन है कि संघ के अध्यक्ष या राज्यों के अध्यक्षों की उच्च प्रतिष्ठा एवं गरिमा अक्षुण्ण रखी जाए क्योंकि वे संघ तथा राज्यों की प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। वे संविधान के संरक्षक हैं और प्राधिकार के प्रतीक हैं।

यदि राष्ट्रपति के स्तर पर कोई गलत कार्य हो तो उसका इलाज यह है कि उसे अनुच्छेद 61 के अधीन संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया का अनुसरण करके पद से हटाया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत धारण करते हैं।

44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 361 क संसद तथा राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करता है। विधानमंडलों की कार्यवाहियों को विशेष दर्जा प्राप्त है और उनका प्रकाशन संबद्ध सदन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 361 क में कहा गया है कि विधायी कार्यवाही की सारतथ्या सही रिपोर्ट के किसी समाचार पत्र में सदाशयता से प्रकाशन के संबंध में किसी व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, पर यह संरक्षण गुप्त बैठक की कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। यह संरक्षण रेडियो के प्रसारणों पर भी लागू होता है।

अनुच्छेद 363 में उपबंध है कि यदि देशी रियासतों के शासकों के साथ भारत सरकार या उसके पूर्ववर्ती सरकार की कोई संधिया, करार आदि हुए हो तो उनसे उत्पन्न मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे।

अनुच्छेद 363 क देशी रियासतों के शासकों के विशेषाधिकारों और उनकी निजी धैलियों की समाप्ति को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है।

अनुच्छेद 364 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकता है कि अमुक कानून महापत्तनों और हवाई अड्डों पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 365 की व्यवस्था है कि संघ के निदेशों का पालन न किया जाना राष्ट्रपति के लिए इस बात का पर्याप्त औचित्य होगा कि संबद्ध राज्य सरकार का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और वहां अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है ("आपात प्रावधान" संबंधी अध्याय के अंतर्गत भी देखिए)।

अनुच्छेद 366 परिभाषा-खंड है और वह संविधान में प्रयुक्त अनेक शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करता है।

अनुच्छेद 367 निर्वचन-खंड है। उसमें कहा गया है कि सामान्यतया साधारण खंड अधिनियम संविधान के प्रावधानों के निर्वचन के बारे में लागू होगा अथवा अधिनियमों

या विधियों के प्रति निर्देश में राष्ट्रपति या संबद्ध राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों के प्रति निर्देश शामिल होगा, संविधान में 'विदेशी राज्य' से भारत से भिन्न कोई राज्य अभिप्रेत है, लेकिन राष्ट्रपति आदेश देकर यह घोषणा कर सकता है कि कोई राज्य विशेष प्रयोजनों के लिए विदेशी राज्य नहीं है।

अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध

कुछ अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध नियत अवधि के लिए थे। यह अवधि समाप्त हो चुकी है। यथा, अनुच्छेद 369 के अधीन राज्य सूची में शामिल विषयों के बारे में विधियां बनाने की संसद की शक्ति केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए थी। इसी प्रकार, अनुच्छेद 373 के अधीन निवारक-निरोध के मामलों में राष्ट्रपति की शक्ति केवल एक वर्ष के लिए थी।

अनुच्छेद 370 में किए गए 'जम्मू-कश्मीर राज्य संबंधी अस्थायी उपबंध' सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा राजनीतिक दृष्टि से संभवतया सर्वाधिक विवादास्पद उपबंध रहे हैं। इस अनुच्छेद के अधीन जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए विधियां बनाने की शक्ति विलयन-पत्र में विनिर्दिष्ट मामलों तक सीमित होगी तथा वह अन्य मामलों पर केवल राज्य की सहमति से लागू हो सकती है।

अनुच्छेद 371 से 371 झ में विशेष उपबंध हैं और उनका संबंध नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के राज्यों से हैं। प्रत्येक दशा में, विचार यह है कि प्रादेशिक, जनजातीय या अन्य भावनाओं की तुष्टि की जाए और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाए। उदाहरण के लिए, धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं, रूढ़िगत कानूनों, भू-स्वामित्व आदि से संबद्ध संसद के अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होंगे और नागालैंड के राज्यपाल के कतिपय विशेष उत्तरदायित्व होंगे।

अनुच्छेद 372 वर्तमान विधियों के प्रवर्तन को जारी रखने का उपबंध करता है। अनुच्छेद 372 के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह संविधान से पूर्व की विधियों को संविधान के उपबंधों के लिए अंगीकार करे। अनुच्छेद 374-378 के में कतिपय अस्थायी उपबंध हैं और उनका संबंध संविधान-पूर्व के फेडरल न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, लंबित कार्यवाहियों, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा लोक सेवा आयोगों से, आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि आदि से हैं।

अनुच्छेद 392 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह संविधान की प्रवर्तन संबंधी किन्हीं कठिनाइयों को दूर करे।

पंचायती राज

भाग 9 और 9 क, अनुच्छेद 243-243 ह

दिसंबर, 1992 में पारित संविधान 73वे और 74वे संशोधन के द्वारा भाग 9 और 9 क जोड़ा गया है। इन दो भागों के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ह तक कुल 34 नये अनुच्छेद तथा 11वीं और 12वीं दो नयी अनुसूचियाँ संविधान का अंग बन गई हैं। 73वाँ संशोधन पंचायत संबंधी उपबन्ध करता है और 74वाँ नगरपालिकाओं के बारे में है।

यद्यपि पंचायतों और नगरपालिकाओं की बात कुछ नयी नहीं है, देश के अनेक राज्यों में पंचायत विषयक कानून थे, नगरपालिकाओं, जिलापरिषदों आदि का उपबन्ध था। किंतु प्रायः यह सस्याएँ अधिक समय तक सफलतापूर्वक नहीं चल पाती थीं जिसके अनेक कारण थे।

अब इन सस्याओं को संवैधानिक प्रतिष्ठा और संरक्षण मिल गया है। 73वे और 74वे संविधान संशोधनों में उपबन्ध है कि राज्यों के विधानमंडल पंचायतों और नगरपालिकाओं आदि के लिए अपने-अपने कानून बनाएंगे। हर एक राज्य में गाँव तथा जिला और दोनों के बीच के स्तर पर पंचायतें स्थापित की जाएंगी। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, उनमें बीच के स्तर पर पंचायतों की आवश्यकता नहीं होगी। महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि अब पंचायतों को अधिक समय के लिए स्थगित अथवा निरस्त नहीं किया जा सकेगा क्योंकि 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। दूसरे, सभी पंचायतों में महिलाओं को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्राप्त होगा। पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा। उनका अपना बजट होगा, कर लगाने की शक्ति होगी तथा उनकी अपने विषय और अधिकार क्षेत्रों की सूची (11वीं सूची) होगी। पंचायतें अपने-अपने क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास की योजनाएँ बना सकेंगी और उन्हें कार्यान्वित कर सकेंगी। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होगी तथा हर पाँचवें वर्ष पंचायतों की आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के लिए एक वित्त आयोग बैठाया जाएगा।

इसी प्रकार, 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत, नगरपालिका आदि के विषय में रूपरेखा दी गई है और प्रत्येक राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह अपने अपने कानून बनाए। आरक्षण, निर्वाचन, कर लगाने की शक्ति, आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने और लागू करने की शक्ति, वित्त आयोग की स्थापना, निश्चित कार्यकाल आदि के मामलों में उपबंध लगभग वैसे ही है जैसे 73वें संशोधन में पंचायतों के लिए दिए गए हैं।

सभी राज्यों ने साल भर के भीतर संविधान के आदेशानुसार अपने अपने कानून बना लिए थे। अधिकांश राज्यों में स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन भी हो गए हैं अथवा हो रहे हैं। आशा की जानی चाहिए कि नयी पंचायतें और नगरपालिकाएं देश में वास्तविक भागीदारी, लोकतंत्र के एक नये अध्याय का सूत्रपात करेंगी और शक्ति और सत्ता जनता के हाथों में पहुंचेगी जहां उसका वास सदैव होना चाहिए।

संविधान का कार्यकरण और पुनरीक्षा संबंधी सुझाव

यह कोई सरल कार्य नहीं था कि भारत जैसे देश के अतीत, आकार और प्रकृति को रास आने वाले संविधान और राजनीतिक प्रणाली का गठन और अंगीकरण किया जाए। अतः संविधान का जो रूप निखरकर सामने आया उसमें सुसंबद्धता तथा जीवंतता से परिपूर्ण राज्य व्यवस्था को संजोया गया और लोकतंत्र, समतावाद, पंथनिरपेक्षता तथा विधि के शासन को महत्ता दी गई। समाजवादी समाज व्यवस्था को लाने के लिए योजनाबद्ध विकास पर बल दिया गया। क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन प्रयास किए गए कि निर्धनों एवं दलितों की दशा को सुधारा जाए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए, कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई जाए, उद्योग को बहुआयामी बनाया जाए और औद्योगिक क्षमता तथा उत्पादन को द्रुतगति के पंख लगा दिए जाए।

ढेर सारी उपलब्धियां हैं। कोई 600 से अधिक देशी रिसायतों का एकीकरण किया गया। शरणार्थियों को पुनः बसाया गया। जमींदारी का उन्मूलन किया गया तथा अन्य भूमि-सुधार किए गए। भारत में पुर्तगाल तथा फ्रांस के अधीन क्षेत्रों को आजाद कराया गया। हैदराबाद तथा जम्मू-कश्मीर की रियासतों का विलय भारत सघ में कराया गया। अपने दो पड़ोसी देशों के अनेक आक्रमणों का सामना किया गया। गुटनिरपेक्षता एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के ठोस सिद्धांतों वाली सार्थक विदेश-नीति का विकास किया गया (भारत के दर्शन तथा नेतृत्व को एक साथ सौ से भी अधिक राष्ट्रों ने स्वीकार किया)। धरती पर सबसे विशाल लोकतंत्र में आम चुनाव कराए गए। अनेक बार एक पार्टी से दूसरी पार्टी के हाथ में शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता सौंपी गई। हमारी राज्य व्यवस्था पर बाहरी तथा भीतरी विद्वेषी शक्तियों ने अनेक खिंचाव, तनाव व दबाव डाले पर भारत डिगा नहीं।

संक्षेप में, कहा जा सकता है कि राजनीतिक स्तर पर अभी तक हमारी महान उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं: (1) हमने राष्ट्र की एकता एवं अखंडता तथा राज्य व्यवस्था के पंथनिरपेक्ष स्वरूप को लाने का प्रयास किया और उसे बनाए रखा और (2) व्यक्ति की आजादी एवं गरिमा को सुनिश्चित करते हुए हमने प्रतिनिधिक संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को कायम रखा।

जब हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमें ये उपलब्धियां और भी महान लगने लगती हैं क्योंकि विश्व में इने गिने राष्ट्र ही है जहां वास्तव में सक्रिय लोकतंत्र तथा स्वाधीनता शेष रह गई है। कतिपय अस्थायी असामान्यताओं के बावजूद हम समुचित रूप से इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि जो भी समस्याएं सामने आई हैं, उन्हें हमने व्यवस्था के भीतर ही सुलझाया है या सुलझाने का प्रयास किया है।

लेकिन एक पक्ष निराशा का भी है। वर्तमान अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। विशेषतया जब हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों तथा सभी व्यवसायों में मूल्यों का हास हुआ है, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, अंतर्जातीय हिंसा भड़की है, भाषायी, जातीय तथा प्रादेशिक आंदोलन हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, चुनावों में धनबल एवं भुजबल का बोलबाला है (प्रधानमंत्री राव के शब्दों में 'अपराधवृत्ति पर राजनीति का और राजनीति पर अपराधवृत्ति का' रंग चढ़ाया जा रहा है) कुछ विधानमंडलों में अशुभ घटनाएं घट रही हैं और यत्र-तत्र जातिवाद तथा संप्रदायवाद जैसी विघटनकारी तथा फूट डालने वाली वृत्तियां अपना धिनौना सिर उठा रही हैं।

किसी भी प्रतिनिधिक लोकतंत्र में दो मुख्य सरोकार होते हैं स्थिरता और उत्तरदायित्व। लोकतंत्र जो सरकार देता है, उसे सुरक्षा, विकास और जनकल्याण के लिए जरूरी बल एवं स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए और जिन लोगों से शासन की अपेक्षा की जाती है, उन्हें जनता तथा उनके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए।

हमारे संविधान निर्माताओं को उस उपनिवेशवादी निरंकुश शासन का कटु अनुभव था जो न तो जनता का प्रतिनिधित्व करता था और न ही उसकी उमंगों, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता था। वह भारत के लोगों के किसी प्रतिनिधि निकाय के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं था। अतः यह स्वाभाविक था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका के 'उत्तरदायित्व' तथा प्रशासन की जवाबदेही को सर्वोपरि स्थान दिया।

उन्होंने संसदीय प्रणाली को अंगीकार किया जिसमें मंत्रियों के उत्तरदायित्व की संकल्पना है। लेकिन लगता है कि उन्होंने ऐसी स्थिति की पूर्व-संकल्पना नहीं की थी जहां मंत्रियों के दायित्व की संकल्पना में जनसाधारण के प्रति दायित्व शामिल नहीं होगा और जहां यह संकल्पना सरकार को राजनीतिक दलों के प्रति सदस्यों की बदलती हुई निष्ठा का इतनी बुरी तरह दास बना देगी कि वह सदन में दलबदल तथा अस्थायी बहुमत का सहारा लेने पर बाध्य हो जाएगी।

भले ही दलबदल विरोधी विधेयक के 'उद्देश्यों एवं कारणों' में यह विस्तार से नहीं कहा गया था, किंतु उसके पीछे एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि सरकारों में अस्थिरता की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए। संघ-स्तर पर कुछ समय के लिए वह काम भी आया लेकिन

बाद में राज्यों के स्तर पर तथा संघ के स्तर पर भी कहानी नितांत भिन्न रही। दलबदल विरोधी कानून दलबदल को रोकने में असफल रहा। केवल यह अंतर आया कि अब दलबदल झुंडो अथवा समूहों में होने लगे ताकि दलीय विभाजन अथवा विलय के नाम पर सदस्यगण अपनी सदस्यता से वंचित होने से बचे रह सकें। उसके अलावा 10वीं अनुसूची द्वारा सदस्यों से उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार यानी मतदान की आजादी छीन ली गई। वास्तव में, दलबदल-विरोधी कानून के बाद, जैसा कि जनता दल विभाजन के मामले में अपने निर्णय में अध्यक्ष पाटिल ने कहा, सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार मतदान भी नहीं कर सकते, यह तो एक ऐसी आजादी है जो संसद के सदस्यों के बाहर भारत के हर सामान्य नागरिक को प्राप्त है। संसद सदस्यों पर कानूनी बंधन है कि वे केवल दल सचेतक के निर्देश के अनुसार ही वोट दे सकते हैं अन्यथा वे अपनी सदस्यता गवा सकते हैं।

जाहिर है कि अमरीकी शैली की राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अधिक स्थिर होती है क्योंकि प्रमुख कार्यपालक तथा राज्याध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति 4 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और उसे तभी हटाया जा सकता है जब निजी कदाचार के लिए उस पर महाभियोग चलाया जाए। भले ही अमरीका में कार्यपालिका अमरीकी कांग्रेस के किसी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है पर चार वर्ष में एक बार वह सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी है।

फ्रान्सीसियों ने विभिन्न मॉडलों को मिलाकर एक नयी व्यवस्था रची है। उसमें मंत्रियों के दायित्व वाली समदीय प्रणाली के साथ राष्ट्रपति के रूप में हटाए जा सकने वाली कार्यपालिका की व्यवस्था है। वहाँ पर प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री नेशनल असेंबली के प्रति उत्तरदायी हैं, राष्ट्रपति को जनता सात वर्ष की अवधि के लिए चुनती है और जीतने के लिए अनिवार्य है कि राष्ट्रपति 50 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त करे।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाली भारत की नवीनतम घटनाएँ इस आवश्यकता को उजागर करती हैं कि प्रतिनिधि-संस्थानों के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका तथा प्रशासक वर्ग जनता के प्रति और अधिक उत्तरदायी तथा जवाबदेह हों। दूसरी ओर, क्रमशः अनेक त्रिशकु ससदों एवं राज्य विधानमंडलों और अल्पमत-सरकारों तथा बार बार के आम चुनावों का नजारा है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में स्थिरता भी गर्भर चिन्ता का विषय है।

आर्नाल्ड टायनवी से एक बार पूछा गया - 'यदि लोकतंत्र और स्थिरता में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे?' प्रख्यात इतिहासकार का उत्तर था, 'चयन त्रासकारी होगा पर अनिवार्यतया वह स्थिरता होगा।' इस परामर्श के बावजूद हम भारतवासी यह नहीं चाहेंगे कि उत्तरदायित्व के महत्व को कम कर दिया जाए। अतः विकल्प यह है कि विद्यमान संसदीय प्रणाली के भीतर और अधिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपाय

एवं साधन खोजे जाएं। लगता है कि सभी इस बारे में सहमत हैं कि देश बार बार के आम चुनावों का भार सहन नहीं कर सकता। उसके अन्य दुष्परिणाम जो भी हों, उन पर विपुल धनराशि तो खर्च होती ही है।

विद्वानों, विधिवेत्ताओं, जनसेवकों तथा अन्य लोगों की ओर से संविधान की पुनरीक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के ठोस सुझाव दिए गए हैं। न तो वे सब एक-दूसरे से मेल खाते हैं और न सभी स्वीकार्य हो सकते हैं। पर वे संवैधानिक मामलों के बारे में हमें चिंतन-मनन के लिए विवश अवश्य कर सकते हैं। ऐसे ही कतिपय सुझावों को साररूप में प्रस्तुत किया जाता है:

1. जब दलबदल-विरोधी कानून अस्थिरता को रोकने में बुरी तरह विफल रहा है, तब क्यों न उसे पूर्णतया रद्द कर दिया जाए? संविधान पर पुनः विचार किया जाए और खोजा जाए कि क्या कतिपय अन्य सशोधन लाकर उत्तरदायित्व और जवाबदेही को कम किए बगैर सरकार की और अधिक स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयोजन को पूरा किया जा सकता है;
2. जर्मन प्रथा का अनुसरण करके हम मंत्रिपरिषद के प्रति रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे सदन के लिए यह अनिवार्य हो जाएगा कि वह पदधारी प्रधानमंत्री को हटाने के साथ ही साक्षर उसके उत्तराधिकारी का चयन कर ले;
3. यदि बार बार और जल्दी जल्दी सरकार बदलती रहे तो भारत जैसे देश की विशाल समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। सप्रति नियमों के अधीन मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव एक ही सत्र में एक से अधिक बार नहीं लाया जा सकता। इसमें रूपभेद करके कहा जा सकता है कि एक ही वर्ष में ऐसा प्रस्ताव एक से अधिक बार नहीं लाया जा सकेगा।
4. दसवीं अनुसूची बेकार होती जा रही है और उसे संविधान से निकाल दिया जाना चाहिए। उससे यह संभव होना चाहिए कि सदस्यों को वोट देने की आजादी पुनः प्राप्त हो जाए। सर्वोत्तम तो यह होगा कि अविश्वास प्रस्तावों जैसे मामलों और वित्तीय तथा नीति संबंधी खास मसलों में ही सचेतक के आदेश बाध्य हों। अविश्वास प्रस्ताव, नीति संबंधी खास मसले या वित्त विधेयक या अनुदान की मांगों के बारे में हार होने पर ही सरकार के इस्तीफे की जरूरत पड़े;
5. यदि मंत्रिपरिषद लोक सभा में बहुमत का समर्थन गंवा देती है या कोई दल स्थिर सरकार नहीं बना सकता तो राष्ट्रपति पहल कर सकता है कि बाहरवालों की मदद से राष्ट्रीय सरकार का गठन हो जाए और पदधारी उपराष्ट्रपति को उसका अध्यक्ष बना दिया जाए। यह व्यवस्था तब तक जारी रह सकती है, जब तक कि लोक सभा

- के निर्वाचित प्रतिनिधि स्थिर बहुमत के समर्थन से अपनी नयी सरकार न बना लें;
6. वर्तमान प्रणाली के स्थान पर जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तथा अन्य मंत्रियों को वह प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त करता है, दो तिहाई बहुमत द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्य समूचे प्रधानमंत्री का चुनाव करें। केवल ऐसे दो तिहाई बहुमत द्वारा ही उसे हटाया जा सके;
 7. दो तिहाई बहुमत से निर्वाचित होने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि एक समान न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर सामान्यतया समान विचार वाले दल एकजुट हों, एक सर्वमान्य प्रधानमंत्री का चयन करे और एक मिलीजुली सरकार बने;
 8. यह अनिवार्य है कि राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले राजनीतिक दल अपने आंतरिक सगठनों के बारे में स्वयं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण रखते हो। जरूरी है कि उनका विनियमन तथा नियंत्रण विधि के अनुसार हो। अनिवार्य है कि दल की सदस्यता के द्वार बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले हों। दल के चुनाव नियमित रूप से निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से हों। दल के लेखाओं की विधिवत लेखापरीक्षा हो और उसकी जानकारी आम जनता को उपलब्ध हो।

कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार हैं -

- एक छोटा संविधान हो। उसमें अनिवार्य तत्व हों और ऐसे निदेश हों जिनसे विभिन्न स्तरों पर अच्छे लोग आगे आए और एक बेहतर स्तर का नेतृत्व उभरकर सामने आ सके;
- सच्चे अर्थों में सभी नागरिकों को वास्तव में बराबरी का व्यवहार मिले और धर्म, मूलवश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो;
- हमारी सस्कृति, जरूरतों, आकांक्षाओं तथा हमारी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक अनुकूल राज्य व्यवस्था का गठन हो;
- 50 या 60 छोटे, कमोबेश बराबर के आकार वाले राज्य हों, अधिकाधिक निम्नतर स्तरों पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, शासन की तीन या चार स्तर वाली प्रणाली हो और सीमित सीधे चुनाव हों, एक सशक्त संघ और सशक्त इकाइया हो;
- निर्वाचन प्रणाली का सुधार हो और वह अधिक प्रतिनिधानमूलक हो और धनबल एवं भुजबल से मुक्त हो;
- राजनीतिक दलों की संख्या का परिसीमन हो, आंतरिक दलीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करके दलीय प्रणाली का विनियमन हो, पार्टी की धनराशियों के स्रोतों की घोषणा की जाए और खर्चों की जांच हो।



शब्दावली

- अधिकार-पत्र — Bill of Rights
अधिकृत अग्रता-अधिपत्र — Official Warrant of Precedence
अधिशासी परिषद — Executive Council
अधिप्रमाणन — Authentication
अर्धपरिसधीय — Quasi-Federal
अग्रनयन नियम — Carry Forward Rule
अतिवादी — Extremist
अनम्य अथवा नम्य — Rigid or Flexible
अनुकल्पी मत की पद्धति — System of Alternate Vote
अनुमान तथा अनुदानों की मांगें — Estimates and Demands for Grants
अनुन्मोचित दिवालिया — Undischarged Insolvent
अभिलेख न्यायालय — Court of Record
आरक्षी शक्ति के सिद्धांत — Doctrine of Police Power
आकस्मिकता निधि — Contingency Fund
आरंभिक अपीलिय तथा मंत्रणा — Original Appellate and Advisory
आस्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर — Taxes on Capital Values of Assets
आयकर पर अधिभार — Subcharge on Income Tax
उदार निर्वचन के सिद्धांत — Doctrine of Liberal Interpretation
उद्देशिका — Preamble
एकांतता का अधिकार — Right of Privacy
केंद्र-राज्य — Centre-State
जर्मन राज्य — Reich
दंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण — Suspend, Remit or Commute
दांडिक अपराध — Criminal Offences
द्विस्वभावी — Amphibian
देशनिकाला — Deportation
दोहरा जोखिम — Double Jeopardy
धन-विधेयक — Money Bill

- धर्मतंत्रवादी — Theocratic
 न्यायिक निर्वचन — Judicial Interpretation
 न्यायिक पुनर्विलोकन — Judicial Review
 न्यायाधिकरण — Tribunal
 न्यायिक आदेश — Writs
 न्यायालयों द्वारा लागू कराए जा सकने वाले — Justiciable
 नरमपंथी — Moderates
 नागरिक तथा राजनीतिक — Civil and Political
 निगम-कर — Corporation Tax
 नियतकालिक कार्यपालिका — Fixed Term Executive
 नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक — Comptroller and Auditor General,
 नियंत्रित सरकार — Limited Government
 निर्वाचक-गण — Electoral-College
 निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत — System
 of Proportional Representation by means of Single Transfer-
 able Vote
 पदावरोही — Outgoing
 परिसंघ — Federation
 परिसंघात्मक/परिसंघीय — Federal
 परिसंघ/एकात्मक — Federal or Unitary
 पंथ — Creed
 प्रथम दृष्ट्या — Prima Facie
 प्रतिनिधान बिना कराधान नहीं -- No Taxation Without Representaion
 प्रगतिशीलतापरक निर्वचन का सिद्धांत - Doctrine of Progressive Interpre-
 tation
 पुनर्वास अनुज्ञा — Resettlement Permit
 पृथक्करणीयता का सिद्धांत — Doctrine of Severability
 पृथक्करण के सिद्धांत — Doctrine of Severability
 पृथक निर्वाचक मंडल — Separate Communal Electorates
 बाध्यता — Compulsion
 बाह्यकरण — Externment
 भारत की संचित निधि -- Consolidated Fund of India
 भारत का राज्य-संघ विधयेक — Commonwealth of India Bill
 भारत के महान्यायवादी — Attorney General of India

- भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक — Comptroller Auditor General of India
- भावी विरुद्ध-निर्णय के सिद्धांत — Doctrine of Prospective Overruling
- भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि — Ex-post Facto Law
- महाद्वीपीय मग्नतट भूमि — Continental Shelf
- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा — Universal Declaration of Human Rights
- राज्य संघ — Union of States
- राज्य परिसंघ — Federation of States
- राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड — Territorial Waters
- राष्ट्रीय सम्मेलन — National Convention
- रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश — Supreme Command of the Defence Forces
- लिखित अथवा अलिखित — Written or Unwritten
- लेखानुदान — Vote on Account
- लोक खाते — Public Accounts
- वर्गगत विधान — Class Legislation
- विचारण -- Trial
- वित्त आयोग — Finance Commission
- त्रितीय विधेयक — Financial Bills
- विधि का शासन -- Rule of Law
- विधि की सम्यक प्रक्रिया बनाम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार — Due Process of Law vs. According to Procedure Established by Law
- विनियोग विधेयक — Appropriation Bill
- विबाध्यता — Duress
- शास्ति — Penalty
- शून्य — Void
- संघ — Union
- स्वयं पर दोषारोपण का प्रतिषेध — Prohibition Against Self Inerimination
- संघ-राज्य — Union-State
- संघ तथा राज्य — Union and States
- संघ लोक सेवा आयोग — Union Public Service Commission
- संचित निधि -- Consolidated Fund
- संवैधानिकता के पक्ष में उपधारणा — Presumption in Favour of Constitutionality

- समान सिविल संहिता — Uniform Civil Code
 समरस अर्थान्वयन नियम — Rule of Harmonious Construction
 समरस-संरचना सिद्धांत — Principle of Harmonious Construction
 समवर्ती सूची — Concurrent List
 सपरिषद गवर्नर जनरल — Governor-General-in-Council
 सामान्य नियम — Rules of Interpretation
 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व — Communal Representation
 सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार — Universal Adult Franchise
 सीमा शुल्क — Customs Duty
 क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार — Pardon, Reprieve, Respite or
 Remission
 क्षेत्रातीत प्रवर्तन — Extra-territorial Operation
 त्रितलीय ढांचे — Three Tier Structure

अनुक्रमणिका

- अंतर्राष्ट्रीय शांति 115
अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ 115
अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 21
अदमान तथा निकोबार 62, 63, 142, 190
अंग्रेज इतिहासकार 10
अंग्रेजी के प्रयोग पर निबन्धन 226
अस्पृश्यता अधिनियम, 1955 87
अस्पृश्यता का उन्मूलन 87
अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 107
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 106-07
अय्यर, कृष्णा 133, 210
अंबेडकर, डा. 31, 32, 36, 56, 58, 60, 63,
73, 76, 110, 113, 206, 212
असम 22, 63, 184
'अगस्त प्रस्ताव' 27
अनम्य अथवा नम्य 35
अर्धपरिसंघीय 36
अमरीकी उच्चतम न्यायालय 40
अमरीकी संविधान 41, 46
अग्रनयन नियम 85
अपराध के लिए प्रोत्साहन 92-93
अदृशिष्ट शक्तियाँ 161
अथर्ववेद 7
अष्टाध्यायी 7
अर्थशास्त्र,
कौटिल्य का 7, 8
अवसर की समानता 57
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 19, 26
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा 160, 217
अधिकृत अग्रता-अधिपत्र 135
अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 27
अधिकार-पत्र 4, 73
अधिवास 67-68
अधिशासी परिषद् 19
अधिकारपृच्छा 110, 111, 180, 182
अपीलीय न्यायालय 126
अनुसूचित जाति 126, 143, 238
अनुसूचित जनजाति 126, 143
अनुकल्पी मत की पद्धति 133
'अधीनस्थ न्यायालय' 168, 183
अपीलीय तथा मंत्रणा 171
अरुणाचल प्रदेश 63
अली, आसफ 21
अभिलेख न्यायालय 171
अधिप्रमाणन 187
आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 43
आस्ट्रेलियाई संविधान 5
आस्ट्रेलिया 46
आर्थिक न्याय 57, 58
आर्थिक विकास 61
आर्थिक लोकतंत्र 56
आद्य अधिनियम, 1953 63
आद्य प्रदेश 63
आयरलैंड 4, 40, 54, 112
आपात स्थिति 45, 50
आपात विधान की वैधता 209
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति 189

औरंगजेब 8

इंसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइंसिस 48
इकहरी भारतीय नागरिकता 133
इलाहाबाद 25

ईस्ट इंडिया कंपनी 3

उच्चतम न्यायालय 5, 36, 39, 44, 45, 168,
169, 170, 172, 174, 175, 179, 199
213, 218, 221, 226, 231, 236

उच्चतम न्यायालय की शक्ति तथा अधिकारिकता
171

उत्प्रेषण रिट 110, 175, 180, 182-183

उपराष्ट्रपति 135-36

उत्तर प्रदेश 63

उदार निर्वचन के सिद्धांत 5

उद्देशिका 42, 44, 56, 58, 59, 73, 74,
104, 116

उपाधियों का अंत 87-88

एक्सेल वियर का मामला 95

एकल सक्रमणीय मत 132, 133, 142, 189

'एकांतता का अधिकार' 101

एलेक्जेंडर, ए.बी. 20

कनाडा 4

कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 4, 25

कराची अधिवेशन 4

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 25, 26

कार्यपालिका 1, 32, 113, 127

शक्तिया 127, 128, 178, 186

कामनवेल्थ आफ इंडिया बिल 24

क्रिप्स, स्टेफोर्ड 20

क्रिप्स प्रस्ताव 27

कूपलैंड 25

केंद्रीय विधानमंडल 24, 25

केशव सिंह केस 154, 155

केशवानन्द भारती का मामला 50, 51, 119, 175

कैबिनेट मिशन 21, 28, 29, 193

खा, सर शफात अहमद 21

गाधी, राजीव 139

ग्राम पंचायत 3

गोलकनाथ का मामला 231, 232

गोपालन केस 100, 161

गो-वध का प्रतिषेध 115

चन्द्रशेखर,

प्रधानमंत्री 165

जगजीवन राम 21

जर्मन राज्य 5

जहीर, सैयद अली 21

जापान 54

जे वी पी. समिति 194

टायनवी, आर्नोल्ड 243

डोमिनियन विधानमंडल 23

तीसरा गोलमेज सम्मेलन 26

दंड प्रक्रिया संहिता 101

दंडादेश 173

दलबदल विरोधी कानून 163, 165, 243, 244

दर आयोग 194

'द ओनली वे' 27

दांडिक अपराध 97

दिल्ली लाज केस 173

दीवानी मामले 172

देश का विभाजन 193

धन विधेयक 129, 148, 158, 187

- न्यायपालिका 1, 32, 178
 न्याय की परिभाषा 56
 न्यायमूर्ति,
 हिदायतुल्लाह 43,54
 मधोलकर 43
 मैथ्यू 45, 119
 रामास्वामी 45, 169
 एम.एच.बेग 49
 देसाई 49
 गजेन्द्र गडकर 49, 51, 209
 खन्ना 233
 सीकरी 232
 धवन 49
 बेग 49,50
 भगवती, पी.एन 74, 80, 81
 चन्द्रचूड 80, 233
 शास्त्री, पातजलि 90
 हेगड़े के.एस. 113
 न्यायालय की अवमानना 90, 92
 न्यायाधिकरण 165, 173
 न्यायिक पुनर्विलोकन 174
 न्यायिक आदेश 5
 न्यायिक सर्वोच्चता 38
 नन्दनी सत्पथी का मामला 98
 'नकारात्मक अधिकार' 119
 नागरिकता अधिनियम, 1955 70,71
 नामांकन पत्र 131, 134
 निवारक निरोध कानून 101, 103
 निर्वाचन आयोग 126, 221, 223
 निर्वाचन कानून 131
 निर्वाचन विवाद 134
 नेहरू, मोतीलाल 25
 नेहरू रिपोर्ट 25, 26
 नेहरू जवाहरलाल 21, 25, 29, 30, 56, 57,
 58, 117, 118, 124, 130, 139
 पंजाब 22
 पंचनिरपेक्षता 48-52, 53, 60, 106
 परिसधीय सरकार 36
 प्रभुसत्ता 1
 प्रभुता सपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र 24
 प्रवर समिति 117
 प्रधानमंत्री 136,137
 प्रतिनिधानात्मक लोकतंत्र 143
 प्रगतिशीलतापरक निर्वचन का सिद्धांत 177
 प्रशासनिक सबंध 196
 प्रकीर्ण विस्तीय उपबन्ध ' 202
 प्रकीर्ण प्रावधान 236-38
 पंचायती राज 239-40
 प्रांतीय संविधान समिति 193
 प्रसूति सहायता 57
 पृथक्करणीयता का सिद्धांत 177
 पाटिल, एस. 166
 पाकिस्तान 20, 67
 प्रारूपण समिति 24, 30, 31, 36, 37
 पटेल, सरदार वल्लभभाई 21, 30, 139
 पूंजीगत मूल्य पर कर 201
 प्रेस की स्वतंत्रता 88, 90
 पुर्तगाल 241
 फ्रांस 54,241
 फ्रांसीसी क्रांति 59
 फेडरेशन आफ स्टेट्स 37
 फौजदारी मामले 172
 ब्लेकशीड, ए.आर. 48
 बबई 9, 17, 19
 बंधित श्रम पद्धति 100
 बंधक मजदूर 100
 बंदी प्रत्यक्षीकरण 110, 180, 181-82, 211
 बजट 149-50
 बटलर कमेटी 193
 बलदेव सिंह 21
 बंगलादेश 71

- बिहार 17,19
 ब्रिटेन 2
 ब्रिटिश हाउस आफ कामंस 152, 154, 155, 192
 बेसेट, श्रीमती एनी 24
 बोम्बई का मामला 52
 बोस, शरतचन्द्र 21
- भगतवी, पी.एन.,
 मुख्य न्यायमूर्ति 177
 भाभा, डा. सी.एच. 21
 भारत का संविधान 2, 41
 'भारत छोड़ो आंदोलन' 19
 भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक 126,
 198, 200
 भारत शासन अधिनियम, 1935 4, 26, 34,
 69, 193
 भारत शासन अधिनियम (एक्ट), 1919 14,
 24, 192
 भारत के महान्यायवादी 126, 139, 140
 भाषा संबंधी उपबन्ध 224
 भारतीय पुलिस सेवा 217
 भारतीय प्रशासनिक सेवा 217
 भारतीय राज्य व्यवस्था 8
 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 11
 भारतीय नागरिकता अधिनियम 67
 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3, 12
 भारतीय स्वशासी संस्थान 3
 भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, 1947 22
- मंत्रिपरिषद 136, 137
 महाभियोग की प्रक्रिया 134-35, 169, 237
 मथाई, डा. जॉन 21
 महाद्वीपीय मन्तव्य भूमि 203
 महात्मा गांधी 24, 27, 121, 122
 माउंटबेटन योजना 21, 22, 193
 माउडबेटन, लार्ड लुई 21, 22
 मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 73
- मार्शल लॉ 111
 मिनर्वा मिल्ल का मामला 233
 मुस्लिम लीग 193
 मुस्लिम लीग 21, 28, 29
 मुख्यमंत्री की नियुक्ति 186
 मुख्य निर्वाचन आयुक्त 163, 221, 222, 223
 मूल अधिकार 60, 66, 74, 175
 मूल कर्तव्य 4, 40, 41, 59, 73, 122, 123
 मोहिनी जैन का मामला 102
 मोतीलाल नेहरू कमेटी 4
- योजना आयोग 115
- राज्य क्षेत्रीय सागर खंड 203
 राज्य-संघ विधेयक 3
 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 40, 113, 114,
 115, 121
 राज्य लोक सेवा आयोग 183
 राज्य-कार्यपालिका 184
 राज्यपाल की नियुक्ति 184-85
 राज्यपाल की शक्तियां 185
 राज्य पुनर्गठन आयोग 194
 राजमन्तार समिति 194
 राष्ट्रीय सम्मेलन 3, 24
 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण 115
 राष्ट्रीय आंदोलन 24, 122
 राष्ट्रीय ध्वज 33, 122
 राष्ट्रगान 33, 112
 राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम 39, 73
 राष्ट्रपति का पद तथा शक्तियां 124, 131
 राष्ट्रपति,
 आर. वेंकटरामन 125, 130, 133
 जैल सिंह 130
 एस. राधाकृष्णन 131
 जाकिर हुसैन 131, 135
 शंकर दयाल शर्मा 131
 वी.वी. गिरी 133, 135

- राजेन्द्र प्रसाद 133, 139
संजीव रेड्डी 133
फखरुद्दीन अली अहमद 135
बी.डी. जत्ती 135
राष्ट्रपति की पदावधि 134
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 156
राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 206
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 211-13
राजीतिक लोकतंत्र 56
राजनीतिक न्याय 57
राजगोपालाचारी, सी. 21
'राजभाषा' 224
राजभाषा अधिनियम, 1963 226, 227
रामकृष्ण मिशन 108
- लखनऊ अधिवेशन 26
लखनऊ समझौता 14
लार्ड, वेवल् 27
लार्ड, कैनिंग 11
लार्ड, चेम्सफोर्ड 14
लार्ड, लिनलियगो 16, 19
लिखित संविधान 2, 35
लेबर पार्टी 25
लोकतंत्र 1, 7 ✓
लोकसभा 37
लोकसभा का विघटन 129
लोक नियोजन अधिनियम, 1957 84, 86
लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था 88, 89, 215
लोकतांत्रिक व्यवस्था 2
लोक सेवा आयोग 186, 218-19, 238
लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उन्मूलन 188
लोक प्राधिकारी 206
लोक शिकायतों की भाषा 228
- श्वेतपत्र 26
शास्त्री, पातंजलि,
मुख्य न्यायाधीश 76, 78
- शाहबानो का मामला 52
शोषण के विरुद्ध अधिकार 75, 104
- वयस्क मताधिकार 27, 54
वार्षिक वित्तीय विवरण 126, 157
विधि न्यायालय 56
विधानमंडल 20, 22, 160, 164
विधानसभा 20, 32
विधायिका 1, 32, 113, 178
विभाजन की अनिवार्यता 22
विधेयको पर अनुमति 149
विधि की सम्यक प्रक्रिया 175
विधायी संबंध 194-96
वित्तीय संबंध 197-98
विधानमंडलों की भाषा 225
विनियोग विधेयक 150-51
विशेषाधिकारों का सहिताकरण 156
विदेशी संविधान 4
वित्त आयोग 126, 201, 202
विभाजन की अनिवार्यता 22
विश्व-बंधुत्व की सकल्पना 60
वित्तीय विधेयक 147-48
वैयक्तिक स्वतंत्रता 99, 101, 119
- स्वाधीनता संग्राम 117
स्वतंत्र न्यायपालिका 41
स्वतंत्रता का अधिकार 74
स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 7
संसद तथा कार्यपालिका 158-59
संसद तथा न्यायपालिका 159-61
संसद का गठन 141
संसद के सदस्य 144
संसद के अधिकारी 145, 146
संसद का सत्र 146
संसद की भाषा 151
संगम की स्वतंत्रता 93
संसदीय विद्या 70

- संसदीय लोकतंत्र 56
संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली 37-38
संसदीय प्रभुत्व 38-39
संसदीय शासन प्रणाली 4
संसदीय विशेषाधिकार 5
संसदीय विशेषाधिकार 151-52
संविधान का निर्वचन 5-6
संवैधानिक शासन-प्रणाली 7
संयुक्त संसदीय समिति 26
संविधान-निर्माण निकाय 27,28
संविधान का प्रारूप 36
संविधान की रचना 30
संविधान का आकार 34-35
संविधान के प्रकार 35
संविधान प्रारूपण समिति 66
संविधानवाद 2
संविधान सभा 3, 4, 21, 22, 24-30, 31,
33, 42, 50, 60, 62, 73, 108, 194, 212
संविधान संशोधन विधेयक 3
संविधान के स्रोत 3-4
संविधान निर्माता 3, 5, 33, 39, 40, 42,
43, 47, 51, 60, 72, 73, 119, 124, 194,
206, 225
संविधान संशोधन अधिनियम 3-4
संवैधानिक विधि 2
संघीय राज्य व्यवस्था 1, 4, 29
संवैधानिकता के पक्ष में उपधारणा 177
संचित निधि 200
संप्रभुता 45
संचरण की स्वतंत्रता 101
संपूर्ण प्रभुत्व सपन्न 46, 47
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 106-107
संपत्ति का अधिकार 108, 109, 116
संवैधानिक उपचारों का अधिकार 110, 111
‘संवैधानिक पूर्वदृष्ट्या’ 30
संवैधानिक इतिहास 36
सांप्रदायिक हिंसा 21
संविधान निर्माण 73
संवैधानिक प्रथा 73
समाजवाद 45, 47, 48
सरकारिया आयोग 194
‘सशस्त्र विद्रोह’ 207, 208
सत्ता का विकेंद्रीकरण 245
समरस अर्थान्वयन नियम 155
सर्वलाइट केस 154, 156
समवर्ती सूची 161
सरकार पर संसदीय नियंत्रण 162
सम्मेलन की स्वतंत्रता 93
समरस-सरचना-सिद्धांत 6
समान सिविल सहिता 115
समकालीन राष्ट्रवादी विचारधारा 25
संघ की राजभाषा 225
संवैधानिक संशोधन 54
समानता का अधिकार 78-80
सरकार की विदेश नीति 91
सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार 39
सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र 55
साइमन आयोग 25, 26, 193
‘सकारात्मक अधिकार’ 119
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
देखें अस्पृश्यता अधिनियम, 1955
सिंह, वी.पी 165, 166
सिविल न्यायालय 97
स्विट्जरलैंड 54
सीतलवाड, एम.सी 51
सीमा शुल्क 29
‘हरिजन’ 27
हरियाणा 63
हाउस आफ कामंस 25
हिमाचल प्रदेश 63
हिंदी का विकास 228
हेली, मैल्कम 192

